

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए**



**संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2017 का प्रतिवेदन सं. 40**

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार
राजस्व विभाग - प्रत्यक्ष कर
2017 का प्रतिवेदन सं. 40

..... को लोक सभा और राज्य सभा में प्रस्तुत

विषय सूची

विषय	पृष्ठ
प्राक्कथन	i
मुख्य बातें	iii-vi
अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन	1-15
i. संघ सरकार के संसाधन	1
ii. प्रत्यक्ष करों का स्वरूप	2-5
iii. सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व	5
iv. प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग	6
v. प्रत्यक्ष करों की वृद्धि	7-8
vi. कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव	9-10
vii. कर आधार का विस्तारण	10
viii. संवीक्षा निर्धारणों का निपटान	11
ix. प्रतिदाय मामलों का निपटान	12
x. बकाया मांग	12-13
xi. अपील मामलों का निपटान	13-14
xii. अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण	14-15
xiii. आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता	15
अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव	17-30
i. प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी का प्राधिकार	17
ii. प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता	17-20
iii. निगम कर तथा आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में निरंतर तथा व्यापक अनियमितताएं	20-25
iv. लेखापरीक्षा उत्पाद तथा लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया	25-28
v. लेखापरीक्षा प्रभाव-लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली	28-29
vi. समय बाधित मामलें	29
vii. अभिलेखों को प्रस्तुत न कराना	29-30

अध्याय III: निगम कर	31-67
i. प्रस्तावना	31
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	31-42
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	42-54
iv. चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय	54-65
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	65-67
अध्याय IV: आयकर और धन कर	69-86
i. प्रस्तावना	69
ii. निर्धारणों की गुणवत्ता	69-73
iii. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	74-80
iv. चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय	80-85
v. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	85-86
अध्याय V: संवीक्षा निर्धारणों के दौरान अवास्तविक मांग	87-93
i. प्रस्तावना	87
ii. अग्रिम कर भुगतान का कम क्रेडिट	87-89
iii. धारा 234बी/234सी के तहत ब्याज का उद्ग्रहण करके प्रतिदाय को रोकना	89-92
iv. अन्य आपत्तियां	92-93
v. निष्कर्ष	93
अध्याय VI: निर्धारितियों द्वारा फर्जी संव्यवहार	95-109
i. प्रस्तावना	95
ii. आयकर विभाग की भूमिका	95
iii. लेखापरीक्षा निष्कर्ष	96-108
iv. निष्कर्ष	109
अध्याय VII: आयकर विभाग में अपील प्रक्रिया	111-133
i. प्रस्तावना	111
ii. कानून तथा प्रक्रियाएं	111
iii. लेखापरीक्षा उद्देश्य	111
iv. लेखापरीक्षा मानदण्ड	112
v. लेखापरीक्षा कार्यपद्धति	112
vi. लेखापरीक्षा कवरेज तथा नमूना आकार	112-113
vii. अभिलेखों को प्रस्तुत न करना	113

viii.	एओ द्वारा वृद्धियों का कायम रहना तथा आईटीडी की अपीलों की सफलता दर	114-117
ix.	अपील दाखिल करने में अनियमितताएं, अपीलीय प्राधिकारियों के निर्देशों पर पालन न करना तथा अन्य अनियमितताएँ	117-124
x.	एओज़ द्वारा अपीलीय आदेशों का कार्यान्वयन	125-132
xi.	निष्कर्ष	132-133
परिशिष्ट		135-164
संकेताक्षर		165-166

प्राक्कथन

मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राष्ट्रपति को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में संघ सरकार के राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष करों की अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम निहित हैं।

इस प्रतिवेदन में वह मामले उल्लिखित हैं जो 2016-17 की अवधि की नमूना लेखापरीक्षा के समय ध्यान में आये, साथ ही वो मामले भी, जो पूर्व वर्षों में ध्यान में आए थे, किन्तु पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे; 2016-17 के बाद की अवधि से संबंधित मामले भी, जहाँ आवश्यक समझा गया, शामिल किए गए हैं।

लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।

मुख्य बातें

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक संघ सरकार के प्राप्तियों की लेखापरीक्षा करते हैं। इस प्रतिवेदन में प्रत्यक्ष कर प्रशासन से संबंधित सभी पहलुओं पर यथा लागू आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा सम्बद्ध नियमों, प्रक्रियाओं, निर्देशों आदि के अनुपालन की प्राथमिक रूप से चर्चा की गई है। इस प्रतिवेदन में सात अध्याय सम्मिलित हैं जिसकी मुख्य बातों की चर्चा नीचे की गई है:

अध्याय I: प्रत्यक्ष कर प्रशासन

वित्तीय वर्ष 2016-17 में संघ सरकार की प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां ₹ 8,49,801 करोड़ थीं, जिसमें वित्तीय वर्ष 2015-16 (₹ 7,42,012 करोड़) में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। प्रत्यक्ष कर ने वर्ष 2016-17 में जीडीपी का 5.6 प्रतिशत दर्शाया। सकल कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा वित्तीय वर्ष 2015-16 में 51.0 प्रतिशत से घटकर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 49.5 प्रतिशत हो गया।

प्रत्यक्ष कर के दो प्रमुख संघटकों में से, निगम कर से संग्रहण वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 4.53 लाख करोड़ से 7.0 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 4.85 लाख करोड़ हो गया। आयकर से संग्रहण वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 2.80 लाख करोड़ से 21.5 प्रतिशत बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 3.41 लाख करोड़ हो गया।

गैर निगमित निर्धारितियों की संख्या 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 3.98 करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4.37 करोड़ हो गई। निगमित निर्धारितियों की संख्या 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2015-16 में 6.9 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 7.1 लाख हो गई।

संवीक्षा निर्धारण के कुल 9.2 लाख मामलों में से आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2016-17 में 4.0 लाख (44.0 प्रतिशत) मामलों का निपटान किया था। पिछले वर्ष निपटान दर 48.1 प्रतिशत थी।

पिछले वर्षों में प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के विलम्ब में वित्तीय वर्ष 2012-13 में 28.9 प्रतिशत से वि.व. 2016-17 में केवल 10.7 प्रतिशत तक की काफी कमी हुई।

बकाया मांग वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 8.2 लाख करोड़ से बढ़ कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 10.4 लाख करोड़ हो गई। विभाग ने दर्शाया कि 98.6 प्रतिशत से अधिक की असंग्रहीत मांग की वसूली मुश्किल होगी।

सीआईटी (अपील) के पास लम्बित अपीलें वित्तीय वर्ष 2015-16 में 2.6 लाख से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में 2.9 लाख हो गई। इन मामलों में अवरुद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 6.1 लाख करोड़ थी। उच्चतर स्तरों (आईटीएटी/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अवरुद्ध राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में ₹ 3.0 लाख करोड़ (70,371 मामले) से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2016-17 में ₹ 4.4 लाख करोड़ (82,806 मामले) हो गई।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

आयकर विभाग ने वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान, वित्तीय वर्ष 2016-17 की लेखापरीक्षा योजना के अनुसार लेखापरीक्षित यूनिटों में 2.57 लाख संवीक्षा निर्धारण पूरे किए, जिनमें से हमने 2.39 लाख मामलों की जांच की। इसके अलावा, हमने वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों में पूरे किए गए 0.30 लाख मामलों की भी लेखापरीक्षा की। वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारणों में 0.19 लाख (पिछले वर्ष 7.3 प्रतिशत के प्रति 7.2 प्रतिशत) मामलों में गलतियाँ थीं।

पिछले कुछ वर्षों में निगम कर और आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में लगातार और अत्यधिक अनियमितताएँ हुईं। पिछली लेखापरीक्षा रिपोर्टों में बार-बार बताने के बावजूद भी ऐसी अनियमितताओं की पुनरावृत्ति विभाग की ओर से संरचनात्मक कमियों के साथ-साथ ऐसी अनियमितताओं का पता लगाने हेतु उचित संस्थागत तंत्र का अभाव दर्शाता है। ऐसी अनियमितताएँ विशेष रूप से महाराष्ट्र और दिल्ली में निर्धारण प्रभारों में देखी गईं।

इस प्रतिवेदन में मंत्रालय को सूचित केवल 457 उच्च मूल्य के मामलों को शामिल किया गया है। इनमें से, हमने 31 अक्टूबर 2017 तक 269 मामलों के संबंध में उत्तर प्राप्त किये थे, जिसमें से 243 मामलों (90.3 प्रतिशत) को स्वीकार किया गया था और 26 मामलों को स्वीकार नहीं किया गया था। शेष मामलों में मंत्रालय/आयकर विभाग ने उत्तर नहीं दिए। इनमें, संवीक्षा

निर्धारणों के दौरान फर्जी मांग और निर्धारितियों द्वारा फर्जी संव्यवहारों के संबंध में क्रमशः अध्याय V तथा अध्याय VI में वर्णित मामले, जो लेखापरीक्षा में देखे गए थे सम्मिलित नहीं किए गए हैं। इसके अलावा, इस प्रतिवेदन में एक विषय आधारित अनुपालन लेखापरीक्षा “आयकर विभाग में अपील प्रक्रिया” पर भी चर्चा की गई है जिसे अध्याय VII में सम्मिलित किया गया है।

पिछले पांच वर्षों में, आयकर विभाग ने निर्धारणों में चूकों को, जो हमने बताई थी सुधारने के लिए की गई मांगों से ₹ 4,951.51 करोड़ की वसूली की थी। लेखापरीक्षा में बताए गए ₹ 0.87 लाख करोड़ के राजस्व प्रभाव वाले 49,436 मामले आयकर विभाग से उत्तर के अभाव में 31 मार्च 2017 तक निपटान के लिए शेष थे।

वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 1,637.81 करोड़ के कर प्रभाव के 2,243 मामले उपचारी कार्रवाई हेतु समयबाधित हो गए।

अध्याय III: निगम कर

हमने ₹ 3,850.86 करोड़ के कर प्रभाव वाले निगम कर से संबंधित 320 उच्च मूल्य वाले मामले बताए। हमने इन मामलों को चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया है नामतः (1) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 625.73 करोड़ (99 मामले) का कर प्रभाव शामिल था, (2) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन; जिसमें ₹ 1,789.22 करोड़ (150 मामले) कर प्रभाव शामिल था; (3) चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय जिसमें ₹ 989.93 करोड़ (31 मामले) कर प्रभाव शामिल था; तथा (4) कर/ब्याज का अधिक-प्रभार जिसमें ₹ 446.08 करोड़ (40 मामले) शामिल थे।

अध्याय IV: आयकर और धनकर

हमने आयकर से संबंधित ₹ 335.53 करोड़ के कर प्रभाव वाले 131 उच्च मूल्य वाले मामले तथा ₹ 0.46 करोड़ के कर प्रभाव वाले धन कर के छः मामले बताए। हमने इन मामलों को निम्नानुसार चार व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत किया: (1) निर्धारणों की गुणवत्ता जिसमें ₹ 217.93 करोड़ (69 मामले) के कर प्रभाव शामिल था; (2) कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन जिसमें ₹ 78.19 करोड़ (35 मामले) का कर प्रभाव शामिल था; (3) चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय ₹ 18.61 करोड़ (17 मामले)

का कर प्रभाव शामिल था; तथा (4) कर/ब्याज का अधिक प्रभार जिसमें ₹ 21.61 करोड़ (16 मामले) शामिल थे।

अध्याय V: संवीक्षा निर्धारणों के दौरान अवास्तविक मांगे

हमने यह बताया कि आयकर विभाग ने उन पद्धतियों का सहारा लेकर अपने राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अधिक मांग की थी, जो अनियमित तथा अनाधिकृत थी। ऐसे संग्रहीत मांग को धारा 244ए के तहत ब्याज के साथ अगले वित्तीय वर्ष में वापिस किया गया जिसने अंततः प्रतिदायों पर दिए गए परिहार्य ब्याज के रूप में राजकोष पर अधिक भार डाला।

अध्याय VI: निर्धारितियों द्वारा फर्जी संव्यवहार

हमने यह बताया कि आयकर विभाग ने फर्जी दान या फर्जी खरीदों के मामलों का निपटान करने के लिए एकसमान पद्धति नहीं अपनाया। एओ ने विजिलेन्स विंग के प्रतिवेदनों का संज्ञान नहीं लिया तथा फर्जी दान या फर्जी खरीदों की राशियों को नामंजूर करके आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने में विफल हुए जिसके परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

अध्याय VII: आयकर विभाग में अपील प्रक्रिया

हमने आयकर विभाग द्वारा प्रस्तुत 17,097 अपील मामलों की लेखापरीक्षा की तथा अधिनियम/नियमों/सीबीडीटी परिपत्रों आदि के प्रावधानों का अनुपालन न करने से संबंधित ₹ 549.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,203 मामलों में अनियमितताएँ पाईं। ऐसी अनियमितताएँ लेखापरीक्षित कुल मामले के 12 प्रतिशत से अधिक थीं।

हमने देखे गए नियमों के अन्य उल्लंघन बताने के अलावा, निर्धारितियों द्वारा कर के भुगतान की पूर्वशर्त को नजरअंदाज करके सीआईटी (अपील) द्वारा अपीलों को दाखिल करने सम्बन्धी बताईं।

अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन में, हमने निर्धारिती को पहले ही जारी प्रतिदाय, ब्याज के कम उद्ग्रहण/उद्ग्रहण होने पर विचार न करने के कारण अपीलीय आदेशों को प्रभाव देने में चूकें देखीं। अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन में विलम्ब था जिसके परिणामस्वरूप धारा 244ए के तहत निर्धारिती को ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। हमने ऐसे मामले भी देखे जहां अपीलीय प्राधिकारियों ने राजस्व के पक्ष में निर्णय दिए परन्तु अपीलीय आदेशों के क्रियान्वयन के लिए आयकर विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई जिसके परिणामस्वरूप राजस्व अप्राप्त रहा।

अध्याय I

प्रत्यक्ष कर प्रशासन

1.1 संघ सरकार के संसाधन

1.1.1 भारत सरकार के संसाधनों में संघ सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी करके लिए गए सभी ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा ऋण के पुनर्भुगतान में सरकार को प्राप्त सभी धन शामिल हैं। संघ सरकार के कर राजस्व संसाधनों में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व शामिल हैं। निम्नलिखित तालिका 1.1 वित्तीय वर्ष (वि.व.) 2016-17 तथा वि.व. 2015-16 के लिए संघ सरकार के संसाधनों का सारांश प्रस्तुत करती है। वि.व. 2016-17 के लिए संघ वित्त लेखे के आंकड़े अनंतिम हैं।

तालिका 1.1: संघ सरकार के संसाधन	(₹ करोड़ में)	
	वि.व. 2016-17	वि.व. 2015-16
क. कुल राजस्व प्राप्तियां	22,23,988	19,42,353
i. प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	8,49,801	7,42,012
ii. अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियां	8,66,167	7,13,879
iii. गैर-कर प्राप्तियां	5,06,721	4,84,581
iv. सहायता अनुदान एवं अंशदान	1,299	1,881
ख. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ²	47,743	42,132
ग. ऋण एवं अग्रिमों की वसूली³	40,971	41,878
घ. सार्वजनिक ऋण प्राप्तियाँ⁴	61,34,137	43,16,950
भारत सरकार की कुल प्राप्तियाँ (क+ख+ग+घ)	84,46,839	63,43,313

स्रोत: संबंधित वर्षों के संघ वित्त लेखे। प्रत्यक्ष कर प्राप्तियां और अन्य करों सहित अप्रत्यक्ष कर प्राप्तियों की संगणना संघ वित्त लेखे से की गई है। कुल राजस्व प्राप्तियों में सीधे राज्यों को सौंपे गए प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों की निवल प्राप्तियों के हिस्से के रूप में वि.व. 2016-17 में ₹ 6,08,000 करोड़ तथा वि.व. 2015-16 में ₹ 5,06,193 करोड़ शामिल हैं।

1.1.2 वि.व. 2016-17 में कुल राजस्व प्राप्तियां भारत सरकार की कुल प्राप्तियों की 26.3 प्रतिशत तथा प्रत्यक्ष कर का भाग 10.1 प्रतिशत था। वि.व. 2016-17 में प्रत्यक्ष कर कुल राजस्व प्राप्तियों का 38.2 प्रतिशत था जिससे पिछले वर्ष की प्राप्तियों की तुलना में 14.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

¹ अप्रत्यक्ष करों जैसे सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क, सेवाकर आदि को माल एवं सेवाओं पर उदग्रहीत किया जाता है;

² इसमें बोनस शेयर का मूल्य, सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों के विनिवेश तथा अन्य प्राप्तियां शामिल हैं;

³ संघ सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली;

⁴ भारत सरकार द्वारा आंतरिक के साथ साथ बाह्य उधारियां

1.2 प्रत्यक्ष करों का स्वरूप

1.2.1 संसद द्वारा उदग्रहीत प्रत्यक्ष करों में मुख्यतः शामिल हैं,

- i. कम्पनियों की आय पर उदग्रहीत **निगम कर**;
- ii. व्यक्तियों की आय पर उदग्रहीत **आयकर** (कम्पनियों को छोड़कर);
- iii. प्रतिभूति लेनदेन कर⁵, धनकर⁶ आदि सहित **अन्य प्रत्यक्ष कर**।

1.2.2 तालिका 1.2 प्रत्यक्ष कर प्रशासन का एक आशुचित्र उपलब्ध कराती है।

तालिका 1.2: प्रत्यक्ष कर प्रशासन					
	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
	₹ करोड़ में				
1. प्रत्यक्ष कर संग्रहण	5,58,989	6,38,596	6,95,792	7,42,012	8,49,801
क. निगम कर	3,56,326	3,94,678	4,28,925	4,53,228	4,84,924
ख. आय कर	1,96,843	2,37,870	2,58,374	2,80,390	3,40,592
ग. अन्य प्रत्यक्ष कर	5,820	6,048	8,493	8,394	24,285
2. प्रतिदाय	83,766	89,060	1,12,163	1,22,596	1,62,582
3. प्रतिदाय पर ब्याज	6,666	6,598	5,332	6,886	10,312
	संख्या लाख में				
4. निम्न द्वारा फाइल वास्तविक रिटर्न					
क. गैर निगमित निर्धारिती	367.9	304.0	360.6	398.0	436.9
ख. निगमित निर्धारिती	5.9	6.4	6.8	6.9	7.1
5. पूर्ण हुए संवीक्षा निर्धारण	3.1	2.9	5.4	3.4	4.0
6. लम्बित संवीक्षा निर्धारण	2.9	4.1	4.9	3.7	5.2
7. संसाधित गैर-संवीक्षा निर्धारण	170.5	175.4	125.6	176.2	215.8
8. निर्धारण ड्यूटी पर अधिकारी (संख्या में)	3,657	4,033	6,576	6,311	5,257
9. राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	3,334	3,687	4,148	4,689	5,623

स्रोत: क्रम सं. 1 एवं 9 - संघ वित्त लेखे, क्रम सं. 2 प्र. सीसीए, सीबीडीटी और क्रम सं. 3 से 8 आयकर प्रधान महानिदेशालय (प्रशा. एवं कर प्रदाता सेवा), अन्वेषण एवं सांख्यिकीय अनुभाग

निर्धारण अधिकारी द्वारा पूर्ण की गई संवीक्षा निर्धारण की औसत संख्या पिछले पांच वर्षों के दौरान 67 से 105 के बीच थी; और वि.व. 2016-17 के दौरान संख्या 76 हुई।

1.2.3 निम्न तालिका 1.3 आय की विभिन्न श्रेणियों में गैर-निगमित निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।


⁵ भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से खरीदी गई और बेची गई कर योग्य प्रतिभूतियों के मूल्य पर कर। तथापि, धारा 88ई के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2009-10 से किसी छूट की अनुमति नहीं है।

⁶ निवल धन पर प्रभार्य कर में धनकर अधिनियम 1957 की धारा 2(ईए) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट कुछ परिसम्पत्तियां शामिल हैं। धन कर को वित्त अधिनियम, 2015 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।

तालिका 1.3 गैर-निगमित निर्धारिती						(आंकड़े लाख में)
वित्तीय वर्ष	क ⁷	ख ₁ ⁸	ख ₂ ⁹	ग ¹⁰	घ ¹¹	कुल
2012-13	276.13	58.21	23.94	6.59	3.00	367.87
2013-14	117.23	135.79	34.24	16.72	0.05	304.03
2014-15	76.32	216.31	46.11	21.80	0.01	360.55
2015-16	55.93	264.47	52.94	24.69	0.01	398.04
2016-17	54.17	290.16	61.85	30.69	0.02	436.89

स्रोत: प्रधान महानिदेशालय, आयकर (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्नों पर आधारित हैं।

गैर निगमित निर्धारितियों ने वि.व. 2015-16 में 10.4 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2016-17 में 9.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। जैसाकि उपरोक्त तालिका 1.3 तथा चार्ट 1.1 से देखा जा सकता है, वि.व. 2015-16 की तुलना में वि.व. 2016-17 के दौरान श्रेणी 'ख²' और श्रेणी 'ग' में 16.8 प्रतिशत और 24.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। तथापि, दोनों श्रेणियों में पूर्व वर्ष की तुलना में वि.व. 2015-16 के दौरान 14.8 प्रतिशत और 13.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।




- 7 श्रेणी "क" निर्धारिती- ₹ दो लाख से नीचे आय/हानि का निर्धारण;
- 8 श्रेणी "ख₁" निर्धारिती (कम आय समूह) - ₹ दो लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ पांच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;
- 9 श्रेणी "ख₂" निर्धारिती (उच्च आय समूह) - ₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ 10 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;
- 10 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;
- 11 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

1.2.4 निम्नलिखित तालिका 1.4 आय की विभिन्न श्रेणियों में निगमित निर्धारितियों के ब्यौरों को दर्शाती है।

तालिका 1.4 निगमित निर्धारिती							(आंकड़े लाख में)	
वित्तीय वर्ष	क ¹²	ख ₁ ¹³	ख ₂ ¹⁴	ग ¹⁵	घ ¹⁶	कुल	₹ 25 लाख से अधिक आय वाले निर्धारिती	31 मार्च तक आरओसी के अनुसार कार्यरत कम्पनियां
2012-13	3.05	0.97	0.83	1.02	0.03	5.90	0.14	8.84
2013-14	4.14	0.89	0.31	1.01	0.01	6.36	0.65	9.52
2014-15	3.20	1.51	0.48	1.56	0.00*	6.75	0.69	10.16
2015-16	3.08	1.59	0.50	1.71	0.00^	6.88	0.76	10.82
2016-17	3.14	1.65	0.53	1.81	0.00#	7.13	1.44	11.11

स्रोत: प्रधान महानिदेशालय, आयकर (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), अनुसंधान एवं सांख्यिकी विंग। यह आंकड़े संबंधित वर्ष के दौरान फाइल की गई वास्तविक रिटर्नों पर आधारित हैं।
* 256 निर्धारिती; ^ 337 निर्धारिती # 134 निर्धारिती

निगमित निर्धारितियों ने वि.व. 2015-16 में 1.9 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में वि.व. 2016-17 में 3.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की थी। जैसाकि उक्त तालिका 1.4 तथा नीचे चार्ट 1.2 से देखा जा सकता है, वि.व. 2016-17 के दौरान सभी श्रेणियों में निर्धारितियों की संख्या में न्यूनतम वृद्धि हुई है।



1.2.5 कम्पनियों के रजिस्ट्रार (आरओसीज़)¹⁷ के डाटा के अनुसार कुल कार्यरत कम्पनियों के आंकड़े की आयकर विभाग के अनुसार कुल फाइलर्स के साथ तुलना से पता चला कि पहचाने गए नॉन फाइलर्स द्वारा अनुपालन

12 श्रेणी "क" निर्धारिती-₹ 50,000 से कम आय/हानि का निर्धारण;

13 श्रेणी "ख₁" निर्धारिती (कम आय समूह)- ₹ 50,000 और अधिक परंतु ₹ पाँच लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

14 श्रेणी "ख₂" निर्धारिती (उच्च आय समूह) -₹ पाँच लाख और उससे अधिक परन्तु ₹ 10 लाख से कम आय/हानि का निर्धारण;

15 श्रेणी "ग" निर्धारिती- ₹ 10 लाख और इससे अधिक की आय/हानि के साथ निर्धारण;

16 श्रेणी "घ" निर्धारिती-तालाशी और जब्ती निर्धारण;

17 स्रोत: कॉरपोरेट मामला मंत्रालय, सांख्यिकीय डिविजन, नई दिल्ली

सुनिश्चित कराना प्रभावी नहीं है। वि.व. 2015-16 के अनुसार आरओसी के साथ पंजीकृत 10.82 लाख कम्पनियां थी जिसके प्रति यह देखा गया कि वि.व. 2016-17 में, केवल 7.13 लाख कम्पनियों ने आयकर रिटर्न फाइल किया था। यद्यपि सभी कार्यरत कम्पनियों (चाहे लाभ अर्जन करने वाली या हानि करने वाली) को आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधान द्वारा अपनी आयकर रिटर्न फाइल करना अपेक्षित है तथापि, वि.व. 2015-16 में 34.1 प्रतिशत ऐसी कार्यरत कम्पनियों ने अपनी आयकर रिटर्न फाइल नहीं की।

1.3 सीबीडीटी के कार्य एवं उत्तरदायित्व

1.3.1 वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग (डीओआर) के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) भारत में प्रत्यक्ष करों की नीति और योजना बनाने के लिए आवश्यक इनपुट प्रदान करता है। उसके साथ साथ यह आयकर विभाग (आईटीडी) के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के प्रशासन के लिए भी उत्तरदायी है। आयकर विभाग प्रत्यक्ष करों के उद्ग्रहण और संग्रहण तथा कर अपवंचन के मामलों, राजस्व आसूचना, कर आधार बढ़ाने, करदाताओं को सेवाएं प्रदान करने, शिकायत निवारण तंत्र आदि से संबंधित मामलों को देखता है।

1.3.2 31 मार्च 2016 तक आयकर विभाग की समस्त स्टाफ संख्या तथा कार्यरत संख्या क्रमशः 78,552 तथा 45,045 हैं। अधिकारियों¹⁸ की संस्वीकृत और कार्यरत संख्या क्रमशः 11,052 और 9,200 है। वर्ष 2016-17 के लिए राजस्व व्यय ₹ 5,623 करोड़¹⁹ है।

¹⁸ प्र.सीसीआईटी/प्र.डीजीआईटी, सीसीआईटी/डीजीआईटी, प्र सीआईटी/प्र.डीआईटी, सीआईटी/डीआईटी, अपर सीआईटी/अपर डीआईटी, डीआईटी/जेसीआईटी/जेडीआईटी/डीसीआईटी/ डीडीआईटी, एसीआईटी/एडीआईटी तथा आईटीओज़

¹⁹ वि.व. 2016-17 के संघ वित्त लेखे।

1.4 प्रत्यक्ष कराधान की बजटिंग

1.4.1 बजट सरकार की दृष्टि एवं उद्देश्य को प्रदर्शित करता है। राजस्व बजट में सरकार की राजस्व प्राप्तियां (कर राजस्व और अन्य राजस्व) शामिल होती हैं। बजट अनुमानों के तदनुसारी वास्तविक से तुलना राजकोषीय प्रबंधन की गुणवत्ता का संकेतक है। वास्तविकता अप्रत्याशित और यादृच्छिक रूप से बाह्य घटनाओं या प्रणालीगत अपर्याप्तताओं या अवास्तविक धारणाओं के कारण अनुमानों से भिन्न हो सकती है।

1.4.2 निम्नलिखित तालिका 1.5 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान बजट अनुमानों (बीई), संशोधित अनुमानों (आरई) तथा प्रत्यक्ष करों का वास्तविक संग्रहण दर्शाती है।

तालिका 1.5 वास्तविक की तुलना में बजट अनुमान, संशोधित अनुमान (₹ करोड़ में)							
वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वास्तविक	वास्तविक	बजट	संशोधित
				माइनस बजट अनुमान	माइनस संशोधित अनुमान	अनुमान प्रतिशत के रूप में अन्तर	अनुमान प्रतिशत के रूप में अन्तर
2012-13	5,70,257	5,65,835	5,58,989	(-) 11,268	(-) 6,846	(-) 2.0	(-) 1.2
2013-14	6,68,109	6,36,318	6,38,596	(-) 29,513	2,278	(-) 4.4	0.4
2014-15	7,36,221	7,05,628	6,95,792	(-) 40,429	(-) 9,836	(-) 5.5	(-) 1.4
2015-16	7,97,995	7,52,021	7,42,012	(-) 55,983	(-) 10,009	(-) 7.0	(-) 1.3
2016-17	8,47,097	8,47,097	8,49,801	2,704	2,704	0.3	0.3

टिप्पणी: बजट अनुमान और संशोधित अनुमान आंकड़े संबंधित प्राप्त बजट के अनुसार हैं और वास्तविक संबंधित वित्तीय लेखाओं के अनुसार हैं।

1.4.3 संशोधित अनुमानों तथा वास्तविक संग्रहण में अंतर संशोधित अनुमानों के (-) 1.4 प्रतिशत से 0.3 प्रतिशत के बीच रहा जबकि वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान बजट अनुमान तथा वास्तविक के बीच भिन्नता अधिक थी जिसने यह दर्शाया कि बजट अनुमान जिस पर व्यय प्रस्ताव बनाए गए थे, वि.व. 2016-17 के अनंतिम आंकड़ों को छोड़कर, काफी हद तक अवास्तविक धारणाओं पर आधारित थे।

1.5 प्रत्यक्ष करों की वृद्धि

1.5.1 निम्न तालिका 1.6 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान सकल कर प्राप्तियों²⁰ (जीटीआर) और सकल घरेलू उत्पादों (जीडीपी) के संदर्भ में प्रत्यक्ष करों (डीटी) की संबंधित वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.6: प्रत्यक्ष कर में वृद्धि					(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	डीटी	जीटीआर	जीटीआर के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर	जीडीपी	जीडीपी के प्रतिशत के रूप में प्रत्यक्ष कर
2012-13	5,58,989	10,36,460	53.9	99,88,540	5.6
2013-14	6,38,596	11,38,996	56.1	1,13,45,056	5.6
2014-15	6,95,792	12,45,135	55.9	1,25,41,208	5.5
2015-16	7,42,012	14,55,891	51.0	1,35,76,086	5.5
2016-17	8,49,801	17,15,968	49.5	1,51,83,709	5.6

स्रोत: डीटी तथा जीटीआर-संघ वित्त लेखे, जीडीपी-केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) सांख्यिकी तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वि.व. 2016-17 हेतु जीडीपी-31 मई 2017 को सीएसओ द्वारा प्रकाशित प्रेस नोट। जीडीपी के आंकड़े सीएसओ द्वारा लगातार संशोधित किए जाते हैं।

1.5.2 यद्यपि वि.व. 2015-16 की तुलना में वि.व. 2016-17 में प्रत्यक्ष कर 14.5 प्रतिशत तक बढ़ गया था फिर भी जीटीआर में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी में वि.व. 2015-16 की तुलना में वि.व. 2016-17 में थोड़ी कमी (1.5 प्रतिशत) आई थी। यह वि.व. 2016-17 के दौरान अप्रत्यक्ष करों में 21.3 प्रतिशत की वृद्धि के कारण था जैसाकि तालिका 1.1 में दर्शाया गया है। वि.व. 2016-17 के दौरान प्रत्यक्ष कर जीडीपी का 5.6 प्रतिशत है, जो पिछले वर्षों के दौरान स्थिर रहा।

1.5.3 निम्न तालिका 1.7 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान प्रत्यक्ष करों और इसके प्रमुख संघटकों अर्थात् निगम कर (सीटी) और आयकर (आईटी) में वृद्धि को दर्शाती है।

तालिका 1.7: प्रत्यक्ष कर प्राप्तियों और इसके मुख्य संघटकों की वृद्धि						(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	प्रत्यक्ष कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	निगम कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि	आय कर	पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि
2012-13	5,58,989	13.2	3,56,326	10.4	1,96,843	19.6
2013-14	6,38,596	14.2	3,94,678	10.8	2,37,870	20.8
2014-15	6,95,792	9.0	4,28,925	8.7	2,58,374	8.6
2015-16	7,42,012	6.6	4,53,228	5.7	2,80,390	8.5
2016-17	8,49,801	14.5	4,84,924	7.0	3,40,592	21.5

स्रोत: संघ वित्त लेखे

1.5.4 वि.व. 2016-17 में निगम कर में 7.0 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में आयकर में 21.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी।

²⁰ इसमें सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर सम्मिलित हैं।

1.5.5 निगम तथा आयकर दोनों के संबंध में प्रत्यक्ष कर संग्रहण के विभिन्न चरणों जैसे स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस), अग्रिम कर, स्व-निर्धारण कर और नियमित निर्धारण कर हैं। टीडीएस, अग्रिम कर तथा स्व-निर्धारण कर के माध्यम से पूर्व निर्धारण संग्रहण, प्रणाली में स्वैच्छिक अनुपालन का सूचक है। नियमित निर्धारण विधि के माध्यम से किया गया कर संग्रहण पश्च निर्धारण पर होता है।

1.5.6 निम्न तालिका 1.8 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान विभिन्न चरणों के तहत निगम कर और आय कर के संग्रहण को दर्शाती है।

तालिका 1.8: निगम कर और आय कर का संग्रहण							(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	टीडीएस	अग्रिम कर	स्व-निर्धारण कर	पूर्व-निर्धारण संग्रहण (कॉ. 2 + 3 + 4)	नियमित निर्धारण संग्रहण	अन्य प्राप्तियां	कुल संग्रहण (कॉ. 5 + 6 + 7)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
2012-13	2,10,654	2,75,794	39,470	5,25,918	62,418	48,596	6,36,932
2013-14	2,48,547	2,92,522	44,123	5,85,192	72,528	63,884	7,21,604
2014-15	2,59,106	3,26,525	52,050	6,37,681	80,189	81,589	7,99,459
2015-16	2,87,412	3,52,899	54,860	6,95,171	63,814	96,940	8,55,925
2016-17	3,92,124	4,06,769	68,160	8,67,053	74,138	46,586	9,87,777

टिप्पणी: उपरोक्त आंकड़े संबंधित वर्षों के दौरान प्र.सीसीए, सीबीडीटी से प्राप्त किए गए थे। अन्य प्राप्तियों में अधिप्रभार तथा उपकर शामिल हैं। संग्रहण के आंकड़ों में प्रतिदाय भी शामिल है। वि.व. 2016-17 में संघ वित्त लेखों एवं प्र. सीसीए, सीबीडीटी द्वारा दिए गये आंकड़ों की तुलना में आयकर एवं निगम कर में ₹ 11.0 करोड़ का अंतर है।

1.5.7 तालिका 1.8 के अनुसार स्रोत पर काटे गए कर का डाटा यह दर्शाता है कि टीडीएस में वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 तक की अवधि में 62.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वि.व. 2012-13 में ₹ 2.1 लाख करोड़ से वि.व. 2016-17 में ₹ 3.4 लाख करोड़ की वृद्धि हुई है। पिछले वर्षों में स्व-निर्धारण कर और अग्रिम कर में क्रमशः 72.7 प्रतिशत और 47.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई। निगम और आयकर के संबंध में टीडीएस वि.व. 2015-16 में क्रमशः ₹ 94,061 करोड़ और ₹ 1,93,351 करोड़ की तुलना में वि.व. 2016-17 में क्रमशः ₹ 1,05,077 करोड़ और ₹ 2,38,057 करोड़ था।

1.6 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव

1.6.1 किसी कर कानून तथा इसके प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य सरकारी व्ययों के वित्तपोषण हेतु राजस्वों को बढ़ाना है। सृजित राजस्व की राशि प्राथमिक रूप से कर आधार और प्रभावी कर दरों पर निर्भर करती है। इन दो कारकों के निर्धारक उपायों की श्रेणी है जिसमें विशेष कर दरें, छूटें, कटौतियाँ, कमी, स्थगन और क्रेडिट शामिल है। इन उपायों को सामूहिक रूप से “कर अधिमान या कर वरीयता” कहा जाता है। इन्हें कर व्यय के रूप में भी संदर्भित किया जाता है।

1.6.2 अन्य बातों के साथ-साथ आय कर अधिनियम 1961, निर्यात संवर्धन, संतुलित क्षेत्रीय विकास, संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, रोजगार, ग्रामीण विकास, वैज्ञानिक शोध और विकास, सहकारी क्षेत्र में वृद्धि तथा व्यक्तियों द्वारा बचत तथा धर्मार्थ दान हेतु कर प्रोत्साहनों का प्रावधान करता है। इनमें से अधिकतर कर लाभों को निगमित और गैर-निगमित दोनों करदाताओं द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

1.6.3 संघ प्राप्ति बजट निगमित और गैर निगमित करदाताओं द्वारा केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई रिटर्न के आधार पर प्रमुख प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के विवरण को दर्शाता है। नीचे तालिका 1.9 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान प्रमुख कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव को दर्शाती है।

तालिका 1.9 कर प्रोत्साहनों का राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)				
वित्तीय वर्ष	कर प्रोत्साहनों का कुल राजस्व प्रभाव	निम्नलिखित के प्रतिशत के रूप में राजस्व प्रभाव		
		जीडीपी	डीटी	जीटीआर
2012-13	1,02,256	1.0	18.3	9.9
2013-14	93,047	0.8	14.6	8.2
2014-15	1,18,593	0.9	17.0	9.5
2015-16	1,38,658	1.0	18.7	9.5
2016-17	1,63,526	1.1	19.2	9.5

टिप्पणी: कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव के आंकड़े प्राप्ति बजट के अनुसार वास्तविक हैं, वि.व. 2016-17 (प्रक्षेपित) को छोड़कर। यह धर्मार्थ संस्थाओं को कवर नहीं करते। तथापि, प्राप्ति बजट 2017-18 के अनुसार धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा आवेदित राशि नवम्बर 2016 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल की गई 1,31,705 रिटर्न के संदर्भ में ₹ 2,67,534 करोड़ है।

वि.व. 2017-18 के प्राप्ति बजट में बताये अनुसार, कम्पनी की आय पर निर्भर करते हुए सांविधिक दरों की रेंज 33.06 प्रतिशत से 34.6 प्रतिशत तक के प्रति वि.व. 2015-16 में निगम कर की प्रभावी दर 28.24 प्रतिशत थी।

1.6.4 दिए गए मुख्य कर प्रोत्साहन धारा 80सी के तहत कटौतियाँ (2016-17 में मूल्य ₹ 55,299 करोड़), धारा 32 के तहत बढ़ी हुई मूल्यहास

(₹ 55,194) धारा 10ए के तहत एसईजेड इकाइयों को निर्यात लाभों की कटौती (₹ 20,914 करोड़) धारा 80आईए के तहत ऊर्जा के उत्पादन/संचरण एवं वितरण में उपक्रमों को कटौती (₹12,591 करोड़), धारा 35(1), (2एए) एवं (2एबी) के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए कटौती (₹ 10,993 करोड़) थी।

1.6.5 कर प्रोत्साहनों के राजस्व प्रभाव में वर्षों से (वि.व. 2013-14 को छोड़कर) निश्चित रूप से वृद्धि हो रही है। लोक लेखा समिति (पीएसी) ने अपनी 87वीं रिपोर्ट (15वीं लोकसभा) में अन्य बातों के साथ आपत्ति की कि सरकार को अनुचित कर छूटों/कटौतियों को हटाने के लिए कुछ उपायों पर विचार करने की आवश्यकता है। वित्त मंत्री ने 2015 के अपने बजट भाषण में घोषणा की कि निगमित करदाताओं के लिए छूट को तर्क संगत बनाया जाएगा तथा हटाया जाएगा। इसके अनुसरण में सरकार ने वित्त अधिनियम, 2016 द्वारा धारा 35, 35एसी, 35एडी, 35 सीसीसी, 35सीसीडी, 80आईए, 80आईएबी तथा 80आईबी(9) के अंतर्गत कटौती को तर्क संगत करने के लिए कतिपय उपाय किए हैं।

1.7 कर आधार का विस्तारण


1.7.1 आयकर विभाग के पास निर्धारित आधार को बढ़ाने के लिए विभिन्न तंत्र मौजूद हैं, जिसमें सर्वेक्षण, दूसरे कर विभागों के साथ सूचना साझा करना और वार्षिक जानकारी विवरणियों (एआईआर) में उपलब्ध तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है। आयकर विभाग की केंद्रीय कार्य योजना 2016-17 में कर आधार के विस्तारण हेतु मुख्य परिणाम क्षेत्र निम्न है:

क. वि.व. 2015-16 तथा वि.व. 2016-17 में सिस्टम निदेशालय द्वारा प्रचारित एआईआर सव्यंवारों में सूचित पैन न होने/अमान्य पैन मामलो पर कार्रवाई;

ख. सिस्टम निदेशालय ने नॉन-फाइलर्स मॉनीटरिंग सिस्टम द्वारा (एनएमएस) चक्र 1 (2013) के तहत: 12.2 लाख; चक्र 2 (2014): 22.1 लाख; चक्र 3 (2015): 44.1 लाख; एवं चक्र 4(2016): 58.9 लाख; तथा आगामी एनएमएस चक्र: 67.5 लाख रिटर्नों के नॉन-फाइलर्स को पहचाना।

1.8 संवीक्षा निर्धारणों का निपटान

1.8.1 चार्ट 1.3 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान संवीक्षा निर्धारणों के निपटान की प्रवृत्ति को दर्शाता है।



1.8.2 पूर्ण संवीक्षा निर्धारण मामलों तथा वास्तविक संवीक्षा निर्धारण मामलों के निपटान हेतु निर्धारित संख्या वि.व. 2015-16 में क्रमशः 7.0 लाख तथा 3.4 लाख की तुलना में वि.व. 2016-17 में क्रमशः 9.2 लाख तथा 4.0 लाख तक बढ़ गई थी। यद्यपि पूरे किए गए संवीक्षा निर्धारण मामलों के तथा वास्तविक संवीक्षा निर्धारण मामलों के निपटान की संख्या में वि.व. 2016-17 में स्थिर रूप से वृद्धि हुई थी, परन्तु संवीक्षा निर्धारण मामलों के निपटान में वि.व. 2015-16 में 48.1 प्रतिशत की तुलना में वि.व. 2016-17 में 44.0 प्रतिशत तक कमी आई है।

1.9 प्रतिदाय मामलों का निपटान

1.9.1 तालिका 1.10 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के निपटान एवं लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.10: प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों का निपटान				(संख्या लाख में)
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	निपटान किए गए प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	लंबित प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामले	प्रतिशतता में लम्बन
2012-13	38.8	27.6	11.2	28.9
2013-14	34.5	25.7	8.8	25.5
2014-15	31.5	22.6	8.9	28.1
2015-16	38.9	33.4	5.5	14.2
2016-17	43.6	38.9	4.7	10.7

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.9.2 यह देखा गया कि कुछ वर्षों में प्रत्यक्ष प्रतिदाय मामलों के लंबन में काफी कमी आई है।

1.9.3 वि.व. 2016-17 में सरकार ने ₹ 1,62,582 करोड़ वापस किये जिसमें ₹ 10,312 करोड़ (6.3 प्रतिशत) ब्याज शामिल है। वि.व. 2015-16 में प्रतिदाय पर प्रदत्त ब्याज 2015-16 के दौरान ₹ 1,22,596 करोड़ के प्रतिदाय पर ₹ 6,886 करोड़ (5.6 प्रतिशत) था।

1.10 बकाया मांग

1.10.1 तालिका 1.11 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 की अवधि के दौरान लंबित बकाया मांग की प्रवृत्ति दर्शाती है।

तालिका 1.11 बकाया मांग				(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	पिछले वर्षों की बकाया मांग	वर्तमान वर्ष की मांग	कुल बकाया मांग	वसूली हेतु दुष्कर मांग
2012-13	4,09,456	76,724	4,86,180	4,66,854
2013-14	4,80,066	95,274	5,75,340	5,52,538
2014-15	5,68,724	1,31,424	7,00,148	6,73,032
2015-16	6,67,855	1,56,356	8,24,211	8,02,256
2016-17	7,33,229	3,11,459	10,44,688	10,29,725

स्रोत: आयकर निदेशालय (संगठन एवं प्रबंधन सेवाएं) संबंधित वि.व. के मार्च माह की मांग एवं संग्रहण रिपोर्ट।

1.10.2 संबंधित वित्तीय वर्ष के मार्च माह के मांग एवं संग्रहण विवरण में विभिन्न कारकों अर्थात् वसूली हेतु कोई परिसम्पत्ति नहीं/अपर्याप्त परिसम्पत्तियां, परिसमापन/बीआईएफआर के तहत मामलों, निर्धारिती का पता न लगना, न्यायालयों/आईटीएटी/आईटी प्राधिकरणों द्वारा स्थगित मांग,

टीडीएस/पूर्व भुगतान किए गए कर बेमेल थे, आदि, जिनके कारण मांग की वसूली दुष्कर हो गई, का विश्लेषण किया गया था। यह मांग वर्ष दर वर्ष बढ़ रही है और यह वि.व. 2015-16 में 97.3 प्रतिशत के प्रति वि.व. 2016-17 में मांग के कुल बकाया का 98.6 प्रतिशत हैं।

1.10.3 कर भुगतान में चूकों को कर वसूली अधिकारियों (टीआरओ) को भेजा जाता है जो निर्धारितियों से बकाया देय राशि की मात्रा को निर्धारित करते हुए प्रमाणपत्र तैयार करता है और तब राशि की वसूली शुरू करने के लिए कार्यवाही करता है। शेष असंग्रहीत प्रमाणित मांग वि.व. 2015-16 में ₹ 2.4 लाख करोड़ की तुलना में वि.व. 2016-17 में ₹ 3.2 लाख करोड़ तक बढ़ गई थी। टीआरओज वि.व. 2016-17 में लंबित प्रमाणित मांग के 5.6 प्रतिशत (₹ 19.1 करोड़) का निपटान कर सके। जैसा कि प्र. महानिदेशालय आयकर (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं) अनुसंधान एवं सांख्यिकीय विंग द्वारा दिया गया है मार्च 2017 को समाप्त तिमाही के कर वसूली अधिकारी के कार्य पर तिमाही प्रगति रिपोर्ट 'न्यायालय/अन्य प्राधिकरणों द्वारा रोक, आईटीओज से लम्बित संदेहास्पद वसूली एवं अन्य' के मामले के तौरपर कारण दर्शाती है।

1.11 अपील मामलों के निपटान

1.11.1 तालिका 1.12 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील के मामलों के निपटान और लम्बन की प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 1.12: सीआईटी (अपील) द्वारा अपील मामलों का निपटान					
वित्तीय वर्ष	निपटान हेतु बकाया अपील मामले	निपटाए गए अपील मामले	लंबित अपील मामले	प्रतिशतता में लम्बन	अपील मामलों में अवरुद्ध राशि
	(संख्या लाख में)				(₹ करोड़ में)
2012-13	2.84	0.85	1.99	70.1	2,59,556
2013-14	3.03	0.88	2.15	71.0	2,87,444
2014-15	3.06	0.74	2.32	75.8	3,83,797
2015-16	3.53	0.94	2.59	73.3	5,16,250
2016-17	4.08	1.18	2.90	71.1	6,11,227

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशा. एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग।

1.11.2 डीजीआईटी (लॉजिस्टिक्स, अनुबंध एवं सांख्यिकी) द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार विभाग के प्रति सीआईटी(ए) द्वारा निर्धारित अपील मामले 2013-14, 2014-15 और 2015-16 में क्रमशः 30 प्रतिशत, 27 प्रतिशत और 33 प्रतिशत थे (पैरा 7.8.3, चार्ट 7.1 देखें)। सीआईटी (अपील) के पास अपील

मामलों में अवरोधित राशि वित्तीय वर्ष 2015-16 में वास्तविक राजस्व घाटे के 1.51 गुना के प्रति वि.व. 2016-17 में भारत सरकार के संशोधित राजस्व घाटे के 1.97 गुना के बराबर है।

1.11.3 निम्न तालिका 1.13, 31 मार्च 2017 को आयकर अपीलीय न्यायाधिकरणों (आईटीएटीज)/उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित अपीलों/याचिकाओं और अन्य मामलों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 1.13: आईटीएटीज/उच्चन्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय के साथ लंबित अपील/याचिकाएँ और अन्य मामले		
प्राधिकरण जिसके पास लंबित है	लंबित मामले (संख्या में)	अवरोधित राशि (₹ करोड़ में)
आईटीएटीज	37,968	1,43,771
उच्च न्यायालय	38,481	2,87,818
सर्वोच्च न्यायालय	6,375	8,048
कुल	82,806	4,39,637

स्रोत: आयकर प्र. महानिदेशालय (प्रशासन एवं करदाता सेवाएं), शोध एवं सांख्यिकी विंग

1.11.4 उच्चतर स्तरों (आईटीएटीज/उच्च न्यायालयों/सर्वोच्च न्यायालय) पर अपीलों में अवरूद्ध राशि 31 मार्च 2016 को ₹ 3.0 लाख करोड़ (70,371 मामले) की तुलना में 31 मार्च 2017 को ₹ 4.4 लाख करोड़ (82,806 मामले) तक बढ़ गई थी।

1.12 अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण

अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण, मुख्य प्रमाण संग्रहण तंत्रों में से एक है जो कि उन मामलों में प्रयुक्त होते हैं जहाँ कर-वंचन के बारे में विश्वसनीय सूचना आईटीडी के अधिकार में है। निम्न तालिका 1.14 वि. व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 तक के दौरान किए गए अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण और अप्रकटित आय स्वीकृत/पता लगाई गई को दर्शाती है।

तालिका 1.14: अन्वेषण एवं जब्ती तथा सर्वेक्षण मामलों की प्रास्थिति				(₹ करोड़ में)
वित्तीय वर्ष	अन्वेषण किए गए समूहों की संख्या	स्वीकार की गई अप्रकटित आय	किए गए सर्वेक्षण की संख्या	पता लगाई गई अप्रकटित आय
2012-13	422	10,292	4,630	19,337
2013-14	569	10,792	5,327	90,391
2014-15	545	10,288	5,035	12,820
2015-16	447	11,226	4,428	9,700
2016-17	1,152	15,497	12,526	13,716

स्रोत: जॉच विंग, सीबीडीटी

अन्वेषण एवं जब्ती के दौरान दाखिल की गई अप्रकटित आय वि.व. 2016-17 में 38.0 प्रतिशत तक बढ़ गई थी तथा सर्वेक्षण के दौरान पता लगाई गई अप्रकटित आय 41.4 प्रतिशत तक बढ़ गई।

1.13 आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रभावकारिता

1.13.1 आंतरिक लेखापरीक्षा विभागीय नियंत्रण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो यह आश्वासन प्रदान करता है कि अधिनियम के प्रावधानों के सही कार्यान्वयन द्वारा मांग/प्रतिदाय सही ढंग से संसाधित किए जा रहे हैं। आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने वि.व. 2015-16 में लेखापरीक्षित 1,78,793 मामलों के प्रति वि.व. 2016-17 में 1,80,110 मामलों की लेखापरीक्षा पूर्ण की।

1.13.2 तालिका 1.15 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 तक प्रत्येक पाँच वर्षों के लिए उठाई गई, निपटाई गई और लम्बित आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों का विवरण दर्शाती है:

तालिका 1.15: आंतरिक लेखापरीक्षा आपत्तियों के ब्यौरे (₹ करोड़ में)								
वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक शेष		वृद्धि		निपटान		लम्बन	
	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि	मामले	राशि
2012-13	34,563	9,278	18,275	4,135	16,626	2,736	36,212	10,677
2013-14	36,212	10,677	14,423	8,951	26,322	8,610	24,313	11,018
2014-15	20,834 [^]	8,368	9,927	2,292	15,586	3,805	15,175	6,855
2015-16	19,137 [^]	8,023	13,148	6,463	12,891	2,205	19,394	12,281
2016-17	19,405 [^]	12,283	12,972	2,451	11,256	3,352	21,121	11,382

स्रोत: आयकर निदेशालय (आयकर एवं लेखापरीक्षा); [^]मार्च को समाप्त तिमाही के लिए विवरण के प्रस्तुतीकरण के बाद संबंधित सीज़आईटी (लेखापरीक्षा) द्वारा सत्यापन के बाद संशोधित आंकड़े

1.13.3 वि.व. 2015-16 में 11,509 मामलों में से 3,730 मामलों (32.4 प्रतिशत) की तुलना में आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए 12,439 मुख्य आपत्तियों के मामलों²¹ में से निर्धारण अधिकारियों (एओज) ने, वि.व. 2016-17 में केवल 4,126 मामलों (33.2 प्रतिशत) पर कार्य किया। इसमें सुधार की आवश्यकता है।

21 आयकर में ₹ दो लाख के ऊपर और अन्य करों में 30,000 से ऊपर लेखापरीक्षा आपत्ति।

अध्याय II: लेखापरीक्षा अधिदेश, उत्पाद और प्रभाव

2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा हेतु सीएजी के प्राधिकार

भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 में प्रावधान है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) संसद द्वारा बनाये गये या निर्धारित किसी भी कानून के अंतर्गत संघ और राज्य और किसी भी अन्य प्राधिकरण या निकाय के लेखाओं के संबंध में शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। संसद ने 1971 में नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का डीपीसी अधिनियम (सीएजी का डीपीसी अधिनियम) पारित किया था। सीएजी के डीपीसी अधिनियम, 1971 की धारा 16, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को भारत सरकार और प्रत्येक राज्य की सरकारों और विधानसभा वाले प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र की सभी प्राप्तियों (राजस्व और पूंजीगत दोनों) की लेखापरीक्षा करने और स्वयं की संतुष्टि के लिए कि नियमों और क्रियाविधियों को राजस्व के निर्धारण, संग्रहण और उचित आबंटन पर प्रभावी नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है और उनका विधिवत पालन किया जा रहा है, का प्राधिकार प्रदान करती है। लेखा और लेखापरीक्षा नियमावली, 2007 (विनियम) में प्राप्ति लेखापरीक्षा हेतु सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है।

2.2 प्रणालियों और क्रियाविधियों की जांच और उनकी प्रभावोत्पादकता

2.2.1 प्राप्तियों की लेखापरीक्षा में निम्नवत के बारे में प्रणालियों एवं क्रियाविधियों और उनकी क्षमता की जांच को शामिल किया जाता है:

- क. संभावित कर निर्धारितियों की पहचान, कानूनों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ-साथ कर अपवंचन का पता लगाना और रोकना;
- ख. शास्तियों के उदग्रहण और अभियोग चलाने सहित विवेकाधिकार शक्तियों का उपयुक्त रूप से प्रयोग करना;
- ग. विभागीय अपीलीय अधिकारियों द्वारा पारित आदेशों पर सरकार के हितों को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त कार्रवाई;
- घ. राजस्व प्रशासन को सुदृढ करने या सुधारने के लिए आरंभ किये गये कोई उपाय;
- ड. राशि जो बकाया हो, बकाया के अभिलेखों का रख-रखाव और बकाया राशियों की वसूली हेतु की गई कार्रवाई;

च. समुचित सावधानी से दावों का अनुसरण करना और यह सुनिश्चित करना कि उपयुक्त औचित्य और उचित प्राधिकार के अलावा उन्हें न तो परित्यक्त किया है और न ही कम किया गया है।

उपरोक्त को प्राप्त करने के लिए, हमने वित्तीय वर्ष 2015-16 में आयकर विभाग द्वारा पूर्ण किए गए निर्धारणों की जांच की। इसके अतिरिक्त, कुछ निर्धारण जो कि पिछले वर्षों में पूर्ण किए गए थे, की भी जांच की गई।

2.2.2 आयकर विभाग, आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार निर्धारिती द्वारा दाखिल की गई रिटर्नों के नमूनों का संवीक्षा निर्धारण करता है। संवीक्षा निर्धारण मामलों का चयन आयकर विभाग द्वारा निर्धारित तथा पूर्व-परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर किया जाता है। तत्पश्चात इन मामलों का सही निर्धारण प्राप्त करने हेतु कटौतियों, हानियों, छूटों आदि के संबंध में गहनता से जांच की जाती है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई कर अपवंचन नहीं हुआ है। निर्धारिती को साक्ष्य के साथ अपने दावे की पुष्टि करने का अवसर दिया जाता है जिसमें विफल रहने पर एओ जैसा उचित समझें निर्धारण करता है।

संवीक्षा निर्धारण मामलों की जांच के आधार पर लेखापरीक्षा ने देखा कि लेखापरीक्षा रिपोर्टों में कतिपय प्रकार की अनियमितताओं का लगातार इंगित किए जाने के बावजूद एओज द्वारा पूर्ण किए गए संवीक्षा निर्धारणों के दौरान कर कानूनों तथा सीबीडीटी के अनुदेशों तथा निर्देशों का पालन करने में ये अनियमितताएँ बार-बार घटित हुईं जो कर प्रशासन की कुशलता पर प्रश्न करती हैं। ऐसे कुछ मामलों पर अगले पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

2.2.3 आयकर विभाग ने उन यूनिटों जिनकी वि.व. 2016-17 की लेखापरीक्षा योजना के दौरान लेखापरीक्षा की गई थी, में वि.व. 2015-16 में 2,56,814 संवीक्षा निर्धारण²² पूरे किए थे जिसमें से हमने 2,39,046 मामलों की जांच की थी। इसके अलावा हमने वि.व. 2016-17 के दौरान पिछले वित्तीय वर्षों में पूरे किए गए 29,652 मामलों (65,028 मामलों में से) की भी लेखापरीक्षा की है। लेखापरीक्षा में वि.व. 2016-17 के दौरान नमूना जांच किए गए निर्धारणों में त्रुटियों की घटना 19,289 मामलों (7.2 प्रतिशत) में हुईं जोकि पिछले वर्ष (7.3 प्रतिशत) से कम थी। इनमें से आयकर विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा ने 14,520 मामलों की जांच की थी।

22 वि.व 2015-16 के दौरान आयकर विभाग में पूर्ण किए गए कुल संवीक्षा निर्धारण 3,38,898 हैं।

2.2.4 निर्धारण में त्रुटियों की राज्य-वार संख्या परिशिष्ट-2.1 में दी गई है। निम्न तालिका 2.1 शीर्ष 10 राज्यों के ब्यौरे दर्शाती है जिसमें 10,000 से अधिक निर्धारणों की वि.व. 2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच की गई थी।

तालिका 2.1: शीर्ष दस राज्यों के ब्यौरे जहां 10,000 से अधिक निर्धारणों की जांच (₹ करोड़ में) की गई थी					
राज्य	निर्धारण			लेखापरीक्षा आपत्तियों का कुल राजस्व प्रभाव	त्रुटियों सहित निर्धारणों की प्रतिशतता
	2015-16# के दौरान पूरे किए गए	2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा में जांच किए गए	त्रुटियों सहित		
क. आन्ध्र प्रदेश	23,194	20,448	1,319	3,916.24	6.45
ख. दिल्ली	41,347	33,656	1,455	7,697.44	4.32
ग. गुजरात	21,689	16,227	984	1,052.29	6.06
घ. कर्नाटक	18,189	13,762	1,248	1,117.56	9.07
ङ. मध्य प्रदेश	11,806	11,604	764	293.85	6.58
च. महाराष्ट्र	67,861	50,980	3,178	5,438.18	6.23
छ. राजस्थान	15,841	14,567	723	92.55	4.96
ज. तमिलनाडू	28,725	24,076	2,299	10,181.46	9.55
झ. उत्तर प्रदेश	24,419	23,692	1,207	1,653.78	5.09
ञ. पश्चिम बंगाल	19,759	18,226	2,667	2,368.91	14.63

पिछले वर्षों में पूर्ण मामलों सहित

यह दर्शाता है कि पश्चिम बंगाल में त्रुटियों वाले निर्धारणों की प्रतिशतता (14.63 प्रतिशत) उच्चतम है जिसके बाद तमिलनाडू (9.55 प्रतिशत) आता है। यह भी देखा गया है कि पिछले पांच वर्षों में इन दोनों राज्यों में त्रुटियों वाले निर्धारणों की उच्चतम प्रतिशतता थी। आईटीडी को निर्धारणों में देखी गई त्रुटियों के संबंध में सुधारात्मक कार्यवाही करने की आवश्यकता है।

2.2.5 निम्न तालिका 2.2 वि.व. 2016-17 के दौरान स्थानीय लेखापरीक्षा में देखी गई त्रुटियों के ब्यौरे दर्शाती है।

तालिका 2.2: निर्धारणों में त्रुटियों के कर-वार ब्यौरे		(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	
क. निगम कर (सीटी) एवं आयकर (आईटी)	20,582	35,745.12 ²³	
ख. अन्य प्रत्यक्ष कर (ओडीटी)	652	77.13	
कुल	21,234	35,822.25	

टिप्पणी: उपरोक्त निष्कर्ष तथा सभी अगले निष्कर्ष विशेष रूप से चयनित निर्धारणों की लेखापरीक्षा पर आधारित है।

23 ₹ 6,901.20 करोड़ के कर प्रभाव के साथ अधिक निर्धारण के 572 मामले शामिल हैं।

2.2.6 निम्न तालिका 2.3 निगम कर तथा आयकर से संबंधित अवनिर्धारण के श्रेणीवार ब्यौरे दर्शाती है। परिशिष्ट-2.2 उनके तहत उप-श्रेणियों से संबंधित ब्यौरे दर्शाता है।

तालिका 2.3: त्रुटियों के श्रेणी-वार ब्यौरे		(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	मामले	कर प्रभाव	
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	5,373	2,899.68	
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	8,055	9,550.71	
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय	2,864	4,803.92	
घ. अन्य	3,718	11,589.61	
कुल	20,010	28,843.92	

2.3 निगम कर तथा आयकर निर्धारण मामलों के संबंध में निरंतर तथा व्यापक अनियमितताएं

निर्धारण अधिकारियों (एओज) द्वारा पूरे किए गए निर्धारण मामलों की लेखापरीक्षा जांच के दौरान देखे गए अननुपालन तथा अनियमितताओं के मामले प्रति वर्ष हमारे अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राजस्व विभाग-प्रत्यक्ष कर में दर्शाए जाते हैं। किसी अनियमितता को निरंतर समझा जाता है यदि यह वर्ष-दर-वर्ष घटित होती है। यह व्यापक बन जाती है जब यह पूरी प्रणाली को प्रभावित करती है तथा कई निर्धारण क्षेत्राधिकारों में फैल जाती है। हमने वर्ष-दर-वर्ष अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में (i) आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों (ii) ब्याज के उदग्रहण में त्रुटियों तथा (iii) निगम तथा आयकर मामलों के निर्धारण में कारोबार व्यय की गलत अनुमति के मामलों सहित विभिन्न अनियमितताओं के बारे में बताया है और इनमें से कुछ अनियमितताएं निरंतर तथा व्यापक दोनों प्रतीत होती हैं। पिछले लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में बार-बार बताए जाने के बावजूद ऐसी अनियमितताओं की पुनः आवृत्ति न केवल विभाग की तरफ से ऐसी बार-बार होने वाली त्रुटियों की पुनः आवृत्ति को रोकने के लिए उचित प्रणाली शुरू करने में संजीदा न होने की सूचक है अपितु प्रणालीगत तथा संरचनात्मक कमियों, जिनसे राजस्व स्त्राव होता है, से निपटने के लिए प्रभावी मॉनिटरिंग तथा संस्थानिक तंत्र में कमी को भी बताती है। उपरोक्त श्रेणियों में बताई गई ऐसी अनियमितताओं के मामलों पर नीचे चर्चा की गई है।

यद्यपि विभिन्न राज्यों में देखी गई अनियमितताओं से राज्यों के मध्य इनके घटित होने के किसी विशेष पैटर्न का पता नहीं चलता, यह दूसरे राज्यों की अपेक्षा कुछ राज्यों में अधिक बारंबारता से घटित हो रही हैं, ये घटनाएं महाराष्ट्र तथा दिल्ली में लगातार ज्यादा होती देखी गई थीं। उत्तर प्रदेश तथा

आंध्र प्रदेश में भी उपरोक्त श्रेणियों के अंतर्गत दूसरे राज्यों की अपेक्षा त्रुटियों की अधिक घटनाएं हुईं। मामलों, जहां त्रुटियों में प्रत्येक उपरोक्त श्रेणियों के तहत कुल कर प्रभाव के 25 प्रतिशत से अधिक शामिल हैं, को निम्नलिखित विश्लेषण में दर्शाया गया है।

2.3.1 निर्धारणों की गुणवत्ता-आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां

हमारे द्वारा देखी गई अनियमितताओं की बड़ी संख्या में अंकगणितीय या गणना त्रुटियां थीं जिनका समाधान करना सरल है। हमने गणना त्रुटियों जैसे निर्धारित आय तथा कर मांग की गणना करते समय गलत आकड़े लेना, निर्धारणों में की गई अननुमतियों को वापस न जोड़ना, दोहरी कटौतियों की अनुमति, निर्धारण अभिलेखों का सहसंबंध न होने के कारण पहले अनुमत दावों को अननुमत करने में चूक आदि द्वारा आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों से उत्पन्न अनियमितताएं देखी थीं। एओज ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अवहेलना करते हुए निर्धारणों में ऐसी त्रुटियां की थीं जो आयकर विभाग की तरफ से आंतरिक नियंत्रण में कमियों को स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं जिनका समाधान करने की आवश्यकता है। इस श्रेणी में वर्तमान वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2016-17) के निष्कर्षों सहित 2013-14 से 2015-16 के दौरान देखी गई कमियों, जैसाकि पिछले तीन वर्षों के अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया है, का सारांश निम्नलिखित तालिका 2.4 में दिया गया है:

तालिका 2.4: गणना में अंकगणितीय त्रुटियों में देखी गई गलतियां								(₹ करोड़ में)	
निर्धारण	निम्न को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन								
	मार्च 2014		मार्च 2015		मार्च 2016		मार्च 2017		
	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	
सीटी	46 ²⁴	268.09	43 ²⁵	164.63	45 ²⁶	922.95	36	310.04	
आईटी	09 ²⁷	199.66	16 ²⁸	83.40	19 ²⁹	33.44	26	75.89	

24 शामिल राज्य: आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल।

25 बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

26 आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल।

27 दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल।

28 दिल्ली, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल।

29 बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश।

2013-14 के दौरान ऐसी अनियमितताएं महाराष्ट्र में अधिक थीं (कुल कर प्रभाव का 36 प्रतिशत के बराबर है)। 2014-15 के दौरान इस आधार पर कर प्रभाव महाराष्ट्र (44 प्रतिशत) तथा मध्य प्रदेश (24 प्रतिशत) में अधिक पाया गया था जबकि 2015-16 में यह दिल्ली (41 प्रतिशत) तथा महाराष्ट्र (28 प्रतिशत) में अधिक पाया गया था।

हमने 2016-17 के दौरान निगम कर निर्धारणों से संबंधित 36 मामलों देखे जिनमें एओज ने आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों की थी जिसमें नौ राज्यों³⁰ में ₹ 310.04 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। यह दिल्ली (कुल कर प्रभाव का 33 प्रतिशत) तथा महाराष्ट्र (25 प्रतिशत) में ज्यादा³¹ थे। इन सभी मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016-17 के लिए पृथक ड्राफ्ट पैराग्राफों (डीपीज) के रूप में जारी किया गया है।

आय कर के संबंध में ऐसी अनियमितताएं 2013-14 के दौरान दिल्ली (कुल कर प्रभाव का 94 प्रतिशत) में अधिक पाई गई थीं। 2014-15 के दौरान इस आधार पर कर प्रभाव उत्तर प्रदेश (63 प्रतिशत) में ज्यादा पाया गया जबकि 2015-16 में यह महाराष्ट्र (39 प्रतिशत) तथा दिल्ली (29 प्रतिशत) में अधिक पाया गया।

हमने 2016-17 के दौरान आयकर निर्धारणों से संबंधित 26 मामले देखे जिनमें एओज ने आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियों की थी जिसमें नौ राज्यों³² में ₹ 75.89 करोड़ का कर प्रभाव शामिल हैं। यह महाराष्ट्र में अधिक थे (कुल कर प्रभाव का 66 प्रतिशत)।

2.3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता - ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां

हमने आय की रिटर्न प्रस्तुत न करने या विलम्ब से प्रस्तुत करने, अग्रिम कर के भुगतान में त्रुटि, अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में चूक, आयकर विभाग द्वारा उठाई गई कर मांग के भुगतान में चूक आदि के आधार पर ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियों से संबंधित अनियमितताएं देखी थी। वर्तमान वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2016-17) के निष्कर्षों सहित 2013-14 से 2015-16 के पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज के उद्ग्रहण में देखी गई त्रुटियों जैसाकि अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शाया गया था, का सारांश निम्नलिखित तालिका 2.5 में दिया गया है:

30 दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

31 जहां अधिक कर है उल्लेख किया गया है, यह केवल कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है और मामलों की संख्या के संदर्भ में नहीं।

32 आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडू

तालिका 2.5: ब्याज के उद्ग्रहण में देखी गई गलतियां								(₹ करोड़ में)	
निर्धारण	निम्न को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन								
	मार्च 2014		मार्च 2015		मार्च 2016		मार्च 2017		
	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	
सीटी	21 ³³	122.39	22 ³⁴	150.10	39 ³⁵	163.84	40	157.46	
आईटी	20 ³⁶	30.77	29 ³⁷	54.65	36 ³⁸	61.97	37	130.12	

2013-14 के दौरान इस आधार पर अननुपालन महाराष्ट्र में अधिक पाया गया (कुल कर प्रभाव का 86 प्रतिशत)। 2014-15 में अननुपालन महाराष्ट्र (53 प्रतिशत) तथा दिल्ली (37 प्रतिशत) में अधिक था जबकि 2015-16 में यह अननुपालन महाराष्ट्र (37 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश (30 प्रतिशत) में अधिक था।

हमने 2016-17 के दौरान निगम कर निर्धारणों के संबंध में 10 राज्यों³⁹ में ब्याज के उद्ग्रहण में गलतियों के 40 मामले देखे जिनमें ₹ 157.46 करोड़ के कर शामिल हैं। अननुपालन महाराष्ट्र (67 प्रतिशत) में अधिक पाया गया। इन मामलों को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2016-17 के लिए ड्राफ्ट पैरा के रूप में दिया गया है।

आयकर के संबंध में यह अनियमितताएं 2013-14 के दौरान दिल्ली (कुल कर प्रभाव का 31 प्रतिशत) तथा महाराष्ट्र (25 प्रतिशत) में अधिक पाई गई थी। 2014-15 के दौरान इस आधार पर कर प्रभाव महाराष्ट्र (43 प्रतिशत) तथा उत्तर प्रदेश (28 प्रतिशत) में अधिक पाया गया जबकि 2015-16 में यह दिल्ली (27 प्रतिशत) तथा आंध्र प्रदेश (27 प्रतिशत) में अधिक पाया गया।

हमने 2016-17 के दौरान 17 राज्यों⁴⁰ में ब्याज उद्ग्रहण में त्रुटियों के 37 मामले देखे जिनका कर प्रभाव ₹ 130.12 करोड़ है। यह दिल्ली (82 प्रतिशत)⁴¹ में अधिक थे।

33 दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल

34 दिल्ली, गुजरात, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल

35 आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

36 आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश

37 आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, यूटी चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल

38 आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल

39 आंध्र प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडू, यूटी चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल

40 आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू, यूटी चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

41 जहां अधिक का उल्लेख किया गया है, यह कुल कर प्रभाव के संदर्भ में है, मामलों की संख्या के संदर्भ में नहीं।

अधिनियम में ब्याज करारोपित करने के स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद ऐसी त्रुटियां निरंतर होती पाई गई थीं।

2.3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन - कारोबार व्यय की गलत अनुमति

हमने कारोबार व्यय के अपात्र दावों अर्थात पूजीगत व्यय, अदत्त दावों तथा अनिश्चित देयता के रूप में माने गए प्रावधान आदि, की गलत अनुमति से संबंधित अनियमितताएं देखी थीं। वर्तमान वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2016-17) के निष्कर्षों सहित 2013-14 से 2015-16 के पिछले तीन वर्षों के दौरान कारोबार व्यय की गलत अनुमति की देखी गई गलतियां जैसाकि अनुपालन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में दर्शायी गयी थीं, का सारांश निम्नलिखित तालिका 2.6 में दिया गया है:

तालिका 2.6: कारोबार व्यय की गलत अनुमति की देखी गई गलतियां (₹ करोड़ में)								
निर्धारण	निम्न को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन							
	मार्च 2014		मार्च 2015		मार्च 2016		मार्च 2017	
	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	मामलों की संख्या	कर प्रभाव	मामलों की संख्या	कर प्रभाव
सीटी	40 ⁴²	281.36	56 ⁴³	299.64	47 ⁴⁴	514.09	50	478.67

2013-14 के दौरान इस आधार पर अननुपालन महाराष्ट्र में (कुल कर प्रभाव का 52 प्रतिशत) अधिक पाया गया जबकि 2015-16 में ऐसा अननुपालन महाराष्ट्र (45 प्रतिशत) तथा आंध्र प्रदेश (30 प्रतिशत) में अधिक था।

हमने 2016-17 के दौरान 10 राज्यों⁴⁵ में कारोबार व्यय की गलत अनुमति के 50 मामले देखे थे जिसमें ₹ 478.67 करोड़ का कर प्रभाव शामिल है। इस आधार पर अनियमितताएं महाराष्ट्र में अधिक पाई गई थीं (कुल कर प्रभाव का 64 प्रतिशत)।

कर कानूनों तथा सीबीडीटी के अनुदेशों तथा निर्देशों का अननुपालन कर प्रशासन की प्रभावोत्पादकता को प्रभावित करने वाले प्रमुख जोखिम क्षेत्रों में से एक है जिसे सुधारने के लिए विभागीय प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को निर्धारण के सभी चरणों पर प्रभावपूर्ण संसाधन तथा बेहतर अनुपालन के लिए पिछले वर्षों में कार्य हद तक कम्प्यूटरीकृत किया गया है। आयकर विभाग एओ

42 आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल

43 आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू, पश्चिम बंगाल

44 आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल।

45 आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल

द्वारा की जाने वाली विस्तृत संवीक्षा के लिए पूर्व परिभाषित पैरामीटरों के आधार पर कम्प्यूटर असिस्टेड स्क्रीनिंग चयन (सीएएसएस) के माध्यम से मामलों का चयन करता है। एओ संवीक्षा के लिए निर्धारिती से अपेक्षित जानकारी मांगता है तथा अधिनियम के लागू प्रावधानों के मद्देनजर उनकी जांच करता है। तथापि, जैसाकि उपरोक्त विश्लेषण से देखा गया, उपरोक्त क्षेत्रों में जोखिम अपरिवर्तित प्रतीत हुए जिसे वर्ष-दर-वर्ष लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बावजूद काफी समय से समान प्रकार की अनियमितताओं की निरंतरताओं से प्रतीत होता है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि समान या उसी प्रकार की गलतियों के दोहराव को न्यूनतम करने, यदि समाप्त न किया जा सके, के लिए एओ को अधिक जवाबदेह बनाने के लिए कोई प्रणाली नहीं है।

2.3.4 निष्कर्ष तथा सिफारिशें

उपरोक्त विश्लेषण तथा हमारे पिछले अनुभवों से यह स्पष्ट है कि एक बार लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने के बाद कर योग्य आय की गणना में समान प्रकार की त्रुटियों की पुनः आवृत्ति तथा दोहराव को न्यूनतम करने के लिए अपेक्षित प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं की विभाग में कमी है। एक बार एओ द्वारा किए गए निर्धारण से उत्पन्न ऐसी अनियमितता के लेखापरीक्षा में बताए जाने पर यह आशा की जाती है कि विभाग द्वारा उचित नियन्त्रण स्थापित किए जाने चाहिए ताकि निर्धारण में उस प्रकार की अनियमितताओं तथा त्रुटियों को भविष्य में कम किया जा सके, जो प्रतीत नहीं होता है। जैसाकि ऊपर बताया गया है, चर्चा की गई तीन प्रकार की त्रुटियों से संबंधित परिस्थिति वास्तव में दर्शाती है कि ऐसी त्रुटियों की घटना में वृद्धि हो रही है।

यह सिफारिश की जाती है कि आईटी विभाग को समान प्रकार की अनियमितताओं की पुनः आवृत्ति के जोखिम को न्यूनतम सुनिश्चित करने के लिए प्रणालियों एवं प्रक्रियात्मक जांच शुरू करने के अतिरिक्त एओज की जिम्मेदारी पर बल देना चाहिए।

2.4 लेखापरीक्षा उत्पाद तथा लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया

2.4.1 हम लेखापरीक्षा के विभिन्न चरणों पर लेखापरीक्षित इकाइयों से प्रतिक्रिया मांगते हैं। स्थानीय लेखापरीक्षा के समापन पर विनियम 193 के प्रावधान के अनुसार हम टिप्पणियों के लिए आयकर विभाग को स्थानीय लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एलएआर) जारी करते हैं।

2.4.2 निम्नलिखित तालिका 2.7 वि.व. 2012-13 से वि.व. 2016-17 के दौरान जारी एलएआर में शामिल आपत्तियों की संख्या तथा उन पर प्राप्त उत्तरों तथा स्वीकृत आपत्तियों की स्थिति दर्शाती है।

तालिका 2.7: स्थानीय लेखापरीक्षा पर प्रतिक्रिया							
वित्तीय वर्ष	की गई आपत्तियों	प्राप्त उत्तर		उत्तर प्राप्त नहीं हुआ	स्वीकृत मामलों की प्रतिशतता	प्राप्त न हुए उत्तरों की प्रतिशतता	
		स्वीकृत मामले	अस्वीकृत मामले				
2012-13	18,548	3,343	4,124	11,081	18.0	59.7	
2013-14	19,312	3,642	3,131	12,534	18.9	64.9	
2014-15	17,626	3,631	3,535	10,450	20.6	59.3	
2015-16	20,737	3,281	5,196	12,260	15.8	59.1	
2016-17	22,579	4,074 ⁴⁶	3,546	15,060	18.4	66.7	

2.4.3 निम्नलिखित तालिका 2.8 आपत्तियों के लंबन की बढ़ती प्रवृत्ति को दर्शाती है।

तालिका 2.8: बकाया लेखापरीक्षा आपत्तियों के ब्यौरे (₹ करोड़ में)								
अवधि	सीटी		आईटी		ओडीटी		कुल	
	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव	सं.	कर प्रभाव
मार्च तक 2013	6,396	16,438.50	4,722	2,316.16	1,840	174.48	12,958	18,929.14
2013-14	2,399	6,479.66	3,512	1,523.25	628	12.26	6,539	8,015.16
2014-15	3,633	18,576.35	4,088	3,582.07	551	79.13	8,272	22,237.55
2015-16	5,761	12,527.52	6,107	1,783.70	676	63.72	12,544	14,374.94
2016-17	3,798	21,511.37	4,785	1,682.53	540	8.28	9,123	23,202.19
कुल	21,987	75,533.40	23,214	10,887.71	4,235	337.87	49,436	86,758.98

प्रत्येक वर्ष लेखापरीक्षा निष्कर्षों के लिए उत्तरों के लम्बन में वृद्धि के परिणामस्वरूप 31 मार्च 2017 तक 49,436 मामले जमा हो गए थे जिसमें ₹ 86,758.98 करोड़ का राजस्व प्रभाव शामिल है।

विभाग के यह सुनिश्चित करने के प्रयास कि उत्तर लेखापरीक्षा को निर्धारित अवधि में भेजे जायें, वे संतोषजनक नहीं हैं। विनियमन 202 और 203 के प्रावधानों, जिसमें निरीक्षण रिपोर्टों/लेखापरीक्षा टिप्पणियों में शामिल लेखापरीक्षा आपत्तियों पर पर्याप्त रचनात्मक और सामायिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली तथा प्रक्रियाएं स्थापित करने और निगरानी के लिए लेखा परीक्षा समितियों की स्थापना और लंबित लेखा परीक्षा

46 1,868 - मामले स्वीकार कर लिए गए तथा उपचारात्मक कार्रवाई की गई; 2,206 - मामले स्वीकार कर लिए गए किंतु उपचारात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई।

आपत्तियों का अनुपालन तथा निपटान का अक्षरशः पालन करने की आवश्यकता है।

2.4.4 हम विनियमन 205 से 209 के प्रावधानों के अनुसार लेखा परीक्षा रिपोर्ट में सम्मिलित करने से पूर्व टिप्पणियों के लिए लेखा परीक्षा में पाये गये महत्वपूर्ण और उच्च मूल्य के मामले मंत्रालय को जारी करते हैं। लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन्हें शामिल करने से पूर्व जारी मामलों पर अपनी टिप्पणियाँ प्रस्तुत करने के लिए मंत्रालय को छः सप्ताह का समय देते हैं। वर्तमान लेखापरीक्षा रिपोर्ट में 457 मामले⁴⁷ सम्मिलित हैं, जिसमें से 269 मामलों के उत्तर प्राप्त हुए थे। मंत्रालय/आईटीडी ने 31 अक्टूबर 2017 तक ₹ 2691.80 करोड़ कर का प्रभाव के 243 मामले⁴⁸ (90.3 प्रतिशत) स्वीकर किये जबकि इन्होंने ₹ 200.10 करोड़ के कर प्रभाव के 26 मामलों⁴⁹ को स्वीकार नहीं किया है। बाकी मामलों का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था। तालिका 2.9 इन मामलों⁵⁰ का श्रेणीवार विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.9 उच्च मूल्य मामलों की त्रुटियों का श्रेणीवार विवरण						(₹ करोड़ में)	
श्रेणी	सीटी		आईटी		कुल		
	संख्या	कर प्रभाव	संख्या	कर प्रभाव	संख्या	कर प्रभाव	
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	99	625.73	69	217.93	168	843.66	
ख. कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन	150	1,789.22	35	78.19	185	1,867.41	
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	31	989.83	17*	18.61	48	1,008.44	
घ. कर/ब्याज का अधिभारित	40	446.08	16	21.26	56	467.34	
कुल	320	3,850.86	137	335.99	457	4,186.85	

*₹ 0.46 करोड़ के कर का प्रभाव की संपत्ति के 6 मामलों सहित।

2.4.5 अध्याय III और IV क्रमशः निगम कर; आयकर और संपत्ति कर के संबंध में निर्धारणों में त्रुटियों के विवरणों को दर्शाते हैं। इसके अतिरिक्त, दो दीर्घ प्रारूप पैरा अर्थात् 'संवीक्षा निर्धारण के दौरान फर्जी मांग' और 'निर्धारिती द्वारा फर्जी देन-लेन' मंत्रालय को जारी किये गये थे जिन्हें अलग से वर्तमान रिपोर्ट में क्रमशः अध्याय-V और VI के रूप में शामिल किया गया है क्योंकि वे कुछ प्रणालीगत खामियों को इंगित करते हैं। अध्याय-V लेखा परीक्षा द्वारा देखे गए मामलों का उल्लेख करता है जहां आईटीडी ने अवांछित विधियों की

47 परिशिष्ट 2.3 मंत्रालय को जारी 457 मामलों का विवरण देता है।

48 मंत्रालय - 175 मामले; आईटीडी-68 मामलें

49 मंत्रालय - 7 मामलें, आईटीडी - 19 मामलें

50 परिशिष्ट 2.4 में उप-श्रेणीवार विवरण दिया गया है।

सहायता लेकर अपने राजस्व संग्रहण लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त मार्गों को उठाया है। इनमें से, हमने 5 मामलों में देखा जहाँ अतिरिक्त मार्गों को करते समय करों के पूर्व-भुगतान के लिए पूर्ण क्रेडिट नहीं दिये गये थे और 13 अन्य मामलों में निर्धारिती को देय प्रतिदायों का भुगतान नहीं किया गया था, बल्कि प्रतिदाय राशियों को ब्याजों के प्रति जिन्हें गलत उदग्रहित किया गया था, समायोजित कर दिया गया। इन दोनों के कारण राजस्व की हानि हुई क्योंकि अत्याधिक माँग के साथ-साथ ब्याज, जोकि देय नहीं था, के प्रति समायोजित राशि का ब्याज की विशाल राशि के अपरिहाय भुगतान के साथ बाद में भुगतान किया गया।


अध्याय VI उन मामलों को सामने लाता है जहाँ एओ फर्जी डोनेशन और जाली खरीदों से संबंधित अपनी अन्वेषण विंग की रिपोर्ट का अनुसरण करने में असफल रहे और इन मामलों से निपटने के लिए एक रूप दृष्टिकोण नहीं अपनाया था। ये मामलें अलग से शामिल किए गए हैं क्योंकि ये आईटीडी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कमजोरियां को इंगित करते हैं। हमने सात मामले देखे जहाँ जाली डोनेशन या खरीद अनुमत की गई थी और 18 मामलों जहाँ उन्हें आंशिक रूप से अनुमत किया गया था, जबकि अधिनियम के प्रावधान इस प्रकार की जाली डोनेशनों या खरीदों को पूर्णता: अस्वीकृत करने की मांग करते हैं। 31 मामलों में, एओ निर्धारितीयों जिन्होंने जाली डोनेशनों और खरीदों से संबंधित प्रविष्टियों का लाभ उठाया था के प्रति किसी भी कार्रवाई को शुरू करने में असफल रहे।

2.4.6 इसके अतिरिक्त, अध्याय VII में 'आयकर विभाग में अपील प्रक्रिया' पर विशेष विषय अनुपालन लेखापरीक्षा पर हमारी रिपोर्ट शामिल है। हमने आईटीडी द्वारा प्रस्तुत 17,097 अपील मामलों की लेखापरीक्षा की और ₹ 549.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2,203 मामलों में विभिन्न अनियमितताएं देखीं। इस प्रकार की अनियमितताएं कुल लेखा परीक्षित मामलों के 12 प्रतिशत से अधिक बनती हैं।

2.5 लेखापरीक्षा प्रभाव

2.5.1 लेखापरीक्षा के बताने पर वसूली

आईटीडी ने पिछले पांच वर्षों में (चार्ट-2.1) निर्धारिणों में त्रुटियों जिन्हें हमने बताया था को सुधारने के लिए उठाई गई माँगों से ₹ 4951.51 करोड़ की वसूली की। इसमें वि.वर्ष 2016-17 में वसूले गये ₹ 367.08 करोड़ शामिल हैं।



2.6 समय बाधित मामलें

2.6.1 निम्न तालिका 2.10 वित्त वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक समय बाधित मामलों का विवरण दर्शाती है।

तालिका 2.10: समय बाधित मामलों का विवरण			(₹ करोड़ में)
रिपोर्ट का वर्ष	मामले	कर प्रभाव	
2012-13	2,207	899.9	
2013-14	2,427	1,121.2	
2014-15	3,881	2,490.8	
2015-16	2,074	1,230.72	
2016-17	2,243	1,637.81	

2.6.2 वि.व. 2016-17 के दौरान ₹ 1,637.81 करोड़ के कर प्रभाव के 2,243 मामले उपचारात्मक कार्यवाही हेतु समय बाधित हो गये थे जिसमें से अकेले महाराष्ट्र के 25.58 प्रतिशत तथा उसके बाद तमिलनाडू के 25.54 प्रतिशत मामले थे। परिशिष्ट 2.5 वि.व. 2016-17 के लिए इस प्रकार के मामलों का राज्य-वार विवरण दर्शाता है। इस प्रकार के मामलों में समय पर उपचारात्मक कार्यवाही न करने के लिए उत्तरदायित्व तय किया जाय। विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपचारात्मक कार्यवाही समय पर की जाये ताकि इस प्रकार की घटनाओं की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो।

2.7 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

2.7.1 हमने करों के निर्धारण तथा संग्रहण पर प्रभावी जांच सुनिश्चित करने और यह जांच करने कि विनियम तथा प्रक्रियाओं का विधिवत पालन किया जा रहा है, के उद्देश्य से सीएण्डएजी के (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 16 के अन्तर्गत निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा की। आईटीडी को लेखा परीक्षा को शीघ्र अभिलेखों को प्रस्तुत करना और संबंधित जानकारी भेजना भी अनिवार्य है।

2.7.2 पूर्व वर्षों से वि.व. 2016-17 के दौरान अभिलेखों का प्रस्तुत करना मुख्य रूप से गोवा, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल में बढ़

गया है। आईटीडी ने वित्त वर्ष 2016-17 के दौरान मांगे गये 3,23,532 अभिलेखों में से 26,823 अभिलेखों (8.29 प्रतिशत) को प्रस्तुत नहीं किया जो कि वि.व. 2015-16 से कम है (10.74 प्रतिशत)।

परिशिष्ट 2.6 वि.व. 2014-15 से 2016-17 तक के दौरान अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के विवरण को दर्शाता है। तालिका 2.11 उन अभिलेखों के विवरण को दर्शाती है जो लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किये गये और जो तीन या अधिक लगातार लेखा परीक्षा चक्रों में उसी निर्धारिती से संबंधित है।

तालिका 2.11: तीन या अधिक लगातार लेखापरीक्षा चक्रों में लेखापरीक्षा को अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया गया	
राज्य	प्रस्तुत नहीं किये गये अभिलेख
क. महाराष्ट्र	73
ख. ओडिशा	28
ग. गुजरात	1
कुल	102

वित्त वर्ष 2016-17 में, तीन या अधिक लगातार लेखापरीक्षा चक्रों में तीन राज्यों में उसी निर्धारिती से संबंधित 102 अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया था।

अध्याय III: निगम कर

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 यह अध्याय अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 तक मंत्रालय को भेजे गए 320 महत्वपूर्ण और उच्च महत्व के निगम कर मामलों पर चर्चा करता है। इनमें से, 280 मामलों में ₹ 3404.78 करोड़ का अवप्रभार शामिल है और 40 मामलों में ₹ 446.08 करोड़ का अधिप्रभार⁵¹ शामिल है। गलत निर्धारण के मामले आयकर विभाग (आईटीडी) की निर्धारण प्रक्रिया में आंतरिक नियंत्रण में कमजोरी को दर्शाते हैं।

3.1.2 त्रुटियों की श्रेणियों को निम्न प्रकार विस्तृत रूप से वर्गीकृत किया गया।

- निर्धारण की गुणवत्ता
- कर रियायतें/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- चूक के कारण निर्धारणों/से छूटी आय
- अन्य - कर/ब्याज का अधिप्रभार इत्यादि

तालिका 2.9 (पैरा 2.4.4) त्रुटियों और उनके कर प्रभाव की विस्तृत श्रेणियों का विवरण दर्शाती है (परिशिष्ट 2.3 देखें)।

3.1.3 मंत्रालय/आईटीडी ने ₹ 2,619.44 करोड़ के कर प्रभाव वाले 180 मामलों में लेखापरीक्षा आप्तियों को स्वीकार किया जबकि ₹ 191.62 करोड़ के कर प्रभाव वाले 22 मामलों को स्वीकार नहीं किया। 320 मामलों में से, आईटीडी ने ₹ 2,749.96 करोड़ के कर प्रभाव 218 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई पूर्ण कर ली है और ₹ 197.98 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 21 मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ कर दी है।

3.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

3.2.1 एओ ने अधिनियम में स्पष्ट प्रावधानों की अनदेखी कर निर्धारणों में कमियाँ की हैं। गलत निर्धारणों के ये मामलें आईटीडी में आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों के कारण हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। तालिका 3.1 त्रुटियों की उप-श्रेणियों को दर्शाती है जो निर्धारणों की गुणवत्ता पर प्रभाव डालती है।

51 अधिक प्रभार सही आकड़ों को अपनाने में त्रुटियों, आय की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ, कर/ब्याज आदि की दरों का गलत अनुप्रयोग इत्यादि के कारण है।

तालिका 3.1 निर्धारणों की गुणवत्ता के अन्तर्गत उप-श्रेणियों की त्रुटियाँ (₹ करोड़ में)			
उप-श्रेणियाँ	मामले	कर प्रभाव	राज्य
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	36	310.04	दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
ख. कर और उपकर की गलत दर का प्रयोग	11	36.50	दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, संघ शासित-चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	40	157.46	आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, तमिलनाडू, संघ शासित-चंडीगढ़ और पश्चिम बंगाल.
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदाय प्रतिदाय पर ब्याज	6	50.35	कर्नाटक और महाराष्ट्र.
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावी करते हुए निर्धारण में त्रुटियाँ	6	71.38	दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल.
कुल	99	625.73	

3.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हम नीचे छः ऐसे स्पष्ट उदाहरण दे रहे हैं:

धारा 143 (3) यह प्रावधान करती है कि एओ को आय को सही ढंग से नियत और निर्धारण करना होगा। रिटर्न के साथ संलग्न सभी लेखाओं अभिलेखों और दस्तावेजों के साथ विभिन्न प्रकार के दावों की प्रत्येक संवीक्षा निर्धारण में विस्तृत जाँच करने की आवश्यकता है। सीबीडीटी ने समय-समय पर इस संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किए हैं।

3.2.2.1 प्र. सीआईटी-1 दिल्ली प्रभार में, निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2013-14 के लिए एओ ने मै. अरावली पावर कंपनी प्रा. लि. का संवीक्षा निर्धारण ₹ 113.48 करोड़ की हानि पर मार्च 2016 में पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला है कि निर्धारण आदेश में ₹ 113.48 करोड़ की हानि पर पहुँचने के लिए शुद्ध लाभ और खर्चों के गलत आकड़ों को अपनाया गया और ₹ 4.90 लाख की अस्वीकृति के साथ समायोजित किया गया था। कर योग्य आय की गणना करते समय, ₹ 222.17 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 42.72 करोड़ का शुद्ध लाभ माना गया था, ₹ 260.77 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 144.18 करोड़ की वृद्धि परिकल्पित की गई थी और कटौतियाँ ₹ 419.25 करोड़ की सही राशि के स्थान पर ₹ 300.38 करोड़ संगणित की गई थीं। इन

त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 63.69 करोड़⁵² की आय का कम निर्धारण हुआ और साथ ही साथ ₹ 113.48 करोड़ की हानि अधिक अग्रणीत हुई, जिसमें ₹ 57.48 करोड़⁵³ का संभावित कर प्रभाव शामिल है। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अक्टूबर 2017) और अधिनियम की धारा 154⁴ के तहत त्रुटि का सुधार किया (जुलाई 2016)।

3.2.2.2 प्र. सीआईटी-3 दिल्ली प्रभार में, नि.व. 2012-13 के लिए एओ ने मै. फोर्टिस हेल्थकेयर लि. का मार्च 2015 में सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 116.40 करोड़ की हानि पर और अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 210.71 करोड़ की आय पर संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा ने यह खुलासा किया कि निर्धारिती ने शून्य व्यापार आय पर अपनी रिटर्न फाईल की थी (₹ 19.16 करोड़ की सीमा तक की अग्रणीत व्यापार हानि के समंजन के बाद) और ₹ 131.68 करोड़ के दीर्घकालिक पूंजी हानि के दिखा रहा है जिन्हें बाद के निर्धारण वर्ष तक आगे बढ़ाया गया था। कर योग्य आय की गणना के समय ₹ 131.68 करोड़ की दीर्घकालिक पूंजी-हानि को व्यापार घाटा माना गया था और अस्वीकृति के कारण ₹ 15.28 की वृद्धि के बाद निर्धारण ₹ 8.76 करोड़⁵⁵ की आय के बजाय ₹ 116.40 करोड़ की हानि पर पूर्ण हुआ था; इस त्रुटि के परिणामस्वरूप आय का अब निर्धारण ₹ 8.76 करोड़ रहा और अधिक निर्धारण की हानि ₹ 116.40 करोड़ रही जिसमें संभावित कर प्रभाव ₹ 40.61 करोड़ था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (सितम्बर 2017) और अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया (फरवरी 2016)।

3.2.2.3 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय) लुधियाना प्रभार, पंजाब में, नि.वर्ष 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए एओ ने मै. एआरके इम्पोर्ट्स प्रा. लि. के निर्धारण धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153⁵⁶ के अन्तर्गत मार्च 2016 में क्रमशः ₹ 92.89 करोड़, ₹ 520.24 करोड़ और ₹ 109.37 करोड़ की आय पर पूर्ण किए। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि एओ ने गलती से निर्धारण वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान क्रमशः ₹ 3.57 लाख, 97.10 लाख तथा 'शून्य' के पूर्व प्रदना करों का समायोजन करने के बाद

52 निर्धारिती ने ₹ 63.69 करोड़ की आय के प्रति समंजन के लिए उपलब्ध घाटे को अग्रणीत किया था।

53 ₹ 20.66 करोड़ (₹ 63.69 करोड़ * 30 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार + 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर) + 36.82 करोड़ (₹ 113.48 करोड़ * 30 प्रतिशत + 5 प्रतिशत अधिभार + 3 प्रतिशत शिक्षा उपकर)

54 एओ द्वारा जारी किसी भी आदेश में अधिलेख से स्पष्ट त्रुटि को अधिनियम की धारा 154 के तहत सुधारा जा सकता है।

55 ₹ 15.28 करोड़ - ₹ 6.52 करोड़ (₹ 6.52 करोड़ की अग्रणीत हानि के समंजन के बाद)

56 आयकर अधिनियम की धारा 153ए अन्वेषण और माँग के मामले में निर्धारण के साथ जुड़ा हुआ है।

₹ 44.85 करोड़, ₹ 238.17 करोड़ और ₹ 46.10 करोड़ की उद्ग्रह्य राशियों के प्रति ₹ 37.16 करोड़, ₹ 208.09 करोड़ और ₹ 43.75 करोड़ के कर माँग की उद्ग्रहण की थी। त्रुटि के परिणाम स्वरूप ₹ 40.13 करोड़⁵⁷ के कर और ब्याज का कम उद्ग्रह्य हुआ। आईटीडी ने फरवरी 2017 में धारा 154 के अन्तर्गत निर्धारण वर्ष 2013-14 की त्रुटि में सुधार किया जिसमें 30.08 करोड़ की माँग की गई थी। तथापि, निर्धारण वर्ष 2012-13 और 2014-15 के लिए उपचारात्मक कार्रवाई विवरण अभी प्रतीक्षित था (जुलाई 2017)।

3.2.2.4 प्र. सीआईटी-1 अहमदाबाद प्रभार गुजरात में, एओ ने मै. कैडिला हेल्थकेयर लि. का नि.वर्ष 2010-11 के लिए धारा 144(13)⁵⁸ के साथ पठित धारा 144सी(13) के अन्तर्गत फरवरी 2015 में ₹ 106.21 करोड़ और धारा 115जेबी के अन्तर्गत ₹ 160.04 करोड़ का अंकित लाभ मानते हुए निर्धारण पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि, संवीक्षा निर्धारण का अन्तिमीकरण करते हुए एओ ने ₹ 12.52 करोड़ की विवरणित हानि के प्रति आय के विवरण के अनुसार ₹ 125.17 करोड़ के रूप में व्यापार घाटे को माना था। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 6.44 करोड़ की आय का अवनिर्धारण और ₹ 106.21 करोड़ की हानि का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 2.19 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण और संभावित कर ₹ 36.10 करोड़ शामिल है। मंत्रालय ने लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अगस्त 2017) और अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि में सुधार किया (जुलाई 2017)।

3.2.2.5 प्र. सीआईटी केन्द्रीय-2 मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.वर्ष 2010-11 के लिए एओ ने मै. धनुष टेक्नोलॉजी लि. का निर्धारण अधिनियम की धारा 153सी⁵⁹ के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत मार्च 2016 में 6.28 करोड़ की आय पर पूरा किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारण पूरा करते समय एओ ने ₹ 31.94 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 6.28 करोड़ पर निर्धारित आय को माना था। अभिलेखों के अनुसार फरवरी 2013 में धारा 144 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत नियमित निर्धारण पूर्ण

57 ₹ 4,012.56 लाख = ₹ 769.82 लाख (नि.व. 2012-13) + ₹ 3,007.89 लाख (नि.व. 2013-14) + ₹ 234.85 लाख (नि.व. 2014-15)

58 धारा 144सी विवाद समाधान पैनल (डीआरपी) से संबंधित प्रावधानों को निर्धारित करती है। जिसे अन्तर्राष्ट्रीय लेनदेन में अन्तरण मूल्य से संबंधित विवादों को हल करने के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के रूप में गठित किया गया है। निर्धारण पूर्ण करने और धारा 144 सी (13) के अनुसार करने के लिए डीआरपी एओ के लिए दिशा-निर्देश जारी करता है। एओ महीने के अन्त से एक महीने के भीतर निर्धारण को अन्तिम रूप देने के लिए अपेक्षित है। जिसमें निर्धारित को सुनवाई का कोई अवसर दिये बिना ऐसे निर्देश प्राप्त किये जाते हैं।

59 आयकर अधिनियम की धारा 153सी उस व्यक्ति के अलावा किसी व्यक्ति की आय के निर्धारण के साथ होता है जिसके मामले में खोज शुरू की गई है या खाते की पुस्तकों, अन्य दस्तावेज या संपत्तियों की माँग की गई है।

हुआ था और कर योग्य आय को ₹ 6.28 करोड़ पर माना गया था जिसे बाद में धारा 154 के अन्तर्गत अप्रैल 2015 में ₹ 25.65 करोड़ की वृद्धि करने के बाद ₹ 31.94 करोड़ पर सुधारा गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 25.66 करोड़ की आय का अवप्रभार हुआ और परिमाणतः ₹ 8.72 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण हुई। *आईटीडी ने त्रुटि को स्वीकार किया (मई 2016) और बताया उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही थी।*

3.2.2.6 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय), गुडगांव प्रभार, हरियाणा में, नि. वर्ष 2013-14 के लिए एओ ने **मै. कुडोस केमी लि.** का निर्धारण अधिनियम की धाराओं 143(3) और 144⁶⁰ के साथ पठित धारा 153क(1)(ख) के अन्तर्गत ₹ 138.56 करोड़ की आय मानते हुए पूर्ण किया। लेखा परीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारण पूर्ण करते समय, एओ ने त्रुटिवश ₹ 154.15 करोड़ की सही राशि के बजाय ₹ 138.56 करोड़ की निर्धारित आय के रूप में गणना की थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 7.13 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण हुई। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया (फरवरी 2017)।*

3.2.3 कर और अधिभार की गलत दरों का प्रयोग

हम ऐसे तीन सोदाहरण मामले नीचे दे रहे हैं:

3.2.3.1 प्र. सीआईटी नोएडा प्रभार उत्तर प्रदेश में, नि.वर्ष 2012-13 के लिए एओ ने **मै. डकृष बिल्डर्स प्रा. लि.** का संविक्षा निर्धारण मार्च 2016 में ₹ 44.71 करोड़ की आय मानते हुए पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि कर माँग की गणना करते समय एओ ने संबंधित वित्तीय अधिनियम प्रावधानों के अनुसार अधिभार और अधिनियम की धारा 234ख के अन्तर्गत ब्याज की उद्ग्रहण नहीं की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 7.65 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण हुई। *आईटीडी ने बताया (फरवरी 2017) कि धारा 154 के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी। अन्तिम उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2017)।*

60 आयकर अधिनियम की धारा 144 जहाँ करदाता द्वारा कर की विवरणी नहीं भरी है या उसके कर निर्धारण से संबंधित जानकारी/स्पष्टीकरण प्रेषित करने के अनुसार करदाता का कोई सहयोग नहीं है या कर दाता की लेखा पुस्तिकाएँ विश्वसनीय नहीं हैं या अपूर्ण हैं वहाँ सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारित होता है।

आयकर अधिनियम की धारा 115 बीबीई (1) प्रावधान करती है कि जहां किसी निर्धारिती की कुल आय में आयकर की धारा 68 अथवा 69 में संदर्भित कोई आय शामिल होती है वहां देय आयकर 30 प्रतिशत की दर पर धारा 68 अथवा 69 में संदर्भित आय पर परिकलित आयकर की राशि का जोड़ होगा और शेष आय पर पर्याप्त आय कर की राशि सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित की जाएगी। इसके अलावा उपधारा 2 प्रावधान करती है कि कोई छूट अधिनियम की धारा 68 अथवा 69 में संदर्भित आय की संगणना में इस अधिनियम के किसी प्रावधान में किया व्यय या छूट के संबंध में अनुमत नहीं की जाएगी।

3.2.3.2 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-गुडगाँव प्रभार, हरियाणा में, नि.वर्ष 2014-15 के लिए एओ ने मै. कुडोस कैमी लि. का निर्धारण धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153बी(1)(बी)⁶¹ और अधिनियम की धारा 144 के अन्तर्गत फरवरी 2016 में ₹ 23.25 करोड़ की हानि मानते हुए पूर्ण किया। इसके बाद, धारा 115 बीबीई के अन्तर्गत ₹ 28.37 करोड़ की आय मानते हुए निर्धारण का सुधार (मई 2016) में किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि सुधार आदेश में कर देयता की गणना करते हुए अधिनियम की धारा 115बीबीई के अन्तर्गत ₹ 28.37 करोड़ की आय निर्धारित की गई थी जो कि गलती से लागू सामान्य कर की दर 30 प्रतिशत के प्रति 18.50 प्रतिशत की दर से कर लगाया गया था। कर देयताओं की गणना सही राशि ₹ 11.63 करोड़ के बजाय ₹ 4.81 करोड़ की गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 6.82 करोड़ की कम उद्ग्रहण हुई। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के तहत त्रुटि का सुधार किया (सितम्बर 2016)।

3.2.3.3 प्र. सीआईटी-1 पुणे प्रभार, महाराष्ट्र में, नि. वर्ष 2013-14 के लिए मै. ड्यूक कॉरपोरेशन लि. का निर्धारण धारा 144(1) के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत ₹ 18.90 करोड़ की वृद्धि करने के बाद ₹ 2.49 करोड़ की आय मानते हुए मार्च 2016 में पूर्ण हुआ जिसमें अघोषित शेयर आवेदन धन होने पर आयकर अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत ₹ 11.95 करोड़ की वृद्धि शामिल थी। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि एओ ने अधिनियम की धारा 68 के अन्तर्गत ₹ 11.95 करोड़ की वृद्धि करने पर 30 प्रतिशत की दर पर कर लगाने की बजाय केवल ₹ 2.49 करोड़ की निर्धारित आय पर कर की उद्ग्रहण की थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 9.46 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.07 करोड़ कर की कम उद्ग्रहण शामिल थी। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2017)।

61 आयकर अधिनियम की धारा 153बी सर्च निर्धारण की पूर्णता हेतु समय सीमा प्रदान करता है।

3.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियां

हम ऐसे पांच सोदाहरण मामले नीचे दे रहे हैं:

आयकर अधिनियम सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर निर्धारिती की ओर से चूक के लिए ब्याज के उद्ग्रहण हेतु प्रावधान करता है। धारा 234ए निर्धारित दरों पर और निर्धारित समय अवधि के लिए आय की विवरणी का प्रेषण करने में चूक के कारण ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करता है। धारा 234बी निर्धारित दरों और निर्धारित समय अवधि के लिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के कारण ब्याज की उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करता है।

3.2.4.1 प्र. सीआईटी-13, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण वर्ष 2008-09 से 2010-11 के लिए प्रारंभिक रूप से मै. शिवान गिरि स्टील लि. निर्धारिती ने धारा 139(1) के अन्तर्गत संबंधित वर्षों के माह सितम्बर में विवरणियों को भरने की देय तिथि के भीतर आय की कोई विवरणी नहीं भरी। मार्च 2015 में धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिस के बाद निर्धारिती ने मार्च 2016 में तीन निर्धारण वर्षों के लिए आय की विवरणी भरी थी और एओ, नीचे तालिका 3.2 में दिए गए विवरण के अनुसार मार्च 2016 में संविक्षा पश्चात प्रत्येक निर्धारण वर्ष हेतु निर्धारण पूरा किया था:

तालिका 3.2: भरी गई विवरणियों का विवरण और पूर्ण निर्धारण						(₹ लाख में)	
नि. वर्ष	धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिस की तिथि	विवरणी भरने की तिथि	निर्धारण करने की तिथि	विवरणीत आय	निर्धारित आय	धारा 234ए के अन्तर्गत उद्ग्रहीत ब्याज	धारा 234ए के अन्तर्गत उद्ग्रहीत ब्याज
2008-09	19-03-2015	29-03-2016	29-03-2016	शून्य	7,183.07	317.40	2,197.37
2009-10	19-03-2015	28-03-2016	28-03-2016	0.08	2,178.65	96.27	577.61
2010-11	19-03-2015	28-03-2016	28-03-2016	0.17	912.86	40.34	204.78

एओ ने अभीलेखों पर मौजूद सामग्री के आधार पर धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ निर्णय निर्धारण के रूप में सभी तीनों वर्ष के लिए निर्धारण पूर्ण किया था। तथापि, नि. वर्षों 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए क्रमशः 90 माह (अक्टूबर 2008 से मार्च 2016) 78 माह (अक्टूबर 2009 से मार्च 2016) और 66 माह (अक्टूबर 2010 से मार्च 2016) के स्थान पर प्रत्येक मामले में 13 माह के लिए (मार्च 2015 से मार्च 2016) विवरणियों को देरी से भरने के लिए ब्याज उद्ग्रहीत किया गया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप सभी तीनों वर्षों के लिए कुल ₹ 25.26 करोड़⁶² के

62 नि.व. 2008-09: ₹ 18.79 करोड़, नि.व. 2009-10: ₹ 4.81 करोड़ और नि.व. 2010-11: ₹ 1.64 करोड़

ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटियों का सुधार किया (जनवरी 2017)।

3.2.4.2 प्र. सीआईटी-6 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, निर्धारण वर्षों 2009-10 और 2010-11 के लिए मै. बी.ए ट्रेडिंग कम्पनी प्रा. लि. के संविधा निर्धारणों को मार्च 2016 में अधिनियम की धारा 147 के साथ पठित धारा 144 के प्रावधानों के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 33.53 करोड़ और ₹ 52.67 करोड़ आय मानते हुए पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारिती ने संबंधित निर्धारण वर्षों हेतु देय तिथि पर आय की विवरणी को नहीं भरा था जैसा कि अधिनियम की धारा 139(1) के अन्तर्गत निर्धारित है और ना ही अधिनियम की धारा 148 के अन्तर्गत जारी नोटिस के जवाब में आय की विवरणी भरी थी। चूंकि निर्धारिती ने दोनों वर्षों के लिए आय की विवरणी नहीं भरी थी इसलिए वह धारा 234ए के तहत ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था। कर माँग की गणना करते समय, एओ ने नि. वर्षों 2009-10 और 2010-11 में क्रमशः ₹ 8.88 करोड़ (78 महीने के लिए) और ₹ 11.64 करोड़ (65 महीने के लिए) की उद्ग्रहण योग्य राशि के प्रति केवल 12 माह की अवधि के लिए ₹ 1.37 करोड़ और ₹ 53.71 लाख के ब्याज को उद्ग्रहित किया था। त्रुटि के परिणामस्वरूप नि. वर्षों 2009-10 और 2010-11 में धारा 234ए के अन्तर्गत ₹ 18.62 करोड़⁶³ के ब्याज की कम उद्ग्रहण हुई। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया (जनवरी 2017)।

3.2.4.3 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-1 दिल्ली प्रभार में निर्धारण वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के लिए मै. अल्ट्रा होम कन्सट्रक्शन प्रा. लि. का निर्धारण मार्च 2016 में आयकर अधिनियम की धारा 143(3) के साथ पठित धारा 153ए के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 73.36 करोड़, ₹ 133.97 करोड़ और ₹ 32.87 करोड़ की आयों को मानते हुए पूर्ण किया था। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि कर माँग की संगणना करते समय, नि. वर्ष 2010-11 में धारा 234ए(3) के अन्तर्गत गलत ब्याज उद्ग्रहीत किया गया था, जबकि नि. वर्षों 2011-12 और 2012-13 में धारा 234ए(3) के अन्तर्गत उद्ग्रहण योग्य ब्याज राशियों को उद्ग्रहीत नहीं किया गया था। इसके अलावा, नि. वर्षों 2010-11, 2011-12 और 2012-13 में धारा 234बी(3) के अन्तर्गत ब्याज गलत प्रकार से प्रभारित की गई थी (जैसा कि तालिका 3.3 में नीचे दिशाया गया है)।

63 ₹ 18.62 करोड़ = ₹ 7.52 करोड़ (नि.व. 2009-10) + ₹ 11.10 करोड़ (नि.व. 2010-11)

तालिका 3.3: कम उद्ग्रहित ब्याज का विवरण							(₹ लाख में)
नि. वर्ष	धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज			धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज			कुल
	विभाग द्वारा उद्ग्रहित	उद्ग्रहण योग्य (लेखापरीक्षा अनुसार)	ब्याज का कम उद्ग्रहण	विभाग द्वारा उद्ग्रहीत	उद्ग्रहण योग्य (लेखापरीक्षा अनुसार)	ब्याज का कम उद्ग्रहण	
2010-11	38.90	78.10	39.20	863.68	937.24	73.56	112.76
2011-12	शून्य	198.64	198.64	1,312.16	1,986.35	674.19	872.83
2012-13	शून्य	40.94	40.94	313.86	327.51	13.65	54.59
कुल	38.9	317.68	278.78	2,489.70	3,251.10	761.4	1,040.18

इन त्रुटियों के परिणामस्वरूप ₹ 10.40 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और धारा 154 के तहत आदेश पारित कर जनवरी 2017 में गलतियों को सुधारा।

3.2.4.4 प्र. सीआईटी-भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, नि. वर्षों 2012-13 और 2013-14 के लिए मै. ग्रीन इन्डिया इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लि. का ब्लाक निर्धारण मार्च 2015 में धारा 144 के साथ पठित धारा 153बी के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 144.63 करोड़ और ₹ 74.58 करोड़ की आय को मानते हुए संवीक्षा उपरान्त पूर्ण हुआ। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारिती को नि. वर्ष 2012-13 और 2013-14 के लिए क्रमशः 11 सितम्बर 2013 और 02 मई 2014 को अधिनियम की धाराओं 153ए और 142(1)⁶⁴ के अन्तर्गत नोटिस दिया गया था। चूंकि निर्धारिती ने धाराओं 153ए और 142(1) के अन्तर्गत नोटिसों में निर्धारित तिथियों के भीतर आय की विवरणियाँ नहीं भरी थी इसलिए यह नि. वर्षों 2012-13 और 2013-14 के दौरान क्रमशः 19 महीने और 11 महीने⁶⁵ के लिए अधिनियम की धारा 234ए के तहत ब्याज भुगतान का दायी था। तथापि, निर्धारण अधिकारी ने केवल पाँच माह के लिए उक्त ब्याज का उद्ग्रहण किया था। उपरोक्त चूक के परिणामस्वरूप धारा 234ए के तहत ₹ 8.02 करोड़⁶⁶ के ब्याज की कम उद्ग्रहण हुई थी। आईटीडी ने अपने उत्तर में बताया कि त्रुटि को मार्च 2016 में सुधार लिया गया था। तथापि, सुधार आदेश की समीक्षा से पता चला कि नि. वर्ष 2012-13 के लिए 19 महीने के स्थान पर 11 महीने के लिए धारा 234ए के अन्तर्गत ब्याज वसूलते हुए आदेश पारित किया गया

64 आयकर अधिनियम की धारा 142(1) निर्धारण से पहले जाँच करने से सम्बंधित है। दस्तोवजों और निर्धारिती से ब्यौरा मागने के लिए और निर्धारण के अन्तर्गत एक विशेष मामला लेने के लिए धारा 142(1) के अन्तर्गत नोटिस जारी किया जाता है।

65 निर्धारण की तिथि तक नोटिस में निर्धारित समय सीमा की समाप्ति के बाद की तिथि से अवधि के लिए।

66 नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 6.57 करोड़ + नि.व. 2013-14 के लिए 1.45 करोड़

था। लेखापरीक्षा ने जनवरी 2017 में त्रुटि पर एक प्रत्युत्तर जारी किया जिसके संबंध में एओ ने प्रतिउत्तर दिया (फरवरी 2017) कि निर्धारिती को नोटिस दिये जाने के बाद आयकर अधिनियम की धारा 234ए के अन्तर्गत पुनः ब्याज की गणना की जाएगी। उपचारात्मक कार्यवाही का आगामी विवरण अभी प्रतीक्षित था (अगस्त 2017)।

धारा 234सी निर्धारित दरों पर और निर्धारित समय अवधि के लिए अग्रिम कर की किस्तों के भुगतान में दोष के कारण ब्याज की उद्ग्रहण का प्रावधान करता है।

3.2.4.5 प्र.सीआईटी-3, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, नि. वर्ष 2012-13 के लिए मै. आईटीसी लि. का निर्धारण मार्च 2016 में ₹ 8,241.40 करोड़ की आय मानते हुए संवीक्षा उपरान्त पूर्ण किया। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 297.56 करोड़ की आवश्यकता के प्रति 15 जून 2011 से पहले केवल ₹ 265 करोड़ के अग्रिम कर का भुगतान किया था और इसलिए अग्रिम कर के भुगतान में चूक के लिए धारा 234सी के अन्तर्गत ब्याज भुगतान करने का उत्तरदायी था। तथापि, एओ ने, निर्धारण की संवीक्षा को पूरा करते समय, धारा 234सी के तहत किसी ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 3.21 करोड़ के ब्याज का उद्ग्रहण नहीं हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि का सुधार किया (जुलाई 2016)।

3.2.5 अधिक या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदाय पर ब्याज

हम ऐसे दो सोदाहरण मामले नीचे देते हैं:

3.2.5.1 सीआईटी-एलटीयू बंगलूरू प्रभार, कर्नाटक में, निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए मै. विजया बैंक का निर्धारण, मार्च 2015 में धारा 143(3) के अन्तर्गत ₹ 1,101.93 करोड़ कर योग्य आय और ₹ 376.90 करोड़ कर चुकाने योग्य मानकर पूर्ण किया गया था। लेखापरीक्षा जाँच में पता चला कि धारा 154 (अप्रैल 2014) के अन्तर्गत हुए सुधार पर ₹ 36.88 करोड़ का प्रतिदाय उत्पन्न हुआ जिसे नि.वर्ष 2011-12 की बकाया माँग के प्रति समायोजित किया गया। तथापि, संवीक्षा निर्धारण पूर्ण करते समय (मार्च 2015) उक्त प्रतिदाय को नहीं माना गया। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 36.88 करोड़ की सीमा तक कर की कम गणना हुई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जून 2017) और धारा 154 के अन्तर्गत मार्च 2016 में त्रुटि का सुधार किया।

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 244ए(1)(क) प्रतिदाय की मंजूरी की तिथि से निर्धारण वर्ष के प्रथम दिन से निर्दिष्ट दर पर कर के अधिक भुगतान के कारण उत्पन्न प्रतिदाय की राशि पर ब्याज के उद्ग्रहण के लिए प्रावधान करती है। इसके अतिरिक्त, यह न्यायिक निर्णय लिया⁶⁷ गया है कि ब्याज पर ब्याज का भुगतान अनियमित है।

3.2.5.2 प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने नि.व. 1994-95 के लिए मै. हिंडालको इंडस्ट्रीज लिमि. का संवीक्षा निर्धारण विभिन्न अस्वीकरणों के बाद ₹ 146.56 करोड़ की आय मानकर मार्च 1997 में पूरा किया जिसे धारा 254⁶⁸ के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत अपीलीय आदेश को मानते हुए सितम्बर 2013 में ₹ 109.81 करोड़ तक कम कर दिया गया था। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि सितम्बर 2013 में अपीलीय आदेश को लागू करते हुए, नि.अ. ने धारा 244ए(1)(क) के अंतर्गत ₹ 5.30 करोड़ का ब्याज अनुमत किया जिसमें कुल वापसी योग्य राशि में पहले ही ब्याज पर ब्याज का भाग शामिल था। इस प्रकार, पूर्वोक्त निर्णय के विपरीत ब्याज पर ब्याज के भुगतान के परिणामस्वरूप प्रतिदाय पर ₹ 3.45 करोड़ के ब्याज की अधिक स्वीकृति दी गई। आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया (दिसम्बर 2015) और अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मई 2015)।

3.2.6 अपीलीय आदेशों को लागू करते हुए निर्धारण में त्रुटियां

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दर्शाये हैं:

3.2.6.1 प्र. सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, ₹ 94.09 करोड़ की बाजार हानि चिन्ह (एमटीएम)⁶⁹ हेतु प्रावधान पर राहत देने के बाद ₹ 20,156.18 करोड़ की आय निर्धारित कर अप्रैल 2015 में नि.व. 2011-12 के लिए मै. रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा से ज्ञात हुआ कि नि.अ. ने नि.व. 2010-11 में बाजार चिन्ह हानि (एमटीएम) हेतु प्रावधान के संबंध में ₹ 94.09 करोड़ की छूट के निर्धारिती के दावे को अस्वीकृत कर दिया जिसके प्रति निर्धारिती ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की। इसी दौरान निर्धारिती के प्रस्तुतीकरण के आधार पर 01.04.2010 को प्रावधान को पहले ही पलट दिया गया था, एओ ने नि.व.

67 सीआईटी बनाम गुजरात फ्यूओरो केमीकल्स - सर्वोच्च न्यायालय (2013)।

68 आयकर अधिनियम की धारा 254 में अपीलीय प्राधिकरण द्वारा आदेश पास करने के लिए मानदंड और शर्तों को निर्दिष्ट करते हुए अपीलीय न्यायाधिकरण की शक्तियों का प्रावधान है।

69 एमटीएम लेखाकरण या रिपोर्टिंग अवधि के अन्तिम दिन पर अपने बाजार मूल्य के आधार पर वित्तीय दस्तावेज में स्थिति रखने हुए निर्धारण मूल्य की एक पद्धति है। मार्क टू मार्केट हानि साधन के वास्तविक बिक्री मूल्य अपेक्षा लेखाकरण प्रविष्टि (जैसे जब वित्तीय साधनों को मौजूदा मार्केट मूल्य पर आंका जाता है) द्वारा होती है।

2011-12 के दौरान राशि हेतु राहत दी थी। तथापि, निर्धारिती को मई 2016 में सीआईटी (अपील) द्वारा पास किये गये आदेशों द्वारा राशि हेतु राहत प्रदान की गई थी। अपीलीय आदेश (मई 2016) को लागू करते हुए, निर्धारिती को निव. 2010-11 के दावे के संबंध में ₹ 94.09 करोड़ की छूट भी इस तथ्य की अनदेखी करते हुए दोबारा स्वीकृत की गई थी कि नि.व. 2011-12 के लिए निर्धारण के समय पर पहले ही राहत प्रदान की जा चुकी थी। इस प्रकार, एक ही प्रावधान के संबंध में निर्धारिती को दोहरी राहत (अप्रैल 2015, मई 2016) प्रदान की गई थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 46.57 करोड़ कर के परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 94.09 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत सुधार हेतु सुधारात्मक कार्रवाई शुरू की है (अक्टूबर 2016)।*

3.2.6.2 प्र. सीआईटी-6 मुंबई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 39.60 करोड़ की कुल आय पर मार्च 2001 में निर्धारण वर्ष 1998-99 के लिए **मै. सिएट लि.** का निर्धारण पूरा किया जिसे पूर्व वर्षों से अग्रेषित की गई व्यापार हानि/दीर्घावधि पूंजीगत हानि के प्रति अन्य स्रोतों और लघु अवधि/दीर्घावधि पूंजीगत लाभ से आय को बढ़े खाते में डालने के अतिरिक्त शून्य आय पर मार्च 2002 में सुधारा गया था। इसके बाद निर्धारण को सीआईटी (अपील) और आईटीएटी द्वारा पारित अपीलीय आदेशों को लागू करने के लिए और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार के लिए जुलाई 2003, सितम्बर 2011 मार्च 2012 और दिसम्बर 2012 में संशोधित किया गया था। इसके बाद सितम्बर 2011 में पास किये गये अपीलीय आदेश को लागू करने की लेखापरीक्षा जांच और पारित किये गये निर्धारण आदेशों से ज्ञात हुआ कि अपने सभी निर्धारण आदेशों में, एओ ने अन्य स्रोतों से ₹ 12.51 करोड़ के आय और ₹ 48.06 करोड़ के लघु अवधि पूंजीगत लाभ को शामिल करने में चूक की थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 21.20 करोड़ के संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 60.57 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। *आईटीडी ने बताया (मार्च 2017) कि आय की गणना में चूक हुई थी और ₹ 60.57 करोड़ की कुल आय को आय का निर्धारण करते समय ध्यान में नहीं रखा गया था।*

3.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

3.3.1 अधिनियम निर्धारिती को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों की अध्याय VI-क के अन्तर्गत कुल आय की गणना में और अपने संबंधित प्रावधानों के अन्तर्गत व्यय की निश्चित श्रेणियों के लिए अनुमति देता है। हमने पाया

कि एओ ने अनियमित ढंग से लाभार्थियों को कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का लाभ दिया था जो उक्त के हकदार नहीं थे। ये अनियमितताएँ आईटीडी की ओर से कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन में कमियों को उजागर करती हैं जिन्हें सुधारे जाने की आवश्यकता है। तालिका 3.4 में उप-श्रेणियाँ दर्शाई गई हैं जिसने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन को प्रभावित किया है।

तालिका 3.4: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के अंतर्गत गलतियों की उप-श्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियाँ	मामले	कर प्रभाव	राज्य
क. मूल्यहास/व्यसाय हानि/पूँजीगत हानि में अनुमत करने में अनियमितताएँ	81	1,144.10	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल.
ख. अनियमित छुट/कटौती/रियायत/ राहत/मैट क्रेडिट	19	166.45	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल।
ग. व्यावसायिक व्यय के गलत अनुमति	50	478.67	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल।
कुल	150	1,789.22	

3.3.2 मूल्यहास एवं समंजन तथा व्यापार/पूँजीगत हानि अग्रणीत करना अनुमत करने में अनियमितता

नीचे ऐसे छः व्याख्यात्मक उदाहरण दर्शाये गये हैं:

सीबीडीटी ने स्पष्ट⁷⁰ किया है कि निर्माण-प्रचालन-स्थानांतरण(बीओटी) परियोजनाओं के तहत सड़क/राजमार्ग की बुनियादी सुविधा के विकास पर निर्माण की लागत आयकर अधिनियम के तहत अनुमत व्यावसायिक व्यय के रूप में परिशोधित तथा दावा किया जाय। इसके अलावा, टोल रोड पर मूल्यहास के दावे के मामले का निर्णय लेते हुए, आईटीएटी मुम्बई ने माना⁷¹ किया कि धारा 32 (1) का प्रावधान भूमि के संबंध में पट्टे के अधिकार धारण करने वाले निर्धारित के मामले में लागू नहीं होगा जिस पर निर्माण किया गया था। मुम्बई उच्च न्यायालय ने 14 अक्टूबर 2014 को घोषित अपने निर्णय में न्यायाधिकरण (2012 की आईटीए सं. 499) के निर्णय को बरकार रखा था।

3.3.2.1 प्रधान सीआईटी-1 बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 374.94 करोड़ की आय को अग्रणीत व्यवसायिक हानि/अनावशोषित मूल्यहास के समायोजन के बाद 'शून्य' आय निर्धारित कर जनवरी 2014 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए मैसर्स गुजरात ऊर्जा विकास निगम लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा

70 सीबीडीटी परिपत्र सं. 09 दिनांक 23-04-2014

71 मै. नॉर्थ कर्नाटक एक्सप्रेसवे लि. बनाम सीआईटी (आईटीए सं.3978/एमयूए/2010)

किया। निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए 3 सीडी रिपोर्ट के अनुसार, निर्धारिती ₹ 339.25 करोड़ की व्यवसायिक हानि तथा ₹ 477.55 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास को आगे लाया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण वर्ष 2008-09, 2009-10 तथा 2010-11 के लिए ₹ 1,289.04 करोड़ की राशि की व्यवसायिक हानि तथा अनावशोषित मूल्यहास पहले ही संबंधित वर्ष के दौरान अनुमत किया गया था। इस प्रकार, निर्धारण वर्ष 2011-12 में ₹ 374.94 करोड़ की अग्रणीत व्यावसायिक हानि एवं अनावशोषित मूल्यहास का समायोजन अनियमित था। इस गलती के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 166.89 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहाय वाले ₹ 374.94 करोड़ का अवनिर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकृत किया (जुलाई 2017) तथा नवंबर 2016 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत उपचारात्मक कार्रवाई पूर्ण की।*

3.3.2.2 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने दीर्घकालिक पूंजीगत हानि के अलावा हानि होने पर, अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 501.24 करोड़ का नुकसान निर्धारित कर धारा 143(3) के साथ पठित धारा 144सी(3) के तहत मई 2015 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए **मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर्स सर्विसेस लि.** का निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि एओ ने निर्धारण वर्ष 2011-12 का नुकसान के भाग के रूप में निर्धारण वर्ष 2010-11 के संबंधित नुकसान को आगे लाए जाने पर, ₹ 250.86 करोड़ का नुकसान को गलती से शामिल किया था तथा इस प्रभाव का मौखिक आदेश पारित किया। इसके अलावा, जनवरी 2016 में अधिनियम की धारा 154 के तहत पास किये गए परिशोधन आदेश के अनुसार, एओ ने वर्तमान निर्धारण वर्ष 2011-12 के नुकसान के भाग के रूप में पहले निर्धारण वर्ष 2010-11 की अग्रणीत हानि मानते हुए निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए कुल हानि ₹ 501.24 करोड़ ली थी जो सही नहीं था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 83.33 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले निर्धारण वर्ष 2010-11 के अंतिम निर्धारण आदेश से अग्रणीत हानि होने पर ₹ 250.86 करोड़ की हानि की स्फीत अनुमति हुई। *आईटीडी ने आपत्ति (मार्च 2017) को स्वीकार किया तथा सूचित किया कि गलती को सुधारने के लिए आवश्यक उपचारात्मक कार्रवाई की जाएगी। उपचारात्मक कार्रवाई के आगे के ब्यौरे प्रतीक्षित हैं (जुलाई 2017)।*

3.3.2.3 प्रधान सीआईटी प्रभार, दिल्ली में, एओ ने अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 23.96 करोड़ (उपलब्ध व्यवसायिक आय तक) तथा विशेष प्रावधानों⁷² के तहत ₹ 317.31 करोड़ कर अग्रेणीत व्यवसायिक हानि के समंजन के बाद 'शून्य' पर मार्च 2016 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए **मैसर्स दिल्ली ट्रांसको लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। इसके अतिरिक्त ₹ 39.35 करोड़ की आय अन्य स्रोतों से आय के रूप में भी निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण पूरा करते समय, एओ ने गलती से ₹ 230.04 करोड़ की सही आय के स्थान पर ₹ 63.49 करोड़ की हानि के रूप में सकल कुल आय प्रभाव वाली माना। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 54.15 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली ₹ 166.91 करोड़ की हानि का अधिक अग्रेनयन हुआ। *आईटीडी ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (मई 2016)।*

आयकर अधिनियम की धारा 32 (1) के लिए स्पष्टीकरण 5 के अनुसार, समग्र मूल्यहास उसी निर्धारण वर्ष में चाहे निर्धारिती ने दावा किया हो या नहीं की परवाह किये बिना अवशोषित किया जाना अपेक्षित है।

3.3.2.4 प्रधान सीआईटी-1 हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में, एओ ने आयकर अधिनियम की धारा 10बी के तहत ₹ 154.37 करोड़ की कटौती अनुमत करने के बाद सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 11.83 करोड़ पर आय निर्धारित कर फरवरी 2015 में निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए **मैसर्स बारट्रोनिक्स इंडिया लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने दावा किया तथा ₹ 135 करोड़ की पूर्ण वर्तमान मूल्यहास की कटौती किये बिना धारा 10बी के तहत कटौती अनुमत की गई थी। केवल ₹ 3.26 करोड़ की राशि कम की गई थी तथा ₹ 131.74 करोड़ की मूल्यहास की बकाया राशि अनावशोषित मूल्यहास के रूप में अग्रेणीत किए जाने के लिए अनुमत की गई थी। निर्धारिती को आयकर अधिनियम की धारा 10बी के तहत ₹ 22.37 करोड़ की स्वीकार्य कटौती के प्रति ₹ 154.10 की कटौती अनुमत की गई थी। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 44.78 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाले ₹ 131.74 करोड़ के मूल्यहास का अधिक अग्रेनयन हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2017) को स्वीकार किया तथा बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत उपचारात्मक कार्रवाई आरम्भ की जा रही थी।*

72 धारा 115जेबी के अन्तर्गत

सीबीडीटी ने स्पष्ट⁷³ किया कि निर्माण-प्रचालन-स्थानांतरण(बीओटी) परियोजनाओं के तहत सड़क/राजमार्ग की बुनियादी सुविधाओं के विकास पर निर्माण की लागत आयकर अधिनियम के तहत अनुमत व्यवसायिक व्यय के रूप में परिशोधित की जाए तथा दावा किया जाए। ऐसे मामलों में जहाँ निर्धारिती ने आरम्भिक वर्षों में बीओटी प्रोजेक्ट्स के तहत सड़क/राजमार्ग की बुनियादी सुविधाओं की प्रारम्भिक लागत में से कटौती का दावा किया है, वहाँ निर्धारण वर्ष के प्रारम्भ से निर्धारण वर्ष के लिए किये गए दावे की कुल कटौती विचाराधीन, सड़क/राजमार्गों की बुनियादी सुविधाओं की प्रारम्भिक लागत से कम की जाए तथा कम की गई लागत टोल रियायती करार की शेष अवधि में समान रूप से परिशोधित की जाएगी।

3.3.2.5 प्रधान सीआईटी-1 हैदराबाद प्रभार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में, एओ ने आयकर अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 184.15 करोड़ की हानि नियत कर मार्च 2015 में निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए मैसर्स बेंगलोर एलिवेटेड टौलवे लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने 01 अप्रैल 2011 को ₹ 725.74 करोड़ पर केरिज मार्ग के अवलेखित मूल्य पर 25 प्रतिशत की दर पर ₹ 181.43 करोड़ के मूल्यहास का दावा किया था। उपरोक्त राशि के स्थान पर 15 वर्षों (2007-08 से 20 वर्षों की कुल अवधि में से) की शेष अवधि पर समान रूप से ऋण चुकता किया जाना चाहिए था जो ₹ 181.43 करोड़ के मूल्यहास जो अनुमत किया गया था के प्रति ₹ 48.38 करोड़⁷⁴ बनता था। मूल्यहास की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 43.17 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली ₹ 133.05 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2017) को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 263 के तहत उपचारी कार्रवाई प्रारम्भ की।

3.3.2.6 सीआईटी-1 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में एओ ने नि.व 2012-13 से संबंधित 37.21 करोड़ की अग्रेणीत व्यवसाय हानि और नि.व 2012-13 तथा 2013-14 से संबंधित ₹ 83.12 करोड़ की आगे लाई गई हानियों का समंजन करने के बाद, जैसा ऐसी हानियों की उपलब्धता अभिनिश्चित किए बिना दावा किया गया ₹ 57.58 लाख के अंकित लाभ और सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत शून्य आय पर अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत मार्च 2016 में नि.व 2014-15 के लिए मै. डीप वाटर सर्विसेज इण्डिया लिमिटेड का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के निर्धारण रिकार्डों की लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि एओ ने निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 में क्रमशः ₹ 20.42 करोड़ तथा ₹ 42.41 करोड़ की निर्धारित

73 सीबीडीटी परिपत्र सं. 09 दिनांक 23/04/2014

74 ₹ 48.38 करोड़ = ₹ 725.74 करोड़/ 15

आय नियत की तथा उस रूप में इन दो निर्धारण वर्षों में कोई नुकसान नहीं था। निर्धारण वर्ष 2014-15 में अनुचित समायोजन एवं आगे लाए गए गैर विद्यमान नुकसान के परिणामस्वरूप उस सीमा ₹ 12.65 करोड़ के कर की अल्प उद्ग्रहण तथा ₹ 28.25 करोड़ का संभावित कर प्रभाव शामिल था। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (अप्रैल 2017) को स्वीकार किया है तथा बताया कि उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है। आगे के विवरण प्रतीक्षित (जुलाई 2017) हैं।

3.3.3. अनियमित छूट/कटौतियां/कर छूट/राहत/मैट क्रेडिट

हम नीचे चार ऐसे सोदाहरण मामले दे रहे हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 115 जेएए एक निर्धारिती को मैट का क्रेडिट अग्रेनयन के लिए अनुमत करती है जब कर देय सामान्य प्रावधानों के तहत देय कर विशेष प्रावधानों से अधिक हो। तथापि ऐसा क्रेडिट अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत कर तथा विशेष प्रावधानों के तहत, के अन्तर तक सीमित होगा।

3.3.3.1 प्रधान सीआईटी-1, भुवनेश्वर प्रभार, में एओ ने ₹ 1,090.35 करोड़ पर आय नियत कर फरवरी 2016 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए नेशनल एल्युमीनियम कम्पनी लि. (नालको) का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए निर्धारण सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 1,109.76 करोड़ पर कुल आय नियत कर फरवरी 2015 में पूरा किया गया था। क्योंकि कुल आय सामान्य प्रावधानों के तहत निर्धारित की गई थी, इसलिए अग्रेनयन के लिए कोई मैट क्रेडिट उपलब्ध नहीं था। तथापि, निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए संवीक्षा निर्धारण पूरा करने के दौरान, एओ ने आय की रिटर्न में निर्धारिती द्वारा किये गए दावे अनुसार निर्धारण वर्ष 2012-13 के संबंध में ₹ 53.04 करोड़ के मैट क्रेडिट को अनुमत किया था। इस गलती के परिणामस्वरूप मैट क्रेडिट की अनियमित मंजूरी हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 71.61 करोड़ के कर की अल्प उद्ग्रहण शामिल थी। आईटीडी ने बताया (फरवरी 2017) कि आयकर अधिनियम की धारा 147 के तहत प्रावधानों का उपयोग करते हुए उपचारात्मक कार्रवाई प्रारंभ की गई है। आगे के विवरण प्रतीक्षित (जुलाई 2017) हैं।

धारा 80-आईबी(11ए) में प्रावधान है कि प्रारम्भिक निर्धारण वर्ष के आरम्भ कर पांच निर्धारण वर्ष के लिए फलों अथवा सब्जियां अथवा मांस अथवा मांस के उत्पाद अथवा पोल्ट्री अथवा मेरिन अथवा डेयरी उत्पाद की प्रोसेसिंग, संरक्षण तथा पैकेजिंग या एककीकृत व्यवसाय की हैंडलिंग, स्टोरेज तथा खाद्य अनाज के परिवहन के व्यवसाय से लाभ प्राप्त करने वाले उपक्रम को लाभ तथा अधिलाभ की 100 प्रतिशत कटौती अनुमत है।

3.3.3.2 प्रधान सीआईटी-2 बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए **मैसर्स मनपसंद बेवरेजेस प्राइवेट लि.** के संवीक्षा निर्धारण सामान्य प्रावधानों के तहत क्रमशः ₹ 7.04 करोड़ तथा ₹ 8.08 करोड़ तथा धारा 115 जेबी के तहत क्रमशः ₹ 6.62 करोड़ तथा ₹ 24.72 करोड़ की आय नियत कर अक्टूबर 2015 तथा मार्च 2016 में पूर्ण किए गए थे। निर्धारिती ने फ्रूट जूस के विनिर्माण तथा प्रसंस्करण के व्यवसाय के लिए धारा 80-आईबी (11ए) के तहत निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः ₹ 6.31 करोड़ तथा ₹ 9.69 करोड़ की कटौती का दावा किया तथा अनुमत किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने इन निर्धारण वर्षों के दौरान फ्रूट जूस के विनिर्माण तथा प्रसंस्करण के लिए व्यवसाय नहीं किया तथा इसके स्थान पर केवल कच्चे माल के रूप में आम का पल्प का प्रयोग किया था। इसप्रकार, उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार अनुमत कटौतियां सही नहीं थीं। निर्धारण वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए क्रमशः ₹6.31 करोड़ तथा ₹9.69 करोड़ की अनुचित कटौती की गलत अनुमती के परिणामस्वरूप ₹ 16 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ तथा ब्याज सहित ₹ 7.20 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (जुलाई 2017) और मार्च 2017 में अधिनियम की धारा 263 के तहत जारी नोटिस द्वारा उपचारात्मक कार्रवाई सूचित की।*

3.3.3.3 सीआईटी कोटा प्रभार, राजस्थान में, एओ ने मार्च 2016 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए **मैसर्स मंगलम सीमेंट लि.** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 103.65 करोड़ की आय तथा ₹ 7.39 करोड़ का मैट क्रेडिट अनुमत करने के बाद उस पर ₹ 26.24 करोड़ की कर मांग पर पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण वर्ष 2011-12 (मार्च 2014) के संवीक्षा निर्धारण के बाद अग्रेनयन के लिए ₹ 6.91 करोड़ का मैट क्रेडिट उपलब्ध था जिसमें से ₹ 4.52 करोड़ का क्रेडिट, मार्च 2015 में धारा 154 के तहत निर्धारित, निर्धारण वर्ष 2012-13 के निर्धारण के दौरान अनुमत किया गया था। इसप्रकार, केवल ₹ 2.39 करोड़ का मैट क्रेडिट निर्धारण अधिकारी द्वारा अनुमत ₹ 7.39 करोड़ की बजाय निर्धारण वर्ष 2013-14 के दौरान समायोजन

के लिए उपलब्ध था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 5 करोड़ तक कर का अवप्रभार हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार कर ली (अक्टूबर 2017) और अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती में सुधार किया (अक्टूबर 2016)।*

3.3.3.4 प्रधान सीआईटी (केन्द्रीय)-3, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारित आय की सीमा तक ₹ 10.89 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास के समायोजन की अनुमति देने के बाद 'शून्य' आय पर मार्च 2016 में निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए **मैसर्स वेलस्पन सिनटेक्स लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। कर ₹ 16 करोड़ के बही लाभ पर धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के तहत परिकलित किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती की निर्धारण वर्ष 2005-06 तथा 2009-10 के संबंध में ₹ 8.43 करोड़ के अग्रोनयन अनावशोषित मूल्यहास के समायोजन की अनुमति देने के बाद निर्धारण वर्ष 2012-13 में सामान्य परिकलन के तहत ₹ 6.61 करोड़ की धनात्मक आय थी। उस रूप में, निर्धारण वर्ष में 2013-14 में, ₹ 10.89 करोड़ की निर्धारित आय के प्रति समायोजन के लिए कोई अनावशोषित मूल्यहास उपलब्ध नहीं था। अनावशोषित मूल्यहास के अनियमित समायोजन तथा **मैट** प्रावधानों के प्रयोग के परिणामस्वरूप ₹ 3.20 करोड़ के **मैट** क्रेडिट के अधिक अनुमति सहित ₹ 3.53 करोड़ के कर प्रभाव वाले सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 10.89 करोड़ की आय का अव-निर्धारण हुआ तथा सामान्य प्रावधानों के तहत ₹ 33.03 लाख के कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ था। *आईटीडी ने आपत्ति को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 154 के तहत गलती का सुधार किया था (जुलाई 2016)।*

3.3.4 व्यवसायिक व्यय की गलत अनुमति

हम नीचे ऐसे नौ निदर्शी मामले दे रहे हैं:

अधिनियम की धारा 37(1) का स्पष्टीकरण अनुबंधित करता है कि किसी प्रयोजन के लिए एक निर्धारिती द्वारा किया गया व्यय जो विधि द्वारा एक अपराध अथवा निषिद्ध है, को व्यापार अथवा व्यवसाय के प्रयोजन के लिए व्यय नहीं माना जाएगा। इसके अलावा माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी मैसर्स नोर्दन इंडिया केमिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन लि. बनाम सीआईटी [2001] 248 आईटीआर 790 (दिल्ली) के मामले में क्षति के लिए सिविल कार्रवाई में किये गए निपटान की गई राशि के माध्यम से निदेशक के गलत आचरण के लिए भुगतान की क्षति की अस्वीकृति को बरकरार रखा।

3.3.4.1 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 250.38 करोड़ की हानि नियत कर मई 2005 में निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए **मैसर्स सत्यम कम्प्यूटर सर्विसेस लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने दावा किया तथा अपवाद मर्दों

के शीर्ष के अंतर्गत 'क्लास एक्शन कम्प्लेंट' निपटान के कारण लाभ तथा हानि लेखा के ₹ 569 करोड़ की राशि अनुमत की गई थी। कर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (फॉर्म 3सीडी) में, लेखापरीक्षक ने आयकर अधिनियम की धारा 37 के तहत कटौती के रूप में इन व्ययों को अर्हक माना तथा इस प्रकार से कर के प्रयोजनार्थ कटौती के लिए अयोग्य थे। आगे यह पता चला कि कम्पनी को कम्पनी लेखा बही में वित्तीय अनियमितताओं के प्रति धोखाधड़ी के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका में अपने निवेशकों को ₹ 569 करोड़ के क्लास एक्शन सेटलमेंट कन्सिडरेशन का भुगतान करना पड़ा था जो संवीक्षा निर्धारण के दौरान विभाग द्वारा अनुमत किया गया था। क्योंकि सेटलमेंट कन्सिडरेशन्स का भुगतान निर्धारिती कम्पनी के धोखाधड़ी कार्य के लिए दंडात्मक हर्जाने के रूप में भुगतान था, इसलिए यह उक्त प्रावधानों के अनुसार अनुमेय नहीं था। अस्वीकार्य कटौती की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 569 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ तथा ₹ 189 करोड़ तक कर का अल्प उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2017) था।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(vii) के तहत संदिग्ध एवं अशोध्य ऋणों के लिए प्रावधान बैंकिंग इंडस्ट्री के मामले में एक इंडियन कम्पनी की कुल आय के 7.5 प्रतिशत तथा विदेशी कम्पनी के मामले में कुल आय के 5 प्रतिशत की दर पर अनुमत है। यह सीबीडीटी के दिनांक 26 नवंबर 2008 के परिपत्र सं. 17 में स्पष्ट किया गया था कि यह प्रावधान अथ शेष होगा तथा वास्तविक रूप से बढ़े खाते डाले गये संदिग्ध एवं अशोध्य ऋण जमा के प्रति प्रथम समायोजन होगा तथा शेष तथा इससे अधिक यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 36(2) के साथ पठित धारा 36(1)(vii) के तहत अनुमेय है।

3.3.4.2 प्रधान सीआईटी(आईटी)-4 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने मार्च 2013 में निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए ₹ 3,783.11 करोड़ पर आय नियत कर मैसर्स स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने ₹ 261.91 करोड़ के अशोध्य ऋण का दावा किया था। ऐसा फाईल रिटर्न के अनुसार ₹ 103.18 करोड़ के अशोध्य ऋण के प्रावधानों में अथ क्रेडिट शेष समायोजन करके तथा धारा 36 (1)(vii) के तहत ₹ 158.73 करोड़ के निवल अशोध्य ऋण में शेष का दावा करके किया गया था जिसे एओ द्वारा अनुमत किया गया था। बढ़े खाते डाले गए अशोध्य ऋणों के प्रति समंजन हेतु उपलब्ध अशोध्य ऋण के लिए प्रावधान में वास्तविक अथ जमा शेष ₹ 190.85 करोड़ था। इस प्रकार केवल एओ द्वारा अनुमत ₹ 158.73 करोड़ के प्रति ₹ 71.06 करोड़ की राशि धारा 36(1)(vii) के तहत कटौती योग्य थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 87.67 करोड़ के अशोध्य ऋण की अधिक अनुमति हुई जिसके परिणामस्वरूप

₹ 37.02 करोड़ के कर प्रभाव वाली उतनी राशि का अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी ने बताया (जून 2016) कि मार्च 2016 में धारा 154 के तहत गलती में सुधार किया गया था।

आयकर अधिनियम की धारा 36(1)(viii) में अनुबंधित है कि व्यवसाय से आय की संगणना करने में, एक निर्दिष्ट सत्व द्वारा सृजित एवं अनुरक्षित किसी विशेष रिजर्व के संदर्भ में कटौती अनुमत है। अनुमेय कटौती की राशि कम से कम i) गत वर्ष के दौरान विशेष रिजर्व लेखा को हस्तांतरित राशि ii) वर्ष के दौरान योग्य व्यवसाय से आय का 20 प्रतिशत अथवा iii) गत वर्ष के पहले दिन से विशेष रिजर्व लेखा के बकाया से कम प्रदत्त पूंजी के 200 प्रतिशत होनी चाहिए।

3.3.4.3 प्रधान सीआईटी-2 मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 22,210.40 करोड़ की आय नियत कर मार्च 2015 में **मैसर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया** का संवीक्षा निर्धारण को पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि ₹ 750 करोड़ पूर्व वर्ष के दौरान धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष रिजर्व को अंतरित किया गया था। तथापि एओ ने इस आधार पर निर्धारिती द्वारा किया गए दावे के अनुसार ₹ 833.68 करोड़ की कटौती अनुमत की थी कि अधिनियम में कोई भी ऐसा प्रावधान स्पष्ट नहीं था जो यह बताये कि रिजर्व संबंधित वित्तीय वर्ष के लाभ हानि लेखा को डेबिट से किया जाना चाहिए। यह सही नहीं है क्योंकि अधिनियम धारा 36(1)(viii) के प्रयोजनार्थ सृजित विशेष रिजर्व लेखा को पूर्व वर्ष के दौरान अन्तरित राशि तक कटौती की राशि को सीमित करने के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान करता है। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 27.14 करोड़ के कम उद्ग्रहण वाली ₹ 83.68 करोड़⁷⁵ की कटौती की अधिक अनुमति हुई। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2017) था।

आयकर अधिनियम की धारा 41(1) में प्रावधान है कि जहाँ निर्धारिती द्वारा घोषित नुकसान के संबंध में किसी वर्ष के निर्धारण में मोक अथवा कटौती की गई है तथा इसके पश्चात यह राशि किसी पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त होती है तब वसूल की गई आय को प्रमार्य लाभ के रूप में माना जाना चाहिए।

3.3.4.4 सीआईटी जयपुर-2 प्रभार, राजस्थान में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1,407.74 करोड़ की आय नियत कर फरवरी 2015 में **स्टेट बैंक बीकानेर एण्ड जयपुर** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने कर योग्य आय से 'बट्टे खाते में वसूली' के रूप में ₹ 37.61 करोड़ की कटौती का दावा किया जो अनुमत की गई थी। यह उक्त प्रावधानों के अनुसार अनुमेय नहीं थी तथा कर योग्य थी। चूक के परिणाम

75 ₹83.68 करोड़ = ₹833.68 करोड़ - ₹750 करोड़

स्वरूप ब्याज सहित ₹ 15.01 के कर के कम उद्ग्रहण वाली ₹ 37.61 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ था। आईटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (फरवरी 2017) था।

आयकर अधिनियम की धारा 37 के अनुसार, कोई व्यय पूंजीगत व्यय अथवा वैयक्तिक व्यय की प्रकृति में होने पर व्यापार अथवा व्यवसाय के लाभ एवं अभिलाभ शीर्ष के तहत प्रभारित आय को परिकलित करने में अनुमत नहीं किया जाएगा। बम्बई उच्च न्यायालय ने सीबा इंडिया लि. बनाम सीआईटी के मामले में माना कि जहाँ निर्धारिती ने अतिरिक्त फार्मसूटिकल सामान विनिर्माण के लिए नया प्लांट स्थापित किया था वहाँ यात्रा व्यय, स्टॉफ के प्रशिक्षण व्यय आदि पूंजीगत व्यय की प्रकृति में थे।

3.3.4.5 सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए ₹1,779.04 करोड़ की हानि नियत कर जनवरी 2014 में **मैसर्स टाटा मोटर्स लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने 'नैनो प्रोजेक्ट' के संबंध में वेतन, स्टॉफ कल्याण व्यय, यात्रा तथा वाहन, होटल व्यय आदि के प्रति ₹ 43.83 करोड़ के कुल व्यय का दावा किया था, जिसे लेखा बहियों में पूंजीकृत किया गया था। तथापि उसी राशि का दावा किया गया था जिसे आय के संगणन में आयकर के प्रयोजनार्थ राजस्व व्यय के रूप में अनुमत किया गया था। क्योंकि सिंगूर में 'नैनो प्रोजेक्ट' पूर्णतया एक नया प्रोजेक्ट था तथा न कि किसी विद्यमान के विस्तार रूप में, इसलिए व्यय पूंजीकृत किया जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 14.90 करोड़ के प्रभावी संभाव्य कर वाली ₹ 43.83 करोड़ की आय का अव-निर्धारण हुआ। आईटीडी ने धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के तहत उपचारी कार्रवाई (जुलाई 2016) की।

3.3.4.6 प्रधान सीआईटी-1, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारण वर्ष (नि.व.) 2013-14 के लिए विभिन्न व्ययों की अस्वीकृति के बाद ₹ 282.14 करोड़ की हानि नियत कर मार्च 2016 में **मैसर्स हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एचपीसीएल)** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती मैट के प्रावधान के तहत ₹ 1,322.72 करोड़ के अंकित लाभ पर कर का दायी योग्य था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने वर्तमान निवेश की बिक्री पर हानि के कारण लाभ एवं हानि लेखा का ₹ 35.53 करोड़ डेबिट किया था जो व्यवसायिक व्यय के रूप में अनुमत किया गया था। यह भी पता चला कि ये निवेश सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निम्न लागत पर उत्पादों की बिक्री के कारण हानि को पूरा करने के लिए पूर्व वर्षों में निर्धारिती को भारत सरकार द्वारा जारी बॉण्ड्स के रूप में थे। चूंकि ऐसे बॉण्ड की बिक्री/परिशोधन प्रकृति में पूंजीकृत था, इसलिए इसे उपरोक्त उल्लेखित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अस्वीकृत करना अपेक्षित था। निर्धारण वर्ष

2006-2007 तथा 2007-08 के लिए मैसर्स एचपीसीएल के इसी प्रकार के मामलों में, विभाग ने ऑयल बांडस की बिक्री पर लाभ/हानि को पूंजीगत अभिलाभ हानि के रूप में माना था तथा निर्धारण वर्ष 2006-07 में सीआईटी(अपील) द्वारा समर्थित था। पूंजीगत व्यय की गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 11.53 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण शामिल करते हुए 35.53 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति टिप्पणियों को स्वीकार किया तथा बताया कि अधिनियम की धारा 263 के तहत उपचरी कार्रवाई की गई है।*

एक उपार्जित अथवा ज्ञात देयता के लिए केवल लेखाओं में किया गया अनंतिम प्रावधान एक स्वीकार्य कटौती है।

3.3.4.7 प्रधान सीआईटी-1, बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2011-12 के लिए जनवरी 2014 में ₹ 269.90 करोड़ के व्यवसायिक नुकसान तथा ₹ 17.90 करोड़ के अनावशोषित मूल्यहास के अग्रनयन के समायोजन के बाद 'शून्य' आय नियत कर **मैसर्स गुजरात स्टेट इलैक्ट्रिक कार्पोरेशन लि.** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने 374एमडब्ल्यू उत्तरान गैर आधारित पॉवर प्लांट के अनुरक्षण के लिए दीर्घकालिक सेवा संविदा करार के प्रति प्रावधान के रूप में ₹ 31.68 करोड़ का दावा किया था जिसे अनुमत किया गया था। चूंकि व्यय केवल एक प्रावधान था तथा न कि सुनिश्चित देयता, इसलिए इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था तथा वापस निर्धारिती की आय में जोड़ा जाना चाहिए था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 10.52 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली ₹31.68 करोड़ की आय का अव-निर्धारण हुआ था। *आईटीडी ने दिसंबर 2016 में धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अन्तर्गत आदेश पारित कर उपचारी कार्रवाई की।*

यह न्यायिक रूप से निर्णीत⁶ किया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देश आयकर अधिनियम के सांविधिक प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकते हैं।

3.3.4.8 प्रधान सीआईटी-2 चेन्नई प्रभार, तमिलनाडू में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 2,801.94 करोड़ की आय नियत कर मार्च 2016 में मैसर्स इंडियन बैंक का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया था। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने बैंकों द्वारा निवेश पोर्टफोलियों के 'वर्गीकरण मूल्यांकन और प्रचालन सूची के प्रचालन' के लिए विवेकपूर्ण मानदंड, पर

76 मैसर्स तमिनाडू पॉवर फाईनेंस एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर डिविलोपमेंट कार्पोरेशन लि. बनाम जेसीआईटी (280 आईटीआर 491 मद्रास उच्च न्यायालय)

आरबीआई के मास्टर परिपत्र के अनुसार परिपक्वता के लिए धारित (एचटीएम) श्रेणी के तहत धारित निवेश पर ₹31.90 करोड़ के प्रीमियम के परिशोधन का दावा किया था जिसे अनुमत किया गया था तथा उसे 'निवेशों पर आय' से एक कटौती के रूप में प्रतिबिंबित किया गया था। क्योंकि एचटीएम श्रेणी के तहत वर्गीकृत निवेशों को स्टॉक-इन-ट्रेड के रूप में माना नहीं किया गया था तथा जो पूंजीकृत प्रकृति के थे इसलिए एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत धारित निवेशों पर प्रीमियम के परिशोधन का दावा आयकर अधिनियम के तहत अनुमत नहीं था। इसे अस्वीकृत करने में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 10.35 करोड़ के कर की कम वसूली वाले ₹ 31.90 करोड़ के व्यय की गलत अनुमति हुई। आटीडी का उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2017) था।

3.3.4.9 प्रधान सीआईटी, भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 15.67 करोड़ की आय निर्धारित करने में मार्च 2016 में **मैसर्स** ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लि. का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा में पता चला कि निर्धारिती ने कर लेखापरीक्षक द्वारा प्रमाणीकरण के बावजूद पेंशन निधि के प्रति उपरोक्त देयता में से ₹ 77.01 करोड़ की कटौती का दावा किया था जो अनुमत की गई थी, ₹ 49.15 करोड़ की राशि का 2012-13 में भुगतान किया गया था तथा ₹ 27.86 करोड़ जिसका भुगतान नहीं किया गया था, को आयकर अधिनियम की धारा 43बी के तहत अनुमति अपेक्षित नहीं थी। गलत अनुमति के परिणामस्वरूप ₹ 9.04 करोड़ के संभावित कर प्रभाव वाली ₹ 27.86 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति (फरवरी 2017) को स्वीकार किया तथा अधिनियम की धारा 147 के तहत पुनः निर्धारण के लिए उपचारी कार्रवाई आरम्भ की।*

3.4 चूकों के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय

3.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से वास्तव में प्राप्त अथवा व्युत्पन्न अथवा प्राप्त अथवा उपचित हुई सभी आय शामिल होगी। हमने देखा कि एओ ने कुल आय निर्धारित नहीं की/कम आय निर्धारित की जिसे कर के लिए प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था। तालिका 3.5 उन उप श्रेणियों को दर्शाती है जिनके परिणामस्वरूप निर्धारणों से आय बच गई।

तालिका 3.5: चूक के कारण निर्धारणों से बचने वाली आय के तहत गलतियों की उप-श्रेणियाँ			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियाँ	संख्या	कर प्रभाव	राज्य
क. विशेष प्रावधानों के तहत कम निर्धारित/निर्धारित नहीं की गई आय	1	2.06	महाराष्ट्र
ख. सामान्य प्रावधानों के तहत कम निर्धारित/निर्धारित नहीं की गई आय	14	136.71	आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडू तथा पश्चिम बंगाल
ग. पूंजीगत अभिलाभों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	4	7.60	गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा तमिलनाडू
घ. आर्म्स लेंथ प्राइस का गलत अनुमान	8	43.68	आन्ध्र प्रदेश तथा तेलंगाना, दिल्ली, महाराष्ट्र एवं पं. बंगाल.
ङ. अघोषित निवेश/नकद क्रेडिट	4	799.78	गुजरात, महाराष्ट्र तथा पं बंगाल
कुल	31	989.83	

3.4.2 विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं की गई/कम निर्धारित आय

हम ऐसे एक मामला सोदाहरण नीचे देते हैं:

अधिनियम की धारा 115 जेबी अंकित लाभ की निर्धारित प्रतिशतता पर न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है यदि सामान्य प्रावधानों के तहत परिकल्पित कुल आय पर देय आयकर मैट से कम है। धारा 115जेबी के तहत स्पष्टीकरण 1 के अनुसार, अंकित लाभ से अभिप्राय निश्चित वृद्धियों/कमी के अध्यक्षीन सुसंगत पूर्व वर्ष के लाभ एवं हानि लेखा में दर्शाये गए निवल लाभ से है। इसके अतिरिक्त वित्त अधिनियम 2011 के अनुसार, धारा 115 जेबी के स्पष्टीकरण 1 के नीचे यथा परिभाषित अंकित लाभ को उसके उप खण्ड (iv), (v) तथा (vi) में यथा निर्दिष्ट उस पर गणना के रूप में धाराओं 80एचएचसी, 80एचएचई तथा 80 एचएचएफ के संबंध में किसी कटौती को अप्रैल 2005 से पूर्वव्यापी प्रभाव से निकालने के लिए संशोधित किया गया है।

3.4.2.1 प्रधान सीआईटी-15, मुम्बई प्रभार, महाराष्ट्र में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए उपलब्ध आय की सीमा तक अग्रेनीत अनावशोषित मूल्यहास का समायोजन अनुमत करने के बाद शून्य आय पर अप्रैल 2014 में मैसर्स वानबरि लि. का संवीक्षा निर्धारण को पूरा किया तथा न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के विशेष प्रावधानों के तहत कर की गणना की। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने धारा 80एचएचसी (1बी) के तहत ₹ 12.11 करोड़ की कटौती का दावा किया जो अनुमत की गई थी परन्तु वह सही नहीं था। उपरोक्त संशोधन को ध्यान को रखते हुए, एओ को कटौती अनुमत नहीं करनी चाहिए थी। उसे वापिस जोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा करने की चूक के

परिणामस्वरूप चूक ₹ 2.06 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण वाले उतने अंकित लाभ का अवनिर्धारण हुआ। आईटीडी से उत्तर प्रतीक्षित (जुलाई 2017) था।

3.4.3 सामान्य प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित नहीं की गई/कम निर्धारित आय हमने ऐसे छः सोदाहरण मामले नीचे दिए हैं:

अधिनियम की धारा 115 बीबीडी के अनुसार, जहाँ एक निर्धारिती की कुल आय में एक भारतीय कम्पनी होने पर, एक निर्दिष्ट विदेशी कम्पनी द्वारा घोषित, वितरित अथवा प्रदत्त लाभांश से आय शामिल होती है, वहाँ देय आयकर पंद्रह प्रतिशत की दर पर ऐसे लाभांश से आय पर परिकल्पित आयकर-कर की कुल राशि होगा तथा आयकर की राशि जो निर्धारिती से प्रभार्य होगी, लाभांश के रूप में उपरोक्त आय तक उसकी कुल आय से कम की जाएगी। इसके अतिरिक्त, एक संवीक्षा निर्धारण में, एओ को निर्धारिती के कुल लाभ अथवा हानि का सही निर्धारण करना तथा ऐसे निर्धारण के आधार पर उसके द्वारा देय अथवा प्रतिदेय उचित राशि निर्धारित करना अपेक्षित है।

3.4.3.1 प्रधान सीआईटी -4 प्रभार, दिल्ली में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1,141.18 की आय तथा उस पर ₹ 343.28 करोड़ का कर निर्धारित कर फरवरी 2016 में मैसर्स इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाईनेंस लि. का संवीक्षा निर्धारण को पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारण पूरा करने के दौरान, एओ ने निर्धारिती की आय में इस तथ्य के बावजूद ₹ 166.28 करोड़ की लाभांश आय⁷⁷ को नहीं जोड़ा था कि निर्धारिती ने अपनी रिटर्न में स्वयं उपरोक्त आय पर पंद्रह प्रतिशत की दर पर कर की पेशकश की थी। इसके अतिरिक्त, ₹ 370.25 करोड़ की ठीक ढंग से उद्ग्रहण राशि के बजाय, ₹ 1,141.18 करोड़ की निर्धारित आय पर कर ₹ 343.28 करोड़ लगाया गया था। इन चूकों के परिणामस्वरूप ₹ 53.95 करोड़ की कम उद्ग्रहण वाली ₹ 166.28 करोड़ की आय का अव-निर्धारण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (जुलाई 2017) तथा धारा 154 के तहत गलती में सुधार (फरवरी 2017) किया।

अधिनियम की धारा 5 में प्रावधान है कि किसी पूर्व वर्ष के लिए एक व्यक्ति की कुल आय किसी भी स्रोत से प्राप्त सभी आय कुल आय में शामिल की जाएगी जो ऐसे पूर्व वर्ष के दौरान प्राप्त होती है या प्राप्त हुई मानी जाती है अथवा जो उपचित होती है अथवा उपचित हुई मानी जाती है जब तक अधिनियम के प्रावधानों के तहत उसे विशेष रूप से छूट प्राप्त न हो।

3.4.3.2 प्रधान सीआईटी-1 भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में, एओ ने निर्धारण वर्ष 2012-13 के लिए ₹ 108.95 करोड़ हानि निर्धारित कर मार्च 2015 में

77 अधिनियम की धारा 155बीबीडी के तहत इस आय पर 15 प्रतिशत की दर पर कर प्रभारित था।

मैसर्स नोर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कम्पनी ऑफ ओडिशा (एनईएससीओ) का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। लेखापरीक्षा जांच में पता चला कि निर्धारिती ने “ओईआरसी द्वारा भावी टैरिफ निर्धारणों से वसूल की जाने वाली आय” के प्रति अपने लाभ एवं हानि लेखा में ₹ 79.32 करोड़ क्रेडिट किया। तथापि आय की संगणना में इसे “ओईआरसी द्वारा भावी टैरिफ निर्धारणों के प्रति नियामक मामलों से आय” के रूप में कम किया गया था। चूंकि अधिनियम ऐसी आय की कटौती अथवा छूट का प्रावधान नहीं करता है और चूंकि यह आय भविष्य में प्राप्य थी इसलिए छूट के रूप में इस आय की अनुमति सही नहीं थी। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 79.32 करोड़ की आय का अवनिर्धारण हुआ जिसमें 25.73 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। *आइटीडी ने आपत्ति स्वीकार करली और उपचारी कार्रवाई आरम्भ कर दी (फरवरी 2017)।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 28 (iiiबी) के अंतर्गत, भारत सरकार की किसी भी योजना के अंतर्गत निर्यात के प्रति किसी भी व्यक्ति को प्राप्त या प्राप्त होने वाली नकद सहायता (चाहे किसी भी रूप में हो) व्यापार या व्यवसाय के लाभ तथा अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत आयकर को प्रभाय होगी।

3.4.3.3, प्र. सीआईटी-2, मुंबई प्रभार महाराष्ट्र में निर्धारण अधिकारी ने नि.व 2011-12 के लिए मार्च 2014 में मै. नहावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि. का संवीक्षा निर्धारण धारा 115 जेबी के विशेष प्रावधानों के अंतर्गत आगामी नि.व. में ₹ 13.60 करोड़ के टैक्स क्रेडिट के अग्रनयन को अनुमत करते हुए पूर्ण किया। निर्धारिती कंपनी ने सर्वड फ्रॉम इंडिया स्कीम (एसएफआईएस) के अंतर्गत अपनी निर्यात आय पर अर्जित ₹ 4.90 करोड़ का ड्यूटी स्ट्रिप⁷⁸ लाभ और हानि लेखा में क्रेडिट किया था और उसका उपयोग पूंजीगत वस्तुओं और कलपुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क के भुगतान के लिए किया। निर्धारण आदेश को अंतिम रूप देते समय, एओ ने ड्यूटी स्ट्रिप को पूंजीगत प्राप्ति माना और उसे निर्धारिती द्वारा दावा की गई कराधान योग्य आय में से घटा दिया। अधिनियम की धारा 28 (iiiबी) के प्रावधानों के अनुसार ₹ 4.90 करोड़ का ड्यूटी स्ट्रिप पर से राजस्व प्राप्ति के रूप में मानते हुए कर लगाना चाहिए था। ऐसा करने से विशेष प्रावधानों के अंतर्गत कर देयता ₹ 13.65 करोड़ बनती थी जिससे सामान्य प्रावधानों के अनुसार परिकल्पित ₹ 13.60 करोड़ की कर देयता बढ़ जाती। इस गलती के

78 शुल्क स्त्रीप वह स्कीप है जो महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा जारी की जाती है और सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर के भुगतान के लिए प्रयोग की जा सकती है। ये स्त्रीप विदेश व्यापार नीति में वर्णित विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वस्तुओं के निर्मातको के साथ-साथ सेवा के निर्यातकों को भी जारी की जाती है।

परिणामस्वरूप ₹ 13.65 करोड़ का कर कम लगाया गया जिसमें ₹ 13.60 करोड़ के मैट क्रेडिट का अनियमित अग्रोनयन भी शामिल है। आयकर विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (फरवरी 2017) तथा दिसम्बर 2016 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत उपचारी कार्रवाई की।

3.4.3.4 सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)-1 दिल्ली में निर्धारण अधिकारी ने नि.व 2011-12 के लिए नवम्बर 2014 में अधिनियम की धारा 144सी(13) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत मै. अमाडियस आईटी ग्रुप एसए का संवीक्षा निर्धारण ₹ 305.16 करोड़ की आय और उस पर ₹ 128.87 करोड़ के कर का निर्धारण करके पूर्ण किया। निर्धारण आदेश में, कर योग्य आय की गणना दो प्रकार से की गई उदाहरणार्थ स्थायी स्थापना (पीई) पर उदग्रहाय लाभ के रूप में ₹ 305.16 करोड़ की राशि (42.23 प्रतिशत की दर से कर योग्य) तथा भारत से होने वाली बुकिंग के संबंध में सकल बुकिंग राजस्व के रूप में ₹ 79.37 करोड़ (10 प्रतिशत की दर पर कर योग्य)। चूंकि कर देयता पीई को उदग्रहाय लाभों के संबंध में अधिक थी इसलिए कर योग्य आय ₹ 305.16 करोड़ निर्धारित की गई थी। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि ₹ 7.66 करोड़ (₹ 63.8429 की दर से 12,000,000 यूरो) की आय ब्रिटिश एयरवेज़ द्वारा अल्टिया सिस्टम के प्रयोग से राजस्व के रूप में कर योग्य आय में शामिल की जानी अपेक्षित थी तथा 10 प्रतिशत की दर से कर लगाया जाना चाहिए था। तथापि, यह राशि न तो पीई पर उदग्रहाय लाभों में शामिल की गई और ना ही इस पर कोई कर लगाया गया। इस भूल के परिणामस्वरूप ₹ 76.61 करोड़ की आय का अल्प निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित ₹ 11.03 करोड़ का कम उदग्रहण शामिल था। आयकर विभाग ने अधिनियम की धारा 154 के अंतर्गत भूल सुधारी (6 जनवरी 2016)।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115 ओ किसी देशी कंपनी द्वारा लाभांश के रूप में घोषित, वितरित या भुगतान की गई किसी भी राशि पर कर का प्रावधान करती है। अधिनियम की धारा 2(22)(डी) के अंतर्गत एक कंपनी के द्वारा उसकी पूंजी में हास होने पर उसे शेयर धारकों को किया गया कोई भी वितरण लाभांश कहलाता है, जिसमें कंपनी के पास संचित लाभ हो चाहे वे संचित लाभ पूंजीकृत किये गये हो या नहीं, लेकिन कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77ए के प्रावधानों के अनुसार शेयर धारक से अपने शेयरों की खरीद पर कंपनी द्वारा किया गया भुगतान इसमें शामिल नहीं होता है।

3.4.3.5 सीआईटी-4, चेन्नई प्रभार तमिलनाडू में, निर्धारण अधिकारी ने नि.व 2012-13 के लिए मार्च 2015 में ₹ 58.03 लाख की कुल हानि पर मै. मायाजाल एंटरटेन्मेंट लिमि. का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। कंपनी ने

मै. पेंटामीडिया ग्राफिक्स प्रा. लिमि. से निपटान के अन्तर्गत निर्धारिती कंपनी में 48.71 प्रतिशत के शेयर अपने पास रखकर, ₹ 59.07 करोड़ के प्रीमियम का भुगतान कर ₹ 10 के इक्विटी शेयर ₹ 45 प्रति शेयर के मूल्य पर 1,68,77,800 शेयर वापस खरीदे। ₹ 59.07 करोड़ के प्रीमियम राशि में से, निर्धारिती ने ₹ 39.89 करोड़ के सिक्यूरिटी प्रीमियम अकाउंट के प्रति और शेष ₹ 19.18 करोड़ लाभ और हानि लेखा के अनुसार अधिशेष के प्रति अधिनियम की धारा 2(22)(डी) के अंतर्गत मै. पेंटामीडिया ग्राफिक्स प्रा. लिमि. के लाभ के वितरण के प्रति समायोजित किया। चूंकि शेयरों की वापस खरीद कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 77ए के प्रावधानों के अंतर्गत आती नहीं थी, इसलिए धारा 115-ओ के अंतर्गत लाभांश वितरण पर कर देय था। इस चूक के परिणामस्वरूप धारा 115पी के अंतर्गत उस पर लगाये जाने वाले कर को छोड़कर ₹ 3.19 करोड़ का लाभांश वितरण कर नहीं लगाया गया। आयकर विभाग से उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2017)।

3.4.3.6 प्र. सीआईटी (केन्द्रीय)-8(3), मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने मार्च 2015 में नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 14.10 करोड़ की कुल हानि पर मै. लोखंडवाला कटारिया कंसल्टिंग प्रा. लिमि. का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। प्रॉपर्टी डवलपमेंट के व्यवसाय में संलग्न निर्धारिती ने नि.व. 2012-13 के संबंध में, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी वर्ष के दौरान ₹ 323.09 करोड़ के ओपनिंग डब्ल्यूआईपी अर्थात् नि.व. 2012-13 के क्लोजिंग वर्क-इन-प्रोग्रेस (डब्ल्यूआईपी) में ₹ 224.68 करोड़ के व्यय को जोड़कर ₹ 547.77 करोड़ दर्शाया। निर्धारण अधिकारी ने पिछले निर्धारण वर्ष 2012-13 के क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी को उस वर्ष की निर्धारण कार्रवाई में निर्धारिती द्वारा दावा किए गये ₹ 323.09 करोड़ के प्रति ₹ 313.40 करोड़ तक सीमित कर दिया। इस प्रकार निर्धारण में यथा अनुमत वर्ष के दौरान किए गए ₹ 224.68 करोड़ के व्यय को जोड़ने के पश्चात ₹ 547.77 करोड़ के स्थान पर वर्तमान नि.व. 2013-14 के संबंध में सही क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की गणना ₹ 538.08 करोड़ की गई। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी की सही राशि की गणना में चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.69 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 3.15 करोड़ का संभाव्य कर प्रभाव शामिल था। आयकर विभाग ने इस आपत्ति को स्वीकार (मार्च 2017) किया, लेकिन इस पर आरंभ की गई सुधार कार्रवाई अभी प्रतीक्षित (जुलाई 2017) है।

3.4.4 पूंजीगत लाभों की गलत गणना/वर्गीकरण

हमने तीन सोदाहरण मामले नीचे प्रस्तुत किए हैं:

धारा 50 यह प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती अपनी परिसंपत्तियाँ बेचकर परिसंपत्तियों का समूह (भवन, मशीनरी आदि) का निर्माण करता है, जिन पर आयकर अधिनियम के अंतर्गत मूल्यहास अनुमत है, तो ऐसी पूंजीगत परिसंपत्तियों से अर्जित आय (अर्थात् डब्ल्यूडीपी तथा सेल्स कंसीडरेशन में अंतर) को अल्पकालिक पूंजीगत लाभ के रूप में माना जाएगा।

3.4.4.1 प्र.सीआईटी, वलसाड प्रभार, गुजरात में, नि.अ. ने नि.व. 2012-13 के लिए जनवरी 2015 में **मै. अवि ग्लोबल प्लास्ट प्राइवेट लिमि.** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 1.29 करोड़ की कुल आय निर्धारित कर पूर्ण किया। निर्धारिती ने फैक्टरी इमारत बेचकर ₹10.43 करोड़ का लाभ अर्जित किया। इस प्रकार प्राप्त अभिलाभ का दावा 'फैक्टरी इमारत' ब्लॉक के आधार पर कर गैर-करयोग्य आय के रूप में किया जो कि 31.03.2012 तक सकारात्मक रहा। निर्धारिती ने 'फैक्टरी इमारत' ब्लॉक के अंतर्गत जनवरी 2012 में ₹11.03 करोड़ का एक नया भवन खरीदा दर्शाया। तथापि, इस प्रकार के किसी भवन की खरीद नहीं हुई क्योंकि निर्धारिती ने जिस भवन खरीदने का समझौता किया था वह निर्माणाधीन था। इस प्रकार, खरीदा हुआ दर्शाया गया भवन परिसंपत्ति ब्लॉक का भाग नहीं था और इसलिए ₹ 10.43 करोड़ की राशि पर अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ (एसटीसीजी) के रूप में कर लगाया जाना था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 10.43 करोड़ के एसटीसीजी का अल्प निर्धारण हुआ जिसमें ब्याज सहित 4.53 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आयकर विभाग ने सूचित किया (जून 2017) कि सुधार कार्रवाई आरंभ की जा रही थी। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार कर लिया है (सितम्बर 2017)।*

आयकर अधिनियम की धारा 45(1) यह प्रावधान करती है कि पूर्व वर्ष में हुए पूंजीगत परिसंपत्तियों के अंतरण से अर्जित किसी लाभ या मुनाफे पर "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के अंतर्गत आयकर देय होगा, और इसे उस पूर्व वर्ष की आय माना जाएगा जिस पूर्व वर्ष में यह अंतरित हुआ है।

3.4.4.2 प्र.सीआईटी-10, मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने नि.व. 2012-13 के लिए मार्च 2015 में **मै. एनवी डवलेपर्स प्रा. लि.** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 9.01 करोड़ की आय निर्धारित करके पूर्ण किया। निर्धारिती 'जी-कॉर्प टेकपार्क' के परिचालन और रखरखाव में सलंगन था तथा अपनी किराये की आय 'व्यापार या व्यवसाय से लाभ और अभिलाभ' शीर्ष में दर्शाता था। निर्धारण पूर्ण करते समय निर्धारण अधिकारी ने किराये की आय को 'गृह संपत्ति से प्राप्त आय' माना और मूल्यहास तथा अन्य व्यय को अननुमत कर दिया। इसके अतिरिक्त विचाराधीन वर्ष के अंतर्गत, निर्धारिती ने अगस्त 2011 में टेक पार्क की पांचवी मंजिल (15 मंजिलों में से) पर एक फ्लैट बेचा और इस बिक्री से लाभ होने पर ₹ 3.53 करोड़ को 'असाधारण मद' शीर्ष के अंतर्गत लाभ और हानि लेखा में

क्रेडिट कर दिया। चूंकि इन फ्लैटों से प्राप्त आय को लेखाअधिकारी ने 'गृह संपत्ति से प्राप्त आय' माना था, तो ऐसी बिक्री से होने वाला कोई भी अभिलाभ, व्यापार से मुनाफे की जगह 'पूंजीगत लाभ' के रूप में कर योग्य होगा। इसके अतिरिक्त, निर्धारिती ने फ्लैट तीन वर्ष से कम अवधि के लिए रखा था (अप्रैल 2010 से अगस्त 2011)। इसलिए, लाभ "अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभ" के रूप में कर योग्य होगा। एसटीएसजी के रूप में कर की चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.15 करोड़ के कर प्रभाव वाले ₹ 3.53 करोड़ के पूंजीगत अभिलाभ का कम निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार कर लिया (सितम्बर 2017) और कहा कि धारा 147 के अंतर्गत ठीक समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी।*

3.4.4.3 सीआईटी अजमेर प्रभार राजस्थान, में नि.अ. ने नि.व. 2013-14 के लिए **मै. शारदा स्पनटैक्स प्राइवेट लि.** का संवीक्षा निर्धारण मार्च 2016 में अल्पकालिक पूंजीगत लाभ (एसटीसीजी) ₹ 2.48 करोड़ की अग्रणीत व्यापार हानि और ₹ 1.38 करोड़ के अनावशोषित मूल्यह्रास सहित समंजित करके ₹ 0.98 करोड़ की आय निर्धारित करके पूर्ण किया। निर्धारिती की कर योग्य आय का निर्धारण करते हुए, नि.अ. ने एसटीसीजी से ₹ 2.48 करोड़ की अग्रणीत हानि को समंजित करना अनुमत किया, जो कि उपरोक्त प्रावधानों के अनुसार अनियमित था। इस चूक के परिणामस्वरूप, ₹ 2.48 करोड़ के अल्पकालिक पूंजीगत अभिलाभों की कम-गणना हुई जिसमें ब्याज सहित ₹ 1.11 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण शामिल था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार कर लिया (अक्टूबर 2017) तथा धारा 154 के अंतर्गत आदेश पारित करते हुए गलती में सुधार किया (जनवरी 2017)।*

3.4.5 आर्मस् लेंथ प्राइस का गलत अनुमान

हमने चार सोदाहरण मामले नीचे दिए हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92 सी के अंतर्गत आर्मस् लेंथ प्राइस (एएलपी) की गणना, ट्रांसफर प्राइसिंग अधिकारी (टीपीओ) को भेजी जानी चाहिए, यदि धारा 92बी के अंतर्गत यथा परिभाषित किसी अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की कीमत ₹ 15 करोड़ से अधिक होती है। टीपीओ निर्धारिती की सुनवाई के बाद और किन्हीं विशिष्ट बिंदुओं पर आवश्यक उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर विचार करके और उसने जो सामग्री एकत्रित की है, उस पर ध्यान देकर, धारा 92सी(3) के प्रावधानों के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में एएलपी निर्धारित करने का लिखित आदेश देगा और अपने आदेश की एक-एक प्रति नि.अ. और निर्धारिती को भेजेगा।

3.4.5.1 प्र.सीआईटी (टीपी)-1 मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने नि.व. 2013-14 के लिए नवम्बर 2016 में **मै. एसीसी सिमेंट** का अंतरण कीमत निर्धारण ₹ 503.48 करोड़ पर आर्मस लेंथ प्राइस (एएलपी) समायोजन

निर्धारित कर पूर्ण किया। विद्युत की अंतर-युनिट अंतरण की एएलपी निर्धारित करते समय, विभिन्न स्थानों पर निर्धारिती का बिक्री मूल्य संशोधित किया गया था तथा ₹ 428.81 करोड़ का एएलपी समायोजन अंतरण कीमत आदेश के पैरा 33 द्वारा प्रस्तावित किया गया था। संशोधित बिक्री मूल्य की प्रक्रिया और उसपर समायोजन के अनुसार, 'जामूल' स्थान के संबंध में समायोजन की गणना करते समय मूल्य ₹ 47.55 करोड़ के स्थान पर भूलवश ₹ 4.75 करोड़ लिया गया था। इस भूल के परिणामस्वरूप ₹ 13.89 करोड़ के कर प्रभाव वाले 42.80 करोड़ के एएलपी का कम समायोजन हुआ। आयकर विभाग ने जनवरी 2017 में धारा 154 के साथ पठित धारा सीए(5)⁷⁹ के अंतर्गत आदेश पारित कर इस भूल को सुधार लिया है। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा स्वीकार किया (दिसम्बर 2017) तथा गलती में सुधार किया।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 92सी(1) में प्रावधान है कि अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन के संबंध में आर्मस् लेंथ प्राईस (एएलपी) किसी भी विधि, जो कि सबसे उचित विधि हो, लेन-देन की प्रकृति या लेन-देन की श्रेणी या जुड़े व्यक्तियों की श्रेणी या ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्यों या बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य प्रसंगोचित खंड द्वारा निर्धारित होगी। विनिर्दिष्ट विधि (क) तुलनीय अनियंत्रित मूल्य विधि, (ख) पुनर्बिक्री मूल्य विधि, (ग) कॉस्ट प्लस विधि, (घ) प्रोफिट स्प्लिट विधि, (ङ.) लेन-देन निवल मार्जिन विधि तथा (च) बोर्ड द्वारा निर्धारित कोई अन्य विधि, में से कोई भी हो सकती है।

3.4.5.2 सीआईटी (टीपी) पुणे प्रभार महाराष्ट्र में, टीपीओ ने नि.व. 2013-14 के लिए अक्टूबर 2016 में **मै. वोक्सवागन इंडिया प्रा. लि.** पर कॉस्ट प्लस विधि (सीपीएन) लागू कर के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन मूल्य ₹ 1,110.42 करोड़ का समायोजन निर्धारित कर आदेश पारित किया। सर्वाधिक उपयुक्त विधि (एमएमएम) के रूप में ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन विधि (टीएनएमएम) लागू करके ₹ 881.53 करोड़ का वैकल्पिक समायोजन भी किया गया था। एमएमएम के रूप में टीएनएमएम के साथ वैकल्पिक बेंचमार्किंग करने के दौरान, आयकर विभाग द्वारा निर्धारिती का लाभ स्तर सूचक (पीएलआई) (-) 13.74 प्रतिशत निर्धारित किया गया जबकि कंपेरेबल्स केपीएलआई की गणना 1.81 प्रतिशत की गई। इस पर विचार करते हुए निर्धारिती के मामले में (-) ₹ 811.84 करोड़ के वास्तविक परिचालन लाभ के प्रति निर्धारिती का आर्मस् लेंथ परिचालन लाभ ₹ 106.90 करोड़ (परिचालन राजस्व के रूप में ₹ 5,906.27 करोड़ का 1.81 प्रतिशत) होना चाहिए। इस प्रकार, इस शीर्ष के अंतर्गत कुल समायोजन ₹ 918.74 करोड़ प्रस्तावित किया जाना चाहिए था। तथापि, आयकर विभाग द्वारा कंपेरेबल्स का

79 एक अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन में एएलपी की गणना से संबंधित के किसी मामले के टीपीओ संदर्भ के लिए प्रक्रिया आयकर अधिनियम की धारा 92 सीए के अनुसार होती हैं। धारा 92 सीए की उपधारा 5 के अनुसार टीपीओ अपने समक्ष कार्रवाई के दौरान बाद में पहचाने गये अन्य अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन की एएलपी निर्धारित कर सकता है।

पीएलआई सही 1.81 प्रतिशत के स्थान पर 1.18 प्रतिशत माना था। परिणामतः, अधिनियम की धारा 92 सीए(3) के प्रावधानों के अंतर्गत केवल ₹ 881.53 करोड़ का एएलपी समायोजन अनुमत करने के पश्चात आर्मस लेंथ प्रोफिट की अशुद्ध गणना ₹ 69.69 करोड़ (₹ 5,906.27 करोड़ का 1.18 प्रतिशत) की गई। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 37.21 करोड़⁸⁰ का कम समायोजन हुआ जिसमें ₹ 12.07 करोड़ का कर प्रभाव भी शामिल था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2017) तथा अधिनियम की धारा 92सीए(जे) के साथ पठित धारा 154 के अंतर्गत आदेश पारित करके गलती में सुधार किया।

3.4.5.3 सीआईटी एंड टीपी, कोलकाता प्रभार पश्चिम बंगाल में, टीपीओ ने नि.व. 2012-13 के लिए जनवरी 2016 में धारा 92सीए (3) के अंतर्गत **मै. फिलिप्स इंडिया प्रा. लि.** पर ₹ 371.94 करोड़ के उर्ध्वागामी समायोजन पर आदेश पारित किया जिसे जनवरी 2017 में विवाद निस्तारण पैनल (डीआरपी) के निदेशों को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 92सीए (5) तथा 144 सी(5) के साथ पठित धारा 92सीए(3) के अंतर्गत ₹ 340.21 करोड़ पर संशोधित किया गया था। जनवरी 2017 के अंतिम टीपी आदेश में, लाइटनिंग (वितरण) डिवीजन तथा सीएलएस (वितरण) डिवीजन के लिए एडवरटीज़मेंट मार्केटिंग तथा प्रमोशन (एएमपी) खर्चों के संबंध में उर्ध्वागामी समायोजन ₹ 1.03 करोड़ (लाइटनिंग डिवीजन ₹ 0.02 करोड़ तथा सीएलएस डिवीजन ₹ 1.01 करोड़) की कुल राशि के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा से पता चला कि उर्ध्वागामी समायोजन करते समय टीपीओ ने प्रचालन आय के स्थान पर एएमपी व्यय पर उर्ध्वागामी समायोजन की गणना की। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 21.03 करोड़ (क्रमशः लाइटनिंग के लिए ₹ 2.27 करोड़ तथा सीएलएस के लिए ₹ 18.76 करोड़) का अल्प उर्ध्वागामी समायोजन हुआ जिसमें ₹ 6.82 करोड़ का कर प्रभाव बनता था। आयकर विभाग ने धारा 154 तथा 92सीए(3) के साथ पठित धारा 144 सी(5) के अंतर्गत इस त्रुटि को सुधार लिया (जून 2017)।

3.4.5.4 सीआईटी-1 टीपीओ प्रभार दिल्ली में, टीपीओ ने नवम्बर 2014 में नि.व. 2011-12 के लिए अधिनियम की धारा 92सीए(3) के अंतर्गत **मै. भारती एयरटेल लि.** पर कॉरपोरेशन गारंटी के अंतर्राष्ट्रीय लेन-देन, सहयोगी एंटरप्राइजेज को दिए गये ऋणों पर ब्याज (ईई), प्राप्य राशियों (ईई से प्राप्ति योग्य) तथा शेयरों के मूल्यांकन पर ₹ 227.96 करोड़ के समायोजन पर आदेश पारित किया। टीपीओ ने उसकी तीन अनुषंगी कंपनियों नामतः **मै. भारती एयरटेल (यूएसए) लि.**, **मै. भारती एयरटेल इंटरनेशनल (नीदरलैंड्स)**

80 ₹ 37.21 करोड़ = ₹ 918.74 करोड़ - ₹ 881.53 करोड़

बी.वी तथा मै. भारती एयरटेल (लंका) लि. को दिए ऋणों पर 11.69 प्रतिशत की दर से क्रमशः ₹ 0.19 करोड़, ₹ 17.94 करोड़ तथा ₹ 54.19 करोड़ के ब्याज समायोजन प्रस्तावित किए। तथापि, अंतिम गणना में, ₹ 0.19 करोड़ तथा ₹ 17.94 करोड़ का प्रस्तावित समायोजन शामिल नहीं किया गया था। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 18.13 करोड़ का कम समायोजन हुआ। इसके अतिरिक्त, कंपरेबल अनकंट्रोल्ड प्राईस (सीयूपी) विधि लागू करते समय, पंजाब नेशनल बैंक की वित्तीय गारंटी रेट की दर 3.6 प्रतिशत के स्थान पर 2.7 प्रतिशत (0.9 प्रतिशत प्रति तिमाही दर दी गई थी) ली गई, जिसके कारण ₹ 87.16 लाख का अल्प समायोजन हुआ। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप टीपीओ के आदेश में ₹ 19 करोड़ का अल्प समायोजन हुआ जिसमें ₹ 6.31 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण बनता था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा आयकर विभाग ने धारा 154 के अंतर्गत त्रुटि में सुधार किया (मई 2016)।

3.4.6 अस्पष्ट निवेश/कैश क्रेडिट

हमने एक सोदाहरण मामला नीचे दिया है:

धारा 68 प्रावधान करती है कि यदि निर्धारिती की लेखा बहियों में क्रेडिट हुई किसी भी राशि की प्रकृति और स्रोत के संबंध में निर्धारिती कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता है तो, क्रेडिट राशि को निर्धारिती की आय मानकर उस पर आयकर लगाया जाय। अधिनियम की धारा 281बी के अनुसार, निर्धारण प्रक्रिया के दौरान यदि एओ अपने मतानुसार यह समझता है कि यह राजस्व के हित में है, तो वह प्रधान आयकर आयुक्त से पूर्वानुमति लेकर, अस्थायी रूप से निर्धारिती की संपत्ति की कुर्की कर सकता है। उसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 226(3) के अंतर्गत निर्धारिती के बैंक खाते भी फ्रीज किए जा सकते हैं।

3.4.6.1 प्र.सीआईटी-14, मुंबई प्रभार महाराष्ट्र में, मै. डार्विन प्लैटफॉर्म इंफ्रास्ट्रक्चर लि. नामक एक कंपनी ने नि.व. 2012-13 (सितम्बर 2012) के लिए ₹ 1.16 करोड़ की आय घोषित की। संबंधित वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान असुरक्षित ऋण की बड़ी मात्रा (निर्धारिती द्वारा वर्ष के दौरान ₹ 1,799.78 करोड़ अर्जित किए गये थे) की जांच करने के लिए सीएएसएस के अंतर्गत संवीक्षा के लिए मामले का चयन किया गया। नि.अ. ने अधिनियम की धारा 68 के अंतर्गत वर्ष के अंत में अस्पष्ट आय के रूप में ₹ 1900.79 करोड़ की राशि के समूचे असुरक्षित ऋण के एक प्रतिशत ₹ 19.01 करोड़ का तदर्थ जोड़ करके धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय सर्वोत्तम निर्णय निर्धारण (मार्च 2015) पूर्ण किया।

निर्धारण अभिलेखों के अनुसार, आयकर विभाग ने निर्धारिती को इन ऋणों (असुरक्षित ऋण दाताओं की सूची और उनकी पुष्टियाँ सहित) के संबंध में

विवरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किए (अगस्त 2013, दिसम्बर 2014 तथा मार्च 2015)। तथापि, दो नोटिस दिए जाने के बाद भी, निर्धारिती से इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। ₹ 1,900.79 करोड़ के ऋण लेनदेन शामिल होने के कारण यह महत्वपूर्ण मामला होने पर आयकर विभाग को निर्धारिती के बारे में सभी आवश्यक महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त करनी थी, जैसे निर्धारिती की प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष परिसंपत्तियां आदि तथा राजस्व के हितों की रक्षा करने हेतु संपत्ति संलग्न करना और/या बैंक खाते फ्रीज करने के कदम उठाने थे। आयकर विभाग ने असुरक्षित ऋण की संपूर्ण राशि के स्थान पर असुरक्षित ऋण का एक प्रतिशत इस आधार पर जोड़ा कि ऋण लेनदेन की सत्यता के तीन मापदंड जैसे कि ऋण दाता की पहचान, उनकी साख और प्रमाणिकता सिद्ध नहीं की गई थी। नि.अ. द्वारा निकाला गया निष्कर्ष संतोषजनक नहीं थी। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1,780.77 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 577.77 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण बनता था। इसके अतिरिक्त धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 208 करोड़ का कर भी उद्ग्रह्य था। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार कर लिया (सितम्बर 2017) तथा बताया कि चूंकि निर्धारण एक तरफा था इसलिए, धारा 264 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत कार्रवाई प्रगति पर थी।

3.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

3.5.1 हमने देखा कि आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल में 40 मामलों में नि.अ. ने आय का अधिक निर्धारण किया जिसमें ₹ 446.08 करोड़ के कर और ब्याज का अधिक प्रभार शामिल था। हम पांच सोदाहरण मामले नीचे दे रहे हैं।

3.5.1.1 प्र.सीआईटी-5, मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, नि.अ. ने नि.व. 2008-09 के लिए फरवरी 2015 में संवीक्षा के पश्चात मै. नेशनल एविएशन कंपनी (इंडिया) लि. का निर्धारण पुनः खोला और नि.व. 1997-98 से संबंधित अनावशेषित मूल्यहास के लिए ₹ 39.69 करोड़ की वृद्धि कर अन्य के साथ ₹ 4,679.29 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए, निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारण कंपनी ने ₹ 311.12 करोड़ का अनावशेषित मूल्यहास, जिसमें नि.व. 1997-98 से संबंधित ₹ 39.69 करोड़ भी शामिल था, अग्रेषित किया जो कि मार्च 2012 में पारित सुधारात्मक आदेश के अंतर्गत या दिसम्बर 2010 में विभाग द्वारा पारित पूर्ण संवीक्षा आदेश के समय संमंजित करना अनुमत नहीं किया गया था चूंकि निर्धारिती ने पिछले वर्ष में हानि दर्शायी थी। इस प्रकार, नि.अ. को नि.व. 2008-09 की आय

समायोजित करने की अपेक्षा नि.व. 1997-98 से संबंधित ₹ 39.69 करोड़ के अनावशोचित मूल्यहास को अग्रेषित करने के दावे को कम करना चाहिए था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 39.69 करोड़ की हानि का कम निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 13.49 करोड़ का संभाव्य कर का अधिक उद्ग्रहण शामिल था। आयकर विभाग का उत्तर प्रतीक्षित है (जुलाई 2017)।

3.5.1.2 प्र.सीआईटी (केन्द्रीय), गुड़गांव प्रभार, हरियाणा में, नि.अ. ने नि.व. 2009-10 के लिए मार्च 2015 में धारा 147 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत **मै. टोकाई इम्पीरियल रबर इंडिया प्रा. लि.** का निर्धारण ₹ 30.59 करोड़ की आय निर्धारित कर पूर्ण किया। आयकर योग्य आय की गणना करते समय नि.अ. ने निर्धारिती द्वारा भरी गई रिटर्न के अनुसार ₹ 20.97 करोड़ की हानि की अपेक्षा गलती से ₹ 20.97 करोड़ की आय ली। ₹ 9.72 करोड़ की अस्वीकृति करने के पश्चात ₹ 11.35 करोड़ की हानि की सही राशि की अपेक्षा निर्धारित आय गलती से ₹ 30.59 करोड़ निर्धारित की गई। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 10.72 करोड़ का कर अधिक लगाया गया। आयकर विभाग ने धारा 154 के अंतर्गत आदेश जारी करके गलती को सुधार लिया है (सितम्बर 2015)।

3.5.1.3 प्र.सीआईटी-2 कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, नि.अ. ने निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए मार्च 2016 में **मै. ट्रैंड व्यापार लि.** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 21.81 करोड़ की आय निर्धारित करके पूर्ण किया। निर्धारिती ने ₹ 97.16 लाख की आय के प्रति ₹ 21.78 करोड़ की अग्रेणीत हानि दर्शाते हुये वर्ष के लिए भरी गई रिटर्न में शून्य आय दर्शायी और ₹ 20.81 करोड़ की शेष हानि आगामी वर्ष में समंजित करने के लिए अग्रेषित की गई थी। नि.अ. ने निर्धारण को अंतिम रूप देते समय, निर्धारिती की समूची अग्रेषित हानि का दावा अस्वीकार कर दिया और निर्धारिती की कुल आय में ₹ 3.32 लाख के अननुमत व्ययों के साथ इस राशि को गलती से जोड़ दिया। इस चूक के परिणामस्वरूप ₹ 20.81 करोड़⁸¹ की आय का अधिक निर्धारण हुआ जिसमें ₹ 9.20 करोड़ का अधिक कर शामिल था। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण स्वीकार किया (सितम्बर 2017) तथा आयकर विभाग ने धारा 154 के अंतर्गत गलती सुधार ली (मई 2016)।*

81 ₹ 20.81 करोड़ = [₹ 21.81 करोड़ - (₹ 97.16 लाख + ₹ 3.32 लाख)]

धारा 234बी(3) के अनुसार, यदि धारा 147 के अंतर्गत पुनर्निर्धारण के परिणामस्वरूप राशि जिस पर आरंभ में ब्याज देय था, बढ़ जाती है तो करदाता 1 प्रतिशत की दर पर प्रत्येक माह या माह के भाग पर अतिरिक्त ब्याज देने के लिए दायी होगा। यह गणना धारा 143(1) के अंतर्गत कुल आय का निर्धारण करने की तारीख से नियमित निर्धारण या पुनर्निर्धारण की तारीख तक होगी।

3.5.1.4 प्र.सीआईटी-4 हैदराबाद प्रभार आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना में, नि.अ. ने नि.व. 2010-11 के लिए मै. डेक्कन क्रॉनिकल हॉलडिंग्स लि. का संवीक्षा निर्धारण ₹ 364.10 करोड़ की आय निर्धारित करके मार्च 2013 में पूर्ण किया। इसके पश्चात मार्च 2015 में यह निर्धारण पुनः खोला तथा आय ₹ 3,280.27 करोड़ तक बढ़ाकर पूर्ण किया गया। मार्च 2015 में किए गये पुन निर्धारण के अंतर्गत कर मांग की गणना करते समय, नि.अ. ने 10 प्रतिशत की उदग्रहाय दर की अपेक्षा 7.5 प्रतिशत की दर पर सरचार्ज उद्ग्रहीत किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 24.60 करोड़ का सरचार्ज कम उद्ग्रहीत हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 246.86 करोड़ की सही राशि की अपेक्षा नि.अ. ने धारा 234बी के अंतर्गत गलती से ₹ 592.26 करोड़ का ब्याज प्रभारित किया, इसके परिणामस्वरूप ₹ 345.41 करोड़ का कर अधिक उद्ग्रहीत किया गया। इन भूलों के परिणामस्वरूप ₹ 320.80 करोड़ की निवल कर की अधिक मांग हुई। आयकर विभाग ने क्रमशः जून 2016 तथा जनवरी 2017 में धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

3.5.1.5 प्र.सीआईटी-3 प्रभार दिल्ली में, नि.अ. ने मार्च 2016 में नि.व. 2013-14 के लिए मै. दिल्ली ट्रांस्को लि. का संवीक्षा निर्धारण “अन्य स्रोतों से आय” के रूप में ₹ 39.35 करोड़ तथा अधिनियम के विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत ₹ 317.31 करोड़ की आय निर्धारित करके पूर्ण किया। कर मांग की गणना करते समय, नि.अ. ने अधिनियम की धारा 234बी के अंतर्गत ₹ 18.08 करोड़ का ब्याज गलती से उद्ग्रहीत किया बावजूद इसके कि निर्धारिती के पास ₹ 83.74 करोड़ का टीडीएस क्रेडिट उपलब्ध था जो ₹ 63.49 करोड़ के निर्धारित कर से अधिक था। इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 18.08 करोड़ का ब्याज अधिक लगाया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति स्वीकार की (सितम्बर 2017) तथा धारा 154 के अंतर्गत भूल सुधार ली (मई 2016)।

अध्याय IV: आयकर और धन कर

4.1 प्रस्तावना

4.1.1 इस अध्याय में 131 आयकर और छः संपदा कर मामलों पर चर्चा की गई है जिनमें से ₹ 314.73 करोड़ के कम प्रभार वाले 121 मामले और ₹ 21.26 करोड़ के अधिक प्रभार के 16 मामले शामिल हैं जो अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 के दौरान मंत्रालय को जारी किए गए थे। गलत निर्धारण के इन मामलों से आयकर विभाग में प्रयोग की जा रही निर्धारण प्रक्रिया पर आन्तरिक नियंत्रणों में कमियों का पता चलता है।

4.1.2 गलतियों की श्रेणियों को व्यापक रूप से निम्नवत वर्गीकृत किया गया है:

- निर्धारणों की गुणवत्ता
- कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन
- चूकों के कारण निर्धारणों से छूटने वाली आय
- अन्य-कर/ब्याज इत्यादि का अधिक प्रभार

4.1.3 आईटीडी ने ₹ 215.01 करोड़ के कर प्रभाव वाले 90 मामलों में उपचारी कार्यवाही पूर्ण की है। मंत्रालय ने ₹ 7.17 करोड़ के कर प्रभाव वाले दो मामलों को स्वीकार नहीं करते हुए ₹ 48.89 करोड़ के कर प्रभाव (टीई) के 47 मामलों पर अपनी स्वीकृति दी है।

इस प्रतिवेदन की तालिका 2.9 (पैरा 2.4.4) गलतियों और उनके कर प्रभाव की व्यापक श्रेणियों का विवरण दर्शाती है (परिशिष्ट 2.3 देखें)।

4.2 निर्धारणों की गुणवत्ता

4.2.1 अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद एओज़ ने निर्धारणों में गलतियाँ की। गलत निर्धारण के ये मामले आईटीडी की आंतरिक नियंत्रण में अनवरत कमज़ोरी को दर्शाते हैं जिसमें सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

तालिका 4.1 त्रुटियों की उपश्रेणियों को दर्शाती है जिसने निर्धारणों की गुणवत्ता को प्रभावित किया।

तालिका 4.1: निर्धारण की गुणवत्ता में त्रुटियों का विवरण				(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणी	मामले	टीई	राज्य	
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	26	75.89	आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडू	
ख. कर, अधिभार आदि की दरों का गलत प्रयोग	06	11.92	दिल्ली, गोवा, झारखंड, महाराष्ट्र और पंजाब	
ग. ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ	37	130.12	आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडू, यूटी-चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल	
कुल	69	217.93		

4.2.2 आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ

हमने ऐसे चार निदर्शी मामलें नीचे दिये हैं:

अधिनियम में प्रावधान है कि एओ को निर्धारिती की कुल आय अथवा हानि का सही निर्धारण करना चाहिए तथा कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करनी चाहिए, जैसा भी मामला हो।

4.2.2.1 सीआईटी छूट मुम्बई प्रभार महाराष्ट्र में, एओ ने ₹ 20.53 करोड़ की आय पर मार्च 2013 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 के लिए व्यक्तियों के एक संघ (ट्रस्ट), **मुम्बई क्रिकेट संघ** का निर्धारण पूर्ण किया था। एओ ने निर्धारिती को धारा 12ए के तहत कोई वैध पंजीकरण नहीं रखने वाला एक गैर-धर्मार्थ संगठन माना था और इसलिए निर्धारिती की सम्पूर्ण आय पर कर लगाने की आवश्यकता थी। तथापि, निर्धारित आय की गणना के दौरान निर्धारिती द्वारा प्राप्त ₹ 39.67 करोड़ की इन्फ्रास्ट्रक्चर सब्सिडी राशि वापस नहीं जोड़ी गई थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 16.67 करोड़ के कर के कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 39.67 की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 147 के तहत उपचारी कार्यवाही की (जनवरी 2017)।

4.2.2.2 प्र. सीआईटी-1 भुवनेश्वर प्रभार, ओडिशा में एओ ने जैसा कि निर्धारिती द्वारा अपनी विवरणित आय में घोषित किया गया था 'शून्य' आय पर जनवरी 2016 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2013-14 के लिए एक सहकारी सोसाइटी **मेसर्स नीलांचल ग्राम्य बैंक** के निर्धारण को पूर्ण किया। निर्धारिती ने 'प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी' और 'अन्य व्यय' क्रमशः ₹ 0.6 करोड़ और ₹ 4.07 करोड़ का दावा किया, तथापि आय की विवरणी में दोनों व्ययों के कुल जोड़ की गणना के दौरान ₹ 4.13 करोड़ के बजाय ₹ 34.62 करोड़ के

कुल आंकड़ों को अंगीकृत किया। परिणामस्वरूप, कर पूर्व लाभ ₹ 30.49 करोड़ के बजाय 'शून्य' पर पहुँच गया जिस पर निर्धारिती की कर योग्य आय की गणना के दौरान एओ द्वारा भी विचार किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 12.61 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण सहित ₹ 30.49 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी ने अधिनियम की धारा 147 के तहत उपचारी कार्यवाई प्रारंभ की (मार्च 2017)।

4.2.2.3 सीआईटी सेन्ट्रल-1, चेन्नई प्रभार, तमिलनाडू में, एओ ने ₹ 10.77 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए एक ट्रस्ट **मेसर्स जया एज्यूकेशनल ट्रस्ट** का निर्धारण पूर्ण किया। आय एवं व्यय लेखे में निर्धारिती ने ₹ 68.06 करोड़ की कुल प्राप्तियाँ दर्शायी और 'व्यय पर अधिक आय' ₹ 13.92 निकाली। तथापि निर्धारिती की कर योग्य आय की गणना के दौरान, एओ ने निवल आय को आय एवं व्यय लेखे के अनुसार ₹ 13.92 करोड़ के बजाय 'शून्य' पर लिया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 4.30 करोड़ के कर की कम उद्ग्रहण सहित ₹ 13.92 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित (अक्टूबर 2017) था।

4.2.2.4 प्र.सीआईटी -1 सूरत प्रभार, गुजरात में, एओ ने ₹ 9.63 करोड़ की आय पर मार्च में संवीक्षा के बाद नि.व. 2013-14 के लिए एक व्यक्ति **अनिल सत्यनारायण रूंगटा** का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारिती की कर योग्य आय की गणना के दौरान निर्धारण आय को एओ द्वारा ₹ 9.63 करोड़ के सही आंकड़े के बजाय ₹ 5.06 करोड़ पर गलत ग्रहण किया गया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.28 करोड़ के कर की परिणामी कम उद्ग्रहण के साथ ₹ 4.57 करोड़ की आय का कम निर्धारण हुआ। आईटीडी का उत्तर अपेक्षित था (अक्टूबर 2017)।

4.2.3 कर, अधिभार आदि की दरों का गलत प्रयोग

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 4(1) प्रावधान करती है कि संबंधित वित्त अधिनियम के तहत निर्धारित दरों के अनुसार एक निर्धारिती के पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए आय कर प्रभार्य है। निर्धारण वर्ष 2009-10 से संबंधित वित्त अधिनियम, यदि निवल आय एक करोड़ रुपये से अधिक हो, तो एक फर्म के मामले में दस प्रतिशत आयकर की दर पर उपकर की उद्ग्रहण का प्रावधान करता है।

4.2.3.1 प्र.सीआईटी (सी)-2 प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए फर्म **मेसर्स शिवा मिंट इंडस्ट्रीज** का निर्धारण मार्च 2016 में ₹ 159.67 करोड़

की आय और उस पर ₹ 47.90 के कर पर पूर्ण किया गया। आयकर गणना प्रपत्र में कर की गणना के दौरान, एओ ने आय कर के दस प्रतिशत की दर पर लागू अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया था। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 9.08 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटि में संशोधन किया (मार्च 2017)।

4.2.3.2 सीआईटी-पणजी प्रभार, गोवा में एओ ने ₹ 5.09 करोड़ की आय पर फरवरी 2016 में नि.व. 2013-14 के लिए निर्धारिती मेसर्स वासुदेव डेम्पो फैमिली प्रा. ट्रस्ट का संवीक्षा निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारिती की कर देयता की गणना के दौरान एओ ने 30 प्रतिशत की बजाय 15 प्रतिशत पर ऋण निधि की बिक्री पर लघु अवधि पूंजीगत अभिलाभों पर कर की गणना की, यद्यपि निर्धारिती ने अपनी आय की विवरणी/आय एवं कर की गणना विवरण में 30 प्रतिशत की दर प्रस्तावित की थी। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 0.67 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया (जनवरी 2017)।

4.2.3.3 प्र.सीआईटी (सेन्ट्रल) लुधियाना प्रभार पंजाब, में एओ ने ₹ 3.99 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में धारा 143(3) के साथ पठित धारा 147 के तहत नि.व. 2009-10 के लिए एक व्यक्ति सुमन अग्रवाल का निर्धारण पूर्ण किया। निर्धारिती की कर देयता की गणना के दौरान एओ ने अधिभार का उद्ग्रहण नहीं किया जबकि वह 10 प्रतिशत की दर पर उदग्राह्य था। इस चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 23.13 लाख के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया (जुलाई 2016)।

4.2.4 ब्याज के उद्ग्रहण में त्रुटियाँ

हमने ऐसे तीन निदर्शी मामले नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 234बी(3) प्रावधान करती है कि, जहाँ, धारा 153ए के तहत पुनर्निर्धारण के आदेश के परिणामस्वरूप जिस राशि पर ब्याज देय था उसमें वृद्धि हुई है, निर्धारिती हर महीने या एक महीने के अंश के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा से, ऐसे वित्तीय वर्ष के उत्तरगामी अप्रैल के पहले दिन और पुनर्निर्धारण के समाप्ति तिथि तक, जिस तक कुल राशि पर कर पुनर्मूल्यांकन के आधार पर निर्धारण आय कर धारा 143 के उपधारा (1) के तहत अथवा नियमित आकलन के आधार पर निर्धारित कुल आय पर कर से अधिक हैं।

4.2.4.1 प्र. सीआईटी-सी-2 प्रभार दिल्ली, में, एओ ने नि.व. 2008-09, 2009-10 और 2010-11 के लिए मार्च 2016 में धारा 153ए के तहत क्रमशः ₹ 238.64 करोड़, ₹ 338.06 करोड़ और ₹ 346.31 करोड़ की आय निर्धारित

करते हुए एक फर्म **मेसर्स अम्बिका इंटरनेशनल** का निर्धारण पूर्ण किया। उक्त निर्धारण वर्षों में धारा 234बी(3) के तहत ब्याज की गणना के दौरान एओ ने ₹ 77.87 करोड़⁸² ₹ 96.52 करोड़⁸³ और ₹ 76.89⁸⁴ करोड़ के बजाय क्रमशः ₹ 32.45 करोड़ ₹ 74.69 करोड़ और ₹ 63.00 करोड़ पर ब्याज उद्ग्रहीत किया। त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 81.14 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण हुआ। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटियों में सुधार किया (मार्च 2017)।

4.2.4.2 प्र.सीआईटी (सेन्ट्रल) गुड़गाँव प्रभार हरियाणा में, एओ ने ₹ 43.29 करोड़ की आय निर्धारित कर मार्च 2016 में धाराओं 143(3) और 144 के साथ पठित धारा 153ए(1) (बी) के तहत नि.व. 2009-10 से 2013-14 के लिए एक व्यक्ति **जितेन्द्र सिंह का निर्धारण पूर्ण किया। नि.व. 2009-10 से 2013-14 के लिए कर देयता की गणना के दौरान, एओ ने गलत ढंग से ₹ 7.74 करोड़ की ब्याज की उद्ग्रहण योग्य राशि के बजाय ₹ 5.78 करोड़ पर धारा 234 बी के तहत ब्याज प्रभारित किया। इस त्रुटि के परिणामस्वरूप ₹ 1.96 करोड़ के ब्याज की कम उद्ग्रहण हुई। आईटीडी ने धारा 154 के तहत त्रुटि में सुधार किया (सितम्बर 2016)।**

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 234ए में प्रावधान है कि यदि आय की रिटर्न नियत तिथि के बाद प्रस्तुत की जाती है, निर्धारित आय की रिटर्न भरने की नियत तिथि और रिटर्न प्रस्तुत करने की समाप्ति तिथि को देखते हुए तुरंत बाद की तिथि पर एक प्रतिशत प्रति मास की दर पर ब्याज अदा करने के लिए दायी है।

4.2.4.3 प्र. सीआईटी- केंद्रीय, कानपुर प्रभार में, नि.अ. ने क्रमशः ₹ 35.51 करोड़, ₹ 38.41 करोड़ और ₹ 7.83 करोड़ आय को मार्च 2016 में धारा 144/153 सी के अंतर्गत नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के लिए एक व्यक्ति **मनोज कुमार का निर्धारण पूरा किया। निर्धारित की कर देयता की संगणना करते समय, इस तथ्य के बावजूद कि निर्धारित ने न तो आय कर अधिनियम 1961 की धारा 139(1) के अंतर्गत न ही धारा 153सी के अंतर्गत नोटिस पर प्रतिक्रिया स्वरूप आय की रिटर्न फाईल नहीं की थी। नि.अ. ने धारा 234ए के अंतर्गत ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया इस गलती के परिणामस्वरूप ₹ 9.26 करोड़ के ब्याज का कम उद्ग्रहण किया गया। आईटीडी का उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2017)।**

82 96 महीनों के लिए

83 84 महीनों के लिए

84 72 महीनों के लिए

4.3 कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन

4.3.1 अधिनियम अध्याय IV-ए के तहत कुल आय की संगणना करने में निर्धारिती तथा इससे प्रासंगिक प्रावधानों के तहत व्यय की कुछ श्रेणियों के लिए रियायत/छूट/कटौती को अनुमत करता है। हमने पाया कि निर्धारण अधिकारियों ने अनियमित रूप से उन लाभार्थियों जो इसके हकदार नहीं हैं के लिए कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के लाभ का विस्तार किया है। ये मामले आय कर विभाग की ओर से कर प्रशासन में कर रियायतों/छूटों/कटौतियों में कमी दर्शाते हैं, जिन्हें सम्बोधित करने की आवश्यकता है। तालिका 4.2 उन श्रेणियों को दर्शाती है जिन्होंने कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन पर प्रभाव डाला है।

तालिका 4.2: कर रियायतों/छूटों/कटौतियों के प्रशासन के तहत गलती की उप-श्रेणियां			(₹ करोड़ में)
उप-श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	07	4.17	गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान और के.शा.प्र. चंडीगढ़
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटी/एओपीज को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत	09	17.92	बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडू और उत्तराखंड
ग. कारोबार व्यय की गलत अनुमति	10	31.69	असम, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र, के.शा.प्र. चंडीगढ़, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल
घ. मूल्यहास/कारोबार हानि/पूँजीगत हानि की अनुमति में अनियमितताएं	09	24.41	बिहार, झारखंड, केरल, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान
कुल	35	78.19	

4.3.2 व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

हमने ऐसे दो निदर्शी मामले नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम की धारा 54एफ में प्रावधान है कि इस धारा के अंतर्गत छूट के दावे के लिए निर्धारिती को मूल परिसंपत्ति के स्थानांतरण की तिथि तक नई परिसंपत्ति से अलग एक से अधिक आवासीय घर स्वामित्व में नहीं रखने चाहिए।

4.3.2.1 सीआईटी-III, जयपुर प्रभार राजस्थान में, नि.अ. ने ₹ 18.22 लाख की आय पर फरवरी 2016 में नि.व. 2013-14 के लिए एक व्यक्ति **भारत मोहन रातुरी** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने ₹ एक करोड़ की बिक्री पर भूमि के प्लॉट की बिक्री पर ₹ 94.39 लाख के दीर्घावधि पूँजीगत लाभ

(एलटीसीजी) अर्जित किया। ₹ एक करोड़ के अन्य घर संपत्ति में एलटीसीजी के निवेश होने पर, निर्धारिती ने छूट का दावा किया और उक्त को अनुमत कर दिया गया था। यद्यपि, नये घर के अतिरिक्त, निर्धारिती के पास स्थानांतरण की तिथि तक दो आवासीय घर स्वामित्व में थे। इसलिए, निर्धारिती पूर्वोक्त प्रावधानों के अनुसार छूट प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं था और ₹ 94.39 लाख के एलटीसीजी पर कर प्रभारित किया जाना था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 26.25 लाख के कर प्रभाव की कम गणना की गई।

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 54 बी में प्रावधान है कि किसी कृषि भूमि जिसे कृषि उद्देश्यों के लिए स्थानांतरण की तिथि से तुरंत पहले से कम से कम दो वर्षों के लिए निर्धारिती या उसके माता-पिता द्वारा प्रयोग किया गया है, के स्थानांतरण से किसी व्यक्ति निर्धारिती को भी प्राप्त कोई पूंजीगत लाभ उस लाभ तक छूट प्रदान की जाएगी जो पूंजीगत लाभ कृषि उद्देश्य के लिए प्रयुक्त किये जाने वाले स्थानांतरण की तिथि के बाद दो वर्षों की अवधि में अन्य कृषि भूमि की खरीद में निवेश किया है। इसके अतिरिक्त, पूर्वोक्त धारा 54एफ में आवासीय घर संपत्ति के अतिरिक्त किसी पूंजीगत परिसंपत्ति के स्थानांतरण से किसी विशेष व्यक्ति से प्राप्त किये जाने वाले पूर्ण दीर्घावधि पूंजीगत लाभ के स्थानांतरण छूट का प्रावधान है यदि संपूर्ण निवल बिक्री प्रतिफल को किसी परिसंपत्ति के स्थानांतरण की तिथि के एक वर्ष पहले या दो वर्षों के बाद या ऐसे स्थानांतरण की तिथि के बाद तीन वर्षों के अंदर एक आवासीय घर के निर्माण में किसी आवासीय घर की खरीद में निवेश किया गया है। जहां निवल बिक्री प्रतिफल का भाग निवेशित है, इसमें आनुपातिक रूप से छूट दी जाएगी।

4.3.2.2 प्र. सीआईटी तिरुवनन्तपुरम प्रभार केरल, में, नि.अ. ने ₹ 1.19 करोड़ की कुल आय और ₹ 0.12 लाख की कृषि आय निश्चित करते हुए जून 2014 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्ति **संजीत सदा सिवन** का निर्धारण पूरा किया। कृषि भूमि के स्थानांतरण से प्राप्त ₹ 1.12 करोड़ के दीर्घावधि लाभ सहित कुल आय का निर्धारण हुआ। ₹ 1.12 करोड़ के दीर्घावधि लाभ की गणना में नई कृषि भूमि की खरीद में निवेश के प्रति ₹ 3.59 करोड़ की राशि की धारा 54बी के अंतर्गत छूट और आवासीय घर की खरीद के लिए ₹ 61.40 लाख की राशि की धारा 54एफ के अंतर्गत छूट अनुमत की गई। धारा 54बी के अंतर्गत छूट की राशि की गणना करते हुए, नई कृषि भूमि की खरीद राशि ₹ 1.56 करोड़ की सुधार लागत को भी ध्यान में रखा गया था, जो कि धारा 54बी के अंतर्गत अनुमत योग्य नहीं थी। इसके अंतर्गत धारा 54बी के अंतर्गत ₹ 69.68 लाख की अधिक छूट दी गई थी। इसके परिणामस्वरूप, धारा 54एफ के अंतर्गत छूट का दावा करने के संबंध में निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत किये गये उपरोक्त (3.85 एआरई) आवासीय घर और भूमि संबंध खरीद के संबंध में दस्तावेजों के सत्यापन से ज्ञात हुआ कि

उपरोक्त भूमि पर भवन को निर्धारिती द्वारा खरीद की तिथि से पहले ही हटा दिया गया था। जैसा कि निर्धारिती ने आवासीय घर पर पूंजीगत लाभ निवेश नहीं किया, धारा 54एफ के अंतर्गत छूट अनुमत करना अनियमित था। धारा 54बी और 54एफ के अंतर्गत अस्वीकार्य छूट ब्याज सहित ₹ 34.29 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 1.31 करोड़ आंकी गई। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के अंतर्गत कार्रवाई की (मार्च 2017)।

4.3.3 ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों/एओपीज़ को दी गई अनियमित छूट/कटौती/राहत

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

धारा 80(पी)(1) में प्रावधान है कि कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के रूप में एक निर्धारिती के मामले में, निर्धारिती की कुल कर योग्य आय की गणना करते समय, उप-धारा(2) के अंतर्गत निर्दिष्ट आय के संबंध में एक छूट अनुमत की जाती है। इसके अतिरिक्त, किसी अन्य कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी के साथ अपने निवेशों से कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी द्वारा प्राप्त ब्याज या अधिशेष की कटौती धारा 80पी(2)(डी) के अंतर्गत अनुमत है। इस कटौती को कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी के अतिरिक्त किसी बैंक में निवेश से प्राप्त ब्याज तक बढ़ाया नहीं जा सकता।

4.3.3.1 प्र.सीआईटी-V अहमदाबाद प्रभार, गुजरात में नि.अ. ने क्रमशः ₹ 42.81 करोड़ और ₹ 41.31 करोड़ धारा 80(पी) के अंतर्गत कटौती दर्शाने के बाद ₹ 2.94 लाख और शून्य की आय पर दिसंबर 2012 और अक्टूबर 2014 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2010-11 और 2012-13 के लिए, गुजरात स्टेट कॉ.ओप. एग्री एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक लि. एक कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती के पास नि.व. 2010-11 और 2012-13 के लिए ₹ 10.39 करोड़ और ₹ 10.51 करोड़ की कर योग्य प्राप्तियां थी जिन्हें क्रमशः ₹ 5.56 करोड़ और ₹ 6.11 करोड़ के संबंधित व्यय के बाद अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था। ऐसा करने में चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.75 करोड़ के कम कर उदग्रहण सहित औसत ₹ 9.20 करोड़ अर्थात नि.व. 2010-11 के लिए ₹ 4.80 करोड़ और नि.व. 2012-13 के लिए ₹ 4.40 करोड़ की अधिक छूट अनुमत की गई। आईटीडी ने क्रमशः नवंबर 2016 और मार्च 2017 में धारा 147 और 263 के अंतर्गत दोनों नि.व. के लिए गलती में सुधार किया।

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 आईसी में आरंभिक निर्धारण वर्ष से आरंभ होकर और चौहदवीं अनुसूची में निर्दिष्ट निर्माण करने के लिए या किसी सामान या चीज के उत्पादन प्रारंभ करने वाले किसी औद्योगिक उपक्रम या उद्यम से लाभ और इसके बाद फायदे का पच्चीस प्रतिशत या इसके अतिरिक्त उत्तराखंड राज्य में इस अनुसूची में निर्दिष्ट किसी प्रचालन को शुरू किया जाता है पांच निर्धारण वर्षों के लिए लाभ और अभिलाभ की एक सौ प्रतिशत की छूट का प्रावधान है।

4.3.3.2 प्र. सीआईटी-देहरादून प्रभार, उत्तराखण्ड में नि.अ. ने कटौती के दावा के पांचवें वर्ष नि.व. 2012-13 को ध्यान में रखते हुए, धारा 80आईसी के अंतर्गत 100 प्रतिशत पर ₹ 1.31 करोड़ की छूट अनुमत करने के बाद ₹ 0.69 लाख की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए **मै. केबीजी इंडस्ट्रीज** फर्म का निर्धारण पूरा किया। फार्म सं. 10 सीसीबी में लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार, 12 जून 2006 इस प्रचालन की प्रारंभ होने की तिथि थी जो यह दर्शाती है कि आरंभिक वर्ष 2007-08 से आरंभ होकर नि.व. 2012-13 प्रचालन के प्रारंभ से छंटवा वर्ष था। परिणामस्वरूप, फर्म आईटीडी द्वारा अनुमत लाभ के सौ प्रतिशत के बजाय 25 प्रतिशत तक कटौती के लिए योग्य थी। कटौती की अधिक छूट ₹ 41.42 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 98.57 लाख की आय का कम निर्धारण किया गया था। प्र. सीआईटी-देहरादून ने नये निर्धारण आदेश पास होने के निर्देश के साथ धारा 263 (मार्च 2017) के अंतर्गत आदेश पास कर धारा 143/3 के अंतर्गत निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया था। इसके बाद की प्रगति प्रतिक्षित है (सितंबर 2017)।

4.3.4 कारोबार व्यय की गलत अनुमति

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 37 में प्रावधान है कि निर्धारिती के पूंजीगत व्यय या व्यक्तिगत व्यय की प्रकृति के न होने पर, किसी व्यय को कारोबार या व्यवसाय के उद्देश्यों हेतु पूर्णतः खर्च किया हो या अलग से रखा गया हो, वह शीर्ष व्यापार या कारोबार के लाभ और फायदे के अंतर्गत प्रभार योग्य आय की गणना में अनुमत होगा। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम के अंतर्गत, प्रोद्भूत या ज्ञात देयता के लिए लेखाओं में दिये गये प्रावधान स्वीकार्य कटौती हैं, जबकि अन्य प्रावधान कटौती के लिए योग्य नहीं हैं।

4.3.4.1 प्र. सीआईटी-1 कोल्हापुर प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने ₹ 14.65 करोड़ की आय पर मार्च 2015 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2012-13 के लिए **मै. संगली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉ-ओपरेटिव बैंक लि.**, व्यक्तियों के समूह (कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी) का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती बैंक ने दावा किया और संबंधित प्राथमिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 37 के अंतर्गत कटौती के लिए अनुमति योग्य नहीं थे, को सुदृढ़ बनाने और विकास करने के

लिए ₹ 3.47 करोड़ और ₹ 7.25 करोड़ की राशि को लाभ और हानि में डेबिट करने के प्रावधानों के प्रति कटौती करने की अनुमति दी गई थी। चूक के परिणामस्वरूप धारा 234बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 4.50 करोड़ कर के कम उदग्रहण सहित ₹ 10.72 करोड़ तक आय का कम निर्धारण किया गया।

आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत गलती में सुधार लिया (अगस्त 2016)।

4.3.4.2 प्र. सीआईटी-12 कोलकाता, प्रभार पश्चिम बंगाल में. नि.अ. ने ₹ 2.01 करोड़ की आय पर जनवरी 2016 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2013-14 के लिए **मै. कलकत्ता एक्सपोर्ट कंपनी फर्म** का निर्धारण पूरा किया। निर्धारण पूरा करते समय नि.अ. ने निर्धारिती द्वारा दावा किये गये ₹ 83.20 लाख की कटौती अनुमत की। निर्धारण वर्ष 2010-11 से संबंधित उक्त राशि को नि.अ. द्वारा निर्धारण में धारा 40(क)(i) के अंतर्गत वापस जोड़ दिया गया था, परंतु सीआईटी (अपील) द्वारा इस वृद्धि को हटा दिया गया था और इसके प्रभाव को दिसंबर 2014 में धारा 251/143(3) के अंतर्गत पास किये गये आदेश द्वारा पहले ही दे दिया गया था। इसलिए ₹ 83.20 लाख की कटौती ठीक नहीं थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 25.71 लाख के कर प्रभाव सहित ₹ 83.20 लाख तक की आय का कम निर्धारण किया गया था। *आईटीडी से उत्तर प्रतिक्षित था (अक्टूबर 2017)।*

4.3.5 मूल्यहास/व्यापार घाटे/पूंजीगत हानि में अनियमितताएं

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 72 के अंतर्गत, जहां 'व्यापार या व्यवसाय के लाभ और अभिलाभ शीर्ष के अंतर्गत गणना के निवल परिणाम निर्धारिती का नुकसान है और ऐसी हानि को प्रासंगिक वर्ष के किसी अन्य शीर्ष के अंतर्गत आय के प्रति पूर्णतः समंजित नहीं किया जा सकता, ऐसी अधिक न की गई समंजन हानि को आगामी निर्धारण वर्ष/वर्षों में अग्रेषित किया जाएगा, इन वर्षों के व्यापार या व्यवसाय के लाभ या/अभिलाभ के प्रति समंजित किया जाएगा।

4.3.5.1 प्र. सीआईटी- त्रिशूर प्रभार, केरल में, नि.अ. ने ₹ 10.13 करोड़ की आय पर फरवरी 2015 में नि.व. 2012 के लिए **द कोडनगैलुर टाउन कॉ-ओपरेटिव बैंक लि. सं. 102** ने बैंकिंग व्यापार में कार्य कर रही कॉ-ओपरेटिव सोसाईटी का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। यह समंजन नि.व. 2007-08, 2008-09 और 2009-10 से संबंधित अग्रणीत दावे के प्रति समंजित किया गया था और इसके बाद नि.व. 2009-10 से संबंधित ₹ 12.93 करोड़ की शेष हानि का अग्रणीत अनुमत किया गया था। नि.अ. ने निर्धारिती द्वारा की गई गणना

₹ 3.99 करोड़ की हानि के स्थान पर शून्य के रूप में वापस की गई आय के स्वीकरण तक आय की गणना आरंभ की गई थी। इस प्रकार, ₹ 6.14 करोड़ के सही आंकड़ों के स्थान पर निर्धारण आदेश में ₹ 10.13 करोड़ के गलत आंकड़ें कुल आय में प्रस्तुत किए गये थे। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा ने देखा कि निर्धारिती ने क्रमशः दिसंबर 2010, दिसंबर 2011, मार्च 2013 और फरवरी 2014 में पूरे हुए इन नि.व. के लिए निर्धारण आदेशों के अनुसार नि.व. 2008-09, 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए कोई हानि अग्रणीत नहीं की थी। नि.व. 2007-08 से संबंधित निर्धारित रिकॉर्ड लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था, अतः नि.व. 2007-08 से संबंधित ₹ 2.90 करोड़ की अग्रणीत हानि की स्वीकार्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी। नि.व. 2008-09 से 2011-12 के लिए शून्य और अग्रणीत हानि की गलत स्वीकृति के रूप में वापस की गई आय स्वीकृत करने में शामिल कर प्रभाव ₹ 5.18 करोड़ तक आंकी गई। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (फरवरी 2017)।*

आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 139(3) के अनुसार, यदि निर्धारिती धारा 139(1) के अंतर्गत निर्दिष्ट रिटर्न की फाइलिंग की निर्धारित तिथि के समाप्त होने से पूर्व हानि की रिटर्न फाइल नहीं करता है निर्धारिती बाद के वर्षों में हुई अग्रणीत हानि के लिए हकदार नहीं होगा।

4.3.5.2 सीआईटी-भागलपुर प्रभार, बिहार में, नि.व. 2012-13 के लिए द खगरिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कॉ-ओपरेटिव बैंक लि. एक कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी का निर्धारण ₹ 0.72 लाख के अनावशेषित मूल्यहास सहित ₹ 5.47 करोड़ की हानि निर्धारित करते हुए फरवरी 2015 में संवीक्षा के बाद पूरा किया। नि.व. 2012-13 के लिए आय की रिटर्न को फाइल करने की तिथि अर्थात् 30 सितंबर 2012 की बजाय 16 फरवरी 2013 को फाइल किया गया था। इस प्रकार, निर्धारिती की आय को शून्य पर निर्धारित किया जाना चाहिए और ₹ 5.47 करोड़ की व्यापार हानि अग्रणीत करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। यद्यपि, संवीक्षा निर्धारण आय शून्य पर निर्धारित की गई थी और ₹ 5.47 करोड़ की हानि अग्रणीत की जानी अनुमति की गई थी। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 1.69 करोड़ के परिणामी संभावित कर प्रभाव सहित ₹ 5.47 करोड़ की व्यापार हानि के अग्रणीत करने की गलत अनुमति दी गई। *आईटीडी ने यह कहते हुए लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार नहीं किया कि निर्धारिती 15 सितंबर 2012 को नि.व. 2012-13 के लिए ऑनलाईन लेखापरीक्षा रिपोर्ट पहले ही फाइल कर चुका है जो कि कानून द्वारा निर्दिष्ट समयावधि के अंदर*

थी। आईटीडी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यह अधिनियम की धारा 139(3) में स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट है कि यदि निर्धारिणी को व्यापार हानि को अग्रणीत करना पड़ता है, तब आय की रिटर्न अधिनियम की धारा 139(1) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि के अंदर फाईल किया जाना अपेक्षित हैं। इसके अतिरिक्त, आयकर अधिनियम की धारा 80 के अनुसार, यदि धारा 139(1) के अंतर्गत प्रावधान के अनुसार रिटर्न फाईल नहीं की गई है, धारा 72, 73, 74 और 74(ए) के प्रावधानों के अंतर्गत हानि का अग्रणीत किया जाना अनुमत नहीं किया जाएगा।

4.4 चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय

4.4.1 अधिनियम में प्रावधान है कि किसी पिछले वर्ष के लिए किसी व्यक्ति की कुल आय में किसी भी स्रोत से प्राप्त, वास्तविक रूप से प्राप्त या संचित या प्राप्त या संचित मानी गई सभी आय शामिल होंगी। हमने अवलोकन किया कि निर्धारण अधिकारी ने कर के अंतर्गत ऑफर की जाने वाली अपेक्षित कुल आय का निर्धारण नहीं किया या कम निर्धारण किया। टीडीएस/टीसीएस प्रावधानों को लागू करने में भी चूकें थीं, जिसके कारण वे कर से छूट गई। तालिका 4.3 उन उप-श्रेणियों को दर्शाती है जिसके परिणामस्वरूप निर्धारण से आय छूट गई।

तालिका 4.3: चूकों के कारण निर्धारण से बचने वाली आय के अंतर्गत वृत्तियों की उप श्रेणियां		(₹ करोड़ में)	
उप श्रेणियां	सं.	टीई	राज्य
क. पूंजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण तथा संगणना	03	2.14	गुजरात, हरियाणा और राजस्थान
ख. आय की गलत संगणना	05	13.58	गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल
ग. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान लागू करने में चूकें	03	2.43	बिहार और झारखंड
घ. संपत्ति कर का अनुदग्रहण /कम उदग्रहण	06	0.46	कर्नाटक और पश्चिम बंगाल
कुल	17	18.61	

4.4.2 पूंजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण और संगणना

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

अधिनियम की धारा 10(37) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कृषि भूमि के स्थानांतरण से प्राप्त हुए 'पूंजीगत लाभ शीर्ष के अंतर्गत कोई प्रभार योग्य आय निर्धारिती, किसी एक व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में होने के मामले में कर से छूट प्राप्त होगी, यदि कृषि भूमि स्थानांतरण की तिथि से तुरंत पहले के दो वर्षों की अवधि के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए निर्धारिती द्वारा प्रयोग किया गया है।

4.4.2.1 प्र. सीआईटी-सेंट्रल, बड़ौदा प्रभार, गुजरात में, नि.व. 2011-12 के लिए एक व्यक्ति **भारत डी-पटेल** का निर्धारण फरवरी 2014 में ₹ 4.01 लाख की रिटर्न आय पर धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया था। निर्धारिती ने भूमि की बिक्री के लाभ के संबंध में नि.व. 2011-12 के लिए धारा 10(37) के अंतर्गत ₹ 3.73 करोड़ की छूट का दावा किया। नवंबर 2009 में निर्धारिती द्वारा भूमि खरीदी गई थी और फरवरी 2011 में बेची गई थी, इसलिए छूट के लिए योग्यता शर्त कि स्थानांतरण की तिथि से तुरंत दो वर्ष पहले के दौरान कृषि उद्देश्यों के लिए निर्धारिती द्वारा भूमि का उपयोग संतोषजनक नहीं था। इस प्रकार, दावा की गई ऐसी छूट अनियमित थी और इसे अस्वीकृत किया जाना चाहिए था। इस चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 1.55 करोड़ के कर के कम उदग्रहण के साथ ₹ 3.73 करोड़ लघु अवधि पूंजीगत लाभ का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 263 (दिसंबर 2016) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत गलती में सुधार किया।*

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 54बी में प्रावधान है कि जहां कृषि भूमि के स्थानांतरण से पूंजीगत लाभ प्राप्त होते हैं, यदि निर्धारिती ऐसी भूमि के स्थानांतरण की तिथि के बाद से दो वर्षों की अवधि के अंदर किसी अन्य कृषि भूमि की खरीद करता है, तो इस प्रकार से प्राप्त पूंजीगत लाभ की राशि विशेष शर्तों के अंतर्गत कर के लिए प्रभारित नहीं होनी होगी।

4.4.2.2 सीआईटी-II जयपुर प्रभार, राजस्थान में, मार्च 2015 में ₹ 88.12 लाख की रिटर्न आय पर नि.व. 2012-13 के लिए **राहुल कपूर** का संवीक्षा निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती के पास एक कृषि भूमि थी, जो जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अक्टूबर 2005 में आवासीय-उद्देश्य में बदल दी गई थी। उक्त भूमि मई 2011 में ₹ 1.53 करोड़ के बिक्री मूल्य पर मै. मंगलम बिल्ड डेवलेपर्स प्रा. लि. को बेची गई थी। निर्धारिती ने दावा किया और ₹ 1.41 करोड़ अन्य कृषि भूमि की खरीद के लिए धारा 54 बी के अंतर्गत ₹ 1.40 करोड़ की छूट अनुमत की। चूंकि बिक्री हुई भूमि कृषि भूमि से

आवासीय उद्देश्य भूमि के रूप से पहले ही बदल दी गई थी, अनुमत की गई छूट अनियमित थी और पूंजीगत लाभ पर कर प्रभारित किया जाना चाहिए था। चूक के कारण ब्याज सहित ₹ 41.06 लाख के कर सहित राशि पर पूंजीगत लाभ की कम गणना की गई। आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया (अप्रैल 2017) और धारा 143(2) के अंतर्गत नोटिस जारी करते हुए उपचारात्मक कार्रवाई आरंभ की।

4.4.3 आय की गलत गणना

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं:

अधिनियम में प्रावधान है कि जैसा भी मामला हो, एओ का निर्धारिती की कुल आय या हानि का सही निर्धारण करना और कर या प्रतिदाय की सही राशि निर्धारित करना अपेक्षित होता है।

4.4.3.1 प्र. सीआईटी 3 पूणे प्रभार, महाराष्ट्र में, नि.अ. ने अग्रणीत हानि को समंजन की अनुमति के बाद 'शून्य' पर आय निर्धारित करते हुए जनवरी 2014 में संवीक्षा के बाद नि.व. 2011-12 के लिए व्यक्ति के समूह (कॉ-ओपरेटिव सोसाईटी) श्रीराम जवाहर शेतकरी सहकारी सकर उद्योग का निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने उचित लाभकारी मूल्य (एफआरपी) जो ₹ 9.70 करोड़ की अधिक भुगतान तक अपरिहार्य हो गया था, के प्रति नि.व. 2009-10 से 2010-11 के दौरान गन्ने की खरीद पर निर्धारिती ने भुगतान किये थे जिसे नीचे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: गन्ने के अधिक भुगतान के विवरण						
नि.व.	गन्ने का भार (मिट्टिक टन में)	गन्ने की प्रति मिट्टिक टन दर	एफआरपी प्रति मिट्टिक टन	प्रति मिट्टिक टन अधिक गन्ने का मूल्य	अधिक दी की गई राशि (₹ करोड़ में)	
2009-10	52,027.900	₹ 2,251	₹ 1,558.70	₹ 692.30	3.60	
2009-10	17,766.697	₹ 2,151	₹ 1,558.70	₹ 592.30	1.05	
2010-11	2,17,427.797	₹ 1,900	₹ 1,668.00	₹ 232.00	5.05	
कुल					9.70	

₹ 9.70 करोड़ के गन्ने मूल्य के अधिक भुगतान के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 3.35 करोड़ के कर के कम उदग्रहण सहित इस सीमा तक आय का कम निर्धारण किया गया। मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 263 (दिसंबर 2016) के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत गलती में सुधार किया।

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(22)(ई) के अंतर्गत, कंपनी द्वारा एक ऋण जिसमें गलत जन हित शामिल नहीं हैं, कंपनी की वोटिंग पॉवर का 10 प्रतिशत से अधिक लाभकारी रूप से अंशधारक के पास है या किसी सहायक कंपनी/जिसमें वह मूलतः रुचि रखता है कंपनी द्वारा अदा किये गये अधिशेष माने जाएंगे, उस सीमा तक कि कंपनी संचित लाभ अपने पास रखे। ऐसे अधिशेष अधिनियम की धारा 115-ओ के अंतर्गत अधिशेष वितरण कर के अंतर्गत नहीं है और कर योग्य आय है।

4.4.3.2 प्र. सीआईटी सेंट्रल-2 कोलकाता प्रभार पश्चिम बंगाल में नि.व. 2012-13 के लिए एक व्यक्ति **कनिका मैती** का ₹ 6 करोड़ की आय पर मार्च 2014 में संवीक्षा के बाद निर्धारण पूरा किया। निर्धारिती ने विगत वर्ष 2011-12 के दौरान, एक कंपनी मै. आई-कोर ई-सर्विसेज लि. से ₹ 29.95 करोड़ का असुरक्षित ऋण प्राप्त किया। यह पाया गया कि उक्त कंपनी के 27.36 प्रतिशत शेयर निर्धारिती के पास थे। कंपनी एक नियंत्रित कंपनी थी और वर्ष के आरंभ में ₹ 2.97 करोड़ के संचित लाभ उनके पास था। कर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार कंपनी एक रिटेलर थी और उधार के कारोबार में नहीं थी। इस प्रकार, उक्त से निर्धारिती द्वारा स्वीकृत ऋण वर्ष के आरंभ में कंपनी के संचित लाभ की सीमा तक अधिशेष रूप में माना जाएगा। इसलिए, ₹ 2.97 करोड़ की राशि पर निर्धारिती के हाथों में अन्य स्रोतों से प्राप्त आय के रूप में कर लगाया जाना अपेक्षित था। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 1.14 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.97 करोड़ तक आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी ने धारा 144/263/154/143/(3) के अंतर्गत गलती में सुधार किया (जुलाई 2016)।*

4.4.4 टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान के लागू करने में चूकें

ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दिये हैं।

धारा 40(ए) (आईए) में प्रावधान है कि ऐसे भुगतान जहां टीडीएस की कटौती नहीं की गई या कटौती के बाद निर्धारित तिथि पर या उससे पूर्व जमा नहीं कराया गया है उसके प्रति व्यय की कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी।

4.4.4.1 प्र. सीआईटी-2 पटना प्रभार, बिहार में, नि.व. 2012-13 हेतु एक फर्म **मै. नंदलाल एंड कंपनी**, पटना का संवीक्षा निर्धारण ₹ 1.02 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए फरवरी 2015 में पूरा किया। 'ठेका निर्माण कार्य' के प्रति ₹ 2.69 करोड़ का भुगतान अनुमत किया गया था जिस पर ₹ 4.20 लाख की कटौती की गई थी परंतु उक्त को प्रासंगिक निर्धारण वर्ष के लिए आय की रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि के अंदर जमा नहीं किया गया था। चूंकि कर को रिटर्न फाइल करने की निर्धारित तिथि पर या पहले जमा नहीं

कराया गया था, ₹ 2.69 करोड़ का व्यय अस्वीकृत किया जाना और कर योग्य आय में वापस जोड़ा जाना अपेक्षित था। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.19 करोड़ के कर प्रभाव सहित ₹ 2.69 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया। *आईटीडी का उत्तर प्रतिक्षित है (अक्टूबर 2017)।*

4.4.4.2 सीआईटी (सेंट्रल), पटना प्रभार, झारखंड में, **सचिदानंद प्रसाद** का निर्धारण ₹ 11.84 लाख पर नि.व. 2012-13 के लिए मार्च 2014 में संवीक्षा के बाद पूरा किया। निर्धारिती ने दावा किया और वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 15 ट्रांसपोर्टों को किये गये भुगतान के संबंध में ₹ 2.22 करोड़ अनुमत किये, प्रत्येक व्यक्तिगत भुगतान ₹ 0.75 लाख से अधिक था, जिस पर स्रोत पर किसी कर की कटौती नहीं की गई थी। चूंकि कर स्रोत पर नहीं काटा गया था, ₹ 2.22 करोड़ की राशि को अस्वीकृत किया जाना अपेक्षित था और कर योग्य आय में जोड़ा जाना था। गलती के परिणामस्वरूप ₹ 2.22 करोड़ की आय का कम निर्धारण किया गया और ब्याज सहित ₹ 84.90 लाख का कम उदग्रहण किया गया। *आईटीडी ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 263 के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत गलती में सुधार किया (सितंबर 2016)।*

4.4.5 संपत्ति कर का अनुदग्रहण/कम उदग्रहण

₹ 0.46 करोड़ के कर प्रभाव सहित संपत्ति कर के छः मामले अप्रैल 2017 से जुलाई 2017 के दौरान मंत्रालय को सूचित किये गये थे। हमने पाया कि नि.अ. ने कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में इन मामलों में सीबीडीटी के दिशा निर्देशों⁸⁵ का अनुपालन नहीं किया।

ऐसे दो निर्देशी मामले हमने नीचे दिये हैं:

संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 14 के अनुसार, मूल्यांकन तिथि पर निर्धारण योग्य निवल संपत्ति रखने वाले व्यक्ति को अधिनियम में निर्दिष्ट निर्धारित तिथि पर या पहले अपनी निवल संपत्ति की रिटर्न प्रस्तुत करनी होगी।

4.4.5.1 डीसीआईटी सेंट्रल सर्कल 2(1), बेंगलोर प्रभार, कर्नाटक में, नि.व 2009-10 से 2013-14 के लिए **के. नागेश रेड्डी** का निर्धारण मार्च 2015 में धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत पूरा किया गया। लेखापरीक्षा संवीक्षा में जात हुआ कि निर्धारिती के पास नि.व. क्रमशः 2009-10 से 2013-14 के लिए ₹ 2.13 करोड़, ₹ 1.61 करोड़, ₹ 3.36 करोड़, ₹ 4.57 करोड़ और ₹ 4.03 करोड़ का निवल कर योग्य संपत्ति था। यद्यपि,

85 नवंबर 1973, अप्रैल 1979 और सितंबर 1984 में नि.अ. को सीबीडीटी के निर्देश जारी किये।

न तो निर्धारिती ने कोई रिटर्न फाइल की, न ही आईटीडी ने कोई संपत्ति कर निर्धारण प्रक्रिया आरंभ की। चूक के परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 17बी के अंतर्गत ब्याज सहित ₹ 24.80 लाख के परिणामी कर प्रभाव सहित निर्धारण से ₹ 15.70 लाख की राशि छूट गई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और संपत्ति कर अधिनियम का धारा 17(1) के साथ पठित धारा 16(5) के अंतर्गत गलती में सुधार किया गया (सितंबर 2016)।*

संपत्ति कर अधिनियम, 1957 की धारा 3 में प्रावधान है कि संबंधित मूल्यांकन तिथि पर निवल संपत्ति के संबंध में प्रत्येक निर्धारण वर्ष के लिए संपत्ति कर प्रभारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, संपत्ति कर अधिनियम की धारा 2(ईए) के अनुसार, निर्धारण वर्ष के संबंध में परिसंपत्ति का अर्थ कोई वाहन, मोटर कार, ज्वेलरी, याच, शहरी भूमि और 50 हजार से अधिक नकद राशि होता है।

4.4.5.2 प्र. सीआईटी सेंट्रल-5, कोलकाता प्रभार, पश्चिम बंगाल में, नि.व. 2013-14 हेतु **सरीफ हुसैन** का आयकर निर्धारण ₹ 5.13 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में संवीक्षा के बाद पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा ने प्रासंगिक निर्धारण वर्ष की तुलना पत्र से पाया कि निर्धारिती के पास ₹ 10.04 करोड़ की मूल्य की परिसंपत्ति (भवन, भूमि और नकद) थी, जिस पर संपत्ति कर अदा करने के लिए संपत्ति अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। परंतु न तो निर्धारिती ने संपत्ति की कोई रिटर्न फाइल की न ही उक्त हेतु आईटीडी ने कोई कार्रवाई की। चूक के परिणामस्वरूप ₹ 9.74 लाख के संपत्ति कर के अनुद्ग्रहण सहित ₹ 10.04 करोड़ की संपत्ति का गैर-निर्धारण हुआ। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 17 के अंतर्गत नोटिस जारी कर उपचारात्मक कार्रवाई की (अप्रैल 2017)।*

4.5 कर/ब्याज का अधिक प्रभार

4.5.1 हमने आंध्र प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू और उत्तर प्रदेश में ₹ 21.26 करोड़ के कर/ब्याज के अधिक प्रभार सहित 16 मामलों में आय का अधिक निर्धारण पाया। ऐसे दो निदर्शी मामले हमने नीचे दर्शाये हैं।

4.5.1.1 सीआईटी (अंत. कराधान)-2 प्रभार, दिल्ली में, निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2007-08 हेतु **करमजीत एस. जायसवाल**, उत्तराधिकारी स्वर्गीय श्री लाडली प्रसाद जायसवाल का निर्धारण क्रमशः ₹ 13.77 करोड़ और ₹ 2.06 करोड़ की आय पर नवंबर 2014 में पूरा किया⁸⁶। लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों निर्धारण वर्षों में, कर की गणना गलत कर और अधिक प्रभार लगाकर की गई थी। इसके

⁸⁶ धारा 147/143(3) के अंतर्गत

परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 2.28 करोड़ कर का अधिक प्रभार किया गया।
आईटीडी ने धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (सितंबर 2016)।

4.5.1.2 प्र. सीआईटी (सेंट्रल) भोपाल प्रभार, मध्य प्रदेश में, नि.व. 2014-15 के लिए **नितिन अग्रवाल** का संवीक्षा निर्धारण ₹ 8.21 करोड़ की आय पर मार्च 2016 में पूरा किया गया था। लेखापरीक्षा जांच में ज्ञात हुआ कि यद्यपि निर्धारिती ने ₹ 1.61 करोड़ का स्वयं निर्धारित कर (एसएटी) अदा किया, नि.अ. ने निर्धारिती की कर देयता की गणना करते समय केवल ₹ 10 लाख का एसएटी का क्रेडिट अनुमत किया। चूक के परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 1.80 करोड़ की अधिक कर मांग की गई। *मंत्रालय ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया और धारा 154 के अंतर्गत गलती में सुधार किया (जून 2016)।*

अध्याय V : संवीक्षा निर्धारण के दौरान अवास्तविक मांग

5.1 प्रस्तावना

सरकार के राजस्व स्रोत में उधार, कॉर्पोरेशन कर, आय कर, सीमा-उत्पाद शुल्क, सेवा कर, गैर- कर राजस्व, गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियां शामिल हैं। कॉर्पोरेशन और आय कर मिलकर सरकारी राजस्व का 33 प्रतिशत होता है। वार्षिक बजट प्रक्रिया में राजस्व संग्रहण का महत्व देखते हुए, यह अति महत्वपूर्ण है कि राजस्व संग्रहण रिपोर्टिंग वास्तविक आंकड़ों पर आधारित होनी चाहिए।

वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए, मुंबई क्षेत्र के प्र. मुख्य कमिश्नर का कुल कर संग्रहण ₹ 2,48,061 करोड़ था जबकि कॉर्पोरेट कर संग्रहण ₹ 1,45,708.30 करोड़ था। नमूना जांच के दौरान हमने पाया कि नि.अ. ने निर्धारिती को पूर्व-अदा किये गये कर (अर्थात अग्रिम कर और स्रोत पर छूट प्राप्त कर) की पूरी राशि का क्रेडिट अनुमत नहीं किया और धारा 234बी 234सी के अंतर्गत ब्याज की अधिक राशि उदग्रहीत की जिसके परिणामस्वरूप अवास्तविक मांग की गई जिसका संग्रहण किया गया। परिणामस्वरूप, नि.व. 2015-16 के दौरान ₹ 14,185.74 करोड़ का बढ़ा हुआ राजस्व संग्रहण हुआ। लेखापरीक्षा द्वारा विश्लेषित कुछ मामले पर बाद के पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

5.2 अग्रिम कर भुगतान का कम क्रेडिट

आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 207 के अनुशीलन में धारा 208 से 209 के प्रावधान के अनुसार अग्रिम कर के भुगतान का प्रावधान करती है। नमूना जांच के दौरान, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित पांच मामलों (तालिका 5.1) में पाया कि विभाग द्वारा निर्धारित अग्रिम कर का कम भुगतान पर धारा 234बी के अंतर्गत अग्रिम कर और ब्याज उदग्रहण कर का कम क्रेडिट देकर गलत मांग की गई थी।

तालिका 5.1: पूर्ण-भुगतान कर हेतु क्रेडिट न दिये वाले मामले (₹ करोड़ में)					
क्रम सं.	निर्धारिती का नाम, नि.व.	प्रभार	संवीक्षा की तिथि/अपील प्रभावित आदेश	सुधार/प्रतिदाय आदेश की तिथि (प्रतिदाय की राशि)	पाई गई अनियमितताएं
1	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2014-15	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	30.03.2016	31.03.2016 (9,407.69)	कुल अग्रिम कर हेतु क्रेडिट नहीं दिया गया था और धारा/234बी के अंतर्गत अधिक ब्याज उदग्रहीत किया गया था।
2	बैंक ऑफ बड़ौदा 2014-15	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	21.03.2016	12.04.2016 (1,572.09)	कुल अग्रिम कर हेतु क्रेडिट नहीं दिया गया था
3	बैंक ऑफ इंडिया, 2014-15	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	29.3.2016	31.3.2016 (584.0) 18.4.2016 (452.0)	₹ 1,170 करोड़ के अग्रिम कर का क्रेडिट नहीं दिया गया था।
4	आईडीबीआई बैंक लि., 2009-10	प्र. सीआईटी, एलटीयू मुंबई	22.3.2016	31.3.2016 (100.50)	अपील प्रभाव आदेश गलती से तैयार किया गया और अग्रिम कर का क्रेडिट कम दिया गया था।
5	डीएचएल एक्सप्रेस (इंडिया) प्रा. लि., 2012-13	प्र. सीआईटी 9, मुंबई	30.03.2016	07.07.2016 (10.48)	₹ 25.12 करोड़ का टीडीएस क्रेडिट नहीं दिया गया।

कुछ मुख्य मामले नीचे उजागर किये गये हैं:

5.2.1 प्र. सीआईटी-॥ मुंबई प्रभार में, निर्धारण वर्ष 2014-15 हेतु स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का संवीक्षा निर्धारण ₹ 17389.58 करोड़ की आय निर्धारित करते हुए 30 मार्च 2015 को पूरा किया। हमने देखा कि ₹ 4,908 करोड़ के भुगतान किये गये अग्रिम कर के प्रति केवल ₹ 1,202 करोड़ के अग्रिम कर का क्रेडिट दिया गया था। हमने देखा कि ₹ 5,853.63 करोड़ का ब्याज 24 महीने हेतु धारा 234बी के अंतर्गत उदग्रहीत किया गया था जो एक प्रतिशत प्रति माह के प्रति 5.75 प्रतिशत प्रति माह तक आंका जाता है। परिणामस्वरूप, ₹ 10,109.37 करोड़ की अवास्तविक मांग की गई थी। संबद्ध रूप से, एक और, निर्धारिती द्वारा स्वयं 30 मार्च 2016 को मांग अदा की गई थी और दूसरी ओर, निर्धारिती ने अदा किये गये अग्रिम कर का पूर्ण क्रेडिट लेते हुए उक्त तिथि अर्थात् 30 मार्च 2016 को त्रुटि के सुधार के लिए आवेदन किया था। ₹ 4,908 करोड़ के अग्रिम कर का कुल क्रेडिट के और अनुमति के पश्चात

₹ 9,407.69 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित करते हुए अगले दिन अर्थात् 31 मार्च 2016 को सुधार आदेश पास किया और 30.03.2016 को नियमित निर्धारण कर अदा किया। यद्यपि प्रतिदाय आदेश उक्त दिन आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बाद 31 मार्च 2016 को ही जारी कर दिया गया था, वास्तविक प्रतिदाय 2 अप्रैल 2016 अर्थात् अगले वित्तीय वर्ष को हस्तांतरित किया गया।

27 मार्च 2015 को समाप्त निर्धारण वर्ष 2013-14 के संवीक्षा निर्धारण आदेश में इसी प्रकार की चूक हुई थी, जिसमें ₹ 6,144 करोड़ की सम्पूर्ण राशि के स्थान पर ₹ 1,173 करोड़ के अग्रिम कर का क्रेडिट देकर ₹ 7,094.32 की मांग की गई थी। इस मामले में भी निर्धारती ने मांग का तुरन्त भुगतान किया था। चूक 31 मार्च 2015 को धारा 154 के तरह परिशोधित की गई थी और ₹ 6,771.11 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारित किया गया था।

5.2.2 प्र. सीआईटी मुम्बई प्रभार में निर्धारण वर्ष 2014-15 के लिए बैंक ऑफ बडौदा का संवीक्षा निर्धारण ₹ 5,045.33 करोड़ की आय निर्धारित कर 21 मार्च 2016 को पूर्ण किया गया था। हमने देखा कि ₹ 1,890 करोड़ के भुगतान किये गये अग्रिम कर के प्रति, नि.अ. ने केवल ₹ 595 करोड़ का क्रेडिट दिया था। कम अग्रिम कर मानने के परिणामस्वरूप ₹ 501.68 करोड़ के वास्तविक प्रतिदाय के प्रति, धारा 234बी के अन्तर्गत ₹ 203.29 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 1067.29 करोड़ की गैर-विद्यमान मांग का सृजन हुआ। निर्धारती ने 28 मार्च, 2016 को ₹ 1067.29 करोड़ की मांग का भुगतान किया, और अगले ही दिन अर्थात् 29 मार्च 2016 को यह इंगित करते हुए कि अग्रिम कर का क्रेडिट उचित ढंग से नहीं दिया गया था, परिशोधन के लिए आवेदन किया। हमने देखा कि विभाग द्वारा परिशोधन आदेश 12 अप्रैल 2016 (अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष में) को पास किया गया था और ₹ 1572.09 करोड़ का प्रतिदाय 26 अप्रैल 2016 को जारी किया गया था, जिसमें धारा 244ए के तहत ₹ 56.85 करोड़ का ब्याज शामिल किया गया था जिसे कम किया जा सकता था यदि पूर्व-भुगतान किये गये करों के लिए सम्पूर्ण क्रेडिट वास्तविक निर्धारण के दौरान दिया गया होता।

5.3 धारा 234बी/234सी के तहत ब्याज का उदग्रहण करके प्रतिदाय को रोकना

अधिनियम की धारा 234बी एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज के उदग्रहण का प्रावधान करती है यदि प्रदत्त कर निर्धारित अग्रिम कर के 90 प्रतिशत से कम है।

अधिनियम की धारा 234सी विनिर्दिष्ट देय तिथियों पर अग्रिम कर किस्त के भुगतान के आस्थगन के लिए एक प्रतिशत की दर पर साधारण ब्याज के भुगतान के उदग्रहण का प्रॉवधान करती है।

नमूना जांच के दौरान हमने देखा कि निम्नलिखित 13 मामले (तालिका 5.2) जिनमें निर्धारितियों को प्रतिदाय जारी नहीं किये गये थे क्योंकि धारा 234बी एवं 234सी के तहत अनुचित ब्याज का उदग्रहण किया गया था। 'निर्धारण सूचना प्रणाली' (एएसटी) में विपरीत समायोजन करके तथा प्रतिदाय के राशि की सीमा तक धारा 234बी/234सी के तहत ब्याज के उदग्रहण द्वारा प्रतिदाय को रोकने की पद्धति को अपनाया गया था।

तालिका 5.2: ऐसे मामले जहां धारा 234बी एवं 234सी के तहत ब्याज के उदग्रहण द्वारा प्रतिदाय का समायोजन किया गया था।					(₹ करोड़ में)
क्रम सं.	निर्धारितों का नाम नि.व	प्रभार	संवीक्षा की तिथि (रोका गया प्रतिदाय)	सुधार आदेश की तिथि (राशि वापस की गई)	ब्याज की राशि का भुगतान
1	हाउसिंग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई	25.02.2016 (181.91)	21.04.2016 (213.65)	32.59
2	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 2012-13	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	23.03.2016 (23.46)	12.07.2016 (29.33)	5.87
3	कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	28.03.2016 (25.5)	सुधार आदेश अभी पास किया जाना है	--
4	हेवलेट पैकार्ड फाइनेंशियल सर्विसेज (आई) प्राइवेट लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	29.03.2016 (20.14)	28.09.2016 (24.18)	4.03
5	बीएसई लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 2, मुंबई	29.01.2016 (17.82)	20.05.2016 (21.33)	3.40
6	एयर इंडिया लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 5, मुंबई	23.03.2016 (31.29)	28.07.2016 (40.49)	6.32
7	बिड़ला सनलाइफ एसेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 6, मुंबई	18.03.2016 (11.25)	08.11.2016 (13.72)	2.47
8	ड्राइव इंडिया एंटरप्राइजेज सॉल्यूशंस लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 9, मुंबई	29.03.2016 (18.26)	31.03.2017 (21.49)	3.36

9	मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 14, मुंबई	31.03.2016 (12.98)	24.06.2016 (15.45)	0.13
10	क्रेस्ट लॉजिस्टिक्स एंड इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी 14, मुंबई	15.02.2016 (32.69)	13.04.2016 (38.58)	5.88
11	कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, 2013-14	प्र. सीआईटी 14, मुंबई	28.03.2016 (10.95)	09.05.2016 (13.03)	2.08
12	लिचेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड, 2012-13	प्र. सीआईटी 14, मुंबई	31.03.2016 (7.79)	11.05.2016 (10.32)	2.06
13	जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी लिमिटेड, 2013-14	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई	18.03.2016 (167.77)	04.04.2016 (167.77)	शून्य

हमने नीचे तीन दृष्टान्त मामले दिये हैं:

5.3.1 प्र. सीआईटी एलटीयू मुंबई प्रभार में, आवास विकास वित्त निगम लि. के मामले में वर्ष 2013-14 के लिए संवीक्षा निर्धारण फरवरी 2016 में पूरा किया गया था। हमने देखा कि निर्धारिती ने ₹ 1,738.99 करोड़ के भुगतान योग्य कर के प्रति ₹ 1,920.90 करोड़ का पूर्व- भुगतान किया था। इस प्रकार, निर्धारिती ₹ 181.91 करोड़ के प्रतिदाय का हकदार था। तथापि, धारा 234बी के तहत ₹ 181.91 करोड़ के ब्याज के गलत उदग्रहण द्वारा प्रतिदाय रोका गया था। विभाग द्वारा 21 अप्रैल 2016 को आगामी वित्तीय वर्ष में चूक को परिशोधित किया गया था, जब पूर्व में धारा 234बी के तहत लगाया गया ब्याज को वापस लिया गया था और धारा 244ए के तहत ₹ 32.59 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 213.65 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारिती को जारी किया गया था।

5.3.2 प्र. सीआईटी एलटीयू, मुंबई प्रभार में, **जमा बीमा और क्रेडिट गारंटी निगम** के निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 8,703.34 करोड़ की आय का निर्धारण 18 मार्च 2016 को पूरा किया गया। हमने देखा कि निर्धारिती द्वारा ₹ 2,823.80 करोड़ की कर देयता के प्रति ₹ 2991.57 करोड़ के अग्रिम कर का भुगतान किया गया था। इस प्रकार, निर्धारिती ₹ 167.77 करोड़ के प्रतिदाय का हकदार था। तथापि, प्रतिदाय जारी नहीं किया गया था क्योंकि धारा 234सी के तहत ₹ 167.77 करोड़ का अनुचित ब्याज उदग्रहीत किया गया था। विभाग ने 04 अप्रैल 2016 अर्थात् अगामी वित्तीय वर्ष में चूक का परिशोधन किया और निर्धारिती को ₹ 167.77 करोड़ का प्रतिदाय जारी किया था।

5.3.3 प्र. सीआईटी, मुम्बई प्रभार में महानगर स्टॉक एक्सचेंज लि. के निर्धारण वर्ष 2013-14 के लिए ₹ 1.86 करोड़ का कर निर्धारित कर 31 मार्च 2016 को निर्धारण पूरा किया गया जिसके विरुद्ध निर्धारिती ने टीडीएस के रूप में ₹ 14.84 करोड़ के कर का पूर्व भुगतान किया था। तथापि, चूंकि धारा 234बी के तहत ₹ 12.98 करोड़ का ब्याज गलत ढंग से लगाया गया था, इसलिए निर्धारिती को कोई प्रतिदाय जारी नहीं किया गया था। 24 जून 2016 को चूक का सुधार किया गया था (अर्थात् आगामी वित्तीय वर्ष में) और धारा 244ए के तहत अप्रैल 2013 से जून 2016 की अवधि के लिए ₹ 2.47 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 15.45 का प्रतिदाय जारी किया गया था। इस प्रकार, संवीक्षा निर्धारण चरण पर धारा 234बी के अन्तर्गत ब्याज के गलत उद्ग्रहण के परिणामस्वरूप अतिरंजित राजस्व संग्रह और धारा 244ए के तहत ब्याज के रूप में ₹ 12.98 लाख के अतिरिक्त ब्याज का व्यय हुआ।

उत्तर में विभाग ने बताया कि ई-टीडीएस डेटा बेस में 2,591 प्रविष्टियां थी तथा धारा 143(3) के तहत आदेश पारित करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2016 थी, आयकर विभाग का सर्वर ठीक से कार्य नहीं कर रहा था, इसलिये टीडीएस का क्रेडिट दिये बिना आदेश पारित कर दिया गया था।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि विभाग ने ₹ 14.84 करोड़ के टीडीएस की सम्पूर्ण राशि के लिए क्रेडिट दिया था। जब उपलब्ध कर क्रेडिट कर से अधिक था तब विभाग ने धारा 234बी के तहत ब्याज की उद्ग्रहण पर कोई उत्तर नहीं दिया।

5.4 अन्य आपत्तियां

5.4.1 प्र. सीआईटी एलटीयू मुम्बई प्रभार में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के निर्धारण वर्ष 1991-92 के मामले में, ₹ 752.06 करोड़ की मांग निर्धारित कर जिसका 31 मार्च 2016 तक निर्धारिती द्वारा भुगतान किया गया था, अपील आदेश (आईटीएटी) का प्रभाव 21 मार्च 2016 को दिया गया था। हमने देखा कि ₹ 105.78 करोड़ की वास्तविक राशि के बजाय, पहले जारी प्रतिदाय के संबंध में ₹ 872.27 करोड़ की गलत उद्ग्रहण के कारण मांग सृजित की गई थी। निर्धारिती ने 31 मार्च 2016 को चूक के सुधार के लिए आवेदन दिया था, जिस तिथि पर मांग का भुगतान किया गया था। विभाग के द्वारा 01 अप्रैल 2016 को चूक का सुधार किया गया (आगामी वित्तीय वर्ष में) और अप्रैल 2016 के महीने के लिए ₹ 3.57 करोड़ के धारा 244ए के तहत ब्याज

सहित ₹ 762.48 करोड़ का प्रतिदाय निर्धारिती को जारी किया गया चूंकि यह धारा 244ए के तहत महीने के भाग के लिए भी पूरी तरह देय है।

5.5 निष्कर्ष

जैसी ऊपर चर्चा की गई, लेखापरीक्षा में ऐसे उदाहरण देखे गये जहां आईटीडी ने अनुचित तरीकों, जैसे निर्धारण में पूर्व-भुगतान किये गये करों के सम्पूर्ण क्रेडिट की अनुमति नहीं देना, अनुचित मांगों के तहत धारा 234बी एवं 234सी के तहत ब्याज की उद्ग्रहण आदि का सहारा लेकर अपना राजस्व संग्रहण लक्ष्य हासिल करने के लिए अतिरंजित मांगों की गई थी। अंत में धारा 244ए के तहत ब्याज के साथ आगामी वित्तीय वर्ष में संग्रहीत बढ़ी हुई मांगों विभाग द्वारा वापस की गई थीं। यह वास्तव में प्रतिदायों पर भुगतान किये गये परिहार्य ब्याज के रूप में राजकोष पर भारी बोझ डालता है।

अध्याय VI: निर्धारितियों द्वारा फर्जी संव्यवहार

6.1 प्रस्तावना

काले धन पर श्वेत पत्र, काले धन को⁸⁷ “परिसंपत्तियों एवं संसाधनों के रूप में परिभाषित करता है जो कि उसके उत्पादन के समय सार्वजनिक अधिकारियों को न तो सूचित किया गया है और न ही उनके कब्जे के दौरान किसी भी समय पर इसका खुलासा किया गया है”। काले धन की बड़ी धनराशि वैधानिक रूप से स्वीकार्य आर्थिक गतिविधियों के माध्यम से उत्पादित की जाती है जो कि मुनाफे को कृत्रिम रूप से कम करके करों का भुगतान करने से बचने के लिए कानून एवं अधिनियम के अनुसार सार्वजनिक अधिकारियों के लिए न तो लेखांकित और न ही इसका खुलासा किया गया है।

मुनाफे को कम करने के सामान्य तरीकों में से एक खरीद लागत और विभिन्न खर्चों को बढ़ाना है। इस प्रकार के मामलों में, खातो में बढ़े हुए खर्चों को दिखाने के लिए फर्जी बिल तैयार किये जा सकते हैं। इसमें पार्टियों से प्राप्त किये हुए फर्जी एवं बढ़े हुए बीजक शामिल होते हैं, जो कि इन गैर-कानूनी सेवाओं के लिए फर्जी वाउचरों को तैयार करते हैं और सांकेतिक शुल्क चार्ज करते हैं। संस्थानों द्वारा बैंक/आरटीजीएस के माध्यम से दान प्राप्त करने के लिए फर्जी संव्यवहार का भी सहारा लिया जाता है और इसके बाद कमीशन काटने के बाद नकदी के रूप में दाता को वापस भेजा जाता है और पहचान से बचने के लिए कई परतों के माध्यम से संव्यवहार भेजा जाता है। यह बाजार में पुनः काले धन को बढ़ाता है।

6.2 आयकर विभाग की भूमिका

आयकर विभाग (आईटीडी) मुख्यरूप से काले धन की समस्या का प्रतिरोध करने के लिए उत्तरदायी है। इस उद्देश्य के लिए, यह आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार कर चोरी का पता लगाने और कर चोरी के दोषी पाए जाने पर दंडित करने के लिए यह संवीक्षा निर्धारण के उपकरणों के साथ-साथ सूचना आधारित जांच का उपयोग करता है। ऐसा करने में, आईटीडी गैर-हिसाबी काले धन के सृजन, संचयन और उपयोग को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। आईटीडी का अन्वेषण विंग प्रायः विभिन्न स्रोतों से सूचना संग्रहित करता है, जांच करता है और एओ को इन निष्कर्षों की जांच और आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इनके विषय में सूचित करता है।

87 वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, सीबीडीटी द्वारा दिनांक 16 मई 2012 को काले धन पर श्वेत पत्र जारी किया गया था।

6.3 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

6.3.1 अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित सूचना के आधार पर लेखापरीक्षा में फर्जी संव्यवहारों/अनुकूलित प्रविष्टियों की विस्तृत जांच की गई थी:

➤ आईटीडी के कोलकाता, अन्वेषण विंग द्वारा किये गए सर्वेक्षण के आधार पर (जनवरी 2015), तीन संस्थाओं (निर्धारितियों)⁸⁸ की अधिनियम की धारा 35(1)(ii)⁸⁹ के तहत 770 दानों को कवर करने वाली रिपोर्टें संबंधित एओज⁹⁰ को आगे सत्यापन के लिए (अक्टूबर 2015) प्रेषित की गई थीं। इन 770 दाताओं में से, हमने विस्तृत जांच के लिए तीन दान लेने वाली संस्थाओं के साथ 87⁹¹ का चयन किया था। आईटीडी ने 13 दाताओं से संबंधित निर्धारण अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया था, जहां ₹ 15.94 करोड़ (दानों के 175 प्रतिशत की दर पर) की भारित कटौतियां अनुमत की गई थीं। निर्धारण अभिलेख प्रस्तुत न करने के लिए कोई कारण नहीं दिये गये थे केवल एक मामले⁹² को छोड़कर जिनमें यह कहा गया था कि अभिलेख आयकर समायोजन आयोग (आईटीएससी) के पास थे।

➤ अन्वेषण विंग, मुम्बई ने फरवरी 2014 में कोलकाता अन्वेषण विंग को सूचना भेजी थी यह बताते हुए कि पश्चिम बंगाल क्षेत्र के 55 निर्धारितियों ने मुम्बई की एक प्रविष्टि प्रदाता से फर्जी खरीद⁹³ प्रविष्टियों का लाभ उठाया

88 आईटी अधिनियम की धारा 35(1)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, निर्धारित, अनुमोदित वैज्ञानिक अनुसंधान संघ द्वारा भुगतान की गई किसी भी राशि की भारित कटौती के लिए पात्र था जो अपने उद्देश्य के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एवं किसी विश्वविद्यालय, कॉलेज एवं अन्य संस्थान के उपक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया गया है। 01.04.2011 से वित्तीय अधिनियम 2010 द्वारा भुगतान की गई राशि का एक और एक चौथाई के लिए भुगतान की गई राशि से एक और तीन-चौथाई तक धारा 35(1)(ii) के तहत कटौती में वृद्धि हुई थी।

89 (i) स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एण्ड पोपुलेशन हेल्थ-पैन: AABAS4570M (ii) मातृवाणी इन्सटीट्यूट ऑफ एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एण्ड एजुकेशन पैन: AABTM0125H और (iii) हर्बिक्योर हेल्थकेयर बाँयो हर्बल रिसर्च फाउन्डेशन पैन: AABCH4849J 2013-14 तक के निर्धारण वर्षों इस जांच में अन्तर्निहित थे।

90 पीसीआईटी-1 से 5, 8 से 17, 19 से 21, सेन्ट्रल-1 और 2, कोलकाता, आसनसोल, सिलीगुडी, प्र. डीआईटी (इन्व) गुवाहाटी एवं डीआईटी (अ.कर), कोलकाता के तहत

91 पं. बंगाल अधिकारक्षेत्र से वि.व. 2010-11 से 2014-15 से संबंधित 770 दान दाताओं में से 440 वि.व 2010-11 से 2012-13 से संबंधित थे। हमने पीसीआईटी-1 पीसीआईटी-2, पीसीआईटी-3, पीसीआईटी-4, पीसीआईटी सेन्ट्रल-1 एवं पीसीआईटी सेन्ट्रल-2 (कोलकाता में स्थापित सभी पीसीआईटी) से संबंधित ₹ 25 लाख और अधिक मूल्य की संव्यवहार धनराशि रखते हुए वि.व. 2010-11 से 2012-13 अर्थात नि.व. 2011-12 से नि.व. 2013-14 से संबंधित 87 निर्धारितियों का चयन किया था। हमने अपने चयन को नि.व. 2013-14 तक ही सीमित किया क्योंकि नि.व. 2014-15 के अधिकतर मामलों में संवीक्षा हमारे द्वारा लेखापरीक्षा किये जाने की तिथि तक पूरी नहीं हुई थी। तीन दान दाता संस्थाओं के मामले में, लेखापरीक्षा जांच को नि.व. 2014-15 तक विस्तारित किया गया था क्योंकि नि.व. 2014-15 के इन मामलों में उपचारात्मक कार्यवाही अन्य निर्धारण वर्षों के साथ पूरी कर ली गई थी।

92 नि.व. 2012-13 एवं 2013-14 के लिए एमटा कोल लि.।

93 कंपनियों/व्यक्ति जिन्होंने फर्जी आवास चलान जारी किये थे।

था। यह सूचना कोलकाता अन्वेषण विंग ने (फरवरी 2014) आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए संबंधित पीसीजआईटी को भेजी थी।

➤ 55 निर्धारितियों जिन्होंने फर्जी खरीदों के लिए प्रविष्टियों का प्रयोग किया था, उनमें से 50 मामलों⁹⁴ के संबंध में निर्धारण अभिलेख लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये थे। हमने देखा कि विभाग ने 17 मामलों में फर्जी खरीदों के ₹ 18.10 करोड़ की सम्पूर्ण धनराशि अस्वीकृत की थी और 18 मामलों में आंशिक रूप से अस्वीकृत दी थी। दो मामलों में, खरीदों की अनुमति को वास्तविक पाया गया था। तथापि, शेष 13 मामलों⁹⁵ में कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।

6.3.2 अन्वेषण विंग की सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, तीन संस्थानों अर्थात स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स एण्ड पोपुलेशन हेल्थ (स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स-एसएचजीएण्डपीएच), मातृवाणी प्रयोगिक अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान (मातृवाणी संस्थान-एमआईईआरई) और हर्बिक्योर हेल्थकेयर बाँयो हर्बल रिसर्च फाउंडेशन (हर्बिक्योर हेल्थकेयर-एचएचबीआरएफ), को अधिनियम की धारा 35(1)(III) के तहत वैज्ञानिक अनुसंधान पर व्यय के संबंध में कटौती के उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थानों के रूप में अनुमोदित किया गया था जो कि दाताओं, ब्रोकर और अनुकूल प्रविष्टि प्रदाताओं के साथ मिलीभगत में फर्जी दान प्राप्त कर रहे थे। फर्जी दान चैकों/आरटीजीएस के द्वारा लिये जा रहे थे और कमीशन लेने के बाद, और नकदी के रूप में समान राशि दान देने वालों को वापस किये गये थे, जैसेकि अन्वेषण निदेशालय कोलकाता के सर्वेक्षण रिपोर्ट में दर्शाया गया। दान प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों का हिस्सा कुल राशि का आठ से दस प्रतिशत था और कुल राशि का दो से आठ प्रतिशत ब्रोकर के द्वारा चार्ज किया गया था।

आईटीडी के अन्वेषण विंग ने आवश्यक सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए एओज को अपने निष्कर्ष सूचित करता है। चयनित मामलों की हमारी जांच के दौरान, हमने देखा कि इस प्रकार के मामलों से कैसे निपटना है इस संबंध में एओ को केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) से कोई निर्देश एवं दिशानिर्देश

94 विभाग ने ₹ 319.17 लाख की फर्जी खरीदों वाले पांच मामलों के अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे। एक मामले (मैसर्स पूष्करराज कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि., नि.व. 2011-12) में, निर्धारण अधिकारी ने बताया कि यद्यपि निर्धारितियों के पैर को सर्कल-3 गुवाहाटी से कोलकाता, वॉर्ड 10(4) को जून 2015 में हस्तान्तरित कर दिया गया था, निर्धारितियों के पिछले वर्षों के अभिलेख सर्कल-3, गुवाहाटी में पड़े हुए थे।

95 सितम्बर 2009 से मार्च 2016 के दौरान आईटी अधिनियम की विभिन्न धाराओं 250/143(3)/147 के तहत निर्धारित क्रम सं. 10 (तालिका 6.5) के केवल एक मामले में जहां निर्धारितियों द्वारा आय कर की कोई रिटर्न दाखिल नहीं की गई थी और अन्य दो मामलों (क्रम सं. 12 और 13) में आय की रिटर्न से संबंधित ब्यौरे प्रस्तुत नहीं किये गये।

प्राप्त नहीं हुए थे। परिणामस्वरूप, कई मामलों में न तो एओज द्वारा अन्वेषण विंग की रिपोर्ट पर कार्रवाही की गई और न ही दाताओं द्वारा फर्जी खरीदों की कटौती के दावों को अस्वीकृति दी गई थी। इस संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की आगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

6.3.3 फर्जी दान प्राप्त करने वाले निर्धारितियों की आय का कम परिवर्धन

फर्जी दान प्राप्त करने वाले तीन निर्धारितियों⁹⁶ में से, विभाग द्वारा केवल दो मामलों में संवीक्षा को पूरा किया गया और एक मामले (स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स) में आयकर निपटान आयोग द्वारा आदेश पारित⁹⁷ किया गया था। दो निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा में उपलब्ध कराये गये निर्धारण अभिलेखों⁹⁸ की जांच पर, हमने पाया कि इन संस्थानों द्वारा अपने लाभ और हानि (पी एंड एल) खातों में दिखाये गए दान की धनराशि अन्वेषण विंग की रिपोर्ट में दिखाई गये दान से बहुत कम थी। निर्धारण अधिकारी द्वारा कमीशन से अर्जित निर्धारितियों की आय के रूप में लाभ और हानि खातों के संबंध में केवल दस प्रतिशत दानों को ही माना गया था, और सभी मामलों में विभिन्नताओं के कारण जानने के लिए जांच की कोई अनुवर्ती कार्रवाही नहीं की गई थी। इस प्रकार, लाभ और हानि खातों में दान की कम सूचना के परिणामस्वरूप प्राप्त दान से ₹ 24.09 करोड़ की आय का छिपाव जैसा नीचे तालिका 6.1 में ब्योरे दिये गये⁹⁹ है:

तालिका 6.1: दान से आय का छिपाव					(₹ लाख में)
क्र.सं.	निर्धारितियों का नाम	नि.व.	ला.एवं.हा. खाते के अनुसार दान	अन्वेषण विंग की रिपोर्ट के अनुसार दान	अन्तर
1.	हर्बिक्योर	2011-12	1599.78	1854.80	255.02
		2012-13	5145.55	7236.80	2091.25
	हेल्थकेयर	2013-14	एनए ¹⁰⁰	6231.17	0.00
		2014-15	7426.25	7149.25	0.00
2.	मातृवाणी इन्सटीट्यूट	2013-14	1848.66	1901.04	52.38
		2014-15	1341.02	1351.02	10.00
कुल					2408.65

96 अन्वेषण विंग की रिपोर्ट के अनुसार, हर्बिक्योर हेल्थकेयर द्वारा वि.व. 2010-11 से 2014-15 के दौरान प्राप्त किये गये दान, मार्थवानी इन्स्ट्यूट वि.व. 2012-13 से 2014-15 के दौरान और वि.व. 2011-12 से 2014-15 दौरान स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स।

97 वि.व. 2013-14 तक के लिए हर्बिक्योर हेल्थकेयर और मार्थवानी इन्स्ट्यूट के संबंध में हर्बिक्योर हेल्थकेयर के संबंध में नि.व. 2012-13 के अतिरिक्त, जहां धारा 143(3) के तहत पारित आदेश को संशोधित करने के लिए आईटी अधिनियम की धारा 263 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करने का प्रस्ताव लंबित था। (दिसम्बर 2016)

98 नि.व. 2012-13, 2013-14 और 2014-15 के संबंध में जुलाई 2016।

99 नि.व. 2011-12, 2012-13 एवं 2014-15 के लिए हर्बिक्योर हेल्थकेयर और नि.व. 2013-14 एवं 2014-15 के लिए मातृवाणी इन्सटीट्यूट।

100 विभाग ने मार्च 2016 में धारा 143(3) के तहत पारित आदेश को सम्मिलित करते हुए मैसर्स हर्बिक्योर हेल्थकेयर (नि.व. 2013-14 उपरोक्त तालिका के क्रम सं. 01) के मामले में निर्धारण अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया था क्योंकि यह उनके द्वारा पता नहीं लगाया जा सका।

नि.व. 2011-12 के मैसर्स हर्बिक्योर हेल्थ केयर के मामले में, विभाग ने बताया (जनवरी 2017) कि अधिनियम की धारा 154 के तहत नोटिस जारी करके परिशोधन प्रक्रिया को शुरू किया गया था, जबकि, मातृवाणी इन्सटीट्यूट के मामले में, विभाग ने (जनवरी 2017) बताया कि संवीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षित खाते के अनुसार दान से अधिक निर्धारिती द्वारा अतिरिक्त प्राप्ति के तथ्य को प्रमाणित करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य पाया नहीं गया था और जांच रिपोर्ट में कुल आंकड़े के मुद्रण में गलती की संभावना थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अन्वेषण विंग ने अपनी रिपोर्ट में कुल आंकड़ों के समर्थन में फर्जी दाताओं की पूरी सूची प्रस्तुत की थी और इसलिये, मुद्रण में गलती की संभावना नहीं थी। इसके अतिरिक्त, अन्वेषण विंग की सूची के अनुसार निर्धारण अभिलेखों में देखे गये लाभ और हानि खातों में क्रेडिट किए जाने वाले दान के अनुरूप राशियों के साथ दान दाताओं की प्रति-जांच करने के संबंध में कोई प्रयास नहीं किये गये थे।

6.3.4 फर्जी दाताओं के विरुद्ध कार्रवाही को आरंभ नहीं करना

74 निर्धारितियों¹⁰¹ के निर्धारण अभिलेखों में यह देखा गया कि यद्यपि संबंधित एओज को काफी समय पहले अक्टूबर 2015 में अन्वेषण विंग की रिपोर्ट प्रेषित कर दी गई थी, परन्तु निम्नलिखित 18 मामलों में (तालिका 6.2) रिपोर्ट के आधार पर एओज द्वारा कोई कार्रवाही प्रारंभ नहीं की गई जहां ₹ 31.79 करोड़ के कर प्रभावों वाले फर्जी दान की ₹ 98.22 करोड़ की भारित कटौती की अनुमति अधिनियम की धारा 35(1)(ii)¹⁰² के तहत दी गई थी।

101 लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए 87 मामलों में से, 13 मामले प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

102 आईटी अधिनियम की धारा 35(1)(ii) के प्रावधानों के अनुसार, एक निर्धारिती एक अनुमोदित वैज्ञानिक शोध संस्था को भुगतान की गई किसी भी राशि की भारित कटौती के लिए योग्य है, जो अपने उद्देश्य के रूप में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एवं किसी विश्वविद्यालय कॉलेज एवं अन्य संस्थान के उपक्रम वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए उपयोग किया गया है। 01.04.2011 से प्रभावी वित्तीय अधिनियम, 2010 द्वारा भुगतान की गई राशि के एक और एक चौथाई के लिए भुगतान की गई राशि एक और एक तीन चौथाई तक धारा 35(1)(ii) के तहत कटौती में वृद्धि हुई थी।

तालिका 6.2: मामलों के ब्यौरे जहां एओज द्वारा फर्जी दान दाताओं के विरुद्ध कोई कार्रवाही प्रारंभ नहीं की गई थी।					(₹ लाख में)	
क्र.सं.	निर्धारिती का नाम, पैन, नि.व.	निर्धारण प्रभार	फर्जी दान (भुगतान किया गया) की धनराशि	भारित कटौती (दान के 175प्रतिशत पर)	कर प्रभाव (ब्याज रहित)	
1	मैसर्स प्रगति विनियोग प्राइवेट.लिमिटेड ABCP4919R, नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-4, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-11(2))	50.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	87.50	28.39	
2	मैसर्स आर्यन माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्रा.लि., AADCA7247B, नि.व. 2012-13	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-2, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल-4(2)),	1000.00 (एसएचजी एण्ड पीएच) और 1200.00 (एचएचबीआरएफ)	3850.00	1249.13	
3	मैसर्स आर्यन माइनिंग एण्ड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन प्रा.लि., AADCA7247B, नि.व 2013-14	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-2, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल-4(2)),	950.00 (एचएचबीआरएफ), 850.00 (एमआईईआई) और 900.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	4725.00	1533.03	
4	मैसर्स एफ हार्ले प्रा. लि. AAACF3966D, नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-1, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-1(1)),	30.00 (एचएचबीआरएफ)	52.50	17.03	
5	मैसर्स आईसर्व सॉल्युशन एण्ड सर्विसेज प्र.लि. AABCI6158F नि.व 2012-13	पीसीआईटी-4, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-12(1)),	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	14.19	
6	मैसर्स जेके इंटरनेशनल ट्रेड प्र.लि. AABCJ6307K नि.व. 2012-13	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-2, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल-4(2)),	80.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	140.00	45.42	
7	मैसर्स पैंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसियां लिमिटेड AABCP9346E नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-3, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-8(2))	50.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	87.50	28.39	
8	मैसर्स पैंगुइन ट्रेडिंग एंड एजेंसियां लिमिटेड AABCP9346E AY 2013-14	पीसीआईटी-3, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-8(2))	150.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	262.50	85.17	
9	मैसर्स लोटस मर्चेंडाइस प्राइवेट लिमिटेड AAACL5376P नि.व. 2012-13	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-1, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल-2(3))	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52	

10	मैसर्स एसोसिएटेड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड AACCA0754G नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-3, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-7(1))	30.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	52.50	16.22
11	मैसर्स कलश मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड AABCK1537C नि.व 2012-13	पीसीआईटी-2, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-4(1))	42.50 (एसएचजी एण्ड पीएच)	74.38	24.13
12	मैसर्स नवरत्न विनिमय प्राइवेट लिमिटेड AACCN7752P नि.व. 2012-13	पीसीआईटी-3, कोलकाता (आईटीओ वार्ड- 6(3))	40.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	70.00	21.63
13	मैसर्स एलाइड कैपिटल एंड इंवेस्टमेंट प्रा. लि. (AABCM8146R) नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-1, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड- 1(4))	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52
14	मैसर्स ऑर्टेम मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड (AAACO3663L) नि.व. 2013-14	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-1, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल- 2(3))	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52
15	मैसर्स तारिणी इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड (AACCT3687K) नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-3, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड- 9(1)),	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52
16	मैसर्स श्री वेंकटेश फिल्मस प्रा. लि. AA ECS8975P नि.व. 2013-14	पीसीआईटी- केन्द्रीय, कोलकाता 2 (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल 3(3)).	30.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	52.50	16.22
17	मैसर्स विष्णु कान्त मोहता AIBPM8796J नि.व. 2013-14	पीसीआईटी- केन्द्रीय, कोलकाता 2 (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल 3(3)).	60.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	105.00	32.45

18	मैसर्स एबीएस वाणिज्य प्राइवेट लिमिटेड AACCA7746E नि.व. 2013-14	पीसीआईटी, केन्द्रीय कोलकाता-1, (डीसीआईटी, केन्द्रीय सर्कल- 2(3))	25.00 (एसएचजी एण्ड पीएच)	43.75	13.52
----	--	---	-----------------------------	-------	-------

कुल				9821.88	3179
------------	--	--	--	----------------	-------------

मैसर्स नवरत्न विनिमय प्रा.लि. (क्रम सं. 12) के संबंध में, विभाग ने लेखापरीक्षा आपत्तियों को (फरवरी 2017) स्वीकार कर लिया था और बताया कि धारा 148 के तहत उपचारात्मक उपाय के लिए प्रस्ताव प्र. सीआईटी-2, कोलकाता को भेजा गया था। मैसर्स एबीएस वाणिज्य प्रा. लि. (क्रम.सं. 18) के मामले में भी धारा 148 के तहत उपचारात्मक उपाय के लिए प्रस्ताव प्रारंभ किया गया था। आगे, मैसर्स एफ हार्ले एण्ड कंपनी प्रा. लि. (क्रम सं. 4) के मामले में, विभाग ने बताया कि धारा 147 के तहत उपचारात्मक कार्रवाही शुरू की गई है। शेष मामलों में, कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया था (फरवरी 2017)।

6.3.5 फर्जी दानों के लिए भारित कटौती की अस्वीकृति दिये बिना फर्जी दाताओं के विरुद्ध उपचारात्मक कार्रवाही पूरी की गई।

निर्धारण अभिलेखों की संवीक्षा से पता चला कि फर्जी दाताओं के विरुद्ध फर्जी दानों के लिए भारित कटौती की अस्वीकृति दिये बिना निम्न मामलों में उपचारात्मक कार्रवाही को पूरा किया गया (तालिका 6.3):

तालिका 6.3: मामलों के ब्यौरे जहां फर्जी दानों के लिए भारित कटौती की अस्वीकृति दिये बिना एओ द्वारा उपचारात्मक कार्रवाही को पूरा किया गया					(₹ लाख में)
क्र. सं.	निर्धारित का नाम, पैनि.व.	निर्धारण प्रभार	फर्जी दान और भुगतान की गई राशि	भारित कटौती की राशि (दान राशि के 175 प्रतिशत पर)	कर प्रभाव (ब्याज रहित)
1	मैसर्स इंडिकॉन एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड (पैनि : AAACI5594E) नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-3, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-9(1))	125.00 एसएचजीएण्डपीएच	218.75	70.97
2	मैसर्स चामोंग टी एक्सपोर्ट प्रा. लिमिटेड AABCC3553E नि.व 2013-14	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(1))	100.00 एचएचबीआरएफ	175.00	56.78

3	मैसर्स नरोत्तमका काँमोडिटीज प्रा. लि. AAACN8807B नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-1, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-2(2) एण्ड 4(2))	100.00 एसएचजीएण्डपीएच	175.00	56.78
4	मैसर्स सयकोटा टी कंपनी पी लिमिटेड AADCS5246A नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(2))	50.00 एचएचबीआरएफ	87.50	11.36
5	मैसर्स टोंगानगांव टी कंपनी प्रा. लिमिटेड AABCT1824D नि.व. 2013-14	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(2))	100.00 एचएचबीआरएफ	175.00	56.78
6	मैसर्स चामोंग टी एक्सपोर्ट प्रा. लि. ¹⁰³ AABCC3553E नि.व. 2014-15	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(1))	100.00 एचएचबीआरएफ	175.00	56.78
7	मैसर्स मौंड टी सीड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ¹⁰³ AACCN0710C, नि.व. 2014-15	पीसीआईटी-2, कोलकाता (एसी/डीसीआईटी, सर्कल-4(1))	100.00 एचएचबीआरएफ	175.00	22.71 ¹⁰⁴
कुल			675.00	1181.25	332.16

हमने पाया कि हर्बिक्योर हेल्थकेयर, मातृवाणी इन्सटीट्यूट एण्ड स्कूल ऑफ ह्यूमन जेनेटिक्स (वैज्ञानिक अनुसंधान संगठनों) आयकर निपटान आयोग के समक्ष/निर्धारण कार्रवाइयों के दौरान स्वीकार किया कि उन्होंने दान के संबंध में चैक स्वीकार किए और स्वयं के लिए सेवा प्रभारों को रखने के बाद समान धनराशि वापस कर दी थी। सर्वेक्षण प्रचालनों के दौरान, अन्वेषण विंग ने भी नोटिस किया कि दान कभी-कभी एक से अधिक बिचौलियों के माध्यम से दान देने वालों को वापस दिये गये थे। इसलिये, अन्वेषण विंग के निष्कर्षों और आदाता संगठनों की स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए निर्धारिती द्वारा कटौती दावे की अनुमति देने की कोई गुजांइश नहीं थी।

दो दान दाताओं¹⁰⁵ के मामले में विभाग ने (अगस्त 2016) उत्तर दिया था कि अन्वेषण विंग से प्राप्त की गई सूचना सामान्य प्रकृति की थी और अभिलेख में कोई मूर्त सामग्री एवं प्रमाणिक प्रमाण उपलब्ध नहीं थे। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हर्बिक्योर हेल्थकेयर ने न केवल अन्वेषण विंग के

103 नियमित अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान इन निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियों को उठाया गया था।

104 नियम 8 के अनुसार कर की गणना कारोबार आय के 40 प्रतिशत पर की गई थी।

105 मै. चामोंग टी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लि. (क्रम सं. 2 और 6) और मै. मौंड टी सीड कंपनी प्राइवेट लि. (क्रम सं. 7)

सामने बल्कि निर्धारण के दौरान स्वीकार किया था कि वे फर्जी दान प्राप्त कर रहे थे। इसके अतिरिक्त अन्वेषण विंग की रिपोर्ट सामान्य प्रकृति की नहीं थी, इसमें कार्यप्रणाली के विस्तृत ब्यौरे और इसमें फर्जी दान दाताओं की सूची भी शामिल थी। इसके अलावा, आईटीडी ने कहा (फरवरी 2017) कि उपरोक्त मामले के लिए दोनों निर्धारितियों ने आयकर घोषणा योजना (आईडीएस) 2016 को अधिमानित किया था। इसके अतिरिक्त, मैसर्स साईकोटा टी कंपनी (क्रम सं. 4 तालिका 6.3 में) के मामले में, विभाग ने बताया कि निर्धारिती ने आईडीएस 2016 के तहत 50 लाख रुपये के फर्जी दान की घोषणा की थी और इसे कर के लिए प्रस्तुत किया था। यह स्पष्ट रूप से इस तथ्य को स्थापित करता है कि दान वास्तव में फर्जी थे और धारा 143(3) के तहत अपने आप संवीक्षा निर्धारण के दौरान अस्वीकृत किये जाने चाहिए थे।

6.3.6 उपचारात्मक कार्रवाही के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन नहीं दिया गया था

हमने पाया कि सक्षम प्राधिकारी ने अन्वेषण विंग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने के लिए धारा 147 के तहत पॉयनियर ऑनलाइन लि. (पैन AACCP7500K, नि.व. 2012-13, निर्धारण प्रभार पीसीआईटी-3 (वार्ड 7 (2) कोलकाता) के मामले को दोबारा खोलने के लिए निर्धारण अधिकारी के (फरवरी 2016) प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप फर्जी दान को अस्वीकृत करने और आय को पुनः निर्धारण के लिए कोई कार्रवाही नहीं की जा सकी थी। इस प्रकार के अननुमोदन के कारण के विषय में यद्यपि विभाग से पूछा गया था (नवम्बर 2016), परन्तु लेखापरीक्षा को यह सूचित नहीं किया गया था (सितम्बर 2017)।

6.3.7 फर्जी खरीदों के लिए आंशिक अस्वीकृतियाँ

अधिनियम की धारा 69(सी) के प्रावधानों के अनुसार, जहां निर्धारिती किसी भी प्रकार का व्यय करता है परन्तु इस प्रकार के खर्च के स्रोत के विषय में उसके द्वारा कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है अथवा उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण एओ की राय में संतोषजनक नहीं है, तो इस प्रकार के व्यय की राशि निर्धारिती की आय मानी जाय। इस प्रकार, जब एक बार यह स्थापित हो जाता है कि व्यय अस्पष्ट/फर्जी था, तो फर्जी व्यय की सम्पूर्ण राशि को सम्मिलित करना आवश्यक था। धारा 69 सी में आंशिक अस्वीकृति के लिए कोई गुजांइश नहीं है। इसके अतिरिक्त, धारा 37 (1) के प्रावधानों के अनुसार, केवल कारोबार के उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय 'व्यवसाय अथवा कारोबार

के लाभ और प्राप्ति' के शीर्ष के तहत प्रभार्य आय की गणना में अनुमत किया जायगा।

अन्वेषण विंग मुम्बई से प्राप्त सूचना को ध्यान में रखते हुए, फर्जी खरीदों के निम्नलिखित 18 मामलों (तालिका 6.4), में एओ द्वारा जांच की गई थी। यद्यपि, एओज द्वारा यह माना गया था कि निर्धारितियों ने फर्जी खर्चों की प्रविष्टियों का लाभ उठाया था, अस्वीकृतियां केवल आंशिक रूप से की गयी थी:

तालिका 6.4: फर्जी खरीदों के लिए आंशिक अस्वीकृति के मामलों के ब्यौरे। (₹ लाख में)				
क्र. सं.	निर्धारिती का नाम, पैन, नि.व.	निर्धारण प्रभार	फर्जी खरीद की राशि	जोड़ी गई राशि और प्रतिशत
1	मैसर्स ओम फोर्जिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड AAACO3336L, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-1, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-3(3), कोलकाता)	72.84	2.39 (3.27 प्रतिशत)
2	मैसर्स ओम फोर्जिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड AAACO3336L, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-1, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-3(3), कोलकाता)	33.31	1.09 (3.28 प्रतिशत)
3	आनन्द मेहता AFGPM3766E, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(1), कोलकाता)	25.02	0.75 (3 प्रतिशत)
4	प्रेमलता टेकरीवाल ABSPT5997N, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	18.02	0.54 (3 प्रतिशत)
5	प्रमोद कुमार टेकरीवाल ABUPT3079K, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	280.94	8.43 (3 प्रतिशत)
6	सज्जन कुमार बंसल ADVPB8045Q, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-13, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-37(4), कोलकाता)	322.07	10.24 (3.18 प्रतिशत)
7	सज्जन कुमार बंसल ADVPB8045Q, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-13, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-37(4), कोलकाता)	453.09	14.41 (3.18 प्रतिशत)
8	संदीप कुमार टेकरीवाल AAFHS0739F, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	103.51	3.11 (3 प्रतिशत)

9	प्रमोद कुमार टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABUPT3079K, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	421.37	12.64 (3 प्रतिशत)
10	संदीप कुमार टेकरीवाल ¹⁰⁶ AAFHS0739F, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	195.74	5.87 (3 प्रतिशत)
11	प्रेमलता टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABSPT5997N नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	54.13	1.62 (3 प्रतिशत)
12	प्रेमलता टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABSPT5997N, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	16.17	0.49 (3 प्रतिशत)
13	विनोद कुमार टेकरीवाल, एचयूएफ ¹⁰⁶ , AABHT3573Q, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(2), कोलकाता)	48.85	1.47 (3 प्रतिशत)
14	विनोद कुमार टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABVPT7683E, नि.व 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(2), कोलकाता)	49.54	1.49 (3 प्रतिशत)
15	विनोद कुमार टेकरीवाल ¹⁰⁶ ABVPT7683E, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(2), कोलकाता)	3.11	0.09 (3 प्रतिशत)
16	सत्य प्रकाश शर्मा ¹⁰⁶ ALSPS5474C, नि.व. 2010-11	पीसीआईटी -12, कोलकाता (एसीआईटी सर्कल-36)	165.37	3.72 (2.25 प्रतिशत)
17	सत्य प्रकाश शर्मा ¹⁰⁶ ALSPS5474C, नि.व. 2011-12	पीसीआईटी -12, कोलकाता (एसीआईटी सर्कल-36)	12.68	0.29 (2.25 प्रतिशत)
18	सत्य प्रकाश शर्मा ¹⁰⁶ ALSPS5474C, नि.व. 2009-10	पीसीआईटी -12, कोलकाता (एसीआईटी सर्कल-36)	443.19	9.97 (2.25 प्रतिशत)
कुल			2718.95	78.61

निर्धारण अभिलेखों से यह देखा गया कि निर्धारण अधिकारी ने अपने विवेकाधिकार के अनुसार अपने स्वयं के अनुमान के आधार पर केवल आंशिक रूप से राशि अस्वीकृत की। सत्य प्रकाश शर्मा (नि.व. 2009-10 से 2011-12) के मामले के संबंध में, विभाग ने बताया (नवंबर/दिसंबर 2016) कि नि.व. 2009-10 के लिये धारा 147 के अंतर्गत मामले को पुनः खोलने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि निर्धारित समय पहले ही समाप्त हो चुका था, जबकि

¹⁰⁶ इन निर्धारितियों के संबंध में लेखापरीक्षा आपत्तियां नियमित अनुपालन लेखापरीक्षाओं के दौरान जारी की गई थीं।

नि.व. 2010-11 और 2011-12 के लिये, निर्धारण अधिकारी ने सभी खरीद की संवीक्षा की थी और निष्कर्ष निकाला था कि वे सही थीं और बेहिसाब खरीद के रूप में लाभ अनुपात में उन्हें आंशिक रूप से अनुमत किया गया था। एक तरफ विभाग ने कहा कि “प्रस्तुत किये गये सभी आधार के अनुसार खरीद सही थी और फर्जी नहीं थी” जबकि दूसरी ओर फर्जी खरीद हेतु आंशिक रूप से अस्वीकृति की गई थी।

6.3.8 फर्जी खरीद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई

विभाग द्वारा निर्धारितियों द्वारा फर्जी खरीद की प्रविष्टियों का लाभ लेने के बारे में डीजीआईटी (आईएनवी), मुंबई से जानकारी प्राप्त होने के बावजूद निम्नलिखित मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई।

तालिका 6.5: मामलों का विवरण जहां जानकारी होने के बावजूद फर्जी खरीद पर कोई कार्रवाई नहीं की गई				(₹ लाख में)
क्र. सं.	निर्धारित का नाम, पै. नि.व.	निर्धारण प्रकार	डीजीआईटी (आईएनवी), मुंबई द्वारा यथा सूचित फर्जी खरीद की राशि	कर प्रभाव (ब्याज छोड़कर)
क. संवीक्षा मामले जहां फर्जी खरीद के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी				
1.	मैसर्स तिरुपति इंडस्ट्रीज लिमिटेड, AABCT1849C नि.व. 2010-11	फाइबर्स एंड पीसीआईटी-4, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-10(1), कोलकाता),	165.15	56.13
2.	मैसर्स किलबर्न लिमिटेड AABCK3421H नि.व. 2009-10	इंजीनियरिंग पीसीआईटी-1, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-1(1), कोलकाता)	26.56	9.03
3.	मैसर्स किलबर्न लिमिटेड AABCK3421H नि.व. 2011-12	इंजीनियरिंग पीसीआईटी-1, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-1(1), कोलकाता)	667.27	221.65
कुल			858.98	286.81
ख. संवीक्षा न किये गये मामले जहां फर्जी खरीद के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी				
4.	मैसर्स गोल्डविन लिमिटेड AABCG7693R नि.व. 2009-10	ट्रैकॉन प्राइवेट पीसीआईटी-2, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-6(1), कोलकाता)	70.38	21.75

5.	मैसर्स गोल्डविन ट्रेकॉन प्राइवेट लिमिटेड AABCG7693R नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-2, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-6(1), कोलकाता)	43.22	13.35
6.	मैसर्स गोल्डविन ट्रेकॉन प्राइवेट लिमिटेड AABCG7693R नि.व. 2011-12.	पीसीआईटी-2, कोलकाता (डीसीआईटी, सर्कल-6(1), कोलकाता)	0.89	0.28
7.	आनंद मेहता AFGPM3766E नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ वार्ड 30(1), कोलकाता)	23.71	7.33
8.	आनंद मेहता AFGPM3766E नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ वार्ड 30(1), कोलकाता)	31.03	9.59
9.	प्रमोद कुमार टेकरीवाल ABUPT3079K नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	230.41	71.20
10.	क्वेस्ट यूनाइटेड नि.व. 2011-12	AAAFAQ1740P (आईटीओ, वार्ड- 28(2), कोलकाता)	0.11	0.04
11.	संदीप कुमार टेकरीवाल AAFHS0739F नि.व. 2011-12	पीसीआईटी-10, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-30(4), कोलकाता)	190.98	59.01
12.	वीकेश ताराचंद मेहता ALHPM4119J नि.व. 2009-10	पीसीआईटी-8, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-23(3), हुगली)	99.37	30.71
13.	वीकेश ताराचंद मेहता ALHPM4119J नि.व. 2010-11	पीसीआईटी-8, कोलकाता (आईटीओ, वार्ड-23(3), हुगली)	64.58	19.95
कुल			754.68	233.21

हमने देखा कि आईटीडी ने ऐसे सभी मामलों से निपटने के लिये समान दृष्टिकोण नहीं अपनाया था क्योंकि तालिका 6.5 में उल्लिखित मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, जबकि तालिका 6.4 में उल्लिखित मामलों को पुनः खोला गया और फर्जी खरीद को आंशिक रूप से अस्वीकृत किया गया था। कार्रवाई नहीं करने के कारणों को विभाग से पूछा गया था लेकिन लेखापरीक्षा को सूचित नहीं किए गए थे (फरवरी 2017)।

6.4 निष्कर्ष

निर्धारण अधिकारी मनमाने ढंग से अपने अधिकार से; जो उनको नहीं दिया गया था फर्जी लेनदेनों से संबंधित राशि स्वीकृत या अस्वीकृत कर रहे थे। फर्जी दान से संबंधित अन्वेषण विंग की रिपोर्टों को कुछ मामलों में ध्यान में नहीं रखा गया था, जबकि अन्य मामलों में, इन जाली दानों या फर्जी खरीदों की राशि की अस्वीकृति करके कोई उचित अनुवर्ती कार्रवाई नहीं की गई थी। कुछ मामलों में, अस्वीकृतियां केवल आंशिक रूप से की गई थीं, जहां पूर्ण रूप से अस्वीकृति की जानी थी जिसके परिणामस्वरूप राजस्व हानि हुई।

अध्याय VII: आयकर विभाग में अपील प्रक्रिया

7.1 प्रस्तावना

आयकर अधिनियम, 1961, के अध्याय XX में मौजूद प्रावधानों के अनुसार, यदि निर्धारिती, अपने निर्धारण से संतुष्ट नहीं है, तो वह निर्धारण अधिकारी (एओ) के आदेश के प्रति आयकर आयुक्त (अपील) [सीआईटी (ए)] को अपील फाइल कर सकता है और निर्धारण अधिकारी को अपीलीय आदेश में दिये गये निर्देशों का पालन करना होगा। वैकल्पिक रूप से, निर्धारिती या आईटीडी निर्धारण आदेश में संशोधन हेतु कार्यवाही आरंभ कर सकते हैं। निर्धारिती या आयकर विभाग (आईटीडी) द्वारा सीआईटी (ए) के आदेश के प्रति आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (आईटीएटी) को अपील कर सकते हैं। अपीलीय न्यायाधिकरण के आदेश को निर्धारिती या आईटीडी द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। इसी प्रकार, उच्च न्यायालय के आदेशों को उच्चतम न्यायालय, जो अंतिम प्राधिकरण है, में अपील करके चुनौती दी जा सकती है।

7.2 कानून और प्रक्रियाएं

अधिनियम की धाराएं 246 से 262 सीआईटी (अपील), आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील के प्रावधानों से संबंधित हैं। इसके अतिरिक्त, अपील, नवीनतम न्यायिक घोषणाओं के साथ-साथ समय-समय पर केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी परिपत्रों/निर्देशों द्वारा शासित होती हैं।

7.3 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा के उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि क्या:

- क. अपील फाइल, अनुमत, निपटान और मानीटरिंग की प्रक्रिया के संबंध में अधिनियम/नियमावली/सीबीडीटी परिपत्रों/निर्देशों आदि के प्रावधानों का पालन किया जाता है।
- ख. अपीलीय आदेशों को करदाता को किसी भी असुविधा से बचने, सरकार के राजस्व के अवरोध को रोकने और ब्याज के अनावश्यक भुगतान को रोकने के लिये बिना विलंब और उचित रूप से लागू किया जाता है।

7.4 लेखापरीक्षा मापदंड

अपील प्रक्रिया का मूल्यांकन करने के लिये मापदंड के निम्नलिखित स्रोतों को ध्यान में रखा गया था।

- क. अधिनियम/नियमावली के प्रावधान
- ख. सीबीडीटी परिपत्र/निर्देश
- ग. न्यायिक घोषणाएं
- घ. आईटीडी का नागरिक चार्टर 2014
- ङ. आईटीडी के कार्यालय प्रक्रिया की नियमपुस्तक

7.5 लेखापरीक्षा पद्धति

लेखापरीक्षा पद्धति में निम्न को शामिल किया गया:

- क. मांग और कलेक्शन रजिस्टर से मामलों का चयन, जहां अपीलीय आदेशों का प्रभाव देने वाले आदेश, लेखापरीक्षा कवरेज की अवधि के दौरान पास किये गये थे।
- ख. चयनित मामलों के संबंध में लेखापरीक्षा जांच करना और हाफ मार्जिनों के साथ साथ ड्राफ्ट रिपोर्ट के रूप में आईटीडी को आपत्तियां जारी करना। आईटीडी के उत्तर उचित रूप से शामिल किये गए, जहां प्राप्त हुए थे।
- ग. लेखापरीक्षा निष्कर्षों (जुलाई 2017 में भेजे गये) के लिये मंत्रालय के उत्तर/टिप्पणियां मांगना और उचित रूप से उन्हें शामिल करना (11 सितंबर 2017 को प्राप्त उत्तर)।

7.6 लेखापरीक्षा कवरेज और नमूना आकार

लेखापरीक्षा ने अपील के मामले कवर किये, जो वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान विभिन्न अपीलीय प्राधिकरणों अर्थात् सीआईटी (ए), आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णीत किये गये थे और एओ द्वारा उनका क्रियान्वयन किया गया था। हमने राज्यों को 'क' और 'ख' में वर्गीकृत किया और निम्नलिखित रूप से प्रभारों का चयन किया:

श्रेणी "क" राज्य ¹⁰⁷	श्रेणी "ख" राज्य ¹⁰⁸
2 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (निगम निर्धारिती) सहित	1 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (निगम निर्धारिती)
1 प्रधान सीआईटी (बडी करदाता इकाई)	
2 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (केन्द्रीय)	1 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (केन्द्रीय)
1 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (गैर-निगम निर्धारिती)	1 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (गैर-निगम निर्धारिती)
1 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कराधान)	1 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (छूट)
1 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (छूट)	1 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (टीडीएस)
1 प्रधान सीआईटी/सीआईटी (टीडीएस)	

चयनित प्रधान सीआईटी/सीआईटी में, सर्कल चयन 100 प्रतिशत था और वार्ड चयन 33 प्रतिशत था। उपरोक्त के आधार पर, 689 यूनिट वाले 103 प्रधान, सीएसआईटी अर्थात 407 सर्कल और 282 वार्डों का लेखापरीक्षा में चयन किया गया था।

7.7 अभिलेखों को प्रस्तुत न करना

689 यूनिटों में से, जांच हेतु मांग और कलेक्शन रजिस्ट्रों में से कुल 26,465 मामलों का चयन किया गया था। चयनित और मांगे गये 26,465 मामलों में से 17,097 मामलों को प्रस्तुत और लेखापरीक्षित किया गया और शेष 9,368 मामले प्रस्तुत नहीं किये गये थे। मांगे गये अभिलेखों का प्रस्तुत न करना 35.40 प्रतिशत निकला। मांगे गये अभिलेखों का आईटीडी द्वारा प्रस्तुत न करना जम्मू और कश्मीर में 67 प्रतिशत, मुंबई में 59 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 54 प्रतिशत, उत्तर प्रदेश में 55 प्रतिशत, ओडीशा में 49 प्रतिशत और पंजाब में 16 प्रतिशत था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2017) कि जैसे और जहां भी मांगे जाने पर लेखापरीक्षा दल को अभिलेख प्रस्तुत करने के लिये निर्देश मौजूद हैं। तथापि, किसी कारण यदि अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जा सके तो अभिलेखों को लेखापरीक्षा के अगले चरण में प्रस्तुत किया जाना चाहिये।

अभिलेखों के प्रस्तुत न करने से लेखापरीक्षा के विषय पर उसके विश्लेषण हेतु वास्तविक रूप से नियोजित नमूना जांच में बाधा उत्पन्न हुई। अगले चरण में अभिलेख प्रस्तुत करने से कोई सहायता नहीं मिलेगी क्योंकि रिपोर्ट को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है।

107 आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडू, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल

108 बिहार, यूटी-चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, केरल, मध्यप्रदेश, पूर्वोत्तर राज्यों, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान और उत्तराखंड

7.8 एओ द्वारा की गई वृद्धियों का कायम रहना और आईटीडी की अपीलों की सफलता दर



7.8.1 हमने आईटीडी द्वारा प्रस्तुत 17,097 मामलों की जांच की और अधिनियम/नियमावली/सीबीडीटी परिपत्रों आदि के प्रावधानों के अननुपालन से संबंधित ₹ 549.56 करोड़ के कर प्रभाव से जुड़े 2,203 मामलों में अनियमितता पाई। ऐसी अनियमितताएँ, लेखापरीक्षित किये गये कुल मामलों के 12 प्रतिशत से अधिक में देखी गई, जो काफी अधिक प्रतिशत है।



7.8.2 हमने मुंबई में पांच प्रधान सीज़आईटी और पुणे में एक प्रधान सीआईटी में विभिन्न अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष एओ द्वारा की गई वृद्धियों की धारणीयता की जांच के लिये अध्ययन किया। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत 750 अपील मामलों में से, हमने 318 मामलों का चयन किया जिसमें संवीक्षा निर्धारण के दौरान एओ द्वारा निर्धारिती की आय में वृद्धि की गई थी। अध्ययन का परिणाम, जो नीचे प्रस्तुत किया गया है, ने दर्शाया कि अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष आईटीडी द्वारा की गई वृद्धियों की धारणीयता कम थी:

- क. संवीक्षा निर्धारण के 318 मामलों में, निर्धारितियों की आय में एओ द्वारा ₹ 10,676.90 करोड़ की वृद्धि की गई थी जिसमें से, केवल ₹ 2,214.60 करोड़ अर्थात जोड़ी गई राशि का 20.74 प्रतिशत को अपील के प्रभाव के निष्कर्ष से कायम रखा जा सका।
- ख. ब्लॉक निर्धारण¹⁰⁹ के 45 मामलों में, निर्धारितियों की आय में एओ द्वारा ₹ 801.08 करोड़ की वृद्धि की गई थी। तथापि, अपील प्रभाव के निष्कर्ष के बाद, न केवल यह वृद्धियां पूर्ण रूप से समाप्त की गई बल्कि अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा निर्धारितियों को ₹ 281.06 करोड़ की अतिरिक्त राहत भी दी गई थी। परिणामस्वरूप, विवरण में दाखिल ₹ 1,484.17 करोड़ की आय, ₹ 281.06 करोड़ तक कम हुई थी और अपील प्रभाव के बाद आय ₹ 1,203.11 करोड़ हो गई थी।
- ग. 134 मामलों में, एओ द्वारा निर्धारितियों के प्रति ₹ 156.69 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, जिसमें से केवल ₹ 25.63 करोड़ अर्थात जुर्माना राशि का 16.36 प्रतिशत अपील प्रभाव के बाद कायम रखा जा सका।

¹⁰⁹ ब्लॉक निर्धारण, पूर्व वर्ष जिसमें धारा 132 के अंतर्गत जांच की गई थी से पूर्व के छः निर्धारण वर्षों वाली ब्लॉक अवधि का निर्धारण है।

7.8.3 महानिदेशक आयकर (रसद), अनुसंधान और सांख्यिकीय विंग से प्राप्त जानकारी से पता चला कि आईटीडी द्वारा प्राप्त सफलता दर वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान विशेष रूप से आईटीएटी, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के स्तर पर कम थी। प्रत्येक अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष आईटीडी के पक्ष में, निर्धारिती और दोनों के पक्ष में (आंशिक रूप से आईटीडी के पक्ष में और आंशिक रूप से निर्धारिती के पक्ष में) निर्णीत अपील मामलों को नीचे ग्राफों में दर्शाया गया है:





7.8.4 इस प्रकार, आईटीडी द्वारा प्राप्त अपीलों में कुल सफलता दर कम थी। आईटीडी की सफलता दर कम हुई जब हम अपील के क्रमिक उच्च स्तर पर अपील के परिणामों को देखते हैं। अपील प्रक्रिया के क्रियान्वयन में अधिनियम/नियमावली/परिपत्रों के प्रावधानों का महत्वपूर्ण अननुपालन अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष आईटीडी द्वारा की गई वृद्धियों की कम धारणीयता और अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष आईटीडी की कम सफलता दर के लिये एक कारण हो सकता है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2017) कि इस संबंध में निम्नलिखित कदम पहले ही उठाये गये हैं:

- (i) विवादास्पद कानूनी मुद्दों को निपटाने और विभागीय राय/निर्धारित राय बनाने के लिये क्रमशः सीबीडीटी और प्रधान सीसीआईटी प्रभारों के स्तर पर केन्द्रीय तकनीकी समिति (सीटीसी) और क्षेत्रीय तकनीकी समितियों (आरटीसी)

का गठन किया गया है। (ii) इंटरनेट आधारित अभियोग प्रबंधन प्रणाली, राष्ट्रीय न्यायिक संदर्भ प्रणाली (एनजेआरएस) पूर्ण रूप से क्रियाशील है। (iii) मुकदमों की गुणवत्ता सुधारने के लिये अधिकारियों को संवेदनशील/प्रशिक्षित बनाने के लिये विभिन्न क्षेत्रीय स्टेशनों और प्रशिक्षण संस्थानों पर आयकर निदेशालय (एलएंडआर) द्वारा व्यापक रूप से कार्यशालाएँ आयोजित की जाती हैं। (iv) अप्रतिकूल कर व्यवस्था और विशेष मानदंड पर अपील फाइल करने के प्रति उठाये गये कदमों के लिये बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्देश पत्र जारी किये गये थे।

लेखापरीक्षा की राय है कि आईटीडी द्वारा उठाये गये सभी उपरोक्त उल्लिखित कदमों के बावजूद, अधिनियम, नियमावली/परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन, अपीलीय प्राधिकरणों के समक्ष आईटीडी द्वारा प्राप्त अपील में कुल सफलता दर के साथ-साथ की गई वृद्धियों की धारणीयता कम थी, जो उनकी कार्यपद्धति में सुधार की आवश्यकता का सुझाव देता है।

7.9 अपील दाखिल करने में अनियमितताएं, अपीलीय प्राधिकरणों के निर्देशों का पालन न करना तथा अन्य अनियमितताएं

हमने अपीलीय प्राधिकरणों को अपील दाखिल करने, क्षमा करने और अपील बढ़ाने के संबंध में समय-समय पर सीबीडीटी द्वारा जारी अधिनियम और परिपत्रों/निर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन की सीमा देखने के लिये अपील मामलों की जांच की। हमने फाइल करने में विलम्ब, विलम्ब के लिये माफी न देने, अपील फाइल करने से पूर्व विवरणी में दाखिल आय पर कर जमा न करने, अपील के स्तर को आगे न बढ़ाने, अधिनियम के संगत प्रावधानों के अननुपालन के कारण राजस्व हानि आदि के कारण 187 मामलों में अनियमितताएं पाईं। अधिनियम के प्रावधानों के अननुपालन के निष्कर्षों की सोदाहरण मामलों के साथ अनुवर्ती पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.9.1 अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुये अपील स्वीकार करना

7.9.1.1 अधिनियम की धारा 249 (4)(ए) में प्रावधान है कि कोई भी अपील तब तक स्वीकार नहीं की जायेगी जब तक निर्धारित विवरणी में दाखिल आय पर देय कर का भुगतान न करे। हमने आठ मामलों¹¹⁰ में गलतियां देखी जहां अपील फाइल करने से पूर्व निर्धारित द्वारा विवरणी में दाखिल आय पर कर के भुगतान की पूर्व शर्त पर ध्यान दिये बिना अपील स्वीकार की गई और निपटान किया गया था। ऐसे दो मामलों का उदाहरण नीचे दिया गया है:

110 गुजरात, पश्चिम बंगाल और गोवा में

प्रभार: प्रधान सीआईटी केन्द्रीय, पणजी, गोवा, नि.व.: 2011-12

निर्धारिती: मैसर्स मुकतर मिनरल प्रा. लि.; पैन: AAECM0510E

निर्धारिती ने उस पर देय ₹ 2.08 करोड़ के कर के साथ ₹ 5.70 करोड़ की आय के लिये सितंबर 2011 में अपना आयकर रिटर्न फाइल किया। एओ ने ₹ 6.26 करोड़ की कर मांग सहित ₹ 13.70 करोड़ की आय पर मार्च 2014 में निर्धारण¹¹¹ पूर्ण किया जिसके प्रति निर्धारिती ने अप्रैल 2014 में सीआईटी (ए) के समक्ष अपील फाइल की। लेखापरीक्षा ने देखा कि सीआईटी (ए) ने अपील स्वीकार की और बाद में इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि निर्धारिती ने अपील फाइल करने से पूर्व विवरणी में दाखिल आय पर देय कुल कर का भुगतान नहीं किया है, जुलाई 2015 में आदेश पारित कर दिया। इस प्रकार, अपील फाइल करने की पूर्व शर्त पूर्ण करना सुनिश्चित करने में विफलता के परिणामस्वरूप अपील की गलत स्वीकृति हुई।

प्रभार: प्रधान सीआईटी-4, कोलकाता, पश्चिम बंगाल: नि.व. 2004-05

निर्धारिती: शिल्पा क्रिएशन (प्रा.) लि.; पैन: AAEC5267L

निर्धारिती ने उस पर देय ₹ 10.60 लाख के कर के साथ ₹ 31.12 लाख की आय के लिये मार्च 2005 में अपना आयकर रिटर्न फाइल किया। एओ ने ₹ 72.48 लाख की कर मांग सहित ₹ 1.48 करोड़ की आय पर दिसंबर 2006 में संवीक्षा बाद निर्धारण पूर्ण किया जिसके प्रति निर्धारिती ने फरवरी 2007 में सीआईटी (ए) के समक्ष अपील फाइल की। लेखापरीक्षा ने देखा कि विवरणी में दाखिल आय पर देय ₹ 10.60 लाख के कुल कर में से, निर्धारिती ने अपील फाइल करने से पूर्व केवल ₹ 4.49 लाख का भुगतान किया था। तथापि, सीआईटी (ए) ने इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि निर्धारिती ने अपील फाइल करने से पूर्व विवरणी में दाखिल आय पर देय कुल कर का भुगतान नहीं किया था, अपील स्वीकार की और बाद में निर्धारिती की कुल आय से ₹ 1.01 करोड़ लाख की राहत देकर जुलाई 2013 में आदेश पास किया।

7.9.1.2 अधिनियम की धारा 249 (2) (सी) में प्रावधान है कि सीआईटी (अपील) को की गई अपील, तिथि जिस पर आदेश जिनके प्रति अपील की गई है, की सूचना दी जाती है, के 30 दिनों के अंदर प्रस्तुत की जायेगी। सीआईटी (अपील) अपील फाइल करने में विलंब हेतु क्षमा¹¹² कर सकता है यदि उसका कोई उचित कारण हो। यद्यपि, वो लंबित अपीलों के मामले में सुनवाई का अवसर देने के लिये बाध्य नहीं है, परन्तु समानता के आधार पर किसी लंबित

111 अधिनियम की धारा 153ए के साथ पठित धारा 143(3) के अंतर्गत

112 कार्यालय प्रक्रिया के मैन्युअल के पैराग्राफ 5.1 (अध्याय 18, खण्ड II, भाग ए तकनीकी)

अपील को अस्वीकृत करने से पूर्व ऐसा अवसर दिया जाना चाहिये। सुनवाई के बाद, यदि सीआईटी (अपील) की राय है कि विलंब के लिये क्षमा नहीं किया जाना चाहिये, तो उसे तदनुसार आदेश पारित करना चाहिये। जहां सीआईटी (अपील) ने विलंब के लिये क्षमा कर दिया और अपील स्वीकार कर ली वहां उसे न केवल आदेश शीट में विलंब हेतु क्षमा करने का कारण रिकॉर्ड करना चाहिये, बल्कि उसे अपीलीय आदेश में उसकी चर्चा भी करनी चाहिये। यह उपाय आईटीडी को यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह निर्णय लेने के लिये किया जायेगा कि क्या समयबाधित अपील स्वीकार करने के लिये अपीलीय आदेश में रिकॉर्ड किये गये कारण को आईटीएटी को आगे अपील करने का विषय बनाया जाना चाहिये। लेखापरीक्षा ने 71 मामलों¹¹³ देखें जिसमें निर्धारिती ने सीआईटी (ए)¹¹⁴ को अपील फाइल करने में विलंब किया था। विलम्ब 57 मामलों में 0-6 महीनों के बीच, 12 मामलों में 6 महीने से एक वर्ष के बीच और दो मामलों में एक वर्ष से अधिक का था। तथापि, अपील विलंब के लिये क्षमा के बिना स्वीकार की गई थी और विलंब के लिये माफी हेतु कारणों का कोई भी रिकॉर्ड आदेश शीट में नहीं पाया गया था।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2017) कि कर भुगतान की पूर्व शर्तों को ध्यान में न रखते हुये सीआईटी (ए) द्वारा अपील स्वीकार करने, विलंब के लिये माफ किये बिना सीआईटी (ए) द्वारा अपील स्वीकार करने और/या अपीलीय प्राधिकारियों के निर्देशों के अननुपालन के कारण अपील में विलंब और अस्वीकृति माफ करने के कारणों को रिकॉर्ड न करने के कारण हुई अनियमितताओं को नोट कर लिया गया है और क्षेत्रीय प्राधिकारियों को मामलों को सुग्राही बनाने के लिये सभी प्रधान सीसीआईटीज़ को पत्र जारी किया जा रहा था।

मंत्रालय का उत्तर सामान्य प्रकृति का है। मंत्रालय ने स्पष्ट रूप से यह नहीं बताया कि ऐसी अनियमितताएं दोबारा न हो इसकी जांच करने के लिये उसने क्या कोई कार्रवाई प्रस्तावित की है।

7.9.1.3 यह निर्धारित है¹¹⁵ कि जैसे ही अपील याचिका सीआईटी (अपील) के कार्यालय में प्राप्त होती है, उसकी संवीक्षा की जाती है और सीआईटी (अपील) को अपील ज़ापन की प्रति संलग्न करके फॉर्म आइटीएनएस-51 में संबंधित एओ को सूचना भेजना अपेक्षित है। इस फॉर्म के पीछे कुछ डाटा या विवरण अपेक्षित होता है जो एओ द्वारा भरा और सीआईटी (ए) को वापस भेजा जाना

113 तमिलनाडू में 69 मामले और पश्चिम बंगाल में 02 मामले

114 सीआईटी (अपील)- 1, 2, 16, 17, 18 और 19 तमिलनाडू और सीआईटी (अपील)-13 और 21 कोलकाता

115 कार्यालय प्रक्रिया के मैन्युअल के पैराग्राफ 8.3 (अध्याय 18, खण्ड II, भाग ए तकनीकी)

होता है। आदेश शीट में, एओ को आइटीएनएस 51 भेजने की तिथि से संबंधित जानकारी और एओ से रिपोर्ट की प्राप्ति की तिथि भरना अपेक्षित होता है। अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी प्रविष्टियों में, जानकारी शामिल होती है कि क्या अपील समय सीमा के अंदर है और क्या अपीलकर्ता ने देय कर का भुगतान कर दिया है।

तमिलनाडू में सीआईटी (ए) प्रभारों¹¹⁶ के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2015-16 के दौरान निपटाये गये अपील मामलों की संवीक्षा के दौरान, हमने 26 मामलों में देखा कि आदेश शीट में ऐसी प्रविष्टियां नहीं की गई थी जो सीआईटी (अपील) द्वारा अपीलों की स्वीकार्यता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक थीं। हमने बेलगाम प्रभार के अंतर्गत कर्नाटक में 18 मामलों में भी देखा कि सीआईटी (ए) को एओ द्वारा सूचना ज्ञापन आइटीएनएस 51 वापस नहीं किया गया था यद्यपि सीआईटी (ए) द्वारा अपील स्वीकार और निपटाई गई थीं।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितंबर 2017) कि लेखापरीक्षा में कवर की गई अवधि आईटीबीए के अपील मोड्यूल के लांच होने से पूर्व की थी और अपने अपील मोड्यूल के संचालन और स्थिरीकरण के साथ ही, सीआईटी (ए) द्वारा अपीलों के निपटान में विलंब और एओ द्वारा आइटीएनएस-51 प्रस्तुत करने में चूक की संभावना समाप्त हो जायेगी।

7.9.2 अपील प्राधिकरणों के निर्देशों का पालन न करने के कारण अपील रद्द होना

अपील प्राधिकारी आईटीडी को निर्देश जारी कर सकता है जो वो अपील के निपटान हेतु उचित समझे। आईटीडी के लिये अपील स्वीकार करने/निपटाने को सुविधाजनक बनाने के लिये प्राधिकरणों द्वारा निर्धारित समय सीमा के अंदर अपील प्राधिकरणों के निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। हमने सात मामले¹¹⁷ देखे जहां अपील प्राधिकरणों (उच्च न्यायालय-5 मामले; आईटीएटी-4 मामले) के निर्देशों का आईटीडी द्वारा पालन नहीं किया गया था, परिणामस्वरूप अपील प्राधिकरणों द्वारा आईटीडी की अपील, रद्द कर दी गई थी। एक ऐसा उदाहरण नीचे दिया गया है:

116 सीआईटी (अपील)- 1,2,16,17,18 और 19 तमिलनाडू

117 गोवा और पश्चिम बंगाल

प्रभार: प्रधान सीआईटी-4 कोलकाता, पश्चिम बंगाल नि.व. 1998-99

**निर्धारिती: मैसर्स क्लासिक इंफ्रास्ट्रक्चर और डिवेलपमेंट; पैन/जीआईआर:
जेसीआईटी/एसआर 4/सी-795/सीएएल**

सीआईटी (ए) ने 'लोन निधि पर प्रभारित ब्याज' पर संवीक्षा निर्धारण में एओ द्वारा किये गये ₹ 6.14 करोड़ की वृद्धि को हटा दिया और आईटीएटी ने सीआईटी (ए) के निर्णय की पुष्टि भी की। उच्च न्यायालय ने नवंबर 2005 में आईटीडी की अपील स्वीकार कर ली और आईटीडी को आठ हफ्तों के अंदर उत्तरदाता को अपील का नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। यद्यपि, उच्च न्यायालय द्वारा बार-बार अवसर दिये जाने के बावजूद आईटीडी ने उत्तरदाता को अपील का नोटिस जारी नहीं किया, तथापि मामले को सुनवाई के लिये सूचीबद्ध किया गया था। इसके बाद, उच्च न्यायालय ने अपील को यह कहते हुये रद्द कर दिया कि अपीलकर्ता अपील जारी रखने का इच्छुक नहीं था। इस प्रकार, आईटीडी द्वारा अपील प्राधिकारी के निर्देशों के अननुपालन के परिणामस्वरूप अपील रद्द हुई जिसको स्वयं आईटीडी द्वारा उच्च न्यायालय में प्रस्तावित किया गया था।

7.9.3 अन्य अनियमितताओं के परिणामस्वरूप राजस्व हानि

7.9.3.1 एओ द्वारा वृद्धियों का स्थिर न रह पाना

आईटीडी अधिनियम की धारा 147 और 263 के अंतर्गत क्रमशः आय निकास कार्रवाई और संशोधन आदेशों के माध्यम से निर्धारिती की आय में वृद्धियां करते समय अधिनियम के सभी निर्धारित प्रावधानों का पालन करेगा, ताकि अपील प्राधिकरणों के समक्ष यह वृद्धियां बनी रहे। आईटीडी, सीबीडीटी परिपत्रों और निर्देशों आदि के अनुसार कार्रवाई कर सकता है ताकि अपील प्राधिकरणों द्वारा अपीलों को रद्द होने से बचाया जा सके। लेखापरीक्षा ने 57 मामलों¹¹⁸ में अनियमितताएं देखीं जहां एओ द्वारा अधिनियम, सीबीडीटी परिपत्रों, निर्देशों आदि से संबंधित प्रावधानों का पालन नहीं किये जाने के कारण राजस्व हानि हुई। ऐसा एक उदाहरण नीचे दिया गया है:

118 आंध्र प्रदेश, असम, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडू और पश्चिम बंगाल

प्रभार: प्रधान सीआईटी VI, पंचकुला, हरियाणा, नि.व. 2005-06 से 2009-10 और 2011-12

निर्धारिती:- हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड पैन: AAACH9216J

सीबीडीटी ने दिनांक 28 अक्टूबर 1968 के परिपत्र एफ.संख्या. 12/113/68-1A(ए-11) के माध्यम से स्पष्ट किया कि संस्थान जिनकी आय अधिनियम के अंतर्गत छूट प्राप्त है, उनको भुगतान करते समय स्रोत पर कर काटने की कोई आवश्यकता नहीं है।

नि.व. 2005-06 से 2009-10 और 2011-12 के लिये अन्य बातों के साथ-साथ टीडीएस न काटने के कारण बाजार समिति को कुल ₹ 56.66 करोड़ के ब्याज के भुगतान के लिये धारा 40 (ए) (आईए) के अंतर्गत वृद्धि करके दिसंबर 2007 से जनवरी 2014 के बीच संवीक्षा के बाद निर्धारण पूर्ण किया गया था। एओ द्वारा की गई वृद्धि से असंतुष्ट, निर्धारिती ने सीआईटी (ए) में अपील फाइल की जिसने उपरोक्त परिपत्र को ध्यान में रखते हुये एओ द्वारा की गई वृद्धि को हटा दिया। आईटीडी ने आईटीएटी के समक्ष अतिरिक्त अपील की जो इस आधार पर अस्वीकृत हो गई थी कि बाजार समिति एक चैरिटेबल संस्थान है और अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत कर देने हेतु उत्तरदायी नहीं है और इसलिये, स्रोत पर कर काटने का प्रावधान लागू नहीं होता। सीबीडीटी के निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप अपीलों की परिहार्य रूप से वृद्धि हुई।

7.9.3.2 सीआईटी (ए) द्वारा अपील निस्तारण रजिस्टर के अनुरक्षण से संबंधित निर्देशो का गैर अनुपालन

आईटीडी- एमओपी (भाग II) के अध्याय 18 के पैरा 27.1 में सीआईटी (अपील) द्वारा रजिस्टर बनाए जाने का प्रावधान है अर्थात अपील प्रक्रिया की समुचित निगरानी के क्रम में अपील रजिस्टर (आईटीएनस 133) एवं निस्तारण रजिस्टर (आईटीएसएन 134) में अपील स्वीकार करने की प्राप्ति की तिथि, अपील के प्रति आदेश तथा अपील याचिका के निस्तारण के बाद निस्तारण रजिस्टर में संख्या/निस्तारण की तिथि (यदि अपील किसी को स्थानांतरित की गई हो) आदि जैसी सूचना निहित होती है जबकि निपटान रजिस्टर में अपीलीय आदेश की तिथि, अपील का परिणाम, वृद्धि/कटौती आदि जैसे विवरण शामिल होते हैं जो अपील प्रक्रिया की निगरानी हेतु अनिवार्य सूचना हैं। हमने अपील रजिस्टर (आईटीएसएन 133) और निस्तारण रजिस्टर (आईटीएसएन 134) के अनुरक्षण में अनियमिततायें देखीं जिन पर नीचे चर्चा की गई है:

- क. महाराष्ट्र, सीआईटी (ए)-13 पुणे प्रभार में निस्तारण रजिस्टर बनाया ही नहीं गया था जबकि सीआईटी (ए)-6 पुणे प्रभार में निस्तारण रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं बनाया गया था। इसके अलावा, सीआईटी (ए)-1, सीआईटी (ए)-49 और सीआईटी (ए)-50 मुंबई प्रभार में कॉलम सं. छ: 'अंतिम सुनवाई की तिथि' या तो खाली छोड़ दिया गया अथवा उसमें निर्धारण वर्ष भर दिया गया था।
- ख. तमिलनाडू में आईटीएसएन-133 में अनुरक्षित अपील रजिस्टर में निस्तारण की तिथि का विवरण नहीं था और निस्तारण रजिस्टर बनाया ही नहीं गया था।
- ग. केरल में सीआईटी (ए) के आठ कार्यालयों में से चार ने अपील रजिस्टर समुचित प्रारूप में नहीं बनाया था।

7.9.3.3 एओ द्वारा अपील रजिस्टर का गैर-अनुरक्षण/अनुचित अनुरक्षण

आयकर विभाग के कार्यालय प्रक्रिया नियमपुस्तक (अध्याय 18, भाग-II तकनीकी) के पैरा 27.2 के अनुसार अपीलीय आदेशों की संवीक्षा, समय पर अपील स्वीकार करने तथा अपीलीय आदेशों का एक समान कार्यान्वयन, सुनिश्चित करने हेतु एओ को निर्धारित फार्म आईटीएनएस-61 में अपील रजिस्टर बनाना होता है। हमने 14 राज्यों¹¹⁹ में देखा कि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए 332 अपील रजिस्ट्रों में से 254 रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं बनाए गए थे।

मंत्रालय ने बताया (सितम्बर 2017) कि अपील पर कार्रवाई करने और उनके निस्तारण के संबंध में रजिस्ट्रों के अनुरक्षण एवं अपूर्ण डाटा प्रविष्टि जैसे मुद्दों को उनके आईटीबीए के अपील माड्यूल में ठीक कर लिया गया है और मैनुअल से प्रणाली व्यवस्थाओं के स्थिर हो जाने के बाद ऐसी सभी समस्याएँ दूर हो जाएंगी।

7.9.3.4 प्र. सीसीआईटी द्वारा सीआईटी (ए) के कार्य का निरीक्षण न किया जाना

सीबीडीटी के दिनांक 04.11.2008 के अनुदेश संख्या 16 में प्रावधान है कि सामान्यतया विभिन्न सरकारी निर्देशों और विशेषकर सीबीडीटी के निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में कार्यालय की सम्पूर्ण कार्यचालन की जांच करने एवं उस पर टिप्पणी देने के लिए संबंधित प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर द्वारा सीआईटी(ए) के कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा। लेखापरीक्षा ने

¹¹⁹ आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडू

देखा कि निम्नलिखित मामलों में सीबीडीटी निर्देशों के अनुपालन में निरीक्षण नहीं किए गए थे।

- क. महाराष्ट्र, मुम्बई प्रभार में 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान सीआईटी (ए)-1, सीआईटी (ए)-5, सीआईटी (ए)-49, सीआईटी (ए)-50, मुम्बई और सीआईटी(ए)-13 पुणे के कार्यालय में कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
- ख. आंध्र प्रदेश, हैदराबाद प्रभार में प्र.सीआईटी, हैदराबाद द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए सीआईटी (ए)-4 का निरीक्षण नहीं किया गया था। वर्ष 2014-15 और 2015-16 के लिए सीआईटी (ए) विशाखापट्टनम का निरीक्षण नहीं किया गया था क्योंकि विशाखापट्टनम में कोई नियमित सीसीआईटी तैनात नहीं था।
- ग. राजस्थान, सीसीआईटी जोधपुर एवं उदयपुर प्रभार में किए गए निरीक्षण के विवरण और निरीक्षण रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
- घ. गुजरात में 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान लक्षित कुल 15 निरीक्षण के प्रति सीसीआईटी-2 अहमदाबाद द्वारा सीआईटी(ए) के कार्यालयों के केवल चार निरीक्षण किए गए थे।
- ङ. पंजाब, प्र.सीसीआईटी लुधियाना प्रभार में 2013-16 की अवधि के दौरान निरीक्षण नहीं किया गया था।
- च. कर्नाटक, बेंगलूरु प्रभार में छः सीआईटी (अपील) के संबंध में वि.व. 2013-14 से 2014-15 के लिए कोई निरीक्षण नहीं किया गया था।
- छ. छत्तीसगढ़ में 2013-16 के दौरान प्र. सीआईटी द्वारा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था।
- ज. मध्य प्रदेश में 2013-16 के दौरान प्र. सीआईटी द्वारा कोई भी निरीक्षण नहीं किया गया था।

प्र. सीसीआईटी द्वारा सीआईटी (ए) का निरीक्षण निगरानी तंत्रों में से एक है जो अपील प्रक्रिया के आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए अनिवार्य है। सीसीआईटी द्वारा सीआईटी (ए) के कार्य के निरीक्षण का अभाव, अपील प्रक्रिया पर निगरानी की कमी दर्शाता है जिसके कारण विभिन्न अनियमिततायें और अनुपालन मुद्दे हो सकते हैं जैसे कि इसकी पूर्व-शर्तों को पूरा किए बिना सीआईटी (ए) द्वारा अपील स्वीकार करना, अपील आदेश जारी करने में देरी, अपील निस्तारण पंजिका का अनुरक्षण न करना आदि। मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा आपत्ति का संज्ञान लिया गया है और यह कि क्षेत्रीय अधिकारियों को मामले से अवगत कराने के लिए सभी प्र. सीसीआईटी को पत्र जारी किया जा रहा था।

7.10 एओज़ द्वारा अपीलीय आदेशों का कार्यान्वयन

अपीलीय आदेश को लागू करते समय एओ को अपीलीय आदेश में दिए गए दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना होगा तथा अंकगणितीय शुद्धता सुनिश्चित करनी होगी। प्रशासनिक आयुक्त (सीआईटी) की यह जिम्मेदारी है कि वह अपने प्रभार के अंतर्गत एओज़ द्वारा अपीलीय आदेशों के कार्यान्वयन की निगरानी करे। हमने ₹ 549.56 करोड़ के कर प्रभाव वाले 2016 मामले देखे जहां एओज़ ने अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में गलतियां की अथवा अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में देरी की, जिससे ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ और राजस्व बाधित हुआ। यह एओज़ द्वारा अपीलीय आदेशों के कार्यान्वयन में सीआईटी की ओर से अपर्याप्त ध्यान देना और अपर्याप्त निगरानी भी दर्शाता है। अपीलीय आदेशों को लागू करने में त्रुटि /देरी तथा इसके परिणामों पर निदर्शी मामलों के साथ अगामी पैराग्राफों में चर्चा की गई है।

7.10.1 अपीलीय आदेशों को लागू करने में त्रुटियां

हमने निर्धारिती को पहले ही जारी प्रतिदाय पर ध्यान न देने, ब्याज की गैर/कम उगाही, गलत आंकड़े लेने आदि के कारण अपीलीय आदेशों को लागू करते समय ₹ 286.44 करोड़ के कर प्रभाव सहित 15 राज्यों¹²⁰ में 219 मामलों में त्रुटियां देखीं। दो ऐसे मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

प्रभार: प्र. सीआईटी -एलटीयू मुम्बई, महाराष्ट्र: नि.व. 1997-98

निर्धारिती: मै. बजाज होल्डिंग एण्ड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड

पैन: AAACB3370K

अधिनियम की धारा 244(ए)(1) के अनुसार जब प्रदत्त अग्रिम कर या टीडीएस या टीसीएस में से कोई प्रतिदाय निर्धारिती को देय हो तो निर्धारण वर्ष के 01 अप्रैल से प्रति माह 0.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर पर प्रतिदाय की मंजूरी की तिथि तक ब्याज देय है। कोई भी ब्याज देय नहीं होगा यदि अधिक भुगतान नियमित निर्धारण पर अथवा धारा 143(1) के अन्तर्गत निर्धारित कर के 10 प्रतिशत से कम है।

120 आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, गोवा, दिल्ली, यूटी चण्डीगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखण्ड तथा मध्य प्रदेश

एओ ने मार्च 2014 में सीआईटी (अपील) के आदेश को लागू करते समय ₹ 9.89 करोड़ की प्रतिदाय राशि का प्रसंस्करण किया जिसमें अग्रिम कर और टीडीएस से होने वाला ₹ 2.75 करोड़ का प्रतिदाय शामिल था। चूंकि ₹ 2.75 करोड़ की प्रतिदाय राशि धारा 143(1) के अन्तर्गत निर्धारित कर¹²¹ के 10 प्रतिशत से कम थी इसलिए उक्त राशि पर कोई ब्याज देय नहीं था। तथापि, आईटीडी ने अधिनियम के प्रावधान के विपरीत निर्धारिती को ₹ 2.27 करोड़ के ब्याज का भुगतान किया।

प्रभार: प्र. सीआईटी VI, दिल्ली, नि.व. 2005-06

निर्धारिती: मै. एनटीपीसी लि., पैन: AAACN0255D

एओ ने जुलाई 2014 में अपीलीय आदेश लागू करते समय निर्धारिती को ₹ 362.17 करोड़ के पूर्व प्रदत्त करों का क्रेडिट देना छोड़ दिया। निर्धारिती द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर अक्टूबर 2014 में अधिनियम की धारा 154 के अन्तर्गत त्रुटि में सुधार किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि अतिरिक्त तीन महीनों अर्थात् अगस्त 2014 से अक्टूबर 2014 की अवधि के लिए धारा 244ए के अन्तर्गत आईटीडी को ₹ 5.43 करोड़ ब्याज का भुगतान करना पड़ा जिसके कारण खजाने पर इतनी ही राशि का अतिरिक्त बोझ पड़ा।

7.10.2 अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में देरी

एओ को असाधारण तेजी के साथ अपीलीय आदेश लागू करना अपेक्षित है ताकि नई मांगे, यदि कोई हों, की जा सकें और निर्धारिती को जारी किए जाने वाले प्रतिदायों पर धारा 244ए के तहत देय ब्याज से बचा जा सके। इस प्रावधान को देखते हुए प्र. सीआईटी/सीआईटी के कार्यालय में प्राप्त होने वाले आदेश के माह की समाप्ति से एक महीने की समय-सीमा अपीलीय आदेशों को लागू करने के लिए पर्याप्त माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त आईटीडी के नागरिक चार्टर 2014 में महीना जिसमें कार्रवाई शुरू की जाती है, की समाप्ति से एक महीने के अंदर अपीलीय/संशोधन आदेश प्राप्त करने की समयसीमा का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, आईटीडी के तकनीकी, एमओपी के भाग II के अध्याय 18 में यह प्रावधान है कि अपीलीय आदेशों के परिप्रेक्ष्य में निर्धारण में संशोधन हेतु एओ द्वारा तत्काल कदम उठाये जाने

121 ₹ 229.41 करोड़

चाहिए। इस प्रकार करदाताओं की सुविधा एवं धारा 244ए के अन्तर्गत ब्याज के भुगतान के संबंध में राजस्व देयता घटाने के लिए अपीलीय आदेशों को सही तरीके एवं समय पर लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा, यदि राजस्व के हित में मांग उठाई जानी हो तो राजस्व अवरोधन से बचने के लिए शीघ्रतिशीघ्र मांग उठाई जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा ने 19 राज्यों¹²² में 204 मामलों में देखा कि एओ ने अपीलीय आदेशों का तेजी से कार्यान्वयन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप अपीलीय आदेशों को लागू करने में देरी हुई जिससे धारा 244ए के अन्तर्गत ₹ 258.61 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ। ऐसे चार मामलों को नीचे दर्शाया गया है:

प्रभार: प्र. सीआईटी-2 मुम्बई, महाराष्ट्र; नि.व. 2010-11

निर्धारिती: सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पैन: AAACC2498P

एओ ने मार्च 2012 में संवीक्षा के पश्चात निर्धारण पूर्ण करते समय ₹ 1509.83 करोड़ की वृद्धि की जो निर्धारिती द्वारा विवादित था। सीआईटी(ए) ने मार्च 2014 में आदेश पारित किया जो निर्धारण प्रभार में अप्रैल 2014 में प्राप्त हुआ। इस आदेश के फलस्वरूप निर्धारिती ने अप्रैल 2014 में सीआईटी (अपील) के आदेश को लागू करने का अनुरोध किया। एओ ने 10 महीनों की देरी के बाद मार्च 2015 में सीआईटी (अपील) के आदेश को लागू किया जिसके परिणामस्वरूप धारा 244ए के अन्तर्गत ₹ 27.16 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

प्रभार: सीआईटी (एलटीयू), चेन्नई; नि.व. 2011-12

निर्धारिती: मै. इंडियन ओवरसीज़ बैंक, पैन: AAACI1223J

सीआईटी (ए) ने अक्टूबर 2013 में आदेश पारित किया जो निर्धारण प्रभार में नवम्बर 2013 में प्राप्त हुआ। तथापि, एओ ने अपील को मई 2014 में अर्थात् पांच महीनों की देरी के बाद लागू किया। एओ द्वारा अपील लागू करने

122 महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडू, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, असम, कर्नाटक, गोवा, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश तथा उत्तराखण्ड

में देरी के कारण ₹ 552.89 करोड़ की प्रतिदाय राशि पर धारा 244ए के अन्तर्गत ₹ 13.82 करोड़¹²³ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

प्रभार: प्र. सीआईटी (एलटीयू) दिल्ली; नि.व. 2001-02

निर्धारिती: मै. इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लि.,

पैन: AAACI0681C

एओ ने निर्धारिती के निर्धारण में ₹ 142.02 करोड़ की वृद्धि की और फरवरी 2004 में ₹ 16.50 करोड़ की मांग की जिसे निर्धारिती द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा करा दिया गया था। सीआईटी (ए) ने निर्धारिती को आंशिक राहत अनुमत की (मार्च 2005), जिसके प्रति निर्धारिती ने आईटीएटी में फिर से अपील कर दी। आईटीएटी ने दिनांक 31 जनवरी 2011 के अपने आदेश द्वारा निर्धारिती की अपील स्वीकार करते हुए एओ द्वारा किए गए ₹ 142.02 करोड़ के अतिरिक्त वृद्धि को समाप्त कर दिया। यह आदेश सीआईटी कार्यालय में 01 अप्रैल 2011 को प्राप्त हुआ था। आईटीएटी के आदेश के आधार पर निर्धारिती अप्रैल 2014 से धारा 244ए के अन्तर्गत ब्याज सहित ₹ 16.50 करोड़ के प्रतिदाय का हकदार था। तथापि, निर्धारिती के बार-बार के अनुस्मारकों¹²⁴ के बावजूद आईटीडी ने जनवरी 2014 में आईटीएटी के अपील आदेश को लागू करते हुए ₹ 26.24 करोड़ का प्रतिदाय जारी किया जिसमें धारा 244ए के तहत अप्रैल 2004 से जनवरी 2014 तक ₹ 9.74 करोड़ राशि के ब्याज सहित ₹ 16.50 करोड़ (मार्च 2004 में निर्धारिती द्वारा जमा मूल कर मांग) शामिल था। आईटीडी ने आईटीएटी के आदेशों के कार्यान्वयन में 33 महीने¹²⁵ लिए जिसके परिणामस्वरूप ₹ 2.64 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

¹²³ जनवरी 2014 से मई 2014

¹²⁴ 02.06.2011, 21.10.2011, 12.10.2012, 16.01.2013, 28.06.2013 तथा 20.12.2013

¹²⁵ मई 2011 से जनवरी 2014

प्रभार: प्र. सीआईटी VI, दिल्ली; नि.व. 2006-07

निर्धारिती: मै. एनटीपीसी सेल पावर कम्पनी प्रा. लि.,

पैन: AABCN5467A

एओ ने निर्धारण आदेश में ₹ 27.16 करोड़ की वृद्धि की और मार्च 2008 में निर्धारिती के प्रति ₹ 11.50 करोड़ की मांग की जिसे निर्धारिती द्वारा निर्धारित समयावधि में जमा करा दिया गया था। निर्धारिती ने मार्च 2008 में सीआईटी (ए) के समक्ष अपील की और सीआईटी (ए) के दिनांक 19 जुलाई 2010 के आदेश के आधार पर ₹ 27.16 करोड़ की सभी वृद्धियाँ समाप्त कर दी गई थीं। सीआईटी (ए) का यह आदेश अगस्त 2010 में प्र. सीआईटी के कार्यालय में प्राप्त हुआ था। सीआईटी (ए) के आदेश के अनुसार निर्धारिती धारा 244ए के अन्तर्गत अप्रैल 2008 से ब्याज सहित ₹ 11.50 करोड़ के कर प्रतिदाय का हकदार था। लेखापरीक्षा ने देखा कि इस अपील आदेश को जनवरी 2014 में लागू किया गया था और धारा 244ए के अन्तर्गत निर्धारिती को अप्रैल 2008 से जनवरी 2014 तक के लिए ₹ 4.03 करोड़ राशि का भुगतान किया गया था। इसप्रकार अपीलीय आदेश के कार्यान्वयन में अक्टूबर 2010 से जनवरी 2014 तक 40 महीनों की देरी के कारण आईटीडी ने निर्धारिती को ₹ 2.30 करोड़ के ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि बोर्ड ने पहले ही 2011 का निर्देश सं. 8 जारी कर दिया था जिसमें आईटीएटी के समक्ष अपील करने हेतु समय सीमा का उल्लेख है और सीआईटी (ए) के आदेश का प्रभाव देने, और यह कि दिनांक 7 अक्टूबर 2015 के पत्र द्वारा इसे फिर से दोहराया गया था।

लेखापरीक्षा का मत है कि बोर्ड के उपरोक्त निर्देशों के बावजूद अपीलीय आदेशों को लागू करने में त्रुटियाँ और इसके कार्यान्वयन में देरी अभी भी जारी थी। सीबीडीटी के दिशा-निर्देशों और अनुदेशों की अनदेखी हेतु जवाबदेही तय न करने के कारण आईटीडी के आदेश अभी भी निष्प्रभावी हैं। आदेशों को दोहराना स्वयं में दर्शाता है कि वे कोई उद्देश्य पूरा नहीं कर रहे हैं।

7.10.3 राजस्व हित में निर्णीत अपीलीय आदेशों का कार्यान्वयन करने के कारण राजस्व का अवरोधन

लेखापरीक्षा ने पाँच राज्यों¹²⁶ में 18 मामले देखे जहाँ अपीलीय प्राधिकरणों ने राजस्व के हित में निर्णय दिए थे, लेकिन आईटीडी द्वारा अपीलीय आदेशों के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। अतः आईटीडी की निष्क्रियता के कारण आज तक ₹ 4.52 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध रहा। ऐसे एक मामले को नीचे दर्शाया गया है:

प्रभार: प्र. सीआईटी-1, अहमदाबाद, गुजरात, नि.व. 2001-02

निर्धारिती: मै. ब्लूम डेकर लि., पैन: AAACB6221B

दिसम्बर 2013 में उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व हित में एक अपीलीय आदेश पारित किया गया था जिसमें अधिनियम की धारा 80आईए के तहत कटौती की गणना हेतु ₹ 1.79 करोड़ राशि के निर्यात लाभ को अलग किया गया था। तथापि, एओ द्वारा जनवरी 2017 तक अपील को लागू नहीं किया गया जिसके परिणामस्वरूप ब्याज सहित ₹ 0.56 करोड़ का राजस्व अवरूद्ध हुआ। आईटीडी ने जून 2017 में उच्च न्यायालय के आदेश को लागू किया और 1.24 करोड़ की मांग की।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा आपत्ति पर संज्ञान लिया गया है और क्षेत्रीय कार्यालयों को इन मामलों से अवगत कराने हेतु सभी प्र.सीसीआईटी को पत्र जारी किया जा रहा था।

7.10.4 सीआईटी (ए) द्वारा आदेश जारी करने में विलम्ब

एमओपी के भाग II पैरा 17.1 एवं बोर्ड के दिनांक 23 दिसम्बर 2003 के निर्देश सं. 20/2003 में यह प्रावधान है कि सीआईटी(ए) द्वारा सुनवाई की अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर अपीलीय आदेश जारी किए जाएं। इस संबंध में लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित अनियमिततायें देखी:

क. कर्नाटक, सीआईटी(ए)-11 केन्द्रीय प्रभार बेंगलूरु में 22 मामलों में अपीलीय आदेश जारी करने में देरी हुई। 21 मामलों में यह देरी 0-3 महीनों के बीच जबकि एक मामले में एक वर्ष से अधिक थी।

126 उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, चण्डीगढ़ गुजरात तथा झारखंड

ख. महाराष्ट्र, सीआईटी(ए)-5, मुम्बई प्रभार में 167 मामलों में अपीलीय आदेश जारी करने में देरी हुई थी। 157 मामलों में ये देरी 0 से तीन महीने के बीच जबकि 10 मामलों में तीन से अधिक महीनों की देरी थी। हमने सीआईटी (ए)-59 मुम्बई प्रभार में यह भी देखा कि सीआईटी(ए) ने 413 अपीलीय आदेश अंतिम सुनवाई के 15 दिनों के बाद पारित किए थे। अन्य चार प्रभारों अर्थात् सीआईटी(ए)-1, सीआईटी(ए)-49, सीआईटी(ए)-50 मुम्बई और सीआईटी(ए)-6 पुणे में निपटान पंजिकाओं में समुचित प्रविष्टियों के अभाव में यह विश्लेषण नहीं किया जा सका।

ग. हिमाचल प्रदेश में 372 मामलों में सीआईटी (ए) द्वारा अपीलीय आदेश जारी करने में देरी हुई थी। देरी तीन महीने से कम थी।

मंत्रालय ने उपरोक्त सभी मामलों के संबंध में उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि 2013 के बोर्ड के निर्देश संख्या 20 में स्पष्ट आदेश था कि सीआईटी(ए) द्वारा अपीलीय आदेशों को अंतिम सुनवाई के 15 दिनों के भीतर जारी किया जाना चाहिए और यह कि इस संबंध में लेखापरीक्षा आपत्ति पर संज्ञान लिया गया है और सभी प्र. सीसीआईटी को पत्र के माध्यम से तत्संबंधी निर्देश दोहराया जा रहा था।

7.10.5 सीआईटी(ए) द्वारा अपीलीय आदेशों को प्रस्तुत करने में देरी

आईटीडी एमओपी (भाग-11) के अध्याय 18 के पैरा 19.1 के अनुसार जैसे ही अपीलीय आदेश पारित होता है, सीआईटी(ए) द्वारा इस संबंध में अपीलकर्ता द्वारा आवेदन देने की प्रतीक्षा किए बिना या तो पंजीकृत डाक अथवा नोटिस प्रेषक के माध्यम से इसकी एक निःशुल्क प्रति अपीलकर्ता को भेजी जानी चाहिए। अपीलीय आदेशों की प्रतियां सीआईटी (पंद्रह दिन में एक बार) तथा मामले के तत्कालीन क्षेत्राधिकारी एओ को भेजे जाने चाहिए न कि उन अधिकारियों को जो अपील के प्रति आदेश पारित करते समय क्षेत्राधिकारी थे।

तमिलनाडू में हमने 601 मामले देखे जहां सीआईटी(ए) ने अपीलीय आदेश प्रदान करने में देरी की थी जिसके परिणामस्वरूप अपीलकर्ता/क्षेत्राधिकारी सीआईटी को आदेश विलम्ब से प्राप्त हुआ। 276 मामलों में 0-1 महीने के बीच देरी थी, 286 मामलों में 1 महीने से 3 महीने के बीच तथा 39 मामलों में तीन महीने से अधिक की देरी हुई थी।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (सितम्बर 2017) कि लेखापरीक्षा में शामिल की गई अवधि आईटीबीए के अपील माँडयूल शुरू होने से पूर्व की थी और यह कि लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मुद्दों को एक बार मैनुअल से प्रणाली परिवेश को सम्पूर्ण स्थानांतरण ही जाने पर समाप्त कर दिया जाएगा।

7.11 निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले देखे जहां निर्धारिती द्वारा कर के भुगतान की पूर्व शर्तों की अनदेखी करते हुए सीआईटी (अपील) द्वारा अपील स्वीकार की गई तथा आदेश पत्र में देरी को माफ करने के कारण दर्ज न करने, देरी माफ किए बिना अपील स्वीकार की यद्यपि सीआईटी (ए) को अपील करने में अत्यधिक देरी हुई थी। लेखापरीक्षा ने आईटीडी द्वारा अपीलीय प्राधिकारियों के दिशा-निर्देशों का पालन न करने के कारण अपीलों को खारिज करना देखा। लेखापरीक्षा ने ऐसे मामले भी देखे जहां आईटीडी ने सीबीडीटी द्वारा जारी परिपत्रों/अनुदेशों का अनुपालन नहीं किया जिसके कारण अपील खारिज हो गई तथा बाद में निर्धारिती को ब्याज का भुगतान करना पड़ा। इसप्रकार सीबीडीटी के दिशा-निर्देशों एवं अनुदेशों की अनदेखी हेतु जवाबदेही तय न किए जाने के कारण आईटीडी के आदेश निष्प्रभावी रहे। आदेशों का बार-बार जारी किया जाना स्वतःदर्शाता है कि उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो रहा है। लेखापरीक्षा के दौरान सीआईटी(ए) द्वारा आदेश जारी करने में देरी, एओज़ द्वारा अपील रजिस्टर का रखरखाव न करना/अनुचित रख रखाव, प्र.सीसीआईटी द्वारा सीआईटी(ए) के कार्य का निरीक्षण न किए जाने से संबंधित अन्य अनियमिततायें भी देखी गई थी।

अपीलीय आदेशों के कार्यान्वयन के संबंध में लेखापरीक्षा ने निर्धारिती को पहले से जारी प्रतिदाय पर ध्यान न देने, ब्याज की कम/वसूली करने/वसूली न करने आदि के लिए अपीलीय आदेशों को लागू करने में त्रुटियां देखीं। हमने


अपीलीय आदेशों के कार्यान्वयन में देरी के ऐसे मामले देखे जिसके कारण निर्धारिती को धारा 244ए के अंतर्गत ब्याज का परिहार्य भुगतान करना पड़ा। लेखापरीक्षा ने ऐसे भी मामले देखे जहां अपीलीय प्राधिकरणों ने राजस्व के हित में निर्णय दिए किन्तु आईटीडी द्वारा अपीलीय आदेशों के कार्यान्वयन हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई और राजस्व अवरूद्ध रहा।

नई दिल्ली
दिनांक: 15 नवम्बर 2017


(गोविन्द भट्टाचार्यी)
महानिदेशक (प्रत्यक्ष कर)

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 16 नवम्बर 2017


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट 2.1 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.4)

निर्धारण में त्रुटियों की राज्यवार घटनायें					
राज्य	2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाईयों में 2015-16 के दौरान पूर्ण किये गये (पूर्व वर्षों में पूर्ण किये गये निर्धारणों सहित)	2016-17 के दौरान लेखापरीक्षा में जांचे गए निर्धारण (पूर्व वर्षों में पूर्ण किये गए निर्धारणों सहित)	त्रुटियों वाले निर्धारण	संवीक्षा निर्धारणों की गई लेखापरीक्षा आपत्तियों में निहित कुल राजस्व प्रभाव (₹ करोड़ में)	त्रुटिपूर्ण निर्धारणों की प्रतिशतता (कॉलम4/कॉलम 3x100)
1	2	3	4	5	6
आन्ध्र प्रदेश	23,194	20,448	1,319	3,916.24	6.45
असम	3,431	3,237	375	26.41	11.58
बिहार	2,139	2,047	230	58.58	11.24
छत्तीसगढ़	3,366	2,646	126	82.49	4.76
दिल्ली	41,347	33,656	1,455	7,697.44	4.32
गोवा	915	860	95	23.43	11.05
गुजरात	21,689	16,227	984	1,052.29	6.06
हरियाणा	8,088	6,604	748	382.27	11.33
हिमाचल प्रदेश	754	638	98	4.09	15.36
जम्मू एवं कश्मीर	1,922	1,848	82	6.21	4.44
झारखंड	3,374	3325	197	72.88	5.92
कर्नाटक	18,189	13,762	1,248	1,117.56	9.07
केरल	10,254	8,377	525	175.67	6.27
मध्य प्रदेश	11,806	11,604	764	293.85	6.58
महाराष्ट्र	67,861	50,980	3178	5,438.18	6.23
ओडिशा	3,195	3,053	231	476.30	7.57
पंजाब	6,570	4,906	449	137.62	9.15
राजस्थान	15,841	14,567	723	92.55	4.96
तमिलनाडू	28,725	24,076	2,299	10,181.46	9.55
यूटी चण्डीगढ़	2,898	2,192	237	97.35	10.81
उत्तराखंड	2,106	1,727	52	9.40	3.01
उत्तर प्रदेश	24,419	23,692	1,207	1,653.78	5.09
पश्चिम बंगाल	19,759	18,226	2,667	2,368.91	14.63
कुल	3,21,842	2,68,698	19,289	35,364.96	7.18

परिशिष्ट 2.2 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.2.6)

स्थानीय लेखापरीक्षा के दौरान पता लगाए गए निगम कर एवं आयकर के संबंध में कम निर्धारण का श्रेणीवार विवरण		
(₹ करोड़ में)		
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	5,373	2,899.68
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां	1,135	1,127.94
ख. कर, अधिभार इत्यादि की गलत कर लगाना	598	251.39
ग. विवरणियों की प्रस्तुती, कर के भुगतान आदि में देरी के लिए ब्याज/दंड का उदग्रहण न करना/कम उदग्रहण	3,487	1,155.69
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदायों/प्रतिदायों पर ब्याज	119	301.86
ङ. अपीलीय आदेश को प्रभावी करते हुए निर्धारण में गलती	34	62.80
ख. कर रियायतों /छूटों/कटौतियों का प्रशासन	8,055	9,550.71
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/राहतें	949	963.21
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटें/कटौतियां/राहतें	426	223.39
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटें/ कटौतियां/राहतें	381	68.75
घ. व्यावसायिक व्यय की गलत अनुमति	5,147	6,292.71
ङ. अवमूल्यन/व्यापार घाटे/पूंजीगत हानियों की अनुमति देने में अनियमितताएं	1,125	1,990.38
च. डीटीएटी राहत की गलत अनुमति	27	12.27
ग. चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय	2,864	4,803.92
क. मेट/टनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत	404	609.50
ख. अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट आदि	431	1,193.99
ग. गलत वर्गीकरण और पूंजीगत अभिलाभ की गणना	854	2,267.45
घ. आर्म लैन्थ मूल्य का गलत आंकलन	26	8.20
ङ. पति या पत्नी, नाबालिग बच्चे आदि की आय को समेकित करने में त्रुटि	11	0.23
च. घर की संपत्ति से आय की गलत गणना	242	74.71
छ. वेतन आय की गलत गणना	59	24.50
ज. टीडीएस/टीसीएम के प्रावधान लागू करने में चूक	837	625.34
घ. अन्य	3,718	11,589.61
कुल	20,010	28,843.92

परिशिष्ट 2.3 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.4.4, 3.1.2 और 4.1.3)

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
निगम कर						
निर्धारणों की गुणवत्ता -आय तथा कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियां						
1	144-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-1, दिल्ली	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	5748.19
2	151-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-3, दिल्ली	फोर्टिस हेल्थकेयर लिमिटेड	2012-13	4060.63
3	171-सीटी	पंजाब	प्र. सीआईटी-(सेन्ट्रल), लुधियाना	एआरके इम्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2012-13, 2013-14, 2014-15	4012.56
4	117-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी-1, अहमदाबाद	कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड	2010-11	3829.2
5	143-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-15, मुम्बई	माइक्रो टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड	2012-13	1664.46
6	298-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-8 मुम्बई	रिवास पोर्टस लिमिटेड	2013-14	1619.88
7	156-सीटी	पंजाब	प्र. सीआईटी-(सेन्ट्रल), लुधियाना	शकुन पॉलीप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	970.15
8	189-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी-1, सूरत	नाकोडा लिमिटेड	2011-12	930.09
9	49-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-2, मुम्बई	धनुस टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	2010-11	871.98
10	135-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-14, मुम्बई	ग्लोबल विंड पावर लिमिटेड	2013-14	773.01
11	122-सीटी	हरियाणा	प्र.सीआईटी (सेन्ट्रल), गुडगांव	कुडोज कैमी लिमिटेड	2013-14	713.16
12	47-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-3, मुम्बई	वीडियोकॉन रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2009-10	608.29
13	31-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-15, मुम्बई	माइक्रो रिटेल लिमिटेड	2012-13	499.76
14	118-सीटी	गोवा	सीआईटी- पणजी	सिद्धार्थ प्राकृतिक खाद्य संसाधन प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	440.78
15	131-सीटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल), कानुपर	ब्रायस होटल प्रा. लिमिटेड	2012-13	409.53
16	17-सीटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी, गाजियाबाद	भारत इम्युनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	404.93
17	48-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-5, मुम्बई	जेट एयरवेज (ई.) लिमिटेड	2013-14	393.43

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
18	286-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (अंतर्राष्ट्रीय कर)-1, दिल्ली	अमेडियस आईटी ग्रुप एसए	2012-13	317.46
19	97-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-2, कोलकाता	वेलमैन ट्रेडलिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	290.84
20	52-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-5, मुम्बई	ग्रेटशिप इंडिया लिमिटेड.	2011-12	237.21
21	319-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-7, मुम्बई	महिंद्रा लाइफस्पेस डेवलपर्स लिमिटेड	2013-14	232.76
22	273-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-14, मुम्बई	तिरुवनंतपुरम सड़क विकास कं लिमिटेड	2012-13	230.09
23	84-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1 मुम्बई	हाइड्रोएयर टेक्सॉनिक्स पीसीडी लिमिटेड	2010-11	228.21
24	4-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी- (सेन्ट्रल), अहमदाबाद	नीसा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	207.78
25	121-सीटी	हरियाणा	प्र.सीआईटी (सेन्ट्रल), गुडगांव	फेदर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	198.65
26	59-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-3, मुम्बई	मुद्रा लाइफस्टाइल लिमिटेड	2010-11	171.83
27	164-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-2, कोलकाता	जीकेबी लेंस प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	124.99
28	105-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-3, चेन्नई	टीडेल पार्क लिमिटेड	2013-14	114.71
29	182-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-1, कोलकाता	गॉर्जियस ट्रेड लिंक प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	106.93
30	82-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी -13, मुम्बई	सिरोया एफएम कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	106.37
31	81-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 6 मुम्बई	एजिस लिमिटेड	2010-11	104.38
32	130-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-4, दिल्ली	हॉटलाइन सीपीटी लिमिटेड	2012-13	103.2
33	88-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-3, चेन्नई	टीम एचआर सर्विसेज लिमिटेड	2013-14	101.78
34	146-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-4, दिल्ली	हेलियस फोटो वोल्टिक लिमिटेड	2012-13	70.16
35	195-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी-1, अहमदाबाद	सेरा सेनेटरीवेयर लिमिटेड	2013-14	53.47

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
36	65-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-1, कोलकाता	सारेगामा इंडिया लिमिटेड	2013-14	53.24
निर्धारणों की गुणवत्ता - कर, अधिभार इत्यादि की दर का गलत प्रयोग						
37	255-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-2, कोलकाता	आरईआई एग्री लिमिटेड	2013-14	803
38	19-सीटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल), कानपुर	डीक्रिश बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	765.39
39	110-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुडगांव	कुडोज कैमि लिमिटेड	2014-15	681.98
40	185-सीटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी- छूट, लखनऊ	उत्तर प्रदेश जल निगम	2013-14	310.3
41	179-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1 पुणे	इयूक कॉरपोरेशन लिमिटेड	2013-14	306.79
42	296-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-3, पुणे	शिरडी कंट्री इन्नस प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	269.98
43	123-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुडगांव	सूर्य फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2008-09	163.31
44	127-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-1, दिल्ली	अनंत राज लिमिटेड	2009-10	129.96
45	289-सीटी	सेन्ट्रल प्रदेश	प्र.सीआईटी-1, इन्दौर	कम्प्यूटर साइंस कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2007-08	85.68
46	14-सीटी	यूटी चण्डीगढ़	सीआईटी-2 चण्डीगढ़	हेल्थवे इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	74.08
47	219-सीटी	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-2, चेन्नई	जी टेक स्टोन लिमिटेड	2008-09, 2009-10, 2010-11, 2011-12	59.22
आकलन की गुणवत्ता- रिटर्न जमा करने में देरी, कर भुगतान में देरी आदि के लिए ब्याज/दंड का उदग्रहण न करना/कम उदग्रहण						
48	69-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-3, मुम्बई	एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया	2010-11	4385.59
49	51-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-13, मुम्बई	शिवान गिरि स्टील लिमिटेड	2008-09, 2009-10, 2010-11	2525.76
50	77-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-6, मुम्बई	बी ए ट्रेडिंग कं प्राइवेट लिमिटेड	2009-10, 2010-11	1862.14
51	41-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1 दिल्ली	अल्ट्रा होम कंसट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	2010-11, 2011-12, 2012-13	1040.18
52	186-सीटी	ओडिशा	प्र.सीआईटी-1, भुवनेश्वर	ग्रीन इंडिया इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2012-13, 2013-14	802.16

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
53	33-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-3, कोलकाता	आईटीसी लिमिटेड	2012-13	320.84
54	20-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-1, मुम्बई	ओरके इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2007-08	309.67
55	85-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1 मुम्बई	ग्लोबल पेपर इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	305.76
56	104-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-11, मुम्बई	गुणवत्ता परिधान निर्यात प्राइवेट लिमिटेड	2000-01	284.65
57	276-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-4, दिल्ली	इंटरनेशनल इलेक्टॉन डिवाइसेस लिमिटेड	2008-09	272.62
58	272-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1 मुम्बई	स्पेशलिटी पेपर लिमिटेड	2008-09	249.63
59	251-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-2, कोलकाता	सरदा माइंस प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	229.47
60	55-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-6, मुम्बई	बी ए ट्रेडिंग कं प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	214.84
61	119-सीटी	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-2, चेन्नई	आरकेकेआर स्टील्स लिमिटेड	2011-12, 2012-13, 2013-14	204.9
62	125-सीटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल), लुधियाना	जीएच एगो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	200.63
63	75-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-4, कोलकाता	भैरब बोर्ड मैनुयुफैक्चरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	170.52
64	25-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-1, दिल्ली	गौरिसुता इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	166.92
65	108-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी - (सेन्ट्रल)-2, दिल्ली	अधीस्त गारमेंट प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	156.63
66	32-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी - 2, बेंगलुरु	मिनरल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	2013-14	144.62
67	29-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-6, चेन्नई	स्विलेक्ट एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड	2013-14	142.15
68	190-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-12, मुम्बई	मिशका फाइबर्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	139.29
69	70-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-13, मुम्बई	सिरोया एफ एम कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड	2012-13	130.49
70	227-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1 दिल्ली	श्री सी यूनिवर्सल डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	116.58
71	213-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी (सीसी)-3, मुम्बई	सत्रा प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	114.93

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
72	188-सीटी	आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	सीआईटी (सेन्ट्रल), हैदराबाद	जेनेरा एग्री कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	108.9
73	27-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-1, दिल्ली	कपिला बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	108.09
74	132-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-6, मुम्बई	बासंती गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	97.61
75	94-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1 दिल्ली	केएडी हाउसिंग प्रा. लिमिटेड	2011-12	96.42
76	63-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-1, कोलकाता	जेमिनी बार्टर प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	95.17
77	282-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-8, दिल्ली	स्वाच ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2010-2011	93.99
78	128-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-4, दिल्ली	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड	2013-14	88.39
79	71-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल), बेंगलुरु	अस्तित्व प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	80.22
80	42-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-4, दिल्ली	ऑनेस्ट प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	79.79
81	18-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-6 दिल्ली	मोटो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	78.15
82	103-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र.सीआईटी-1, कोलकाता	क्रेडेन्स ट्रेक्सिम प्रा. लिमिटेड	2008-09	69.66
83	160-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-6, चेन्नई	स्टेट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडू लिमिटेड	2013-14	63.63
84	22-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-8, दिल्ली	सोभिन बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	52.42
85	233-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-6, दिल्ली	मोबिजोक टेक्नॉलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	52.07
86	157-सीटी	यूटी चण्डीगढ़	प्र. सीआईटी-2 चण्डीगढ़	सोनी हाईटेक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	46.61
87	45-सीटी	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी, भोपाल	एमपी राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड	2012-13	43.66
निर्धारणों की गुणवत्ता- अतिरिक्त या अनियमित प्रतिदाय/प्रतिदायों पर ब्याज						
88	46-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-एलटीयू, बेंगलुरु	विजया बैंक	2012-13	3688.02
89	249-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	2009-10	411.1

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
90	192-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1 मुम्बई	हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	1994-95	345.18
91	53-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-7, मुम्बई	महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	2007-08	267.04
92	176-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल), बेंगलोर	जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2010-11	216.08
93	264-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-1, मुम्बई	सिन्क्योरिटीज ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया फाइनेंस लिमिटेड	2004-05	107.4
निर्धारणों की गुणवत्ता- अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते हुए निर्धारण में गलतियां						
94	299-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी एलटीयू, मुम्बई	रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	4656.9
95	83-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-6, मुम्बई	सीईएटी लिमिटेड	1998-99	2119.63
96	165-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-2, कोलकाता	उज्जल उद्योग लिमिटेड	2008-09	138.35
97	320-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-2, मुम्बई	बैंक ऑफ बड़ौदा	2003-04	113.78
98	230-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-3, दिल्ली	ईडीएजी इंजीनियरिंग और डिजाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2007-08	55.85
99	247-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी(सेन्ट्रल) बेंगलोर	जीएमआर होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	53.76
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-अनियमित छूटों/कटौतियों/राहतें						
100	155-सीटी	ओडिशा	प्र.सीआईटी-1, भुवनेश्वर	राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	2013-14	7161.18
101	293-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-एलटीयू, मुम्बई	शैल इंडिया मार्केट प्राइवेट लिमिटेड	2009-10, 2010-11, 2011-12	3999.57
102	212-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-4, मुम्बई	ऑर्बिट कॉरपोरेशन लिमिटेड.	2012-13	1197.06
103	12-सीटी	आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	प्र. सीआईटी-4, हैदराबाद	नुसुन जेनेटिक रिसर्च लिमिटेड	2012-13	897.11
104	3-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी-2, बड़ौदा	मनपसंद बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	2012-13, 2013-14	720.38
105	92-सीटी	राजस्थान	कोटा	मंगलम सीमेंट लिमिटेड	2013-14	500.63
106	57-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-3, मुम्बई	वेलस्पन सिंटेक्स लिमिटेड	2013-14	353.21
107	201-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, मुम्बई	महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड	2010-11	290

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
108	28-सीटी	तमिलनाडू	सीआईटी-4, चेन्नई	मैवरिक सिस्टम्स लिमिटेड	2011-12	252.27
109	260-सीटी	आन्ध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	प्र. सीआईटी-4, हैदराबाद	नेटको फार्मा लिमिटेड	2012-13	235.18
110	79-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 6, मुम्बई	भाण्डेर पावर लिमिटेड	2010-11	207.5
111	223-सीटी	तमिलनाडू	प्र. सीआईटी-2, चेन्नई	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ तमिलनाडू लिमिटेड	2013-14	206.9
112	261-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल), गुडगांव	वाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2013-14	121.48
113	203-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी-1, बेंगलुरु	बगमन डेवलपर्स प्रा. लिमिटेड	2013-14	107.11
114	91-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी-3, अहमदाबाद	पार्श्वनाथ कारपोरेशन लिमिटेड	2012-13	96.88
115	256-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	दार्जिलिंग ऑर्गेनिक चाय एस्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	93.23
116	202-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-5, कोलकाता	चेमेक्स ऑयल प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	77.53
117	37-सीटी	तमिलनाडू	प्र.सीआईटी-1, मदुराई	आई गैंडी सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	77.17
118	231-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-8, दिल्ली	एससी जॉनसन उत्पाद प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	50.58
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-व्यापार व्यय का गलत प्रयोग						
119	137-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-2, मुम्बई	सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	2011-12	18900
120	206-सीटी	ओडिशा	प्र.सीआईटी-1, भुवनेश्वर	वेस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइ कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	2012-13	4517.32
121	265-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी (आईटी) 4 मुम्बई	स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक	2009-10	3702.02
122	191-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-2, मुम्बई	भारतीय स्टेट बैंक	2013-14	2714.92
123	93-सीटी	राजस्थान	सीआईटी जयपुर-2	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर	2013-14	1500.91
124	297-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी - एलटीयू, मुम्बई	टाटा मोटर्स लिमिटेड	2009-10	1489.63
125	136-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-1, मुम्बई	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	1152.77
126	159-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-1, बड़ौदा	गुजरात स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन	2011-12	1052.25

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
127	246-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-2, चेन्नई	इंडियन बैंक	2013-14	1035
128	279-सीटी	ओडिशा	प्र.सीआईटी-1, भुवनेश्वर	ओडिशा हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	903.77
129	211-सीटी	ओडिशा	प्र.सीआईटी-1, भुवनेश्वर	ओडिशा ग्रामीण आवास और विकास निगम लिमिटेड	2013-14	666.76
130	294-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-8, मुम्बई	मॉर्गन कंस्ट्रक्शन कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2010-11	571.09
131	266-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-11, मुम्बई	वालेचा बड़वानी सेंधवा टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	570.42
132	245-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी- एलटीयू, चेन्नई	अलस्टॉम टी एंड डी इंडिया लिमिटेड	2010-11	570.16
133	30-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-6, चेन्नई	राज्य एक्सप्रेस परिवहन निगम तमिलनाडू लिमिटेड	2013-14	562.94
134	106-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-3, चेन्नई	तमिलनाडू उत्पादन एवं वितरण निगम लिमिटेड	2012-13	552.63
135	270-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल 1, कोलकाता	रूंगटा माइन्स लिमिटेड	2013-14	548.9
136	222-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-4, चेन्नई	महानगर परिवहन निगम चेन्नई लिमिटेड	2013-14	521.09
137	116-सीटी	कर्नाटक	प्र.सीआईटी-7 बेंगलुरु	दी हट्टी गोल्ड माइंस कंपनी लिमिटेड	2013-14	495.62
138	58-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-2, मुम्बई	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	2011-12	440.78
139	78-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी- एलटीयू, मुम्बई	देपूय मेडिकल प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	418.42
140	220-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-5, चेन्नई	ओमने एजेंट सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	398.07
141	268-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी- एलटीयू कोलकाता	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	2012-13	363.76
142	205-सीटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड	2012-13	356.33
143	217-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-2, चेन्नई	इंडियन बैंक	2013-14	350.13
144	262-सीटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	ओडिशा वन विकास निगम	2013-14	313.22
145	60-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-सेन्ट्रल, बेंगलुरु	ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2008-09	254.17

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
146	5-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी, गांधीनगर	गुजरात स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	230.48
147	16-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	इंडियन पल्प एंड पेपर प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	229.71
148	177-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-2 मुम्बई	न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	213.6
149	254-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-4, कोलकाता	सुरक्षा डायगनॉस्टिक प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	202.78
150	316-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3 मुम्बई	श्रीयम पावर एंड स्टील इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2012-13, 2013-14	181.8
151	252-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-1, कोलकाता	श्री बद्रीनारायण अलॉयज एंड स्टील्स लिमिटेड	2013-14	174.92
152	269-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-एलटीयू, कोलकाता	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	2013-14	166.56
153	35-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-1, कोलकाता	आधुनिक पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड	2013-14	164.16
154	139-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-12, मुम्बई	कर्मयोगी प्रोपर्टीज डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	154.82
155	215-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-8, मुम्बई	सुरक्षा रियल्टी लिमिटेड	2011-12	149.48
156	154-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना	प्र. सीआईटी-5, हैदराबाद	विजया नगर शुगर प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	131.1
157	56-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-2, मुम्बई	इंडसइंड बैंक लिमिटेड	1999-2000	127.89
158	114-सीटी	कर्नाटक	प्र.सीआईटी-4 बेंगलुरु	मैसूर मिनरल्स लिमिटेड	2013-14	122.3
159	175-सीटी	कर्नाटक	सीआईटी-एलटीयू बेंगलुरु	माइंडट्री लिमिटेड	2010-11	105.59
160	216-सीटी	कर्नाटक	प्र.सीआईटी-3, बेंगलुरु	आईजेडएमओ लिमिटेड	2013-14	101.51
161	244-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-2, चेन्नई	इंडियन बैंक	2012-13	80.67
162	278-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-2 दिल्ली	भद्रा इंटरनेशनल इंडियन प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	77.45
163	302-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-1, कोलकाता	रूंगटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	70.27
164	66-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	केसोराम इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	69.53

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
165	275-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-9, दिल्ली	यूनिवर्सल एनर्जी लिमिटेड	2012-13	69.22
166	169-सीटी	कर्नाटक	प्र.सीआईटी-5, बेंगलुरु	प्रोविमी पशु पोषण इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	54.82
167	158-सीटी	केरल	प्र. सीआईटी कोची-1	रोड और ब्रिज डेवलपमेंट कांफॉरिशन ऑफ केरल लिमिटेड	2012-13	37.08
168	204-सीटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	रेक्टर माइन एंड मिनरल्स लिमिटेड	2013-14	27.74
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन- मूल्यहास/व्यापार हानि/पूँजीगत हानियों की मंजूरी में अनियमितताएं						
169	13-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-3, हैदराबाद	शेयर माइक्रोफिन लिमिटेड	2013-14	29582.1
170	120-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-1, बड़ौदा	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2011-12	16689.2
171	314-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-10 मुम्बई	हन्जेर बायोटेक एनर्जी प्रा. लिमिटेड	2013-14	10692
172	196-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-2, मुम्बई	सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	2011-12	8333.12
173	240-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-3, दिल्ली	दिल्ली ट्रांस्को लिमिटेड	2013-14	5415.31
174	306-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-1, हैदराबाद	बार्ट्रोनिक्स इंडियन लिमिटेड	2010-11	4477.86
175	259-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-1, हैदराबाद	बेंगलोर एलीएटेड टोलवे लिमिटेड	2012-13	4316.85
176	193-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1 मुम्बई	दीप वाटर सर्विसेज इंडियन लिमिटेड	2014-15	4090.03
177	243-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी- 1, चेन्नई	डिशनट वायरलेस लिमिटेड	2011-12	2707.47
178	271-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-6, मुम्बई	कोसी ब्रिज इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड	2013-14	2665.03
179	295-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 11 मुम्बई	वालेचा एलएम टोल प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	1792.26
180	322-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 10 मुम्बई	हंजर बायोटेक एनर्जी सूत प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	1553.61
181	224-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी- 1, चेन्नई	एयरसेल लिमिटेड	2011-12	1441.52
182	90-सीटी	केरल	प्र. सीआईटी - थिश्शूर	दी कैथोलिक सीरियन बैंक लिमिटेड	2012-13	1404.11
183	50-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-7, मुम्बई	लूप टेलीकॉम लिमिटेड	2013-14	1330.51

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
184	300-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 14 मुम्बई	एसयू टोल रोड प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	1070.49
185	307-सीटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	सदर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाइ कम्पनी ऑफ उडिसा लि.	2013-14	1033.69
186	140-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-15, मुम्बई	प्लस बीकेएसपी टोल प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	1017.72
187	10-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	सीआईटी-3, हैदराबाद	सागर सीमेंट्स लिमिटेड	2012-2013	950.22
188	253-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी- 2, कोलकाता	हिन्दुस्तान पेपर कार्पोरेशन लिमिटेड	2013-14	921.7
189	209-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी- (सेन्ट्रल), हैदराबाद	एमबीएस ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	836.64
190	11-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-2, विशखापटनम	विशाखापटनम औद्योगिकी जल आपूर्ति कंपनी लिमिटेड	2013-14	816.29
191	2-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-4, अहमदाबाद	सिन्टेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2014-15	791.42
192	9-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-5, हैदराबाद	विजय निर्माण कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	2014-15	554.14
193	312-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-8, मुम्बई	रिवरसाइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2011-12	540.27
194	285-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-3, दिल्ली	फ्यूजिट्सू इंडिया प्रा. लिमिटेड	2011-12	509.51
195	313-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-10 मुम्बई	हंजर बायोटेक मीरा प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	484.39
196	199-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-3, मुम्बई	अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड	2012-13	473.09
197	197-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-14, मुम्बई	आईडीएफसी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	2013-14	416.33
198	200-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-1 मुम्बई	सर्को बीपीओ प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	390.84
199	1-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-4, अहमदाबाद	स्पार्टा सीमेंट एंड इंफ्रा लिमिटेड	2013-14	347.58
200	54-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-8, मुम्बई	सबेरो ऑर्गेनिक्स गुजरात लिमिटेड	2009-10	330.45
201	95-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-8, दिल्ली	श्याम फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	304.35
202	291-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी- 6, चेन्नई	दक्षिण एशिया एफएम लिमिटेड	2010-11, 2011-12	279.47
203	89-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-1, कोयम्बटूर	शारदा टेरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2012-13	274.51

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
204	170-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-4, चेन्नई	महिंद्रा वर्ल्ड सिटी डेवलपर्स लिमिटेड	2013-14	270.34
205	26-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-7, दिल्ली	ओबेथर टेक्नोलॉजीज इंडिया प्रा. लिमिटेड	2011-12	260.74
206	228-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-2, दिल्ली	सेंटम लर्निंग लिमिटेड	2012-13	260.5
207	323-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 2, नागपुर	इंडोवर्थ इंडिया लिमिटेड	2011-12	258.19
208	303-सीटी	पंजाब	प्र. सीआईटी, पटियाला	पंजाब स्टेट ट्रांससीजन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	238.92
209	138-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-4, मुम्बई	सिल्वार स्पार्क अपैरल लिमिटेड	2012-13	235.59
210	38-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-6, चेन्नई	सोराज इन्वेस्टमेंटस प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	216.99
211	21-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1, दिल्ली	नेऊकोम कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	206.23
212	242-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-1, चेन्नई	एयरसेल सेल्युलर लिमिटेड	2011-12	176.48
213	181-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-3, कोलकाता	मकार्टिच कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	173.17
214	161-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-3, चेन्नई	त्रिस्टार कंटेनर सर्विसेज (एशिया) प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	167.77
215	248-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-11, मुम्बई	टोटल ऑयल इंडिया प्रा. लिमिटेड	2012-13	156.9
216	86-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-15, मुम्बई	एचसीसी एविएशन लि.	2012-13	139.01
217	321-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-11, मुम्बई	विरबक एनिमल हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	138.82
218	7-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-2, जयपुर	एग्रीबॉयटेक एंटरप्राइसेज लिमिटेड	2012-13	136.98
219	129-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-4, दिल्ली	इंटरग्लोब एंटरप्राइसेज लिमिटेड	2012-13	132.48
220	162-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-1, मदुराई	इंटरनेशनल एग्रीकरचरल प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड	2009-10	132.1
221	153-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-5, हैदराबाद	उत्तरा बेकर्स प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	125.95
222	87-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-3, चेन्नई	ट्रेम्को रूफिंग एंड फेसिलिटी सर्विसिज प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	122.19

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
223	198-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-8, मुम्बई	टीपीएल प्लास्टैक लिमिटेड	2011-12	112.39
224	107-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी(सेन्ट्रल)-1, चेन्नई	कामचि स्पंज एंड पावर कार्पोरेशन लिमिटेड	2007-08	108.57
225	39-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी-1, राजकोट	डायनेमिक्स उर्जा इंडिया लिमिटेड	2012-13	99.67
226	115-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी-7, बेंगलुरु	विजयज्योति इन्वेस्टमेंट एजेंसियां प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	98.51
227	61-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-2, कोलकाता	डव एयरलाइंस प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	96.46
228	67-सीटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-1, आगरा	गिनी फिलामेंट लिमिटेड	2012-13	96.34
229	74-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-1, कोलकाता	डोजको इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	94.65
230	124-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुडगांव	डीडी ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड	2012-13	93.76
231	34-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-2	वीजा इंटरनेशनल लिमिटेड	2013-14	90.68
232	62-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-4, कोलकाता	उत्सव एगो प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2013-14	90.48
233	36-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-6, दिल्ली	नील ऑटो प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	82.66
234	15-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1, कोलकाता	आधुनिक अलॉयज एंड पावर लिमिटेड	2013-14	82.51
235	292-सीटी	गुजरात	प्र.सीआईटी-1, बड़ौदा	बेंजो पेट्रो इंटरनेशनल लि.	2013-14	75.58
236	184-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	कामरहाट्टी पावर लिमिटेड	2013-14	73.12
237	304-सीटी	पंजाब	प्र. सीआईटी-2, अमृतसर	निज्जर एगो फूड्स लिमिटेड	2012-13	72.05
238	287-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-2, दिल्ली	बीकन हायर एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	69.54
239	76-सीटी	राजस्थान	सीआईटी-1 जयपुर	उदयपुर मिनेरल डेवलपमेंट सिंडिकेट प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	66.5
240	173-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी-4, बेंगलुरु	केआरएस एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	64.86
241	174-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी-4, बेंगलुरु	किंगफिशर फिनवेस्ट इंडिया लिमिटेड	2012-13	58.26

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
242	102-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी- 4, कोलकाता	रेडियंस एडिफिस इन्फ्रा रियल्टी लिमिटेड	2013-14	57.83
243	6-सीटी	राजस्थान	सीआईटी जयपुर-3	सांग बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	2011-12	57.12
244	166-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-3, कोलकाता	कलकता रिसॉर्ट्स एंड एंटरप्राइज लिमिटेड	2012-13	55.61
245	234-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-6, दिल्ली	माहले फिल्टर सिस्टम इंडिया लिमिटेड	2013-14	52.69
246	226-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-5 कोलकाता	मिलेनिया इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	51.39
247	40-सीटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी-4, बेंगलुरु	मैसूर फ्रूट प्रोडक्ट्स लिमिटेड	2013-14	50.09
248	113-सीटी	केरल	प्र. सीआईटी कोची-1	नीता जिलेटिन इंडिया लिमिटेड	2012-13	49.55
249	168-सीटी	झारखंड	सीआईटी जमशेदपुर	टीआरएफ लिमिटेड	2009-10	26.26
चूकों के कारण निर्धारण से बची आय-मैट/टनेज कर आदि सहित विशेष प्रावधानों के तहत निर्धारित नहीं की गई।						
250	318-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 15 मुम्बई	वानबरी लिमिटेड	2010-11	205.87
चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय-पूँजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण और परिकलन						
251	311-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-वलसाद	एवी ग्लोबल प्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	453.35
252	80-सीटी	महाराष्ट्र	प्र.सीआईटी-10, मुम्बई	एन वी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	114.55
253	8-सीटी	राजस्थान	अजमेर	शारदा स्पनटेक्स प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	111.45
254	218-सीटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी-1, चेन्नई	बे फोर्ज लिमिटेड	2012-13	80.83
चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय-आय का गलत परिकलन						
255	72-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-4, दिल्ली	इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कं. लिमिटेड	2013-14	5394.79
256	308-सीटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	नॉर्थ इस्टर्न इलैक्ट्रिसिटी सप्लाय कम्पनी लि.	2012-13	2573.54
257	317-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 1, मुम्बई	हिंदुस्तान एजिस एलपीजी लिमिटेड	2012-2013	1534.43
258	133-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-2, मुम्बई	न्हावा शेवा इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्रा. लि.	2011-12	1365.31
259	310-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-(अंत. कर.)-1	अमेडियस आईटी ग्रुप एसए	2011-12	1103.21
260	221-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-4, चेन्नई	मायाजाल एंटरटेनमेंट लिमिटेड	2012-13	318.65

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
261	178-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी)-8, मुम्बई	लोखंडवाला कटारिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	314.53
262	68-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-3, मुम्बई	फुल्चंद एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	2010-11	304.04
263	100-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-4, कोलकाता	ड्रीम बेक प्रा. लि.	2011-12	192.16
264	214-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी 3, पुणे	रोपा प्लास्टिक्स प्रा. लि.	2009-10	166.5
265	207-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-4, हैदराबाद	पी आर एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड	2012-13	147.68
266	267-सीटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-5, चेन्नई	ओशियानिक बायो हार्वेस्ट लिमिटेड	2013-14	101.27
267	98-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	विश्वरूपा मेटलिक्स प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	87.37
268	172-सीटी	तमिलनाडु	सीआईटी-4, चेन्नई	नेक्सस इलेक्ट्रो स्टील लिमिटेड	2013-14	67.92
चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय-अस्पष्टीकृत निवेश/नकद क्रेडिट आदि						
269	180-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-14 मुम्बई	डार्विन प्लेटफार्म इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	2012-13	78576.7
270	194-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-4, अहमदाबाद	सीमा ज्वेलर्स प्रा. लि.	2011-12	1064.64
271	126-सीटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-गांधीनगर	श्री रंग इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2012-13	269.16
272	64-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-2, कोलकाता	आई कोर हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12	67.76
चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय - आमर्स लेन्थ मूल्य का गलत प्राक्कलन						
273	163-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (टीपी)-1, मुम्बई	एसीसी लिमिटेड	2013-14	1388.6
274	142-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी (टीपी), पुणे	वोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	1207.28
275	301-सीटी	पश्चिम बंगाल	सीआईटी (आईटी एवं टीपी), कोलकाता	फिलिप्स इंडिया लिमिटेड	2012-13	682.37
276	309-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-1, टीपीओ	भारती एयरटेल लिमिटेड	2011-12	631.17
277	141-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-(आईटी एवं टीपी), पुणे	प्राणव एगो इंडस्ट्रीज लिमिटेड	2013-14	205.55
278	257-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी - आईटी एवं टीपी, हैदराबाद	डेलॉइट टैक्स सर्विसेज इंडिया प्रा. लि.	2012-13	97.15

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
279	305-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी, आईटी एवं टीपी, हैदराबाद	क्लॉज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2012-13	84.88
280	134-सीटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-(टीपी)-4, मुम्बई	इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड	2013-14	70.59
कर/ब्याज का अधिक-प्रभार- कर का अधिक प्रभार						
281	315-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी)-5 मुम्बई	राष्ट्रीय विमानन कंपनी इंडिया लि.	2008-09	1349.09
282	152-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुढ़गांव	टोर्कई इंपीरियल रबर इंडिया प्रा. लि.	2009-10	1072.46
283	167-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	ट्रेड व्यापार लिमिटेड	2013-14	919.75
284	187-सीटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम्पनी ऑफ उड़ीशा लि.	2013-14	691.31
285	210-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-1, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश इंडसट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कापरिशन लिमिटेड	2009-10	637.5
286	149-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-3, दिल्ली	इनरशेल एलाय एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	465.3
287	250-सीटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 13, मुम्बई	रॉयल पाम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2007-08	298.94
288	183-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-2, कोलकाता	उज्जल उद्योग लिमिटेड	2009-10	145.36
289	99-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-2, कोलकाता	एमजे एंड सन्स डिस्टीलरी एंड ब्रेवरीज प्रा. लि.	2013-14	129.99
290	208-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुढ़गांव	ईपीआईसीयू एग्रो प्रोडक्ट प्रा. लि.	2012-13	120.53
291	73-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी -1, कोलकाता	फर्गुसन ट्रेडर्स प्राइवेट लि.	2013-14	117.42
292	288-सीटी	दिल्ली	सीआईटी एलटीयू दिल्ली	महानगर टेलीफोन निगम लि.	2007-08	96.38
293	109-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-4, दिल्ली	एच एन रीकॉन प्राइवेट लि.	2013-14	80.59
294	225-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-5, कोलकाता	रेडीयंस एडिफिस इन्फ्रा रियल्टी प्राइवेट लि.	2012-13	73.48
295	147-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-3, दिल्ली	एपिटोम ट्रेवल सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	61.65
296	277-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (अंत. कर.)-1, दिल्ली	बुंगियोनों हांगकांग लिमिटेड	2011-12	60.71
297	145-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-5, दिल्ली	जेएस एक्जिम प्राइवेट लि.	2013-14	55.47

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
कर/ब्याज का अधिक-प्रभार- ब्याज का अधिक प्रभार						
298	258-सीटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-4 हैदराबाद	डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लि.	2010-11	32080.4
299	239-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-3	दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड	2013-14	1807.62
300	283-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी 6	नेशनल हाउसिंग बैंक	2013-14	749.58
301	148-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-3	देवोमॉन्ट लि.	2012-13	531.71
302	290-सीटी	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी-1 भोपाल	मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि.	2013-14	358.83
303	232-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-6	मदरकेयर सोर्सिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	315.83
304	101-सीटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी- 4, कोलकाता	यूनिवर्थ टेक्सटाइल्स लि.	2013-14	299.19
305	263-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (सेन्ट्रल)-1, दिल्ली	सनी इन्फ्राप्रोजेक्टस लि.	2010-11	293.91
306	229-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-एलटीयू	व्हेलपूल ऑफ इंडिया लि.	2011-12	289.71
307	44-सीटी	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी-1 भोपाल	हैथवे डेटाकॉम सेंटर प्राइवेट लि.	2013-14	252.62
308	284-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी 6	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम	2013-14	231.72
309	237-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-6	एम कार्बन टेक इनोवेशन प्रा.लि.	2013-14	220.98
310	274-सीटी	दिल्ली	सीआईटी(सेन्ट्रल)-1 दिल्ली	लैरी डिस्ट्रीब्यूटर्स इंडिया प्राइवेट लि.	2006-07	110.8
311	241-सीटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी-4, दिल्ली	हास्कॉनिंग डीएचवी इंडिया प्राइवेट लि.	2012-13	102.39
312	43-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-4, दिल्ली	हयात संचार प्राइवेट लिमिटेड	2013-14	88.93
313	24-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-3	डेन डिजिटल एंटरटेनमेंट गुजरात प्राइवेट लि.	2013-14	85.18
314	96-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-3	डेडिकोटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	2013-14	83.64
315	111-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुढ़गांव	कुडो एग्रोहोल्स लि.	2013-14	65.66
316	236-सीटी	दिल्ली	सीआईटी-2 (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान)	हनीवेल इंटरनेशनल लि.	2013-14	63.85

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रकार	निर्धारित का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
317	235-सीटी	दिल्ली	सीआईटी (सेन्ट्रल)-1, दिल्ली	मेट्रो टायर्स लि.	2007-08	53.8
318	238-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-1, दिल्ली	एनसीएमएल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लि.	2012-13	53.01
319	23-सीटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-9	वायम टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	2012-13	50.23
320	112-सीटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुढगांव	प्रन्कु लैंडफिन प्राइवेट लि.	2009-10	42.05
आयकर एवं सम्पत्ति कर						
निर्धारण की गुणवत्ता-आय एवं कर के गणना में अंकगणितीय त्रुटियां						
321	10-आईटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी, करनाल	मैसर्स करनाल सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.	2012-13	18.34
322	12-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एक्स-मुम्बई	टाटा सोशल वेलफेयर ट्रस्ट	2012-13	110.09
323	17-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल)-2	ब्रिज किशोर कोचर	2013-14	77.22
324	18-आईटी	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी-1 भोपाल	एमपी स्टेट को-ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लि.	2012-13	63.63
325	19-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एक्स., मुम्बई	जेआरडी टाटा ट्रस्ट	2012-13	101.61
326	22-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी-एक्स., मुम्बई	टाटा एजुकेशन ट्रस्ट	2012-13	111.39
327	24-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 6, पुणे	भीम सहकारी सखर कारखाना लिमिटेड	2012-13	844.59
328	26-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 6, पुणे	श्री सिद्धेश्वर सहकारी सखर कारखाना लि.	2011-12	302.80
329	28-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी, सेन्ट्रल-1, चेन्नई	जया शैक्षणिक ट्रस्ट	2012-13	430.13
330	50-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी सीसी 1, पुणे	ललित एस गांधी	2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13	262.80
331	52-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी(सी)-2	फाइन अरोमाटिक्स	2009-10	57.08
332	54-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (सी), लुधियाना	कैलाश अग्रवाल	2011-12	45.99
333	61-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-IV, अहमदाबाद	इब्राहिमभाई वैलीअहमद मनकनोजिया	2013-14	54.03

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
334	65-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3, पुणे	सहादी एसएसके लिमिटेड	2009-10	142.69
335	67-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी एक्स मुम्बई	मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन	2010-11	1667.08
336	78-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 29, मुम्बई	समीर सुधीर जोशी	2012-13	100.58
337	79-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल 3, मुम्बई	भूपेंद्र सुरानी	2010-11	800.93
338	80-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी एक्स मुम्बई	आर डी टाटा ट्रस्ट	2012-13	63.61
339	84-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 21 मुम्बई	अरविंद पी नादकर्णी	2009-10	66.05
340	90-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-1, सूरत	अनिल सत्यनारायण रूंगटा	2013-14	127.94
341	96-आईटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	मोहम्मद युशा	2010-11	29.33
342	110-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-1, पूणे	अगास्ती एस एस के लि.	2012-13	386.35
343	111-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल 1, मुम्बई	शिरीष सी साह	2013-14	34.56
344	126-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (सी), लुधियाना	अनुभव अग्रवाल	2008-09; 2014-15	319.57
345	128-आईटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	मै. नीलाचल ग्राम्या बैंक	2013-14	1260.91
346	129-आईटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	प्र. सीआईटी-1, हैदराबाद	बी बालराज गौड	2011-12	109.39
निर्धारण की गुणवत्ता-कर की दर, उपकर आदि की गलत प्रयोज्यता						
347	32-आईटी	झारखंड	हाजिरबाग	अजय कुमार	2009-10	10.62
348	36-आईटी	गोवा	सीआईटी-पणजी	मेसर्स वसुदेव डेम्पो परिवार प्राइवेट ट्रस्ट	2013-14	67.48
349	51-आईटी	दिल्ली	प्र.सीआईटी(सी)-2	शिव मिंट इंडस्ट्रीज	2009-10	907.80
350	53-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (सी), लुधियाना	सुमन अग्रवाल	2009-10	23.13
351	73-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (सी), लुधियाना	उपदेश जयपाल	2009-10	10.29
352	83-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 23, मुम्बई	दोसु ऐ भिवंडीवाला	2009-10	172.11

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
निर्धारण की गुणवत्ता-प्रतिगमों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के लिए ब्याज/दण्ड की गैर/कम उगाही, कर के भुगतान में विलम्ब आदि।						
353	2-आईटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी, सेन्ट्रल-1, चेन्नई	नरेश प्रसाद अग्रवाल	2009-10; 2010-11	77.28
354	4-आईटी	यूटी चंडीगढ़	प्र. सीआईटी-2 चंडीगढ़	मंगत सिंह	2011-12	31.56
355	5-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी सेन्ट्रल लखनऊ	अमोद कुमार सचान	2008-09; 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14	88.87
356	8-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 19, मुम्बई	परशुराम एन दांडेकर	2007-08	102.29
357	13-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी-सेन्ट्रल, कानपुर	मनोज कुमार	2012-13; 2013-14; 2014-15	925.89
358	14-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-सेन्ट्रल, सूरत	मैसर्स एम डी इन्फ्रा डेवलपर्स	2011-12; 2012-13	137.77
359	15-आईटी	केरल	प्र. सीआईटी, तिरुवनतपुरम	पदमाजादेवी अम्मा जे	2012-13	63.01
360	25-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 23, मुम्बई	संध्या एंटरप्राइजेज	2007-08; 2008-09	121.94
361	27-आईटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी-2, मदुराई	मैसर्स दीनामालर	2008-09	34.17
362	35-आईटी	बिहार	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल), पटना	सरोज सिंह	2006-07; 2007-08; 2008-09; 2009-10; 2010-11; 2011-12	24.61
363	37-आईटी	गोवा	सीआईटी-पणजी	गोवा क्रिकेट एसोसिएशन	2009-10	58.00
364	38-आईटी	तमिलनाडु	प्र.सीआईटी, 10, चेन्नई	राजन एलुमलई देवेन्दिरन	2012-13	22.31
365	39-आईटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुढ़गांव	जितेंद्र सिंह	2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14	195.88
366	40-आईटी	यूटी चंडीगढ़	प्र. सीआईटी-2, चंडीगढ़	स्वर्णजीत कौर	2007-08	18.70
367	41-आईटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगना	सीआईटी, सेन्ट्रल, विशखापटनम	ग्रान्धी मनोज कुमार	2010-11	181.69

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
368	44-आईटी	मध्य प्रदेश	सीआईटी(सेन्ट्रल)-भोपाल	कांतिलाल कटारिया	2011-12	111.08
369	46-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी-सेन्ट्रल, कानपुर	नवनीत भादला	2010-11	88.10
370	47-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी-सेन्ट्रल, कानपुर	अनीता मिगलानी	2013-14	46.78
371	48-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल, कानपुर	मनीष कुमार जैन	2013-14	110.58
372	49-आईटी	असम	प्र. सीआईटी-2, गुवाहटी	असम ग्रामीण विकास बैंक	2011-12	10.66
373	55-आईटी	तमिलनाडु	प्र. सीआईटी-1, चेन्नई	गुरु प्रकाश होटल	2011-12	39.83
374	56-आईटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी-सेन्ट्रल, बेंगलुरु	डॉ पी दयानंद पई	2007-08	43.61
375	58-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-1 जयपुर	रमाकांत शर्मा	2007-08	19.12
376	64-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 27, वशी नवी मुम्बई	हेमा अपूर्वा दोशी	2010-11	561.38
377	66-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 25, मुम्बई	माइलस्टोन रियल एस्टेट फंड	2011-12	61.16
378	71-आईटी	असम	सीआईटी-II, गुवाटी	बाबू सिंह	2010-11; 2011-12; 2012-13	17.36
379	72-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी, गाजियाबाद	शशि कांत त्यागी	2008-09	243.40
380	76-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-3, सूरत	अनिल घनश्याम कुमावत	2010-11; 2011-12; 2012-13	165.38
381	81-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी सीसी 2, मुम्बई	शिरीष सी शाह	2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14	515.36
382	85-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 28, मुम्बई	अमजदली सैयद	2009-10	147.19
383	87-आईटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी-1, भुवनेश्वर	प्रदीप कुमार सिंह	2010-11; 2011-12	204.10
384	91-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-2	अजीत कुमार सुराना	2009-10	63.66
385	92-आईटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुढ़गांव	गुरूमीत सोढ़ी	2008-09; 2009-10; 2010-11; 2013-14	118.45

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
386	102-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-16	श्री किशोर प्रोप शाम एंटरप्राइजेज	2008-09	51.39
387	103-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-(सी)-2	अंबिका इंटरनेशनल	2008-09; 2009-10; 2010-11	8113.87
388	108-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी) 3, मुम्बई	बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया	2008-09; 2010-11	137.41
389	118-आईटी	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी(सेन्ट्रल), भोपाल	चुघ हाउसिंग और डेवलपर्स	2008-09; 2009-10	58.13
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-ट्रस्ट/फर्मो/सोसाइटियों को अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत						
390	11-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-3, नागपुर	सुखकर्ता डेवलपर्स और बिल्डर्स	2011-12; 2012-13	93.00
391	34-आईटी	उत्तराखंड	प्र. सीआईटी, देहरादून	केबीजी इंडस्ट्रीज	2012-13	41.42
392	63-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी (सी), पुणे	रवि डेवलपर्स	2009-10; 2010-11	282.62
393	70-आईटी	बिहार	प्र. सीआईटी-II, पटना	मै. ऐश्वर्या लाइफसाइंस	2013-14	14.40
394	100-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी, पोंडीचेरी	एनएलसी इंडोकोसर्व	2010-11	26.62
395	109-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी (छूट), मुम्बई	स्टॉक एक्सचेंस निवेशक संरक्षण निधि	2011-12	872.05
396	119-आईटी	छत्तीसगढ़	प्र. सीआईटी बिलासपुर	श्री श्रीविद्या सागरजी महाराज एजुकेशन ट्रस्ट	2011-12	68.83
397	130-आईटी	हिमाचल प्रदेश	प्र. सीआईटी, शिमला	मैसर्स हिमसार टेक्नॉमर्स	2012-13	18.04
398	131-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-5, अहमदाबाद	मैसर्स गुजरात स्टेट कोऑप कृषि और ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड	2010-11; 2012-13	375.14
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-व्यक्ति को अनियमित छूट/कटौतियाँ/राहत						
399	59-आईटी	केरल	प्र. सीआईटी, तिरुवनंतपुरम	संजीत सदसयावन	2012-13	34.29
400	77-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-3, जयपुर	भारत मोहन रतूरी	2013-14	26.25
401	94-आईटी	यूटी चंडीगढ़	प्र. सीआईटी-2, चंडीगढ़	अरुण त्रेहन	2012-13	15.63
402	98-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 6, मुम्बई	वसुंधरा करुण संघी	2011-12	70.30
403	99-आईटी	राजस्थान	अलवर	राजेंद्र यादव	2011-12	11.49

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारित का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
404	107-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-5, अहमदाबाद	देवेन्द्र सिंह सी वाघेला	2012-13	218.92
405	115-आईटी	यूटी चंडीगढ़	प्र. सीआईटी-2, चंडीगढ़	हरविंदर सिंह मावी	2013-14	40.56
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-व्यापार व्यय की गलत अनुमति						
406	3-आईटी	यूटी चंडीगढ़	प्र. सीआईटी-2, चंडीगढ़	मैसर्स अग्रवाल प्रमोटर्स	2012-13	56.36
407	7-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी-1, कोहलापुर	सांगली जिला सेंट्रल कॉप बैंक लिमिटेड	2012-13	450.50
408	33-आईटी	उत्तराखंड	प्र.सीआईटी, देहरादून	प्रदीप नागरथ	2011-12	13.97
409	89-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-12, कोलकाता	मैसर्स कलकता एक्सपोर्ट कंपनी	2013-14	25.71
410	93-आईटी	यूटी चंडीगढ़	प्र. सीआईटी- 2, चंडीगढ़	सुखदेव सिंह पटवारी	2012-13; 2013-14	74.10
411	105-आईटी	गुजरात	प्र.सीआईटी-1, राजकोट	राजू बद्रीप्रसाद शर्मा	2012-13	2342.37
412	106-आईटी	गुजरात	प्र.सीआईटी-1, राजकोट	राजू बद्रीप्रसाद शर्मा	2012-13	120.96
413	112-आईटी	बिहार	प्र. सीआईटी, मुज्जफरपुर	समस्तीपुर जिला मध्य सहकारी बैंक लिमिटेड समस्तीपुर	2008-09	14.70
414	125-आईटी	पंजाब	प्र. सीआईटी (सी), लुधियाना	अंकुश सिंगला	2013-14	29.93
415	132-आईटी	असम	प्र. सीआईटी-शिलांग	तापेश चंद्र देबनाथ	2012-13	40.26
कर रियायतों/छूटों/कटौतियों का प्रशासन-मूल्यहास/व्यापार हानि/पूंजीगत हानियों की मंजूरी में अनियमितताएं						
416	1-आईटी	राजस्थान	जयपुर-3	केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड	2013-14	60.23
417	30-आईटी	राजस्थान	अजमेर	अजमेर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड	2009-10	40.18
418	31-आईटी	झारखंड	जमशेदपुर	शदाब खान	2011-12	22.94
419	57-आईटी	राजस्थान	सीआईटी-अलवर	नरेंद्र कुमार मोदी	2013-14	13.27
420	60-आईटी	केरल	प्र. सीआईटी, त्रिशूर	कोडुंगल्लुर टाउन सहकारी बैंक लिमिटेड सं. 102 नहीं	2012-13	518.09
421	82-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 19, मुम्बई	ओम आनंद एक्सपोर्ट	2011-12	102.34
422	95-आईटी	ओडिशा	प्र. सीआईटी, कटक	मैसर्स गुरु महाराज कन्सट्रक्शन	2012-13	53.20

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
423	101-आईटी	बिहार	प्र. सीआईटी-भागलपुर	खगरिया जिला मध्य सहकारी बैंक लिमिटेड	2012-13	168.92
424	120-आईटी	बिहार	प्र. सीआईटी-भागलपुर	पूर्णिया जिला मध्य सहकारी बैंक लिमिटेड पूर्णमा	2009-10; 2010-11	1461.73
चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय-पूँजीगत लाभों का गलत वर्गीकरण और परिकलन						
425	16-आईटी	राजस्थान	जयपुर-2	राहुल कपूर	2012-13	41.06
426	74-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-सेन्ट्रल, बड़ौदा	श्री भरत डी पटेल	2011-12	155.49
427	127-आईटी	हरियाणा	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल) गुड़गांव	साधना अग्रवाल	2014-15	17.20
चूकों के कारण निर्धारण से छूटी आय -आय का गलत परिकलन						
428	20-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल 2	कनिका मैती	2012-13	113.92
429	21-आईटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-2	अनुकुल मैती	2012-13	101.92
430	62-आईटी	महाराष्ट्र	प्र. सीआईटी 3 पुणे	श्रीराम जवाहर शेखरकारी सहकारी उद्योग	2011-12	335.02
431	75-आईटी	गुजरात	प्र. सीआईटी-II, राजकोट	गिरीशभाई आर ताती	2011-12	702.66
432	88-आईटी	महाराष्ट्र	सीआईटी एकस, मुम्बई	मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन	2011-12	104.48
चूकों के कारण निर्धारणों के बची आय-टीडीएस/टीसीएस के प्रावधानों को लागू करने में चूक						
433	68-आईटी	झारखंड	पटना	विजय प्रसाद	2012-13	39.59
434	69-आईटी	बिहार	प्र. सीआईटी-II, पटना	मैसर्स नंदलाल एंड कंपनी पटना	2012-13	118.95
435	86-आईटी	झारखंड	पटना	सच्चिदानंद प्रसाद	2012-13	84.90
चूकों के कारण निर्धारण से बची आय-धन कर की गैर/कम उगाही						
436	1-डब्ल्यूटी	कर्नाटक	प्र. सीआईटी-सेन्ट्रल	के नागेश रेड्डी	2009-10; 2010-11; 2011-12; 2012-13; 2013-14	24.80
437	2-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-11, कोलकाता	ऋषी जैन	2013-14	2.33
438	3-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-1	सुभाष कुमार अग्रवाल	2013-14	2.02
439	4-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-1	के कल्पना इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड	2009-10; 2010-11; 2011-12;	5.29

क्र. सं.	सीएजी डीपी सं.	राज्य	सीआईटी प्रभार	निर्धारिती का नाम	नि.व.	कर प्रभाव (₹ लाख में)
					2012-13	
440	5-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी सेन्ट्रल-1	रीता अग्रवाल	2013-14	2.08
441	6-डब्ल्यूटी	पश्चिम बंगाल	प्र. सीआईटी-5, कोलकाता	सरीफ हुसैन	2013-14	9.74
कर/ब्याज का अधिक प्रभार के कर/ब्याज का अधिक प्रभार						
442	6-आईटी	उत्तर प्रदेश	सीआईटी सेन्ट्रल, लखनऊ	हिंद चैरिटेबल ट्रस्ट	2010-11; 2012-13; 2013-14	418.80
443	9-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (सेन्ट्रल)-2	देवाशीष एपेरल्स	2013-14	25.66
444	23-आईटी	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल), भोपाल	मैसर्स सिग्नेचर इन्फ्रास्ट्रक्चर	2014-15	90.01
445	43-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-5	ललित मोदी	2013-14	30.58
446	45-आईटी	मध्य प्रदेश	प्र. सीआईटी (सेन्ट्रल), भोपाल	नितिन अग्रवाल	2014-15	180.44
447	113-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र.सीआईटी-छूट, लखनऊ	इलाहाबाद विकास प्राधिकरण	2012-13	104.41
448	114-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-1	धरमबीर सिंह	2008-09	46.74
449	116-आईटी	दिल्ली	सीआईटी (अन्तर्राष्ट्रीय कराधान)-2	करमजीत एस जयसवाल	2006-07; 2007-08	227.92
450	117-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-11	राकेश जंधु	2013-14	157.50
451	121-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी-छूट, लखनऊ	लखनऊ विकास प्राधिकरण	2013-14	90.72
452	122-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी- छूट, लखनऊ	मोरादाबाद विकास प्राधिकरण	2013-14	69.72
453	123-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी- छूट, लखनऊ	यू पी एवास एवम विकास परिषद	2014-15	33.33
454	124-आईटी	उत्तर प्रदेश	प्र. सीआईटी छूट, लखनऊ	यूपी वन निगम	2012-13	26.09
455	42-आईटी	दिल्ली	प्र. सीआईटी-V	सुरेंद्र मोदी	2013-14	22.52
456	97-आईटी	आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाणा	प्र. सीआईटी-सेन्ट्रल, हैदराबाद	लीना प्रसाद राव	2013-14	541.79
457	104-आईटी	तमिलनाडु	सीआईटी, सेन्ट्रल-2, चेन्नई	अरविंद नंदगोपाल	2012-13	60.30

अनुबंध 2.4 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.4.4)

मंत्रालय को भेजे गए ड्राफ्ट पैराग्राफ के संबंध में अवलोकनों का श्रेणीवार विवरण		
उप श्रेणी	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
क. निर्धारणों की गुणवत्ता	168	843.66
क. आय और कर की गणना में अंकगणितीय त्रुटियाँ	62	385.93
ख. कर, अधिभार इत्यादि की गलत दर लगाना	17	48.42
ग. विवरणियों की प्रस्तुती, कर के भुगतान आदि में विलम्ब के लिए ब्याज/शास्ति नहीं/कम लगाना	77	287.58
घ. अधिक या अनियमित प्रतिदायों/ब्याज प्रतिदायों पर	6	50.35
ङ. अपीलीय आदेशों को प्रभावी करते समय निर्धारणों में त्रुटियाँ	6	71.38
ख. रियायतों/छूटों/कटौतियों का कर प्रशासन	185	1,867.41
क. निगमों को दी गई अनियमित छूटों/कटौतियाँ/राहतें	19	166.45
ख. ट्रस्टों/फर्मों/सोसाइटियों को दी गई अनियमित छूटों/कटौतियाँ/राहतें	9	17.92
ग. व्यक्तियों को दी गई अनियमित छूटों/कटौतियाँ/राहतें	7	4.17
घ. कारोबारी व्यय की गलत अनुमति	60	510.36
ङ. मूल्यहास/कारोबारी हानियाँ/पूँजीगत हानियाँ अनुमत करने में अनियमितताएं	90	1,168.51
ग. चूकों के कारण निर्धारणों से छूटी आय	48	1,008.44
क. मेट/टनेज कर इत्यादि सहित विशेष प्रावधानों के अन्तर्गत	1	2.06
ख. पूँजीगत लाभ का गलत वर्गीकरण और गणना	7	9.74
ग. आय की गलत गणना	19	150.29
घ. टीडीएस/टीसीएस के प्रावधान कार्यान्वित करने में चुक	3	2.43
ङ. संपत्तिकर ना/कम लगाना	6	0.46
च. अव्याख्यायित निवेश/कैश क्रेडिट	4	799.78
छ. आर्म लैथ मूल्य का गलत आकलन	8	43.68
घ. अन्य	56	467.34
ज. कर/ब्याज का अधिक प्रभार	56	467.34
	कुल	457
		4,186.85

अनुबंध 2.5 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.6.2)

वि.व. 2013-14 में समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई वाले मामले		
राज्य	समयबद्ध सुधारात्मक कार्रवाई पर लेखापरीक्षा आपत्तियाँ	
	मामले	कर प्रभाव (₹ करोड़ में)
आंध्र प्रदेश	354	313.37
असम	0	0.00
बिहार	91	4.02
छत्तीसगढ़	31	3.01
दिल्ली	4	0.24
गोवा	0	0.00
गुजरात	147	138.35
हरियाणा	162	42.68
हिमाचल प्रदेश	40	5.48
जम्मू एवं कश्मीर	25	12.21
झारखंड	11	0.81
कर्नाटक	42	32.52
केरल	0	0.00
मध्य प्रदेश	84	26.09
महाराष्ट्र	410	418.94
ओडिशा	171	102.96
पंजाब	64	12.62
राजस्थान	52	14.57
तमिलनाडू	426	418.27
यूटी चंडीगढ़	13	1.55
उत्तराखण्ड	7	1.06
उत्तर प्रदेश	109	89.06
पश्चिम बंगाल	0	0.00
कुल	2,243	1,637.81

अनुबंध 2.6 (संदर्भ: पैराग्राफ 2.7.2)

वि.व. 2014-15 से वि.व. 2016-17 के दौरान अभिलेखों के गैर-प्रस्तुतीकरण के विवरण					
राज्य	वि.व. 2016-17 में मांगे गए रिकार्ड	वि.व. 2016-17 में प्रस्तुत नहीं किए गए रिकार्ड	वि.व. 2016-17 में प्रस्तुत नहीं किए गए रिकार्ड का प्रतिशत	वि.व. 2015-16 में प्रस्तुत नहीं किए गए रिकार्ड का प्रतिशत	वि.व. 2014-15 में प्रस्तुत नहीं किए गए रिकार्ड का प्रतिशत
आंध्र प्रदेश	23,194	1,182	5.10	N.A	10.43
असम	7,020	2	0.03	0.36	1.21
बिहार	2,372	196	8.26	14.05	13.42
छत्तीसगढ़	2,682	30	1.12	0.00	26.84
दिल्ली	41,347	7,691	18.60	23.20	24.81
गोवा	915	55	6.01	2.79	0.39
गुजरात	25,900	1,073	4.14	2.71	6.43
हरियाणा	6,662	57	0.86	7.87	7.64
हिमाचल प्रदेश	638	0	0.00	17.75	11.03
जम्मू एवं कश्मीर	1,851	3	0.16	1.39	16.01
झारखंड	3,374	49	1.45	5.37	12.09
कर्नाटक	14,813	1,051	7.10	7.31	9.56
केरल	9,287	289	3.11	11.36	11.76
मध्य प्रदेश	12,186	1,688	13.85	17.56	20.06
महाराष्ट्र	61,767	4,198	6.80	6.74	5.79
ओडिशा	3,995	377	9.44	29.36	9.78
पंजाब	4,912	6	0.12	15.49	15.10
राजस्थान	15,841	1,261	7.96	6.38	8.75
तमिलनाडु	28,725	4,649	16.18	13.16	25.03
यूटी चंडीगढ़	2,260	68	3.01	45.90	41.49
उत्तराखण्ड	1,736	11	0.63	21.35	0.69
उत्तर प्रदेश	24,799	861	3.47	4.86	3.11
पश्चिम बंगाल	27,256	2,026	7.43	5.30	7.01
कुल	3,23,532	26,823	8.29	10.74	12.02

संकेताक्षर

एसीआईटी	सहायक आयुक्त, आयकर
एक्ट	आयकर अधिनियम, 1961
एई	सहायक उद्योग
एएलपी	आर्म्स लेंथ मूल्य
एओ	निर्धारण अधिकारी
एआईआर	वार्षिक सूचना विवरण
नि.व.	निर्धारण वर्ष
सीएसएस	कम्प्यूटर असिस्टेड स्क्रूटिनी चयन
सीबीडीटी	केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
सीसीआईटी	आयकर मुख्य आयुक्त
सीआईटी	आयकर आयुक्त
सीआईटी(ए)	आयकर आयुक्त (अपील)
सीपीएम	कोस्ट प्लस विधि
सीएसओ	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय
सीटी	निगम कर
सीयूपी	तुलनात्मक अनियंत्रित मूल्य
डीजीआईटी (प्रणाली)	आयकर महानिदेशक (प्रणाली)
डीओआर	राजस्व विभाग
डीआरपी	विवाद समाधान पैनल
डीटी	प्रत्यक्ष कर
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीटीआर	सकल कर प्राप्तियां
एचटीएम	परिपक्वता के लिए रखी गई
आईटी	आयकर
आईटीएटी	आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल
आईटीबीए	आयकर व्यापार प्रयोज्यता
आईटीडी	आयकर विभाग
आईटीओ	आयकर अधिकारी
आईटीआर	आयकर विवरणी
जेसीआईटी	आयकर संयुक्त आयुक्त
पीएस	लोक लेखा समिति
पीएन	स्थायी खाता संख्या
प्र. सीसीए	प्रधान मुख्य नियंत्रक और लेखे
प्र. सीसीआईटी	प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त
एमएम	सबसे उपयुक्त तरीका
एमएटी	न्यूनतम वैकल्पिक कर
एमओपी	कार्यालय प्रक्रिया मैनुअल
एनजेआरएस	राष्ट्रीय न्यायिक संदर्भ प्रणाली

एनएमएस	गैर फाइलर मॉनीटरिंग सिस्टम
ओईआरसी	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग
आरओसी	कम्पनियों के रजिस्ट्रार
रूल्स	आयकर अधिनियम, 1962
टीसीएस	स्रोत पर संग्रहित कर
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीपी	अंतरण मूल्यांकन
टीपीओ	अंतरण मूल्यांकन अधिकारी
टीआरओ	कर वसूली अधिकारी
टीएनएमएम	अंतरण निवल मार्जन पद्धती

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in